खण्ड-429, अंक-3
शुक्रवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(26 फरवरी, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 429 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाये जाने का प्रयास... ...	1-2
प्रश्नोत्तर	2-109
प्रश्नों का सुसंगत उत्तर न दिये जाने तथा उनमें विरोधाभास होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	109-110
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	110
जनपद वाराणसी के उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में हो रही विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय ग्रामों में लगाये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के मानक के अनुसार न लगाये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
जनपद महोबा मे वर्ष 1995 में कराई गई उर्दू अध्यापकों की परीक्षा का परिणाम घोषित कर शीघ्र भर्ती किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	111
जनपद बहराइच के महसी क्षेत्रान्तर्गत बरुआ घाट एवं उमरपुर घाट पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
लखनऊ स्थित आर०ए०एल०सी० में शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कराने एवं विकलांग मरीजों को तत्संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद चित्रकूट में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों में कथित अनियमितता की जांच टी०ए०सी० से कराने एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय एवं जिला योजना के अन्तर्गत चयनित मार्गों का निर्माण कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	114
विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	114-115
विधान सभा के उपवेशन 90 दिन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	116
माननीय नेता विरोधी दल को सरकारी आवास उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	117-119
उ० प्र० उपभोक्ता संरक्षण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998 तथा उ० प्र० उपभोक्ता संरक्षण (चतुर्थ संशोधन), नियमावली, 1998....(सदन के पटल पर रखा गया) ...	120
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999..... (सदन के पटल पर रखा गया)	120

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल का उत्तर	120
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	121
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	121
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	121
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	121
माननीय सदस्यों को समय से बजट साहित्य उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	122-123
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	123-155
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 73–शिक्षा–विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	156-183
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग, अनुदान संख्या 72–शिक्षा–विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	183-199
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 71–शिक्षा–विभाग (प्राथमिक शिक्षा) व अनुदान संख्या 75–शिक्षा–विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत) ..	199-213
श्री गोरखनाथ पाण्डेय सदस्य विधान सभा द्वारा लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल पांच वर्ष तथा इससे पूर्व विघटित न किये जाने संबंधी एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं की समुचित प्रतिनिधित्व हेतु संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) में संशोधन संबंधी नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा (जारी)	213
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	214
प्रदेश में निरन्तर बढ़ती दलित उत्पीड़न की घटनाओं तथा राजस्व देयों की वसूली के संबंध में जनपद लखीमपुर की सदर तहसील के अन्तर्गत राजाराम नामक व्यक्ति की कथित निर्मम पिटाई से हुयी मृत्यु के संबंध में श्री राम ललित चौधरी, श्री भगवती प्रसाद सागर तथा श्री राजाराम पाल द्वारा दी गयी सूचनाओं पर, नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	215-216

विषय				पृष्ठ-संख्या
छिबरामऊ गर्ल्स इण्टर कालेज, छिबरामऊ के प्रबन्धक तथा प्रधानाध्यापिका व आर० आई० जी० एस० कानपुर द्वारा सहायक अध्यापिका पद्मा चतुर्वेदी के देयों का भुगतान के संबंध में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत मा० संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	...			217
वाराणसी नगर में धोबियों को गंगाघाट तथा वरुणा नदी में कपड़ा धोने से नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित करने व वैकल्पिक व्यवस्था न करने के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		217-218
जनपद गाजियाबाद के धौलाना विकास खण्ड के अन्तर्गत नालों की सफाई मशीन द्वारा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य				218-219
नत्थियां	...	...	...	220-234

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना
उमा कान्त यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजी मोहम्द मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
के० सी० सिंह, "बाबा", श्री	ऊधम सिंह नगर
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायण तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री	गोरखपुर
तिलकराज बेहड़, श्री	उधम सिंह नगर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थ नगर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मुस्लिम, डा०	रायबरेली
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
मोती लाल, श्री	खीरी
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राजधारी, श्री	बलिया
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
बहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र

विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू" श्री	गोण्डा	संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर	हरीश चन्द्र श्रीवास्तव	वाराणसी
शिव शंकर, श्री	बांदा	"हरीश जी", श्री	
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास

श्री चन्द्रपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का सवाल है । जन-प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी सदन शुरू नहीं हुआ । व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ? मा० चन्द्रपाल जी की सूचना नियम–56 में है और जब वह मद आयेगा तो हम सुन लेंगे ।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

मान्यवर, नियम–311 में हमने सूचना दी है । नियम 311 में सुन लें । यह मेरा व्यक्तिगत मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 की सूचना को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । जब नियम–56 लेंगे तो आपको सुन लेंगे उस समय आप अपने विचार व्यक्त कर लीजियेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मामला है इसलिए सुन लीजिए ।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यक्तिगत मामला है । इसलिए नियम–311 में सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी नियम–311 की सूचना नियम–56 में परिवर्तित कर दी गयी है । यह ठीक है कि आपका व्यक्तिगत मामला है लेकिन यह 56 में आ गयी है उस समय हम आपको सुन लेंगे ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैंने आपकी सूचना को निरस्त कर दी है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, नियम–56 में सुन लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में आज गुंजाइश नहीं है ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

मान्यवर, हमने नियम–311 में सूचना दी है इससे गंभीर मामला कोई हो नहीं सकता । इसलिए कार्यवाही रोककर इसको सुन लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

यह अधिकार नहीं है कि आपने सूचना दे दी तो उसको सुना ही जाये । आप नियम–311 पढ़िये आपकी सूचना कैसे आती है ? नियम 311 में कहां है कि व्यक्तिगत मामला है तो सारी कार्यवाही रोककर उसको सुना जाये ।

श्री अवधेश प्रसाद–

आपके सामने यह प्रस्ताव कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

हमारे सामने प्रस्ताव नहीं है । आप नियम–311 को पढ़ लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप अगर संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा ?

श्री अध्यक्ष–

नियमानुसार संरक्षण दिया जायेगा ।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

नियम–311 में है कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अनुमति से कर सकेंगे अनुमति मैं नहीं दे रहा हूं । अभी प्रस्ताव भी नहीं है । अभी अनुमति भी नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

सदन के सदस्य को अपमानित किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इनकी भावनाओं को ही दृष्टिगत रखते हुए नियम–56 में स्वीकार कर लिया है । उस समय श्री शिवपाल सिंह व श्री अम्बिका जी भी थे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य एवं ब्याज के भुगतान की जानकारी

**1.–श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री राम ललित चौधरी तथा श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है और कितने समय से ? क्या सरकार ऐसी किसी विधि का निर्माण करेगी जिससे एक निश्चित अवधि के बाद बकाये गन्ना मूल्य पर किसानों को ब्याज दिया जा सके ? यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

दिनांक 16-2-99 तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर चालू पेराई सत्र, 98-99 का 587.47 करोड़ रुपया तथा उससे पूर्व 1994-95 का 1.42 करोड़, वर्ष 1995-96 का 2.78 करोड़, वर्ष 1996-97 का 23.44 करोड़ तथा वर्ष 1997-98 का 36.16 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया है। गन्ना खरीदने के 15 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान न करने पर ब्याज भुगतान की व्यवस्था पहले से ही उ० प्र० गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–17 में प्राविधानित है। अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के उपरान्त ब्याज के भुगतान हेतु आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार यथासंभव कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में 1998-99 के पूर्व के वर्षों का करोड़ों रुपया बकाया बताया है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि गन्ना खरीदने के 15 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान न करने पर ब्याज भुगतान की व्यवस्था पहले से ही उ० प्र० गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा–17 में प्राविधानित है। तो क्या गन्ना मूल्य के ब्याज के भुगतान के लिए समय-समय पर अनुश्रवण किया जाता है और पूर्व के वर्षों का निर्धारित दर से कितना ब्याज हुआ ? उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

15 फरवरी को वर्ष 1996-97 में 743.17 करोड़ रु० अवशेष था जो 60.78 प्रतिशत था। वर्ष 1997-98 में 32.50 प्रतिशत शेष था। 16-2 को 1998-99 में जो चल रहा है 30.80 प्रतिशत है। इस वर्ष भुगतान प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी अच्छा है। प्रतिकूल परिस्थितियां यह हैं पिछले वर्ष की तुलना में निरन्तर बाढ़, वर्षा व कुहरे के कारण रिकवरी कम रही है जिसके कारण 300 करोड़ रुपये का घाटा है। पिछले चार वर्षों 1994-95 से लेकर 1997-98 तक कुल 63.37 करोड़ रुपये बकाया है। जिसमें कुल 9 मिलों का जिसमें 3 निजी मिलें हैं 3 केन्द्रीय कपड़ा निगम की मिलें हैं और तीन चीनी निगम की मिलें हैं। निजी चीनी मिलों का पिछले चार वर्षों का 36.59 करोड़ रुपया बकाया है। केन्द्रीय कपड़ा निगम का 20.30 करोड़ रुपया बकाया है। निगम की मिलों पर 6.48 करोड़ रुपया बकाया है। सरदार नगर के सम्बन्ध में बी०आई०एफ०आर० ने 10-1-97 को यह निर्णय दिया कि जो उनके ऊपर 19.93 करोड़ रुपये बाकी है वह तीन वर्षों में इन्स्टालमेन्ट में किसानों का भुगतान करें जो केन्द्रीय कपड़ा निगम की मिलों पर 20.30 करोड़ का बाकी है उसके बारे में बी०आई०एफ०आर० ने यह निर्णय दिया कि यह 6 वर्षों में भुगतान करे। यह अर्ध न्यायिक संस्था है। इस संस्था के विरुद्ध अपील भी हम वहीं कर सकते हैं। वह तो चार मिलों की स्थिति है। जहां तक कप्तानगंज का मामला है वहां के किसानों के साथ समझौता करके 3 साल में भुगतान की बात हुई है और एफीडेविट पर समझौता हुआ है। वर्ष 1996-97 का जो बकाया है, साढ़े चार करोड़ रुपये दे दिया गया है। समझौते में 20 परसेन्ट पिछले का और 80 परसेन्ट वर्तमान का भुगतान किया जायेगा। जहां तक खलीलाबाद का प्रश्न है, वह बन्द हो गयी है। कई मुकदमें किये गये हैं। हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करके और इस मिल को नीलाम करके गन्ने का भुगतान करायेंगे। उनके ऊपर 5.91 करोड़ रुपये है। जहां तक घाटमपुर, रामपुर तथा एक चीनी मिल शाहगंज और हैं, इन पर 6.48 करोड़ रुपये है, इसी सत्र में हम इसका भुगतान करा देंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मूल विन्दु ब्याज के भुगतान से सम्बन्धित है। माननीय मंत्री जी ने लम्बा-चौड़ा उत्तर दिया परन्तु यह नहीं बताया कि ब्याज देने की क्या प्रक्रिया है ? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में

कहा है कि आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार गन्ना का भुगतान होता है, जो किसान को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इतने दिनों से किसान को जो ब्याज नहीं मिल पा रहा है, क्या उसको देने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे और कब तक दे देंगे और वर्षवार ब्याज कितना बनता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जिस अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत 15 दिन के बाद ब्याज के भुगतान की व्यवस्था की गयी है वह अधिनियम 1953 का है। उसके बाद अनेक सरकारें आयीं, निश्चित रूप से वे सभी किसानों के प्रति चिन्तित रहीं और हम भी हैं। अब कोई न कोई बाध्यता और परिस्थिति रही होगी जिस कारण वे सरकारें 15 परसेन्ट ब्याज के प्राविधान को लागू नहीं कर पाये, वही बाध्यतायें और परिस्थितियां हमारी भी हैं, जिस कारण इस 15 परसेन्ट के ब्याज के प्राविधान को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। रिकवरी बहुत कम हो रही है, गन्ना कम जा रहा है और चीनी का उत्पादन कम हो रहा है, मन्दी है। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं बन पायी, इसे लागू किया जा सके। मन्शा हमारी भी है। ज्योंही परिस्थितियां अनुकूल हो जायेंगी, हम इसे लागू करने पर विचार करेंगे।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ना मिल मालिकों से ब्याज सहित भुगतान के सम्बन्ध में उनकी आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए सरकार कार्यवाही करती है तो क्या किसानों द्वारा लिए गये कर्जे के सम्बन्ध में किसान की माली हालत को देखते हुए कार्यवाही करेगी, अर्थात किसान के कर्जे को माफ करेगी ? जब गन्ना खरीदने के 15 दिन के अन्दर भुगतान न करने पर ब्याज सहित भुगतान की व्यवस्था है तो क्या सरकारी मिलों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जो ब्याज सहित भुगतान नहीं कर रही हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, गन्ना मिल से भुगतान के सम्बन्ध में जो 1953 से सरकार ने परम्परा चला रखी है जिसमें सभी माननीय सदस्यों की पार्टियां बैठ चुकी हैं, हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं। इतनी गति अवश्य लाये हैं कि भुगतान जल्दी हो। इस साल पिछले वर्षों की तुलना में भुगतान अच्छा है।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैंने पूछा कि मिल मालिकों से भुगतान की व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने बताया कि जिस तरह से पिछली सरकारें करती आ रही हैं, हम भी वैसा ही कर रहे हैं कोई भिन्न नियम नहीं लागू किया है।

(श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, किसानों के प्रति सरकार का जो रवैया है। यह गन्ना किसानों के विरोधी हैं। मैं व मेरा दल सरकार के इस रवैये के विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

मान्यवर, इस सदन में पिछली बार कहा गया था कि ब्याज वसूलने का कोई नियम नहीं है और इसी सदन में इस बार कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद सूद सहित ले सकते हैं। मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी फैक्ट्री पर किसानों का सूद का पैसा आपने दिलवाने का काम किया है, अगर नहीं किया है तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने इसका जवाब दे दिया है कि 15 प्रतिशत ब्याज नहीं ले रहे हैं । एक माननीय सदस्य दल ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है और सदन त्याग कर चले गये । मेरा कहना है कि 15 प्रतिशत ब्याज न दिलवाना अगर किसान विरोधी है तो फिर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको किसान विरोधी न कहा जाय ।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

मान्यवर, मैंने प्रतापपुर में 14 लाख 30 हजार सूद किसानों को दिलवाया है । आप कह रहे हैं कि किसी सरकार ने नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो निदेश के अन्तर्गत कार्यवाही करें ।

(डा० अम्मार रिजवी का नाम पुकारे जाने पर)

10 मिनट और अल्पसूचित प्रश्नों के लिए बढ़ा देते हैं क्योंकि 6-7 मिनट दूसरे प्रकरण में लग गये थे ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो किसान क्या पूरा प्रदेश त्रस्त है और हम इनके आंकड़ों से त्रस्त हैं । हमने प्रश्न भी पूछा था किसानों को बहुत नुकसान हुआ है लेकिन वह प्रश्न नहीं आया । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो इन्होंने आंकड़े दिये हैं यह पूरे प्रदेश के दिये हैं । मैं अपनी निश्चित जानकारी से बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सरकारी चीनी मिल है वहां पर किसानों का पैसा बाकी है । मैं खुद किसान हूं पैसा नहीं मिला है और वहां पर उत्पीड़न की कार्यवाही पूरी तरह से हो रही है । लोगों के ट्रैक्टर, जमीन बेची जा रही है । क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो किसान हैं, जिनके ऊपर बकाया है उनका पैसा मिल वालों के साथ एटैच करके वसूलयाबी रोक दी जाय ? मान्यवर, वहां के किसान जिसको पैसा नहीं दिया गया है उनका भुगतान 15 दिन के अन्दर करायेंगे ? यह दावा करते हैं सुधार कर रहे हैं । पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया लेकिन पिछली सरकारों ने बराबर पेमेन्ट किया है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या 15 प्रतिशत ब्याज किसानों को सरकार निश्चित रूप से देने की कृपा करेगी । इसकी मानीटरिंग के लिए कोई विधि बनायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चहता हूं कि भुगतान का निरन्तर प्रयास किया गया इस वर्ष पिछले वर्ष से अच्छा भुगतान हुआ है कोई काल ऐसा नहीं रहा जब कोई बकाया रहा हो, जो निगम के ऊपर बकाया है उसका तत्काल भुगतान करायेंगे । एक समय सीमा के बाद जो मिलें भुगतान नहीं करेंगी उन पर पिछले साल दण्ड लगाया था इस साल भी क्रय कर की छूट नहीं दी जायेगी जिन्होंने पिछले साल का बकाया रखा था और इस साल भुगतान किया है उनके बन्द होते ही उनको डी०एम० के कन्ट्रोल में दे देंगे ताकि वह किसानों का भुगतान कर सकें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्नों में कहा है पिछले पांच वर्ष का लगभग 63 करोड़ रुपया विभिन्न चीनी मिलों पर बकाया है इसमें कुछ चीनी मिलें सम्मानित उच्च न्यायालय में चली गयी हैं

जिसके सम्बन्ध में कुछ राहत दी गयी है तीन साल, 6 साल में भुगतान करें उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं स्पष्ट तौर से न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में गन्ना किसानों का 1996-97 का राज्य समर्थित मूल्य जो है, उसके भुगतान के लिए स्पष्ट निर्णय लिया है 14 दिन के अन्दर प्रदेश के गन्ना किसानों को, 1996-97 का जो मूल्य बकाया है उसका भुगतान किया जाये यह 14 दिन में भुगतान नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने जो निर्णय लिया है, तो जिस तरह से लैण्ड रेवेन्यू की वसूली की जाती है उसी तरह से वसूली की जाये मैं जानना चाहता हूं कि 1996-97 की राज्य समर्थित मूल्य की जो योजना है एक प्रकार से स्पष्ट निर्णय है इसको लागू करने के लिए क्या करेंगे ? अगर चीनी मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या राज्य सरकार दण्डित करने की कार्यवाही करेगी ? खण्डपीठ ने ब्याज देने का स्पष्ट निर्देश दिया है क्या उसका अनुपालन किया जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, वर्ष 1996-97 का प्रकरण है इसमें सरकार ने 72 रुपया घोषित किया और निजी मिल मालिकों ने 70 रुपया दिया उच्च न्यायालय ने 1 फरवरी, 1999 को फैसला दिया है इन्होंने दो रुपये का अन्तर नहीं दिया था, राज्य सरकार को गन्ना मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है लेकिन निजी मिल मालिकों से एग्रीड प्राइज थे इसलिए देना चाहिए था। अब अगर 2 रुपये का अन्तर 6 सप्ताह में मिल मालिक नहीं देते हैं तो सरकार उसमें विधिक दण्डात्मक कार्यवाही कराकर 15 दिन के भुगतान का ब्याज का जो नियम है उसके सहित भुगतान करायेगी। इस फैसले के बाद 17 फरवरी को कमिशनर गन्ना ने सभी मिलों के गन्ना अधिकारियों को इस निर्णय से अवगत कराते हुए कहा है कि 6 सप्ताह में ऐरियर का भुगतान करा दें। यह 6 सप्ताह बीत जाने के बाद गन्ना किसानों के हित को देखते हुए यदि भुगतान नहीं होता है तो दण्डात्मक कार्यवाही का प्राविधान है उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री समरपाल सिंह–

इस वर्ष चीनी मिल मालिकों का 587 करोड़ का बकाया है। वर्ष 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 का करोड़ों रुपया मिल मालिकों का बाकी है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 14 दिन के अन्दर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करती है तो 15 प्रतिशत ब्याज देना होगा। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ब्याज नहीं दिलवा पा रहे हैं। यदि सरकार को इन करोड़पति मिल मालिकों पर दया आ रही है तो सरकार अपने कोष से सहायता कर दे क्योंकि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह हमारा पैसा माफ करा दे। दूसरा यह है कि अगर सरकार किसी भी कीमत में मिल मालिकों से किसानों का ब्याज नहीं दिलवाना चाहता है तो ऐसी व्यवस्था करेगी कि जब किसान सहकारी समितियों से अनुदान ले या सामान ले तो किसानों को भी ब्याज न देना पड़ेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, हमारी सरकार किसी भी मिल मालिक से कोई सांठगांठ करके उन्हें इस तरह का संरक्षण नहीं देगी जो किसानों के हितों के विपरीत हो। यदि 15 प्रतिशत ब्याज न दिलवा पाना हमारी सांठगांठ लग रही हो तो समरपाल सिंह जी की भी पार्टी दो बार इस सरकार में रह चुकी है और उन्होंने भी नहीं दिलवाया था तो पहले उनको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनकी भी सांठगांठ थी।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह कोई बात नहीं हुई। किसानों का आज कई करोड़ रुपया मिल मालिकों पर बकाया है और यह उनसे ब्याज नहीं दिलवा पा रहे हैं। अगर किसान दस-बीस हजार का ऋण लेता है तो उससे ब्याज वसूल लिया जाता है। यह किसानों का पेट काट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कई माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं । मुझे कुछ सुनायी नहीं पड़ रहा है । कृपया एक-एक करके बोलें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह सरकार किसानों का करोड़ों रुपये पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है । यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करा पा रही है, किसानों के पेट काटने का काम कर रही है । यह किसान विरोधी सरकार है । इसकी नीतियां किसान विरोधी हैं । यह पूंजीपति लोगों को बढ़ावा दे रही है इसलिए इसके इस आचरण के विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री समरपाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग करके चले गये ।)

श्री राधे श्याम सिंह–

मान्यवर, 94-95 से लेकर 97-98 तक 63 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया है । मेरे विधान सभा क्षेत्र की कप्तानगंज चीनी मिल पर 11 करोड़ रुपये और अन्य मिलों पर भी बकाया है ? कुल 63 करोड़ में से 48 करोड़ रुपये हमारी तरफ की मिलों पर बकाया है । हमारे जनपद में गन्ने की समस्या है । तो क्या इन मिल मालिकों पर आर०सी० जारी करके इनको जेलों के अन्दर करने का काम करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, 9 मिलों पर 63.37 करोड़ रुपये बाकी है जिसमें से खलीलाबाद, सरदार नगर और कप्तानगंज के ऊपर 36.59 करोड़ रुपये बाकी हैं और पडरौना, कटकुइया और गौरी बाजार मिलों पर 20.30 करोड़ बाकी है । निगम के 3 मिलों के पास 6.48 करोड़ रुपये बाकी है । सरदार नगर मिल पर जो 19.93 करोड़ रुपये बाकी है उसके बारे में बी०आई०एफ०आर० ने यह निर्णय दिया है कि इसका भुगतान मिल 3 वर्ष में करेगी । इसी तरह से पडरौना कटकुइया और गौरी बाजार जिन पर 20.30 करोड़ रुपये बाकी हैं उसमें बी०आई०एफ०आर० ने निर्णय दिया है कि 6 वर्ष में भुगतान किया जाए । निगम की मिलों पर जो बकाया है हम इसी सत्र में भुगतान कर देंगे । खलीलाबाद के बारे में विभागीय कार्यवाही करके नीलाम करके कार्यवाही करेंगे जो कि एक मिसाल होगी ।

श्री अध्यक्ष–

नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या–1

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान नहीं हो रहा है उत्तर सन्तोषजनक नहीं है । मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री धनीराम वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप 49 में चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

ठीक है मैं लिखकर दे रहा हूं । मैं और मेरा दल सरकार की गन्ना किसानों के प्रति इस उपेक्षापूर्ण नीति के विरोध में सदन का बहिर्गमन करता है ।

(घोर व्यवधान)

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं और मेरा दल भी इनकी अस्पष्ट नीति के विरोध में सदन का त्याग करता है ।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

प्रदेश में वर्ष 1998–99 में कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम में किये गये परिवर्तन का विवरण एवं औचित्य

**2–श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कक्षा–8 तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 के शिक्षा सत्र में किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण एवं औचित्य क्या है ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से केवल कक्षा–3 से 5 तक संस्कृत व अंग्रेजी के शिक्षण की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है । शेष कक्षाओं में व्यवस्था पूर्ववत् है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद स्तर पर तैयार की गयी जिला योजनाओं के प्रारूप में शासन द्वारा संशोधन/नियत समय पर विभागवार परिव्यय अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला योजनाओं के माध्यम से विकेन्द्रीकरण की नीति को समाप्त किये जाने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि जनपद स्तर पर समस्त जनप्रतिनिधियों और विभाग प्रमुखों द्वारा निर्धारित मानकों के अधीन तैयार की गयी जिला योजनाओं के प्रारूप में शासन स्तर पर संशोधन किया जाता है और शासन स्तर पर अन्तिम रूप से स्वीकृत जिला योजनाओं का विभागवार परिव्यय नियत समय पर अवमुक्त नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान जिला योजनाओं से सम्बन्धित प्रक्रिया में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । जनपदों द्वारा संरचित जिला योजनाओं में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए आवश्यक राज्यांश तथा वचनबद्ध व्यय की व्यवस्था न हो पाने के कारण राज्य स्तर पर अपरिहार्य परिमार्जन किया जाता है । अनुमोदित जिला योजनाओं के परिव्यय के अनुरूप कतिपय कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी न हो पाने के मुख्य कारण समय से आवश्यक सूचनाओं का प्राप्त न होना, कार्य विशेष के लिए जिला स्तर पर आंकलित अनुमान में राज्य स्तर पर परीक्षण के उपरान्त कमी होना, बजट में प्राविधान न होना, ऐसी मदों के लिए परिव्यय रखा जाना, जिन्हें आयोजनागत पक्ष से वित्त पोषित नहीं किया जा सकता, केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अपेक्षित केन्द्रांश प्राप्त न होना इत्यादि है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिला योजना प्रदेश में स्वीकृति हेतु आती है, वह अनुमोदनार्थ आती है या सूचनार्थ आती है और क्या उसमें यहां कोई परिवर्तन भी किया जाता है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जिला योजना शासन के नियोजन विभाग में अनुमोदनार्थ आती है । मान्यवर, योजनायें हमारे पास आती हैं तो हमारे यहां केन्द्र की कोई पुरोनिधानित योजना है जिले में उसके सापेक्ष उतने अंश का प्राविधान किया है तो प्रदेश का जो परिव्यय घटता है तो केन्द्र की सहायता भी घटती है तो उस स्थिति में परिव्यय संशोधित किया जाता है वह भी जिले के अधिकारियों से विचार-विमर्श और उनकी सहमति से ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

जब प्रदेश के नियोजन विभाग द्वारा जिला योजना का परिव्यय निर्धारित कर दिया जाता है तो जिला योजना को निर्धारित करने के लिए मार्ग-निर्देशन बना दिये जाते हैं और उसी अनुरूप निर्धारण होता है । केन्द्रीय योजनाओं में भी केन्द्र के अंश के अनुरूप निर्धारण होता है तब प्रदेश स्तर पर जिला योजना में परिवर्तन क्यों किया जाता है ।

(11 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इसी के साथ जब जिला योजना का परिव्यय फरवरी माह तक निर्धारित हो जाता है तो उसका बजट में प्राविधान क्यों नहीं किया जाता है और इस आधार पर कि बजट में इसका प्राविधान नहीं है योजना में कटौती क्यों होती है ? इसके अतिरिक्त 1998-99 में केन्द्रीय योजनाओं में कितना अंश प्राप्त नहीं हुआ है ?

डा० महेन्द्रनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जो आपने कहा कि वहां से अनुमोदित होने के बाद उसमें यहां परिवर्तन किया जाता है उसमें मैं पहले कह चुका हूं कि परिवर्तन किया जाता है केवल वह उन्हीं विशेष योजनाओं में जहां पर गाइड लाइन्स के अनुसार योजना बनाकर यहां न आयी हो ।

जो आपने विस्तृत सूचना मांगी है कि इस वर्ष कौन-कौन सी योजनाओं में केन्द्र द्वारा अंश नहीं प्राप्त हुआ है तो उसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि विभाग की कुछ विशेष योजनाओं की सूचना मेरे पास है जिनमें केन्द्रीय अंश नहीं प्राप्त किया गया है । मेरा अनुरोध है कि विस्तृत सूचना के सम्बन्ध में आप अगर मुझसे आकर मिल लेंगे तो मैं दिखा दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसमें नियम–49 में चर्चा करा लीजिये ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, इस पर चर्चा हो जाए ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न था कि किन-किन योजनाओं में केन्द्र का अंश प्राप्त नहीं हुआ है । 1998-99 में ?

जो योजनायें परिव्यय के भीतर रहते हुए प्रदेश के नियोजन विभाग की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत रहते हुए जिलों से निर्धारित होकर आती हैं उनमें कटौतियां क्यों होती हैं ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

माननीय सदस्य ऐसा कोई स्पेसिफिक बिन्दु बतायेंगे, जिसमें कटौती हुई है तो दिखवा लिया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सभी सदस्यों की जिज्ञासा है कि तमाम योजनाओं का तात्पर्य यह था कि जिले की प्राथमिकताओं को जिले में ही तय करें और प्रदेश स्तर पर उनमें परिमार्जन हो जाता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन योजनाओं को जिले से भेजा जाता है, उनमें परिवर्तन क्यों कर दिया जाता है, यह उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मैंने स्पष्ट किया है किजिलों से प्राप्त जिला योजनाओं का नियोजन विभाग में परीक्षण किया जाता है और परीक्षण में जो कमियां परिलिक्षित होती हैं, उन्हें इंगित करते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से ही जिला योजनाओं में अपरिहार्य संशोधन किये जाते हैं और यह संशोधन मुख्य रूप में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रांश को सुनिश्चित करने और बचनबद्ध व्यय को वहन करने तक सीमित होते हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरठ से 10 लाख की एक योजना भेजी गयी लेकिन जब वह प्रदेश स्तर पर आयी तो उसकी कटौती कर दी गयी ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर बैठकर फैसला कर दिया जाता है और उसकी स्वीकृतियों में साल भर लग जाता है जिससे निर्माण कार्य रुक जाते हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मण्डल स्तर पर योजनाओं की स्वीकृतियां जारी करने पर विचार करेंगे जिससे कि निर्माण कार्य समय से हो सके ?

श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, इसकी एक विशेष प्रक्रिया है और इसमें कहीं से कोई शिथिलता नहीं हैं । इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने जो कार्य किया है वह बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है । मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी, 1999 तक मैदानी क्षेत्र की योजनाओं का परिव्यय 1732.50 करोड़ है और बजट 1636.09

करोड़ रुपये है । स्वीकृतियां 1642.91 करोड़ रुपये की जारी कर दी गयी हैं । स्वीकृतियों के जारी होने में कोई विसंगति नहीं है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहां कि विशेष परिस्थिति में प्रदेश स्तर पर परिवर्तन होता है । तो मैं चाहता हूं कि जिला योजना समिति जो है उसी के द्वारा परिवर्तन कराया जाय । उसमें प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है । उस बैठक में जिले के अधिकारी भी होते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर विशेष परिस्थिति में कोई परिवर्तन करना पड़े तो जिला योजना के सामने ले जाकर परिवर्तन कराने की कृपा करेंगे और क्या उसमें पुलिस अधीक्षक भी सदस्य होता है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा और पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन दो परिस्थितियों का मैंने उल्लेख किया जैसे एक तो केन्द्रीय अंश वचनबद्ध है इसमें वचनबद्ध व्यय के तहत व्यय में एक पशु चिकित्सालय की स्कीम स्वीकृत हुई ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो प्रश्न पूछा जाय उसमें और उत्तर में कोई दूर से भी साम्य न हो सके तो यह कहां तक उचित है ?

(उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जांय इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी दूर करने के लिये बनायी गयी योजना की रूप रेखा तथा इसमें ग्रामीण नवयुवकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में जानकारी

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई योजना बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या हैं ? क्या ऐसी योजना में ग्रामीण नवयुवकों को समुचित प्रतिनिधित्व देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम)–

श्रम विभाग के अन्तर्गत जिला सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीयन एवं नियोजकों द्वारा नाम मंगाये जाने पर उनका सम्प्रेषण किया जाता है ।

अपितु प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1998-99 में रोजगार संकल्प (छतरी योजना) के नाम से एक कार्य योजना दिनांक 12 अक्टूबर, 1998 से आरम्भ की गई है ।

रोजगार संकल्प योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं में 10 लाख लोगों को स्वतः रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जिसका क्रियान्वयन शासन के विभिन्न विभागों तथा ग्राम्य विकास, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विकास हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, समाज कल्याण,

अल्पसंख्यक कल्याण, दुग्ध विकास, विकलांग कल्याण, नगर विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का नोडल विभाग ग्राम्य विकास विभाग है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके द्वारा सरकारी स्तर पर जो योजनाएं हैं उनका विवरण दिया। क्या सरकार प्राइवेट संस्थाओं में रोजगार कार्यालय से बेरोजगार अभ्यर्थियों के नाम मांगने पर विचार करेगी ?

श्री राधेश्याम–

मान्यवर, ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, उत्तर के दूसरे चरण में रोजगार संकल्प योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं में 10 लाख लोगों को स्वतः रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसका क्रियान्वयन शासन के विभिन्न विभागों से किया गया है। तो आप के माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन विभागों से कौन-कौन योजनाएं निर्धारित की गयी हैं ? क्या उनमें जन प्रतिनिधियों से सलाह लेने का कोई प्राविधान बनाया गया है ?

श्री राधेश्याम–

मान्यवर, जो योजनाएं हैं वह दे दी गयी हैं और ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने जिन योजनाओं का उल्लेख बेरोजगारी दूर करने के लिये उत्तर में बताया है उसमें वर्ष 1998-99 में रोजगार संकल्प योजना, ग्राम्य विकास, खादी ग्रामोद्योग एवं नोडल विभाग द्वारा स्वतः रोजगार योजना 98-99 में मैं जानना चाहता हूं कि लक्ष्य क्या था, उसमें कितने प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो गयी है और सरकार ने कितनों को रोजगार दिया हैं ?

श्री राधेश्याम–

मान्यवर, वर्ष 98-99 में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य था और 15 लाख लोगों को सौ दिन सुनिश्चित रोजगार करने देने का लक्ष्य है और जनवरी, 1999 तक ग्राम्य विकास से 4.11 लाख व्यक्ति, जे०आर०वाई० से सात लाख पैंसठ हजार मानव दिवस, सुनिश्चित रोजगार योजना से 8,833.30 व्यक्तियों को रोजगार दिये गये हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था।

(तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने श्री राम जग जी को पुकार लिया है। वैसे जो सूचना मंत्री जी के पास थी वह उन्होंने दे दी।

श्री राम जग–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में बेरोजगार नौवजवानों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और यह गम्भीर समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब तक आप बेरोजगारों को नौकरी देने की

व्यवस्था नहीं कर लेते हैं तब तक पश्चिम बंगाल सरकार या दूसरे सरकारों की भांति बेकारी भत्ता देने की कृपा करेंगे ?

श्री राधेश्याम–

ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

वर्ष 1997-98 में विद्युत बकाया की वसूली के गत वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि तथा बड़े बकायेदारों से वसूली हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

*3–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1996-97 की तुलना में वर्ष 1997-98 में विद्युत बकाया वसूली में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1996-97 में विद्युत के सबसे बड़े 20 बकायेदार प्रदेश में कौन थे ? वित्तीय वर्ष 1997-98 में बीस सबसे बड़े बकायेदार कौन हैं ? उनके बकाये की वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

परिषद् में जो विद्युत राजस्व वसूली जाती है उसमें चालू वर्ष के बिल तथा पिछले वर्षों के बकाया की वसूली शामिल होती हैं । विद्युत बकाया एवं चालू वर्ष के विरुद्ध वसूली आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं ।

पूर्व वर्ष (1996-97) की तुलना में वर्ष 1997-98 में राजस्व की वसूली में 19.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

वर्ष 1996-97 में सरकारी/अर्धसरकारी विभागों/निगमों आदि को छोड़कर 20 बड़े बकायेदारों की सूची संलग्नक–I में दर्शायी गयी है ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 में सरकारी/अर्धसरकारी विभागों/निगमों आदि को छोड़कर 20 बड़े बकायेदारों की सूची संलग्नक–II में दर्शायी गयी है ।

वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 के अन्त तक बकायों के वसूली हेतु स्थितियां इस प्रकार हैं :–

वर्ष 1996-97 के माह 3/97 के अन्त तक 20 बड़े बकायेदारों में से 14 बकायेदारों एवं वर्ष 1997-98 के माह 3/98 के अन्त तक 20 बड़े बकायेदारों में से 11 बकायेदारों के मामले न्यायालयों में लम्बित हैं ।

न्यायालय में लम्बित वादों में निर्णयानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

वर्ष 1996-97 के माह 3/97 के अन्त तक 20 बड़े बकायेदारों में से 2 बकायेदारों को किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी जब कि वर्ष 1997-98 के 20 बड़े बकायेदारों में से किसी को भी यह सुविधा नहीं प्रदान की गयी ।

वर्ष 1996-97 के माह 3/97 के अन्त तक 3 बकायेदारों एवं वर्ष 1997-98 के अन्त तक 3 बकायेदारों (न्यायालय में लम्बित) रुग्ण इकाईयां हैं । उक्त बकायेदारों से न्यायालय एवं बी०आई०एफ०आर० द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

वर्ष 1996-97 के अन्त तक 8 बकायेदारों (जिनमें से 5 बकायेदारों के मामले न्यायालय में चल रहे हैं) तथा वर्ष 1997-98 के अन्त तक 12 बकायेदारों (जिनमें से

5 बकायेदारों के मामले न्यायालय में चल रहे हैं) की धारा–5 के अन्तर्गत वसूली प्रामण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

विवादास्पद संयोजनों के बकाये की वसूली हेतु परिषद् स्तर से आपसी समझौते के जरिये वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के अन्त तक के ऐसे बकायेदारों जो जटिल उपभोक्ता हैं उनसे धारा–5 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत कर वसूली प्रयास किये जा रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 220-223 पर।)

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 80 फीसदी जनता ग्रामीण है और यहां की अर्थ व्यवस्था खेती पर निर्भर है, जो ज्यादातर किसानों के ट्यूबवेल्स वगैरह हैं अगर 1000 या 2000 रुपया भी बकाया है तो उनके कनेक्शन तुरन्त काट दिये जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के खुद के आंकड़ों के अनुसार जो प्रथम सूची आयी है, इसमें जो 20 बड़े बकायेदार हैं कुल बकायेदारों की धनराशि 104 करोड़ 14 लाख 85 हजार है। दूसरी सूची में 20 बकाएदार हैं जिन पर 117 करोड़ 49 लाख 77 हजार रुपए की बकाया धनराशि है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें सूची नं० 1 में क्रम संख्या–10 में मोदी स्टील-बी कम्पनी है उनके ऊपर 3 करोड़ 78 लाख 88 हज़ार रुपए बकाया है इनका कोई मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है। उनका कनेक्शन क्यों नहीं काटा गया है ? इसी प्रकार कम संख्या–18 पर जुग्गीलाल कमलापति त्रिपाठी के ऊपर 2 करोड़ 34 लाख 96 हजार रुपए का बकाया है इनका भी कोई मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है, उनका कनेक्शन क्यों नहीं काटा गया है ? सूची नं० 2 में कनौडिया कैमिकल्स पर 8 करोड़ 68 लाख 51 हजार रुपये का बकाया है। इनका मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है इनका कनेक्शन क्यों नहीं काटा गया ? इसी में 18वें नम्बर पर मोदी इण्डस्ट्रीज है इस पर 2 करोड़ 42 लाख 98 हजार रुपए बकाया है इनका कनेक्शन क्यों नहीं काटा गया ? इनका कोई मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है। सरकार की दोहरी नीति क्यों है ? अगर किसानों का बकाया होता तो कनेक्शन काट दिया जाता ? किसानों के प्रति दुव्यवहार क्यों है ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्ष 1996-97 और वर्ष 1997-98 की सूचना आपने मांगी थी, वह सूचना संलग्न की गई है। मोदी स्टील बी० के बारे में मामला न्यायालय में लम्बित है इसलिए कनेक्शन नहीं काटा गया इसके बाद आपने पूछा जुग्गीलाल कमलापति त्रिपाठी का इनका मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है, लेकिन यह यूनिट बी०आई०एफ० आर० में है यह दिवालिया हो गई है। बी०आई०एफ०आर० से मामला जब तय हो जाएगा तो कार्यवाही की जाएगी।

श्री बाबूराम यादव–

मैं पालिसी जानना चाहता हूं कि नीति क्या है ? किसानों का कनेक्शन काट दिया जाएगा और पूंजीपतियों का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा इसमें नीति क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

कनौडिया कैमिकल्स का मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है। यह कैपिटी प्लांट है वहां बिजली बनती है। यह जितनी बिजली सरप्लस होती है उसको राज्य विद्युत परिषद् को दे देता है। इसलिए इन दोनों के बिलों में तालमेल की बात है। इनकी बिजली विद्युत परिषद् खरीदती है। इनके एकाउन्ट का

मिलान किया जा रहा है । मोदी इन्डस्ट्रीज का कनेक्शन मानवता के आधार पर नहीं काटा जा रहा है । यह जो बिजली जनरेट करते हैं वहां बहुत बड़ी लोकलिटी में इनकी सप्लाई होती है । प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी उससे प्रभावित होगी जो नीतिगत मामला है, जिनके ऊपर बकाया होगा बकाया होने की एक सीमा होती है । दोनों बकायादारों पर नीति समान है । आप भी अवगत होंगे कि ऐसे किसानों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में है जो बकायेदार भी हैं और कुछ देने की स्थिति में नहीं हैं और कनेक्शन काटे भी नहीं गये होंगे और कुछ के काटे भी गये हैं । जिनके बारे में आपकी और मेरी दोनों की चिन्ता है । वास्तव में जो हैं और जिन पर असली प्रहार होना चाहिए, अगर उन्होंने न्यायालय जाकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तो उनके नहीं काटे गये और जो नहीं गये, उनके विच्छेदन कर दिये गये ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 20 बकायेदारों की एक लिस्ट दी है । 1997-98 की और कहा कि न्यायालय में कुछ मामले लम्बित हैं । यह जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, इनके साथ सरकार की सांठगांठ है और उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया । जिन लोगों की लिस्ट दी गयी है कि कनेक्शन काटे गये हैं, फिजिकली देखा जाय तो वह मौके पर चल रहे हैं । इसलिए क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इसकी जांच के लिए विधायकों की एक कमेटी बनायी जायेगी कि वास्तव में वह कनेक्शन कटे हैं कि नहीं कटे हैं और वह कहीं मौके पर चल तो नहीं रहे है ? क्योंकि इससे बिजली की भारी चोरी हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरी सूचना के अनुसार जिनकी बिजली विधिवत् काटी गयी है वह मौके पर नहीं चल रहे हैं । यदि माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है तो हम उनके आभारी होंगे और उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जो 20 बड़े बकायेदार हैं उनके ऊपर बकाया तो केवल एक वर्ष का नहीं होगा, यह तो कई सालों का होगा । कोर्ट तो वह तब गये होंगे जब उनके ऊपर बकाये की धनराशि चरमसीमा पार कर गयी होगी । तो क्या सरकार इससे पहले उनका विच्छेदन नहीं कर सकती थी या फिर सरकार इन्तजार कर रही थी कि आप कोर्ट चले जाओ फिर हम कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सूची 1996-97 की है । यह जितने व्यक्ति हैं इनके ऊपर एक साल से पहले के सालों का भी है । जो कम्युलिटिव होते चला गया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह पूंजीपतियों की सरकार है । उनके साथ सांठगांठ है । किसान विरोधी यह सरकार है । इसलिए मेरा दल सदन से वाकआउट करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

यह बता दिया कि जितने लोग न्यायालय चले गये उसके मामले में यह मजबूर हैं । हम उनकी बातों से सहमत हो सकते हैं । न्यायालय के आदेश मिल जायेंगे वह आपकी साजिश से ही होगा जैसा कि माननीय मौर्या जी कह रहे थे । उसके लिये जांच होगी । न्यायालय के आदेश होंगे तो वसूली नहीं

कर पायेंगे । आपने जो उत्तर दिया है उसको स्वतः देख लें । उसी क्रम में आपने दूसरा उत्तर भी दिया है आप ही बता दें कि कौन सा उत्तर सही माना जाय ? संलग्न–1 के क्रम संख्या-18 पर जुग्गी लाल कमला का 2 करोड़ 34 लाख 96 हजार का बकाया है और उसको विच्छेदित नहीं किया है । इसी तरह से संलग्नक–2 के क्रम सं–5 पर कनौडिया केमिकल्स रेनूकूट का 8 करोड़ 68 लाख 51 हजार है और उसका विच्छेदन नहीं किया गया है ?

(सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अभी अम्बिका जी प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया था कि मानवीय आधार पर कहीं पर विच्छेदन नहीं किया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बड़ी फैक्ट्रीज में विच्छेदन बकाया होने के बाद भी किस मानवीय आधार पर नहीं किया जा रहा है ? सिर्फ कनौडिया केमिकल्स को आपने मानवीय आधार पर मुक्त कर दिया और गरीब किसान के मामले में आप कुछ दूसरा आधार अपना रहे हैं यदि उसका बकाया है तो ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया कि कनौडिया केमिकल्स के बारे में कि यह अपना जैनरेशन करते हैं और सरप्लस बिजली विद्युत बोर्ड को देते हैं । अपना कन्जम्पशन और सरप्लस देने की दो बात हो गई उन दोनों के एकाउन्ट में समायोजन होने की बात है । उसके लिये अधिकारी नियुक्त किये हैं जो देखेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

96-97, 97-98 काफी समय का है ।

श्री हुकुम सिंह–

एकाउन्ट शार्ट आउट किया जा रहा है । एक वर्ष का ही नहीं है । प्रतिदिन जैनरेशन होता है जो सरप्लस होता है उसको हम ले लेते हैं । दोनों फिगर्स में अन्तर था उसको शार्ट आउट कर रहे हैं । जहां से विद्युत ले रहे हैं उसका विच्छेदन करना सम्भव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

कितनी बिजली कनौडिया कैमिकल्स ने दी है यह ही बता दें ?

श्री अधिष्ठाता–

इसकी सूचना है कि कितनी बिजली उसने दी ?

श्री हुकुम सिंह–

पहले अम्बिका चौधरी जी के प्रश्न का उत्तर दें दूं।

संलग्नक–1 और संलग्नक–2 में जिसके बारे में बताया है यह दोनों एक ही इकाई हैं। कनौडिया कैमिकल्स के बारे में जो उत्तर दिया वही उत्तर यहां दिया है। इसका लिक्विटेशन कर दिया गया है यह केस बी० आई०एफ०आर० में चला गया है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद सोनभद्र में सुपर ताप विद्युत गृह रिहन्द नगर के विस्थापित परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी

*1–श्री विजय सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिहन्द नगर सुपर ताप विद्युत गृह, रिहन्द नगर, जनपद सोनभद्र में विस्थापित परिवारों को परियोजना की तरफ से क्या-क्या सुविधायें दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त परियोजना में विस्थापितों को काम नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो विस्थापितों के काम दिलाने हेतु क्या सरकार वहां के अधिकारियों को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

विस्थापित परिवारों को आवास भूमि तथा स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि सुविधायें दी गयी हैं।

विस्थापितों को परियोजना में नौकरी तथा अन्य स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से पुनर्वासित किया गया है।

केन्द्र सरकार के अन्तर्गत गठित राज्य जल परिषद् द्वारा तैयार की गयी जल नीति के सम्बन्ध में जानकारी

*2–श्री सीताराम निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1995 (फरवरी, 1995) में एक राज्य जल परिषद् का गठन कराया था ? यदि हां, तो क्या राज्य जल परिषद् ने प्रदेश में पेयजल संकट को हल करने के लिए कोई जलनीति तैयार की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में पेयजल संकट है साफ पानी नहीं मिल रहा है इसके बावजूद सरकार की तरफ से उत्तर आया है कि कोई जल नीति बनाने का प्रश्न नहीं उठता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में भीषण पेयजल संकट है और साफ पेयजल नहीं मिल पा रहा है वहां साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कोई जल नीति तैयार करेगी। दूसरी बात उत्तर प्रदेश में 72 विकास खण्ड ऐसे हैं जिनका भू–गर्भ जल स्तर नीचे चला गया है या समाप्ति हो गया है जिसकी वजह से वहां पेयजल का भीषण संकट पैदा हो गया है कई ब्लाक ग्रे श्रेणी में शामिल हैं फैजाबाद में बीकापुर, तारुण हरैन टीलगंज आदि है इनको साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कोई पेयजल नीति तैयार की है अगर नहीं तो क्या सरकार कोई जल नीति तैयार करेगी ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, पेयजल के लिए अलग से नीति बनाने की योजना नहीं है। राज्य जल परिषद 1996 में गठित किया गया इसमें निश्चित रूप से जो गाइड लाइन्स केन्द्र सरकार की है उसको ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से ऐसी योजना बनाई गई जिसमें पेयजल को प्राथमिकता दी गई है।

श्री अधिष्ठाता–

जो ब्लाक ग्रे श्रेणी में आते हैं जिनका भू–जल स्तर नीचे चला गया है क्या उसके लिए कोई योजना बनाने पर विचार चल रहा है ? यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

श्री सतीश महाना–

जहां भूगर्भ जल स्तर नीचे गया है वहां किस तरह से पेयजल की व्यवस्था की जाए इस पर नीति बनाने के लिए विचार कर रहे हैं।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है क्या सरकार उन 72 ग्रे श्रेणी के जो विकास खण्ड हैं जहां भीषण पेयजल संकट पैदा हो गया है वहां साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष पेयजल योजना बनाएगी ?

श्री सतीश महाना–

जहां गम्भीर पेयजल संकट है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया वहां ध्यान दिया जाएगा एवं इसको दिखवाया जाएगा।

(12 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अगर मंत्री जी जवाब पढ़ने लगेंगे तो 12.20 हो जाएगा और अनुपूरक प्रश्न नहीं हो पाऐंगे। इसलिए उत्तर को पढ़ा मान लिया जाए ? आप अनुपूरक प्रश्न करने की इजाजत दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

तारांकित प्रश्न

विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र में विद्युत गृह लगाने की कार्यवाही की जानकारी

*1–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किन-किन लोगों ने निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिये विद्युत गृह लगाने के लिये आवेदन किये हैं ? उक्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में विभिन्न वृहद जलीय, वृहद तापीय एवं तरल ईंधन पर आधारित परियोजनाओं के लिए समय-समय पर आमंत्रित निविदाओं के समक्ष वर्ष, 1992 से अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों एवं की गई कार्यवाही का विवरण संलग्नक "क" के रूप में संलग्न है। *

निजी क्षेत्र में लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु 11 आवेदन-पत्र संलग्नक "ख" के अनुसार प्राप्त हुये हैं, जिनमें 8 के साथ एम ओ यू तथा ड्राफ्ट पी०पी०ए० किये गये तथा कार्यवाही प्रगति पर है।

छापा नहीं गया।

वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 3 मे०वा० क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु वर्ष 1994-95 में 80 निजी उद्यमियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनका विवरण संलग्नक † "ग" के रूप में संलग्न है । इन प्रस्तावों में से आर्थिक सुदृढ़ एवं तकनीकी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये कुल 34 निजी उद्यमियों का चयन किया गया । इनमें 22 परियोजनाओं हेतु ड्राफ्ट पी०पी०ए० हस्ताक्षरित किये गये हैं । ड्राफ्ट पीपीए शासन के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है ।

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में लखनऊ एवं कानपुर शहरों में क्रमशः 5 मेगावाट एवं 10 मे०वा० क्षमता के कूड़े-कचरे पर आधारित विद्युत परियोजनायें मै० एशिया बायो इनर्जी प्रा० लि० चेन्नई द्वारा लगाया जाना प्रस्तावित है । उक्त फर्म द्वारा उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध किया जा चुका है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 100 मेगावाट के ऊपर कौन-कौन सी कम्पनी के कब-कब प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उसमें क्या-क्या कार्यवाही हो रही है ? और दूसरा आनपारा "सी" कई वर्षों से लम्बित है और अभी तक आनपारा "सी" का समझौता नहीं हो पाया है । जबकि जापान लगाने को तैयार है फिर उसको प्रस्ताव क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सारी सूची देख लें मूल उत्तर में सारी चीजें उपलब्ध करा दी हैं कि कब-कब प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि 100 मेगावाट के ऊपर कितने प्रस्ताव आपके पास हैं, यह कब मिले और क्या कार्यवाही की गयी ? आनपारा "सी" जो कि 500 मेगावाट का है और इस प्रदेश की अत्यन्त आवश्यकता है पिछले कई सालों से इसमें समझौता नहीं हो पाया है, कब तक यह फाइनल हो जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आनपारा "सी" के बारे में पहले भी कई बार बात हो चुकी है और प्रयास किया गया है । और प्रयास के बाद ही उसमें आफर आये लेकिन ऐसी कोई स्पेसिफिक बात नहीं आयी जिससे यह निर्णय लेने की स्थिति में होते कि इनसे करायेंगे । अब दोबारा रिटेन्डरिंग की जा रही है । आपने जो पूछा है कि किन-किन लोगों के विद्युत ग्रह लगाने के आवेदन आये हैं तो वह सूची में दिया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आनपारा "ए" और "ब" टर्न बेसिस पर बना है । "सी" के बारे में कहना चाहता हूं कि हुन्डई ने जो प्रस्ताव दिया था वह कैन्सिल कर दिया गया तो उस परियोजना को जापान को देने को तैयार क्यों नहीं है जिसने "ए" और "ब" बनाया है ? पिछले तीन-चार सालों से विद्युत संकट हो गया है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह बहुत मेजर प्रोजेक्ट है । इसके बारे में कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हो सकी है । इसमें रिटेन्डरिंग का निर्णय लिया गया है और इसमें थोड़ा समय लग सकता है ।

---

† छापा नहीं गया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 1992 से अब तक जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, उसके संबंध में संलग्नक "क" और "ख" में दिया है। निजी क्षेत्र में 11 आवेदन-पत्रों में से 8 चयनित कर लिये हैं। 92 से चयनित होने के बाद जिन आठ लोगों को सौ मैगावाट बनाने के लिए चयन कर लिया उनसे एम०ओ०यू० और ड्राफ्ट पी०पी०ए० एक वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ। यह ड्राफ्ट पी०पी०ए० बन गया तो फिर फाइनल पी०पी०ए० करने में विलम्ब क्यों हुआ ? अगर यह बन गया होता तो जनरेशन शुरू हो गया होता, तो उसके लिए कौन दोषी है ? अन्य आशय के सम्बन्ध में मामला शासन के पास विचाराधीन है तो वह किस स्तर पर विचाराधीन है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कालम 5 में विवरण दिया है। यह प्रस्ताव और वर्तमान स्थिति एवं अन्य विवरण इसमें सारी स्थिति स्पष्ट की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु उपाय, तथा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति एवं लखनऊ महानगर के लिए पैकेज की जानकारी

*2–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने एवं 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ? वर्तमान में शहरों तथा ग्रामों में अलग-अलग कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या लखनऊ महानगर हेतु कोई अलग से पैकेज बनाया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये सरकार द्वारा निम्न उपाय किये जा रहे हैं :–

(अ) वर्तमान में कार्यरत विद्युत उत्पादन-इकाइयों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से लगभग 886 करोड़ रुपये की नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना स्वीकृत की गयी है इसमें से लगभग 743 करोड़ रुपये तापीय विद्युत गृहों के लिये एवं 143 करोड़ रुपये जलीय विद्युत गृहों के लिये प्रस्तावित है। अगले तीन वर्षों में उपरोक्त परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप तापीय विद्युत गृहों का पी० एल० एफ० लगभग 60 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

(ब) अगले 5 वर्ष अर्थात मार्च 2004 तक 8092 मैगावाट अतिरिक्त क्षमता सृजित होने का अनुमान है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस समयावधि में केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं से 798 मैगावाट विद्युत प्राप्त होने की सम्भावना है।

1–वर्तमान में शहरों में तहसील स्तर के नगरों को औसतन प्रतिदिन लगभग 19-20 घंटे तथा अन्य सभी स्तर के नगरों में औसतन प्रतिदिन लगभग 22-23 1/2 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

2–ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में रबी की फसल हेतु परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिदिन 10.00 घंटे विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य हेतु प्रणाली द्वारा औसतन प्रतिदिन लगभग 11.00 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी हां।

नोट :– नत्थी (घ) तारांकित प्रश्न संख्या (1) के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

उपरोक्त पैकेज के अन्तर्गत लगभग 795 लाख के वितरण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 2900 लाख के पारेषण कार्य तथा 1236 लाख के वितरण कार्य प्रस्तावित हैं । पूर्ण किये गये कार्य निम्न हैं :–

1–नये 33 के०वी० उपकेन्द्र–5 नग

2–नये 11 के०वी० उपकेन्द्र–31 नग

3–पुराने 11 के०वी० उपकेन्द्रों–11 नग
की क्षमता वृद्धि

4–11 के०वी० भूमिगत केवल–7.643 कि०मी०
डालने का कार्य 7.643 कि०मी०

विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इन्फास्ट्रक्चर कमेटी में विधायकों को सम्मिलित किये जाने की मांग

*3–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत कोई इन्फास्ट्रक्चर कमेटी आयुक्त की अध्यक्षता में विकास कार्यों हेतु बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधायकों को उक्त कमेटी में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–152/9–आ–1–98, दिनांक 15 ज़नवरी, 1998 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर के इन्फास्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरणों की कुछ श्रोतों से आय के निर्धारित अंश को उक्त प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया गया है । इस आय को विकास प्राधिकरण के सामान्य पुल में न डाल कर एक अलग बैंक खाते में जमा किया जायेगा । यह खाता विकास प्राधिकरण के स्तर पर होगा, किन्तु इस खाते की धनराशि से व्यय, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति के अनुमोदन से किया जायेगा ।

जी नहीं ।

नगरीय विकास से जुड़े विभागों के प्रतिनिधि को समिति में सम्मिलित किया गया है । वे नगरीय इन्फास्ट्रक्चर के प्रस्तावों पर सम्यक् रूप से विचार कर वस्तुपरक निर्णय लेने में सक्षम हैं । माननीय विधायकगण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये समिति को निर्देशित कर दिया गया है ।

केन्द्र की भांति प्रदेश में विद्युत नियामन आयोग का गठन/प्रारूप के सम्बन्ध में जानकारी

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश में भी विद्युत नियामन आयोग के गठन पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । प्रदेश में विद्युत नियामन आयोग (उ० प्र० इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) का गठन किया जा चुका है ।

उक्त वर्णित कमीशन में अध्यक्ष तथा सदस्य प्रथम एवं देय के पदों पर प्रशासन, विधि, वित्त अथवा अभियंत्रण के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव तथा ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की चयन समिति के

माध्यम से चयन के पश्चात नियुक्ति की व्यवस्था हैं। इस कमीशन का प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा तथा इसके द्वारा संलग्न अधिसूचना दिनांक 10-09-98 में उल्लिखित कार्य किये जायेंगे।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 224-225 पर)

जनपद अम्बेडकर नगर के कटेहरी बाजार में विद्युत उपकेन्द्र का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

*5–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अम्बेडकर नगर जिले के कटेहरी बाजार में 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र का शिलान्यास। अप्रैल, 1989 को तत्कालीन खाद्य मंत्री स्व० रवीन्द्रनाथ तिवारी ने किया था ? क्या उक्त परियोजना पर शासन द्वारा 80 लाख रुपये का आवंटन हो चुका है किन्तु निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है ?, यदि हां, तो परियोजना के विलम्ब के लिये कौन लोग दोषी हैं ? निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जी हां।

इस उपकेन्द्र के निर्माण हेतु वर्ष 1998-99 में शासन द्वारा 80.61 लाख रुपये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को आवंटित हुए हैं। मुख्य अभियन्ता (वितरण) लखनऊ क्षेत्र को इस कार्य को शीघ्र कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस कार्य को पूरा करने में लगभग छः माह का समय लगने की सम्भावना है।

राज्य विद्युत परिषद् को कई भागों में विभाजित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*6–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् को प्रभावी बनाने के लिये उसे कई भागों में बांटने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसे कितने भागों में बांटे जाने का सरकार का विचार है ? विभाजन की रूपरेखा क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

तीन भागों में बांटे जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को प्रथम चरण में तीन भागों में यथा तापीय उत्पादन, जलीय उत्पादन, एवं पारेषण तथा वितरण निगमों में बांटे जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

*7–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश सरकार द्वारा टाण्डा बिजली संयंत्र को एन०टी०पी०सी० को सौंपने के सम्बन्ध में जानकारी

*8–श्री राजधारी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एन०टी०पी०सी० द्वारा उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति न करने की घोषणा की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या एन०टी०पी०सी० के बकाये धनराशि के बदले टाण्डा बिजली संयंत्र को प्रदेश सरकार ने एन०टी०पी०सी० को सौंपने की योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एन०टी०पी०सी० के विद्युत भारी मूल्य देयों के भुगतान का प्रकरण काफी समय से लम्बित है । भुगतान सुनिश्चित करने हेतु राज्य विद्युत परिषद एवं एन०टी०पी०सी० के मध्य बकाया धनराशि के आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है । पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर भुगतान करने की रणनीति बनायी जायेगी । बकाये के विरुद्ध टाण्डा परियोजना को लेने हेतु एन०टी०पी०सी० द्वारा रुचि प्रदर्शित की गयी थी, किन्तु सरकार की फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है ।

नगरपालिका परिषद एवं टाउन एरिया के अन्तर्गत योजनाओं में विधायकों से परामर्श लिये जाने की मांग

*9–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न नगर पालिका परिषद् एवं टाउन एरिया में स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना, नगरीय विकास अभिकरण तथा मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत क्या क्षेत्रीय विधायकों से परामर्श लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त परामर्श न लेने के लिये कौन अधिकारी दोषी हैं एवं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्नगत योजनाएं केन्द्र पुरोनिधानित है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों में इसका कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*10—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[दिनांक 12-2-99 को ता० प्र० सं० 3 द्वारा उत्तरित]

जनपद महोबा, नगर चरखारी में पेयजल समस्या के निदान हेतु बनाई गई योजना की जानकारी

*11—डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के नगर चरखारी में पेयजल समस्या के निदान हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तथा पुराने कुओं से खारा एवं प्रदूषित जल की आपूर्ति की जा रही है जिससे लोगों में अनेकों बीमारियां फैल रही हैं और जल मूल्य भी वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या के निदान हेतु कोई योजना बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद महोबा के चरखारी नगर में 10 नग कुंओं में पम्प लगाकर तथा 130 नग अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है । इसके अतिरिक्त पेयजल समस्या के त्वरित राहत निदान हेतु वित्तीय वर्ष 1998-99 में 13.98 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है जिससे दो नलकूपों पर कार्य कराया जा रहा है । पुराने कुंओं में से एक कुंयें का जल खारा है । बीमारियों को रोकने के लिए पेयजल में चिकित्सकों की राय के अनुसार ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है तथा जल का परीक्षण भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर से कराया जाता है । जल मूल्य नियमानुसार वसूला जा रहा है ।

नगर की पेयजल समस्या के सम्पूर्ण निदान हेतु अर्जुनसागर से कच्चे जल का स्रोत लेकर उसका शुद्धिकरण कर शुद्ध जल आपूर्ति कराये जाने हेतु 182.00 लाख रु० की योजना विरचित की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी द्वारा लोडरों की खरीद में की गई अनियमिता की जांच कराये जाने की मांग

*12—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998 में लोडरों की खरीद करने में मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, लखनऊ द्वारा अनियमिततायें बरती गयी हैं ? क्या यह सही है कि निगम की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया था कि लोडरों की खरीद क्रय समिति की अनुमति से की जायेगी और क्रय समिति का गठन भी हो गया था ? यदि हां, तो क्या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करके उक्त खरीद की गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

नगर निगम के मा० सदन द्वारा गठित क्रय समिति की अनुशंसा पर प्रश्नगत् लोडरों की खरीद का कार्य सदन के अनुमोदन से किया गया ।

सरकारी विभागों पर बकाया बिजली धन एवं वसूली हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

*13—श्री समरपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी विभागों पर बिजली का कितना धन बकाया है ? इसे वसूलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विभिन्न सरकारी/अर्धसरकारी विभागों एवं निगमों आदि पर माह 9/98 के अन्त तक रु० 1979.01 करोड़ रु० बकाया है ।

विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों एवं निगमों से भुगतान प्राप्त करने के लिए निम्नवत् प्रयास किये जा रहे हैं :–

(क) नगर निगमों एवं एक लाख से अधिक आबादी की नगर परिषदों के बकाया का भुगतान शासन स्तर पर राज्य वित्त आयोग के निर्णय के तहत करने की व्यवस्था की गयी है । लम्बित बिलों के सत्यापन हेतु एक कमेटी गठित की गयी है । जल संस्थानों के बकायों के भुगतान हेतु भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ख) दिनांक 14-12-98 को मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों आदि पर बकाये की धनराशि के भुगतान पर विचार-विमर्श किया गया । इस महत्वपूर्ण बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम कताई मिलों से माह जनवरी 1999 में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को रुपये 7.03 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन आई०डी०पी०एल० ऋषिकेश, एन०टी०पी०सी० मिल्स आदि पर विद्युत बकाये की धनराशि का उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद द्वारा एन०टी०पी०सी० एन०एच०पी०सी० आदि की देनदारियों के साथ समायोजित हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

(घ) शेष सभी सरकारी/अर्धसरकारी विभागों से वसूली का प्रयास किया जा रहा है ।

जल संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दिये जाने की मांग

*14—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जल संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र को देखते हुए पालिका से पृथक सेवा नियमावली बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां,तो क्या सरकार संस्थान कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज ऐक्ट, 1975 की धारा 38(1) के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों के जलकल विभाग से संबंधित अकेन्द्रीयित सेवा के जो कर्मचारी इस अधिनियम के लागू हो जाने के फलस्वरूप अब जल संस्थान के कर्मचारी हो गये हैं, उन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है । इसी धारा के अन्तर्गत प्रदेश के महानगरों के जल संस्थानों द्वारा संबंधित नगर निगम की पेंशन नियमावली तथा मण्डलीय जल संस्थानों द्वारा उ० प्र० पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली 1984 को अंगीकार करके अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को पेंशन सुविधा दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत परिषद् में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस को सेवा में लेने संबंधित कार्य योजना एवं मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका 8095/98 के संबंध में जानकारी

*15—श्री महेन्द्र कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया दतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस लोगों को सेवा में लेने के लिये कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? उन्हें कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 8095/98 के द्वारा तीन महीने के अन्तर्गत विद्युत विभाग में अप्रेन्टिस लोगों को नियुक्त करने के लिये आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो उनका अनुपालन किस स्तर पर लम्बित है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विज्ञापन के विरुद्ध सेवायोजन हेतु आवेदन करने की दशा में सामान्य अभ्यर्थी के सापेक्ष प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस लोगों को वरीयता प्रदान की जाती है । तद्नुसार सामान्य एवं प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने की दशा में सेवायोजन दिया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर निगम अधिनियम तथा नगरपालिका/परिषद् अधिनियम संशोधित करके गृह कर प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में जानकारी

*16—श्री केशो मेहरा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर निगम अधिनियम तथा नगरपालिका/परिषद् अधिनियम में संशोधन कर, गृह कर प्रणाली को बदलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

उ० प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 में संशोधन कर गृहकर निर्धारण प्रणाली को बदलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

प्रदेश की 12 नगर निगमों के सीमान्तर्गत आने वाले आवासीय इकाइयों के गृहकर, जलकर व ड्रेनेज कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, शोषण मुक्त व युक्ति युक्त बनाने हेतु स्वकर निर्धारित प्रणाली लागू किये जाने से संबंधित है ।

उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् उसे लागू किया जा सकेगा ।

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत दी जाने वाली स्वीकृतियों के संबंध में शासन की नीति की जानकारी

*17—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि में दी जाने वाली स्वीकृतियों हेतु शासन की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि नियमावली के उपबन्धों के विपरीत लोक सभा सदस्यों के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

पूर्वांचल विकास निधि नियमावली के प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार धनराशि स्वीकृत किए जाने हेतु जिलाधिकारी के स्तर पर मा० सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद् की बैठक कर योजनाओं का चयन किया जाता है और शासन द्वारा आवंटित बजट के अनुरूप मण्डलायुक्त द्वारा जिलांश की स्वीकृतियां निर्गत की जाती हैं । पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश में मण्डलायुक्त की संस्तुति पर निधि नियमावली के अनुरूप शासन स्तर से स्वीकृतियां निर्गत की जाती हैं । पूर्वांचल विकास निधि हेतु शासन द्वारा आवंटित सम्पूर्ण बजट का 50 प्रतिशत धनराशि जिलांश में तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि राज्यांश में व्यय करने का प्राविधान निधि नियमावली में निर्धारित है । योजनाओं की स्वीकृति क्षेत्र की अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने तथा पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से उन योजनाओं के लिए धन निर्गत किया जाता है जिसमें राज्य एवं जिला योजना से परिव्यय उपलब्ध न हो तथा योजनाएं विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हों ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

मुंशी पुलिया, इन्दिरा नगर लखनऊ स्थित प्रयाग मार्केट को पीछे रिक्त भूमि केवल एक व्यक्ति को आवंटित किये जाने के संबंध में जानकारी

1—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि मुंशीपुलिया, इन्दिरानगर, लखनऊ स्थित प्रयाग मार्केट के पीछे रिक्त भूमि पर 20–25 वर्षों से नाई, कुम्हार तथा पान का व्यवसाय करके अपने परिवार की जीविका चलाने वाले गुमटी दुकानदारों को प्रश्नगत व्यवसायिक भूमि प्राथमिकता के

आधार पर निर्धारित दर पर आवंटित करने के बजाय आवास विभाग द्वारा प्रयाग मार्केट के केवल एक ही दुकानदार को आवंटित की गयी है जिस पर आवंटी द्वारा कई दुकानें बनवायी जा रही हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या "सबको आवास एवं सबको व्यवसाय" नीति का उल्लंघन कर गुमटी दुकानदारों को व्यवसाय से वंचित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा ? क्या सरकार उक्त आवंटन निरस्त करते हुए इन गुमटी दुकानदारों को व्यवसाय हेतु भूमि आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

सम्बन्धित रिक्त भूमि परिषद् के लिए निष्प्रयोज्य होने एवं कियास्क सं०–के०एस०–2 से लगी होने के कारण सम्बन्धित कियास्क के आवंटी को अतिरिक्त भूमि के आवंटन के दिनांक पर प्रभावी व्यवसायिक भूमि दर पर नकद मूल्य लेकर आवंटित किया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

आवंटन नियमानुसार किया गया है ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आवासीय सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि के आवंटन सम्बन्धी जारी शासनादेश

2—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के 5वें शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–40 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवासीय नीति में यह प्राविधान कहां किया गया है जिसके अन्तर्गत पूर्व आवंटी को उसके आवासीय अथवा व्यवसायिक भूखण्ड से लगी हुई अतिरिक्त भूमि का आवंटन उसके पक्ष में किया जाता है ? क्या प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व आवंटी दुकानदार को अतिरिक्त भूमि के रूप में प्राथमिकता के आधार पर आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड पर चार स्वतंत्र दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसमें इंगित आवासीय नीति का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कराकर विभागीय अभियंता को दण्डित किया जायेगा और जांच पूरी न होने तक नवनिर्मित दुकानों को यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश जारी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की सम्पत्तियों की नीलामी संबंधी विनियमों में अतिरिक्त भूमि के आवंटन का प्राविधान नहीं है, परन्तु आवासीय सम्पत्तियों के संबंध में अतिरिक्त भूमि के आवंटन से संबंधित दिनांक 5-3-96 एवं 20-4-98 के शासनादेश द्वारा दिशा निर्देश दिए गये हैं । अतिरिक्त भूमि से लगी सम्पत्ति के आवंटी के मध्य अथवा उनमें से एक के द्वारा आवेदन करने पर संबंधित खण्ड कार्यालय से प्राप्त संस्तुति के आधार पर आवंटन किये जाने की प्रक्रिया परिषद् में रही है, इसी के अनुसार अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया जाता है ।

जी हां ।

इस प्रकरण पर जांच आदेशित की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

मुख्य अभियंता (लेसू) लखनऊ तथा मुख्य अभियंता (लखनऊ क्षेत्र) में विगत वर्षों में हुए आडिट में सी०सी०–42 के गबन के मामले में सतर्कता जांच की मांग

3—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू), लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में कुल कितनी बार स्पेशल आडिट की गयी ? क्या आर० बाई०–2 एवं सी० सी०–42 के गबन के मामले में सतर्कता जांच की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सी० सी० 42 के माध्यम से रु० 12.98 लाख एवं रु० 50 लाख का गबन पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उनकी सतर्कता जांच न कराने के क्या कारण हैं ? गबन के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? कब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू), लखनऊ एवं मुख्य-अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र वितरण) में वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं वर्ष 1996-97 में निम्न पांच इकाईयों की एक-एक बार स्पेशल आडिट की गई :–

(1) लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू), लखनऊ ।

(2) विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (लेसू), चौक, लखनऊ ।

(3) विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (लेसू), इन्दिरानगर, लखनऊ ।

(4) मुख्य अभियन्ता (वितरण), लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ ।

(5) विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी ।

जी हां । विद्युत परिषद् द्वारा परिषदीय सतर्कता इकाई से जांच की संस्तुति की गयी थी ।

सी०सी०–42 के माध्यम से लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू), लखनऊ में रु० 12.98 लाख का एवं विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी में रु० 35.83 लाख का फर्जी क्रेडिट विशेष सम्प्रेक्षा द्वारा प्रकाश में आया ।

जी नहीं, विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा जांच की जा रही है ।

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू), लखनऊ एवं विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है । अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराने के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं ।

सी०सी०–42 के माध्यम से लेसू के गबन के प्रकरण में दिनांक 9-11-98 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है एवं बाराबंकी के प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी के पंजीकृत पत्र दिनांक 19-9-96 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पौड़ी गढ़वाल के बिजोरापाली-कुणजखाल-तिमलीखाल के मोटर मार्ग निर्माण की जानकारी

4—श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के बिजोरापानी–कुणजखाल–तिमलीखाल मोटर मार्ग की भूमि का स्थानान्तरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक उक्त मोटर मार्ग का निर्माण हो जायेगा ?

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल निशंक)–

जी, नहीं ।

बिजोरापानी-कुणजखाल मार्ग पूर्व में ही 2 कि०मी० की लम्बाई में निर्मित है । इसके आगे 10 कि०मी० की लम्बाई भी स्वीकृत है । इसके विरुद्ध 7.50 कि०मी० लम्बाई का निर्माण किया जा चुका है । शेष 2.50 कि०मी० में वन भूमि है ।

भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर है ।

वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात ।

जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र वीरोखाल में कोढिला-बाड़ाडांडा रोड का निर्माण कराये जाने की मांग

5—श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र वीरोखाल में कोढिला-बाड़ाडांडा रोड स्वीकृत है? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी, हां ।

वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र वीरोखाल से केदार गली रोड के निर्माण की स्थिति की जानकारी

6—श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र वीरोखाल से केदार गली रोड का निर्माण शासन द्वारा स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त रोड का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

वीरोखाल से केदारगली अनुभाग में वन भूमि पड़ती है, जिससे मार्ग का संरेखण परिवर्तित करना पड़ा । परिवर्तित संरेखण पर कार्य प्रगति पर है ।

लखनऊ की पारा कालोनी राजाजीपुरम् को राजाजीपुरम विद्युत उपकेन्द्र से पूरी कालोनी को विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

7—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि पारा कालोनी राजाजीपुरम्, लखनऊ में पारा रोड के पूर्वी क्षेत्र में स्थित मकानों में राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है तथा शेष भाग में जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत स्थित फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है ? यदि हां, तो पूरी पारा कालोनी को राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र द्वारा आपूर्ति किये जाने हेतु माह जून, 1998 में मुख्य अभियन्ता लेसू द्वारा आदेश किये जाने के बावजूद भी अब तक राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र द्वारा आपूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं? उक्त उपकेन्द्र द्वारा कब तक बिजली की आपूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

पूरी पाल कालोनी की विद्युत आपूर्ति राजाजीपुरम उपकेन्द्र से किये जाने के कोई आदेश महाप्रबंधक (लेसा) स्तर मे अभी तक नहीं हुये हैं । वर्तमान में 33 के०वी० राजाजीपुरम् विद्युत उप संस्थान अतिभारित है । अतः पारा कालोनी के सम्पूर्ण भाग को इस उप संस्थान से विद्युत दिया जाना सम्भव नहीं है ।

वर्तमान में उक्त उपकेन्द्र से विद्युत की आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है ।

राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र वर्तमान में अतिभारित है । अतः पारा कालोनी एवं इस क्षेत्र के आस-पास के अन्य क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु एक नये 33 के०वी० राजाजीपुरम् उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद गोपीगंज सुल्तानपुर के अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच पर वित्तीय हानि की रिकवरी की जानकारी

8–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र,1998 के तीसरे शुक्रवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० संख्या–182 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित प्रकरण में कुल कितनी वित्तीय हानि सरकार को पहुंची है ? इस हानि की रिकवरी न कर दोषियों को मात्र निन्दा प्रविष्टि दिये जाने का क्या औचित्य है ? इस सरकारी धन की प्रतिपूर्ति सरकार कहां से करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इक्वेटर की जांच आख्या में क्षति की धनराशि क्रमशः 78470/- रुपये एवं 57400/- रुपये, कुल रु० 1,35,870/- इंगित है ।

सक्षम अधिकारी द्वारा निन्दा प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया गया । वित्तीय हानि के रिकवरी के सम्बन्ध में समीक्षा की जा रही है ।

समीक्षा के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न तापीय परियोजना के अप्रैल, 1995 से मार्च, 98 के मध्य गायब कोयले के वैगन के संबंध में प्राप्त श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सासंद के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

9–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न तापीय परियोजनाओं से अप्रैल, 1995 से मार्च, 1998 तक कितने कोयले के वैगन गायब हुए ? उनकी क्या कीमत थी? क्या इस संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 25-9-97 जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न तापीय गृहों में अप्रैल, 1995 से मार्च 1998 तक कुल 60135 कोयले के वैगन गायब (अप्राप्त) हुये और इसी अवधि में 55016 असम्बध अतिरिक्त वैगन प्राप्त हुये । गायब (अप्राप्त) एवं असम्बद्ध प्राप्त वैगन का ताप विद्युत गृह वार विवरण निम्न है :–

ताप विद्युतगृह का नाम	गायब (अप्राप्त) वैगन	असमबद्ध प्राप्त वैगन
1–ओबरा	10072	5698
2–टाण्डा	12253	14536
3–पारीछा	6743	4794
4–पनकी	11227	12910
5–आनपारा	4704	8014
6–हरदुआगंज	15136	9064
योग :–	60135	55016

परियोजनावार गायब (अप्राप्त) वैगनों की कीमत एवं असम्बद्ध अतिरिक्त प्राप्त वैगनों की अंकित कीमत निम्न है :–

परियोजना	गायब (अप्राप्त) वैगनों की कीमत (करोड़ में)	असमबद्ध प्राप्त वैगनों की कीमत (करोड़ में)
1–ओबरा	43.69	24.72
2–टाण्डा	44.10	52.32
3–पारीछा	28.01	19.91
4–पनकी	44.26	50.89
5–आनपारा	17.09	29.11
6–हरदुआगंज	56.29	33.71
योग :–	233.44	210.66

जी हां ।

कोल वैगनों के गायब प्रकरण पर जांच की जा रही है ।

लखनऊ नगर निगम में जनवरी 95 से मई 98 के मध्य कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा विस्तार के मामले की जानकारी

10–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम में जनवरी, 1995 से 31 मई, 1998 के मध्य कुल कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया गया और किसके आदेश से ? उनके नाम, पदनाम एवं सेवा विस्तार की अवधि क्या थी ? क्या यह सत्य है कि सेवा विस्तार पाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले लम्बित हैं ? यदि हां, तो सेवा विस्तार देने के क्या कारण रहे ?क्या सेवा विस्तार देने के पूर्व वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम, लखनऊ में जनवरी, 1995 से 31 माई, 1998 के मध्य किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को सेवा विस्तार नहीं दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नही उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत जनवरी, 96 से नवम्बर, 97 के मध्य मारे गये छापे तथा रेड एसेसमेन्ट के भुगतान की स्थिति की जानकारी

11–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लाईन लासेस क्या है ? जनवरी, 1996 से नवम्बर, 1997 के मध्य कुल कितने छापे मारे गये ?एच वी–1 एवं एच वी–2 के कितने अधिष्ठान थे तथा रेड एसेसमेन्ट अलग-अलग कितना किया गया? क्या रेड एसेसमेन्ट का पूरा भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

लाइन लासेज 24.99 प्रतिशत (अनन्तिम) है ।

1,30,044

एच०वी०–1 एवं एच०वी०–2 की सूचना अलग से संकलित नहीं की जाती है । संयुक्त रूप से सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के विरुद्ध किये गये असेसमेन्ट की राशि रु० 3125.11 लाख है ।

जी नहीं ।

चूंकि छापों के बाद अनियमितता मिलने पर कनेक्शन विच्छेदित कर दिये जाते हैं एवं निर्धारित असेसमेन्ट का भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में धारा–3 एवं धारा–5 के अन्तर्गत नोटिस भेजे जाते हैं जो कि सतत प्रक्रिया है एवं धारा–5 के अन्तर्गत निर्गत वसूली प्रमाण-पत्रों के विरुद्ध वसूली प्राप्त करने में समय [illegible] है ।

कोई निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

पौड़ी गढ़वाल में सीली, सुगरया–सकुलसारी रोड, हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

12–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीली, सुगरया–सकुलसारी रोड, पौड़ी गढ़वाल वर्ष 1996-97 में पूर्ण हो गयी है ? क्या उक्त रोड हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा भू-स्वामियों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां।

उपलब्ध भूस्वामियों को प्रतिकर का भुगतान माह 2/96 में कर दिया गया है।

माह 2/96 में उपस्थित भूस्वामियों को रु० 37,000/- का भुगतान कर दिया गया है। शेष भूस्वामियों को प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही जारी है। प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

ओबरा तापीय परियोजना सोनभद्र के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 95 से 98 में वर्षवार कटे स्केनिंग के संबंध में जानकारी

13–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया व श्री हरदेव सिंह –

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना सोनभद्र के कितने कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में वर्षवार कैट स्केनिंग के मद में भुगतान प्राप्त किया ? क्या मंत्री जी बिल वेरिफाई करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं तैनाती स्थान तथा कैट स्केनिंग करने वाली संस्था का नाम भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या जिन्होंने कैट स्केनिंग के मद में भुगतान प्राप्त किया, निम्नवत् है :–

	1995-96	1996-97	1997-98
(अ) ताप विद्युत गृह			
1–अधिकारी	06	09	04
2–कर्मचारी	37	66	42
(ब) जल विद्युत गृह			
1–अधिकारी	—	—	—
2–कर्मचारी	—	02	05
योग–	43	77	51

जी हां, दिनांक 5-12-95 से पूर्व डा० राजीव चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना चिकित्सालय, ओबरा एवं 5-12-95 से डा० आशा मोहन, मुख्य चिकित्साधिकारी, ओबरा ने बिलों को वेरीफाई किया।

कैट स्कैन करने वाली संस्थाएं निम्नवत् है :–

1–काशी मेडिकल सेंटर, वाराणसी ।

2–अरिहन्त डाइग्नोस्टिक सेन्टर, वाराणसी ।

3–गोमती मेडिकल एण्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर, वाराणसी ।

4–अनिता डाइग्नोस्टिक रैल्म, वाराणसी ।

5–बी०एच०यू०, वाराणसी ।

6–मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।

7–एस०जी०पी०जी०, आई०, लखनऊ ।

8–यू०पी० मेडिकल सेन्टर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के उत्पीड़न सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

14–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया व श्री हरदेव सिंह –

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के उत्पीड़न समाप्त करने संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 6-3-98 जो कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम, गोरखपुर एवं मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र) गोरखपुर को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि पंजीकृत पत्र को गायब कर दिया गया है ? यदि हां,तो उसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

15–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया व श्री हरदेव सिंह –

। दिनांक 12-2-99 को अता०प्र०सं० 125 द्वारा उत्तरित ।।

नेहरू रोजगार योजना की उपयोजना नगरीय मजदूरी योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच कराने विषयक पत्र

16–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह –

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नेहरू रोजगार योजना के उपयोजना नगरीय मजदूरी योजना के अन्तर्गत नगर पंचायतों एवं नगर परिषदों द्वारा जो भी कार्य कराये जा रहे हैं अधिकतर ठेकेदारों द्वारा ही कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी स्तर से की जा रही है ? क्या इस संबंध में श्री ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 20-3-98 जो कि

मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

निर्माण कार्य विभागीय पद्धति से कराये जा रहे है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्युत वितरण खण्ड देवरिया में मीटर रीडर को एस०एस०ओ० बनाये जाने में परिषदीय आदेश का अनुपालन न होने पर कार्यवाही की मांग

17–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया व श्री हरदेव सिंह –

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया में जुलाई, 1996 में कितने मीटर रीडर को एस० एस० ओ० बनाया गया ? इसके लिये परिषदीय आदेश क्या थे ? क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ बेन्च ने कार्य परिवर्तन पर रोक लगा दी थी ? यदि हां,तो परिषदीय आदेशों के अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अक्टूबर, 1998 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया में जुलाई, 1996 में 10 मीटर रीडरों (तकनीशियन ग्रेड–2) को एस०एस०ओ० का कार्य आवंटित किया गया था ।

परिषदीय आदेश संख्या–2191–अरा०–09/राविप/96, दिनांक 30-5-96 की प्रति संलग्न है ।

जी हां । किन्तु तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने मामले में पारित पूर्व स्थगन आदेशों को अपने आदेश दिनांक 24-5-96 द्वारा संशोधित कर दिया । फलस्वरूप कार्य परिवर्तन में कोई वैधानिक बाधा नहीं रह गयी ।

परिषदीय आदेश का अनुपालन किया गया है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

[देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 226-227 पर]]

लखनऊ नगर निगम के पार्कों को समारोहों/विवाह के लिये किराये पर दिये जाने में हुई अनियमितताओं की शिकायत

18–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के कुल कितने पार्क हैं तथा कितने पार्क विभिन्न समारोहों/विवाह आदि के लिये किराये पर उठाये जाते हैं ? उनसे प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1994-95, 1995-96 में विभिन्न समारोहों में कौन-कौन से पार्कों में किस तिथि एवं किसको बुक किया गया ? उनसे कितनी आय हुई ? क्या यह सत्य है कि बुक किये गये पार्कों की फर्जी रसीद काटी गयी है ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम, लखनऊ के क्षेत्राधिकार में कुल 742 पार्क हैं ।

नगर निगम, लखनऊ के 53 पार्क विभिन्न समारोहों/विवाह आदि के लिये किराये पर उठाये जाते है ।

प्रतिवर्ष औसत आय लगभग 90,000 रुपया प्राप्त होती है ।

विवरण उपलब्ध है ।

वर्ष 1994-95 में रुपया 60,850.00 एवं वर्ष 1995-96 में रुपया 84,650.00 की आय नगर निगम को प्राप्त हुई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

19–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अवर अभियंताओं को वाहन भत्ता दिये जाने संबंधी शिकायती-पत्रों पर कार्यवाही की मांग

20–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं में परिषदीय आदेशों के विपरीत अवर अभियन्ताओं को वाहन भत्ता देकर परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने विषयक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, तत्कालीन विधायक का पत्र दिनांक 30-3-92 एवं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का पत्र दिनांक 17-8-97 जो कि क्रमशः ऊर्जा मंत्री एवं मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित परियोजना महाप्रबन्धकों से प्राप्त आख्या के अनुसार ऐसे अवर अभियन्ताओं जो अनुरक्षण कार्यों पर या ऐसे कार्यों पर कार्यरत हैं जिन्हें अपने स्कूटर/मोटर साइकिल को परिषद् कार्य में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, को परिषदीय आदेशों की अनुरुपता में वाहन भत्ता अनुमन्य किया गया है । लेकिन जो अवर अभियन्ता शिफ्ट ड्यूटी/अनुरक्षण कार्यों पर या ऐसे कार्यों पर कार्यरत हैं, जिन्हें परिषदीय कार्य में अपने स्कूटर/मोटर साइकिल को प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर स्थित पावर हाउस के आवासों पर अनधिकृत कब्जे को हटाये जाने की मांग

21–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर स्थित पावर हाउस के कालोनी सब-स्टेशन एवं पुराने पावर हाउस कालोनी के किन-किन आवासों पर बाहरी व्यक्तियों/कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन-किन श्रमिक संगठनों/संघ द्वारा अवैध कब्जा कर अनधिकृतरूप से पक्की इमारतें खड़ी कर दी गयी हैं ? क्या

अवैध कब्जा हटाने एवं अनधिकृत कब्जे के लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पेनल रेन्ट की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत वर्तमान में मात्र गोरखपुर स्थित पावर हाउस कालोनी के निम्न ग्यारह आवासों पर स्थानान्तरित कर्मचारियों का कब्जा है :–

क्रमांक	आवास संख्या
1	सी–12
2	सी–23
3	सी–42
4	डी–25
5	डी–38
6	डी–64
7	डी–70
8	ई–04
9	सी–26
10	डी–22
11	डी–66

पावर हाउस कालोनी, गोरखपुर में राज्य विद्युत परिषद् जूनियर इंजीनियर संगठन, गोरखपुर एवं विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, गोरखपुर द्वारा अनधिकृत रुप से पक्की इमारत खड़ी की गयी है । गोरखपुर स्थित सब-स्टेशन एवं पुराने पावर हाउस कालोनी में किसी भी आवास पर किसी बाहरी व्यक्ति/कर्मचारियों द्वारा कब्जा नहीं किया गया है और न ही किसी श्रमिक संगठन/संघ द्वारा पक्की इमारत खड़ी की गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेनलरेण्ट की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद पौड़ी के वीरोखाल में पालीटेक्निक स्कूल खोले जाने की मांग

22–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी के विकास क्षेत्र वीरोखाल में वर्षों से पालीटेक्निक स्कूल खोलने की मांग क्षेत्रीय जनता करती आ रही है ? यदि हां,तो क्या पालीटेक्निक खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल क्षेत्र के कतिपय गावों में डिस्पेंसरी खोले जाने की मांग

23–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र बीरोखाल में ग्राम सभा कोलरी तलाई विसाणी में एक डिस्पेंसरी खोलने की मांग वर्षों से चली आ रही है ? क्या विसाणी में डिस्पेन्सरी खोलने की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

जिला योजनान्तर्गत प्रस्ताव अनुमोदित होकर प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

24–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के खराब मीटर को न बदलने, बिल का वितरण ठीक न होने, जमा की गयी धनराशि का समय से समायोजन न करने तथा फर्जी बिल भेज कर उपभोक्ताओं से अवैध धन वसूली के कारण उपभोक्ताओं का उत्पीड़न रोकने के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 17-11-97 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपभोक्ताओं का उत्पीड़न न हो, इसके निमित्त शासन क्या उपाय कर रहा है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पत्र दिनांक 17-11-97 प्राप्त नहीं हुआ लेकिन उसके तारतम्य में पत्र दिनांक 20-3-98 प्राप्त हुआ है ।

शिकायत की जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कराई गई । दिनांक 3-4-98 को उपभोक्ता (कनेक्शन सं० आर वाई 014/0025370का मीटर बिना लोड़ के चलता पाया गया । उक्त मीटर दिनांक 24-4-98 को बदल दिया गया । उपभोक्ता का मीटर माह 8/97 में रीडिंग सं० 5131 पर बन्द हो गया था । परन्तु बिल 5222 रीडिंग पर बनकर आया । मीटर रीडिंग के अनुसार बिल निर्गत करने के लिये निर्देशित किया गया । चूंकि पत्र में इंगित अधिभार की धनराशि रु० 903.92, उपभोक्ता पर बकाया धनराशि लगभग 10,000 रु० पर नियमानुसार लगाई गई है । अतः इसको वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उपभोक्ता कनेक्शन सं० 212/046468 की शिकायत आंशिक रूप से सही पाई गई । माह 3/96 से 1/98की अवधि में तीन बार एन० आर० के बिल निर्गत हुए हैं । संबंधित अधिशासी अभियन्ता को मीटर रीडिंग के अनुसार बिल बनाने के लिये निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग कराये जाने हेतु सैनिक कल्याण निगम से भूतपूर्व सैनिकों की सेवायें ली जा रही है । इसके अतिरिक्त मीटर रीडिंग कराये जाने एवं बिल वितरण प्राइवेट एजेन्सी से कराये

जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ताओं के परिसर पर लगे दोषपूर्ण मीटरों को चिन्हित करने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी। जिससे उपभोक्ताओं का अनावश्यक उत्पीड़न समाप्त हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के 400 के० वी० आनपारा उन्नाव सिंगिल सर्किट ट्रान्समिशन लाइन प्रोजेक्ट हेतु ग्लोबल टेण्डर हेतु फर्मों के विवरण की जानकारी

25–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपारा उन्नाव सिंगिल सर्किट ट्रान्समिशन लाइन प्रोजेक्ट के स्पेशिफिकेशन संख्या ओइ०सीएफ/उ० प्र० रा०वि०प०/15 एवं 16 का ग्लोबल टेण्डर कब कराया गया ? यह कार्य कब पूर्ण होना था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्लोबल टेण्डर में किन-किन फर्मों ने भाग लिया तथा इनमें से कितनी विदेशी फर्में थीं ? क्या पत्र में प्रकाशित सम्पूर्ण शर्तों को विदेशी फर्म ही पूर्ण करती थीं ? यदि नहीं, तो विदेशी फर्म को ठेका देने वाले कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत निविदायें सितम्बर, 1994 में आमंत्रित की गयी थी।

यह सम्पूर्ण कार्य अनुबन्ध की तिथि (माह जनवरी, 1996) से 21 माह में पूर्ण किया जाना था।

इस प्रोजेक्ट हेतु आमंत्रित ग्लोबल टेण्डर में निम्न 5 फर्मों ने भाग लिया था :–

1–मैसर्स ई० एम० सी० लिमिटेड, कलकत्ता।

2–मेसर्स हुन्डई इंजीनियरिंग एण्ट कान्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, कोरिया।

3–मैसर्स कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमि० गांधीनगर।

4–मैसर्स के०ई०सी० इन्टरनेशनल लिमिटेड, बम्बई।

5–मैसर्स एस०ए०ई० लिमिटेड, नई दिल्ली।

प्रश्नगत निविदाओं में भाग लेने वाली पांच फर्मों में से एक फर्म मैसर्स हुन्डई इंजीनिरिंग एण्ड कान्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, कोरिया विदेशी फर्म है।

सम्यक विचारोपरान्त भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं में से विदेशी फर्म मैसर्स हुन्डई इंजीनियरिंग एण्ड कान्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, कोरिया एवं देशी फर्म मैसर्स एस०ए०ई० इण्डिया, नई दिल्ली की निविदाओं को परिपूर्ण एवं वैध पाया गया।

इसी आधार पर इन निविदाकर्ताओं में से निविदा संख्या–15 के अन्तर्गत 800 के०वी० आनपरा झूसी भाग के लिये मैसर्स हुन्डई इंजीनियरिंग एवं निविदा संख्या 16 के अन्तर्गत 800 के०वी० झूसी उन्नाव लाइन के लिये मैसर्स एस०ए०ई० इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली को आर्डर दिया गया।

ठेका देने में कोई अनियमितता न होने के कारण किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण अलीगंज हाउसिंग स्कीम के खाली प्लाट पर दूध व्यवसाय एवं समस्या के निराकरण की जानकारी

26–श्री श्रीराम पाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने लखनऊ नगर के बाहर दूध के पशुओं की कालोनी बनाने हेतु कोई सर्वे कराया था ? यदि हां, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलीगंज हाउसिंग स्कीम के सेक्टर "ए" से सेक्टर "क्यू" तक किन-किन खाली आवासीय प्लाटों पर दूध का व्यवसाय चल रहा है ? क्या वहां पर गोबर के निस्तारण की व्यवस्था नियमानुसार ठीक है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलीगंज हाउसिंग स्कीम के सेक्टर "ए" से सेक्टर "क्यू" तक तीस दूध डेयरी चल रही हैं ।

जी नहीं ।

कैटिल कालोनी में पशुओं को बसाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ इन्दिरा नगर सी ब्लाक के पार्क पर अवैध निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

27–श्री छब्बू पटेल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर, लखनऊ सी ब्लाक मकान नं० 2181/10 तथा मकान नं 2181/16 के सामने बच्चों के खेलने हेतु एक पार्क का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त मकानों के स्वामियों ने पार्क को जबरियन कब्जा करके उसमें छोटा गैराज तथा तीन चबूतरा बना लिये हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में इन्दिरा नगर सी ब्लाक के निवासियों ने एक सामूहिक हस्ताक्षरित पत्र नगर विकास मंत्री को दिनांक 3-8-98 तथा दिनांक 4-11-98 को मुख्य नगर विकास अधिकारी, लखनऊ को दिये थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या पार्क से अवैध कब्जा हटा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अवैध कब्जा कब तक हटा लिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

राज्य विद्युत परिषद लेखा लखनऊ के अधीन विद्युत बकायेदारों को सेक्शन 3, 5 की नोटिस की जानकारी

29–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू)/महाप्रबन्धक, लेसा,लखनऊ के अधीन खण्डों में दस हजार से अधिक के मार्च, 1998 तक कितने बकायेदार हैं ? क्या इनके विरुद्ध सेक्शन 3 एवं सेक्शन 5 की नोटिसें भेजी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक नोटिसें भेज दी जायेंगी ? क्या यह सही है कि 10 हजार से अधिक बकायेदारों के परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से पुनः नये कनेक्शन दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

लेसा लखनऊ के अधीन खण्डों में 10 हजार से अधिक के मार्च 98 तक कुल 52326 बकायेदार उपभोक्ता हैं ।

सेक्शन 3 व 5 की नोटिस निर्गत किया जाना नियमित प्रक्रिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत रविदासनगर पोस्ट सरोई, ग्राम हृदय पट्टी के श्री राम खेलावन द्वारा 10 वर्षों से अवैध चक्की चलाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

30–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दीपलाल भारती, सदस्य, विधान सभा का शिकायती पत्र संख्या 738/98/भा०ज०पा०/वि०स०/उ० प्र०, दिनांक 9 अक्टूबर, 1998 सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है, जो श्री राम खेलावन पुत्र स्व० राम सुमेर ग्राम–हृदय पट्टी, पो०–सरोई, जनपद संत रविदासनगर द्वारा विगत 10 वर्षों से अवैध रूप से चक्की चलाये जाने तथा कुछ व्यक्तियों को विद्युत देकर धन उगाही के संबंध में है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच उपखण्ड अधिकारी द्वारा करवाई गयी जिसमें यह पाया गया कि श्री राम खेलावन पुत्र श्री राम सुमेर, ग्राम–हृदय पट्टी अपने 5 हा०पा० अनुबंधित निजी नलकूप पर अवैध रूप से आटा चक्की का प्रयोग कर रहा था । अतः उपभोक्ता का विद्युत संयोजन तुरन्त काट दिया गया और उसके विरुद्ध इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (उपभोक्ता) विनियमावली, 1984 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रिया में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में राजेन्द्र नगर वार्ड के सभासद के पत्र पर कार्यवाही की मांग

31–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम में फर्जी भुगतान न हो और कार्य की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिये शासन द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध

कोई कार्यवाही किये जाने पर शासन विचार कर रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राजेन्द्र नगर वार्ड नं० 47 के नाले की फर्जी भुगतान संबंधी श्रीमती मधुबाला, सभासद का पत्र दिनांक 5-8-96, 10-1-97 एवं 28-5-98 जोकि नगर प्रमुख एवं मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर निगम को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

फर्जी भुगतान न हो तथा कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए यथोचित नियम/व्यवस्थाएं हैं। तथापि विशिष्ट शिकायत अथवा कमी पाये जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

जी हां।

प्रकरण में तत्कालीन अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य अभियन्ता, नगर अभियन्ता तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गयी।

जांचोपरान्त शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई।

32–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

जनपद लखनऊ में बिना नक्शे के मल्टी स्टोरी बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

33–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में रिहायशी क्षेत्रों में हो रहे निर्माण बिना नक्शे के मल्टी स्टोरी एवं बिना पार्किंग छोड़े निर्माण कार्य को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं? क्या इस संबंध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद, लखनऊ नगर निगम का पत्र दिनांक 6-6-98 जोकि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर प्रमुख, लखनऊ नगर निगम को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

रिहायशी इलाकों में यदि बिना मानचित्र स्वीकृति के अथवा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कोई निर्माण कार्य होते हैं तो उन्हें रोकने के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 एवं 28 के अन्तर्गत निर्माणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

जी हां।

प्रश्नगत मामले में निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई, निर्माण कार्य को बन्द कराने हेतु धारा 28 के अन्तर्गत क्षेत्रीय पुलिस को निदेशित किया गया। वर्तमान में निर्माण कार्य बन्द है। स्वैच्छिक शमन योजना–98 के अन्तर्गत निर्माणकर्ता द्वारा रु० 15,000/- शमन शुल्क प्राधिकरण में जमा किया गया है।

राज्य विद्युत परिषद् मुख्य अभियन्ता कार्यालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति/नियमित कर परिषदीय आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने की मांग

34–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) 4 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ कार्यालय में ऐसे कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं जिन्हें सितम्बर, 1978 में एडहाक पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी ? क्या मंत्री जी उनके नाम पदनाम बतायेंगे ? क्या यह सत्य है कि एडहाक पर नियुक्ति तिथि से ही सम्बन्धित कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस परिषदीय आदेश के अन्तर्गत ? क्या मंत्री जी परिषदीय आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ऐसे दो कर्मचारी हैं ।

उनके नाम सर्वश्री पारस नाथ तिवारी व बसन्त लाल जायसवाल, दैनिक श्रेणी लिपिक ।

श्री पारस नाथ तिवारी को श्रम न्यायालय द्वारा दिये गये एक अवार्ड के दृष्टान्त के आधार पर तदर्थ व्यवस्था में नियुक्ति की तिथि से ही नियमित किया गया ।

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत) के कार्यालय ज्ञाप सं०–463–अ–5/4–बी–1328/एम, दिनांक 13-2-96 के अन्तर्गत ।

उक्त संदर्भित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 228 पर ।)

35–श्री उदयराज यादव–

[3रे गुरूवार में अता० प्र० सं०–182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के खरिका थाई तेलीबाग में नेपालगंज, पुराना सुभानीखेड़ा मार्ग में खड़न्जा बिछाने में अनियमितता की पुनः जांच की मांग

36–श्री उदयराज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार के अता० प्र० सं० 11 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में भौतिक सत्यापन किस सक्षम अधिकारी द्वारा कराया गया था ? क्या सरकार इसकी पुनः जांच कराकर शासन को गलत सूचना देने वाले अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना द्वारा भूमि अध्याप्ति से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को शासनादेश के अनुसार नियुक्ति की जानकारी

37–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या–23/25/1973कार्मिक–2, दिनांक 15 जून, 1985 में भूमि अध्याप्ति से प्रभावित कृषक परिवार के सदस्यों में पौत्र को भी नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना द्वारा भूमि अध्याप्ति से प्रभावित परिवार के आश्रितों में पौत्रों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो कब और किन-किन की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में भूमि अध्याप्ति से प्रभावित परिवार के आश्रितों में से पौत्रों को नियुक्ति प्रदान की गयी है जिनका विवरण निम्नवत् है :–

नियुक्ति की तिथि

1-3-88 (1) श्री राम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री राम लखन वर्मा

29-1-93 (2) श्री परशुराम पुत्र श्री सीताराम

29-1-93 (3) श्री वीरे पुत्र श्री सेवली

12-1-90 (4). श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राम बक्स सिंह

17-1-98 (5) श्री मनोज कुमार तिवारी पुत्र श्री नरेन्द्र देव तिवारी

जनपद लखनऊ, अलीगंज विस्तार योजना हेतु अधिगृहीत भूमि के परिवारों को पूर्ण भुगतान की मांग

38—क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि अलीगंज सड़क एवं शहर विस्तार योजना के अन्तर्गत गाम तातारपुर, परगना तहसील व जिला लखनऊ के अवार्ड दिनांक 27-4-78, 17-11-78 व 10-11-78 के अन्तर्गत कार्यालय भूमि अध्याप्ति अधिकारी नगर महापालिका के अभिनिर्णय 31-12-79 के अनुसार भूमि अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि संबंधित किसानों को आज तक मुआवजे का पूरा भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें ब्याज सहित पूरा भुगतान दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्राधिकरण द्वारा अभिनिर्णीत धनराशि का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को किया जा चुका है । जिन किसानों को प्रतिकर भुगतान नहीं किया गया है उसका विवरण (कारण सहित) संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 229 पर ।)

जनपद प्रतापगढ़ सरस्वती शिशु मन्दिर, लाल का पुरवा में विद्युतीकरण की मांग

39—श्री सीताराम निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि शासन की नीति के अन्तर्गत ग्राम लीलापुर निकट साहबगंज मोड़, सरस्वती शिशु मन्दिर के पीछे लाला का पुरवा जिला प्रतापगढ़ में अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? उक्त विद्युतीकरण कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं हुआ ।

उक्त ग्राम विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं है ।

फिलहाल संभव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई मल्लावां की पेयजल समस्या के निदान हेतु सचिवालय के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

40—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्लावां जनपद हरदोई की पेयजल समस्या के निदान के संबंध में सचिवालय के पत्र संख्या एम–3/406/हरदोई/96 दिनांक 18-12-1996 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत सचिव नगर विकास ने कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । प्रश्न में वर्णित पत्र दिनांक 26-12-96 को प्राप्त हुआ था । किन्तु काफी खोजबीन के उपरान्त भी उक्त पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । मा० सदस्य विधान सभा से पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने हेतु आग्रह किया गया है । पत्र प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद अम्बेडकर नगर कटेहरी बाजार को नगर पंचायत का दर्जा सुविधा देने पर विचार

41—श्री लालजी वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अम्बेडकर नगर जनपद में कटेहरी बाजार को टाउन एरिया (नगर पंचायत) का दर्जा देने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार अब तक कटेहरी बाजार के निवासियों को नगर पंचायत का दर्जा देकर सुविधा देना शुरू करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगर पंचायतों के गठन हेतु निर्धारित मानक पूर्ण होने पर नगर पंचायत के गठन की दशा में नियमानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

जनपद अल्मोड़ा तहसील भिकियासैंण, चम्पानगर डोटियाल मार्ग के डामरीकरण की मांग

42—श्री अजय भट्ट–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के तहसील भिकियासैंण में चम्पानगर–डोटियाल मार्ग का डामरीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० रमेश पोखरिपाल निशंक–

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

राज्य विद्युत परिषद् शक्ति भवन लखनऊ के सुसज्जीकरण/मेन्टीनेन्स एवं एअर कन्डीशनिंग निर्माण पर हुए व्यय का विवरण एवं इसके जांच की मांग

43—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के सुसज्जीकरण/मेन्टिनेन्स में वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में मदवार व्यय विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शक्ति भवन विस्तार के एअर कन्डीशनिंग पर निर्माण के समय क्या व्यय किया गया ? वह कब से काम नहीं कर रहा है ? पुनः शक्ति भवन विस्तार को वातानुकूलित करने के लिये कितना व्यय करने का प्राविधान रखा गया है ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों ने मिलीभगत करके करोड़ों रुपये का घपला किया है ? क्या इसकी जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के सुसज्जीकरण/मेन्टिनेन्स में वर्ष 1995-96, 96-97 एवं 97-98 में व्यय निम्नवत् हुआ है :–

वर्ष	व्यय
1995-96	35.74 लाख
1996-97	42.07 लाख
1997-98	53.11 लाख

शक्ति भवन विस्तार के एयर कंडीशनिंग पर निर्माण के समय कुल रुपये 84.59 लाख की धनराशि व्यय हुयी थी । यद्यपि विस्तार भवन में वातानुकूलन संयंत्र काम कर रहा है परन्तु इसका प्रभाव निम्नलिखित कारणों से पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हो पा रहा है :–

(क) संयंत्र में समय-समय पर ब्रेक डाउन होने के कारण क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना ।

(ख) भवन के हीट लोड में वृद्धि के फलस्वरूप अधिकाधिक क्षमता का हीट लोड की तुलना में कम होना ।

(ग) संयंत्र पुराना हो जाने के कारण उसकी दक्षता में कमी आ जाना ।

शक्ति भवन विस्तार को पुनः वातानुकूलित करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि भवन पहले से ही वातानुकूलित है । विगत वर्षों में भवन का हीट लोड बढ़ जाने के कारण प्रथम चरण में 90 टन की वातानुकूलित क्षमता 1998 में बढ़ा दी गयी है जिस पर लगभग रु० 22.0 लाख का व्यय हुआ । इसके अतिरिक्त वातानुकूलन संयंत्रों के पुराने होने के कारण क्षमता प्रभावित हो गयी थी । अब संयंत्रों के आवश्यक सुधार हेतु अनुमानित लागत रु० 25.6 लाख है । संयंत्रों की विस्तृत ओवर हालिंग एवं विशेष अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

जल संस्थान लखनऊ द्वारा पेयजल व्यवस्था एवं माडल हाउस नलकूप का व्यय विवरण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

44—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से करने के लिये अलग-अलग मद में व्यय किया गया विवरण क्या है ? मुहल्लों में नलकूप न चलने पर तत्काल क्या व्यवस्था की जाती है ? पिछले तीन वर्षों में माडल हाउस स्थित नलकूप पर कितना व्यय करके क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या इस सम्बन्ध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल सभासद का पत्र दिनांक 6-5-98 जोकि नगर प्रमुख लखनऊ, नगर निगम/मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

मदवार व्यय का विवरण संलग्न है ।

नलकूप बन्द होने पर 48 घण्टे के अन्दर उसे चालू कराने का प्रयास किया जाता है तथा टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाती है ।

इस ट्यूबवेल पर केवल माइनर रिपेयरिंग का कार्य हुआ । कोई भी मेजर रिपेयरिंग नहीं करायी गयी ।

मा० नगर प्रमुख, नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 6-5-98 में अंकित बिन्दुओं पर यथोचित कार्यवाही की गयी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 230 पर ।)

नगर निगम लखनऊ के पूर्व मेयर द्वारा लीज रेण्ट पर स्वीकृत भूमि उपयोग का विवरण

45—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के पूर्व मेयर श्री अखिलेश दास जी ने अपने कार्यकाल में अलग-अलग कितनी भूमि किसको-किसको किस-किस दर से कितनी मात्रा में लीज रेण्ट पर स्वीकार की थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लीज रेण्ट पर दी गयी भूमि का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

श्री लालजी टण्डन—

नगर निगम, लखनऊ में पूर्व मेयर द्वारा लीजरेण्ट पर स्वीकृत भूमि विषयक विवरण संलग्न है ।

उपरोक्तानुसार ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 231-232 पर ।)

इन्दिरा नगर लखनऊ सेक्टर—14 के बिहार कालोनी में पानी के अवैध कनेक्शनों को नियमित करने की मांग

46—श्री रमेश राही—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ के सेक्टर-14 के पास स्थित तुलसी बिहार/नील बिहार कालोनी तथा उसके आस-पास स्थित मकानों में पानी के कितने वैध/अवैध कनेक्शन हैं और उनसे सरकार को प्रतिवर्ष कितनी हानि हो रही है ? क्या अवैध कनेक्शनों को नियमित कराये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही सरकार करेगी ? क्या इन अनियमित कनेक्शनों के मकान मालिकों के विरुद्ध भी सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ के सेक्टर-14 के पास स्थित तुलसी बिहार/नील बिहार कालोनी तथा उसके आस-पास स्थित क्षेत्र (खडगपुर) में कुल 55 वैध कनेक्शन हैं । अवैध कनेक्शन का संज्ञान होते ही उसे विच्छेदित कर दिया जाता है तथा कनेक्शन नियमित किये जाने की कार्यवाही की जाती है ।

अवैध कनेक्शनों के संदर्भ में समय-समय पर सर्वे किया जाता है । प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में भी अभी शीघ्र ही किये गये सर्वे के दौरान 14 जल संयोजन अनियमित पाये गये थे । जिनमें से 11 जल संयोजनों को काट दिया गया तथा 03 जल संयोजनों को उपभोक्ता द्वारा नियमित कराया गया ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइवेट कालोनी खुर्रमनगर एवं शिवानी बिहार कालोनी लखनऊ में सीवर निर्माण की जानकारी

47—डा० मुस्लिम—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम क्षेत्र की प्राइवेट कालोनी खुर्रमनगर, लखनऊ में सीवर कार्य कराये जाने की स्वीकृति निगम द्वारा प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिवानी बिहार कालोनी (कल्याणपुर) लखनऊ के सेक्टर-ए, बी, सी, डी, तथा

ई में भी सीवर का निर्माण कार्य उसी के साथ प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री धर्मवीर पुत्र बनवारी लाल निवासी बिल्सी द्वारा नगरपालिका परिषद बिलसी, जनपद बदायूं की भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

48—श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पत्र सं० 1865/मं०/वी०आई०पी० दिनांक 17-10-98 जो नगर पालिका परिषद्, बिल्सी जनपद बदायूं की भूमि पर धर्मवीर पुत्र बनवारी लाल निवासी बिलसी द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करके निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक अतिक्रमित की गयी भूमि को खाली न कराने का क्या कारण है ? उसको कब तक खाली करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

तत्कालीन मा० राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उ० प्र० का पत्र सं०–1865/प० मा० वा०/वी० आई० पी०/97, दिनांक 17-10-97 को प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत भूमि मुंसिफ सहसवान के न्यायालय में प्रचलित वाद सं०–172/93 के परिपेक्ष्य में नगरपालिका परिषद् बिल्सी, जनपद–बदायूं द्वारा पारित प्रस्ताव सं०–6 (8) दिनांक 22-6-93 के अधीन रु० 100/–वार्षिक किराये पर 5 वर्ष बाद किराये में वृद्धि व अन्य कतिपय शर्तों के अधीन श्री धर्मवीर पुत्र बनवारी लाल, निवासी–बिल्सी को आवंटित की गयी थी । आवंटी द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मानचित्र को निकाय द्वारा दिनांक 5-6-98 को आवश्यक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है जिसके कारण कब्जा हटाया नहीं जा सका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकास प्राधिकरण लखनऊ जानकीपुरम्/सीतापुर रोड की कालोनियों में आवासों के पंजीयन/आवंटन के समय क्षेत्रफल में भिन्नता

49—श्री सीताराम निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी जानकीपुरम्, सीतापुर रोड, लखनऊ के सेक्टर–एच के फेज–I में ई० डब्लू० एस० टाइप के मकानों के लिये वर्ष 1988 में पंजीकरण के समय 36.75 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भू-खण्ड आवंटियों को उपलब्ध कराने की लिखित घोषणा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या मकान बनाकर देते समय क्षेत्रफल घटाकर 30x10 वर्ग फीट का ही प्लाट उपलब्ध कराया गया है और कीमत पूर्व की ही रखी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या मंत्री जी क्षेत्रफल घटाने के साथ-साथ कीमत भी कम करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

भूखण्ड का क्षेत्रफल 30x10 वर्ग फीट होने के कारण भवनों की कीमत उनके निर्माण लागत व भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार 30x10 वर्ग फीट के आधार पर ही ली गई है ।

उपरोक्तानुसार ।

विकास प्राधिकरण लखनऊ जानकीपुरम/सीतापुर रोड की कतिपय आवासीय कालोनियों के विकास कार्यों की जांच की मांग

50—श्री सीताराम निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी जानकीपुरम् सीतापुर रोड, लखनऊ के सेक्टर एच के फेज–I में विकास के नाम पर अब तक कितनी बार धन आहरित किया गया है और कितने विकास कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करते हुये वांछित विकास कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जानकीपुरम् योजना के सेक्टर–एच के फेज–I में विकास कार्यों की वास्तविक लागत के समतुल्य धनराशि ही आहरित की गयी है तथा समस्त विकास कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास प्राधिकरण लखनऊ जानकीपुरम/सीतापुर रोड की कालोनियों के अधूरे कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

51—श्री सीताराम निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी जानकीपुरम् सीतापुर रोड, लखनऊ के सेक्टर एच के फेज–I में सीवर की समुचित व्यवस्था नहीं है और इससे सम्बन्धित कार्य का भुगतान पिछले कई वर्षों से लिया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि कई स्थानों पर सीवर लाइन अब भी चालू नहीं है और जितने भी बड़े चैम्बर्स हैं उनके ढक्कन आज तक नहीं लग पाये हैं ? यदि हां, तो उक्त अधूरे कार्यों को कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जानकीपुरम योजना सेक्टर–एच में सीवर लाइन का कार्य पूर्ण है । सीवरेज डिस्पोजल हेतु सम्पवेल निर्माणाधीन होने के कारण फिलहाल अस्थायी गैंग के माध्यम से सीवेज को लोकल पम्पिंग द्वारा निस्तारित किया जा रहा है तथा इस कार्य हेतु नियुक्त गैंग को नियमित भुगतान किया जाता है ।

जी नहीं । लगभग पूरे क्षेत्र की सीवर लाइन चालू है और वर्तमान में समस्त चैम्बर्स पर ढक्कन लगाये जा चुके हैं ।

उक्त समस्त कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास प्राधिकरण लखनऊ जानकीपुरम/सीतापुर रोड कालोनियों की सड़कों को ठीक कराकर नगर निगम को हस्तान्तरित करने की मांग

52—श्री सीताराम निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी जानकीपुरम् योजना, सीतापुर रोड, लखनऊ के सेक्टर–एच में सड़कों की हालत अत्यन्त खराब होने के कारण नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो सड़कों को ठीक कराकर इसे नगर निगम को कब तक हस्तान्तरित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । वर्तमान में सेक्टर–एच की सड़कों को ठीक करा दिया गया है ।

जानकीपुरम आवासीय योजना को नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण जानकीपुरम/सीतापुर रोड की कालोनियों में पानी निकासी हेतु नाले के अधूरे कार्य को पूरा कराने की मांग

53—श्री सीताराम निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना सीतापुर रोड, लखनऊ के सेक्टर–एच में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है और फेज–1 तथा फेज–2 के बीच के नाले का निर्माण अधूरा है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जानकीपुरम योजना के सेक्टर–एच के एक स्थान को छोड़कर शेष स्थानों पर सामान्यतः जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध है ।

जानकीपुरम् योजना सेक्टर–एच के फेज–1 व फेज–2 के मध्य ग्रामवासियों के अवरोध के कारण लगभग 25 मीटर नाले का निर्माण कार्य अधूरा है ।

वर्तमान में उक्त अधूरे निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है तथा अवरोध समाप्त होने पर कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के नगर पालिका/नगर पंचायत के कर्मचारियों को समयबद्ध वेतन भुगतान का प्रकरण

54—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सफाई कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों को नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतें वेतन का भुगतान नियमित रूप से नहीं कर पा रही हैं, जिससे उनके सामने भुखमरी की स्थिति विद्यमान है ? क्या यही स्थिति प्रा० मल्लावां वि० क्षे० के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् दिलग्राम तथा मल्लावां और नगर पंचायत माधोगंज व कुरसठ में कार्यरत कर्मचारियों के सामने उपस्थित है ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को भुखमरी की स्थिति से मुक्ति दिलाने

हेतु समयबद्ध वेतन भुगतान किये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जनपद हरदोई में नगर पंचायत माधोगंज को छोड़कर शेष सभी निकाय अपने समस्त कर्मचारियों का नियमित वेतन भुगतान कर रही हैं ।

जी नहीं । उपरोक्तानुसार ।

जी नहीं ।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो जाने के उपरान्त प्रदेश की नागर स्थानीय निकायों को शासन के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि सीधे संक्रमित की जाती है । अलग से धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराया जाना संभव नहीं है ।

55—श्री राम शंकर पाल–

। स्पस्टीकरण हेतु हटाया गया ।

जनपद लखनऊ फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र को 33000 के०वी० विद्युत आपूर्ति के तारों की चोरी रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग

56—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र को सरोजनीनगर पावर स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जाने वाली 33000 के०वी० की मुख्य विद्युत लाइन की सोनहरा ग्राम के समीपवर्ती भाग में जनवरी, 1998 से कई बार विद्युत तारों की चोरी होने के कारण एक-एक सप्ताह तक उक्त विद्युत उपकेन्द्र द्वारा विद्युत आपूर्ति नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो विद्युत तारों की चोरी रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाया गया है ? इस सम्बन्ध में क्या सरकार शिथिलता बरतने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । जनवरी, 98 से उक्त 33 के०वी० लाइन में 6 बार विद्युत तारों की चोरी हुयी है जिसके कारण विद्युत आपूर्ति प्रत्येक चोरी के कारण अधिकतम दो दिनों तक बाधित रही है ।

प्रत्येक चोरी की एफ०आई०आर० संबंधित थाने में दर्ज करायी गयी है व विद्युत परिषद् द्वारा पुलिस/प्रशासन के उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके व लिखित सूचना देकर चोरी रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त कार्य में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों ने कोई शिथिलता नहीं बरती । अतएव उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित मलिन बस्ती अहिबरनपुर के विकास हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग अन्यत्र करने के संबंध में जानकारी

57—श्री राम औतार शाक्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मलिन बस्ती अहिबरन (सीतापुर रोड) लखनऊ के विकास हेतु इस वर्ष नाबार्ड से कई लाख रुपये स्वीकृत हुये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पैसे से उक्त मलिन बस्ती का विकास न कर उक्त पैसा त्रिवेणी नगर के विकास में खर्च किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? इसके लिये कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नार्बाड से नगर निगम को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

सीतापुर रोड लखनऊ स्थित मुहल्ला आलोक नगर, अहिबरनपुर के पार्क की सफाई की स्थायी व्यवस्था

58—श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के प्रथम मंगलबार के लिये निर्धारित ता० प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कूड़ा डालने की कोई स्थायी व्यवस्था न होने के कारण वहां के निवासियों ने पुनः आलोक नगर, लखनऊ निवासी श्री परवन लाल के घर के सामने वाले पार्क में कूड़ा डालना प्रारम्भ कर दिया है जिससे वहां कूड़े का ढेर जमा हो गया है और उसकी बदबू से नागरिकों को पुनः स्वास्थ्य का खतरा उत्पन हो गया है ? क्या सरकार उस पार्क की सफाई करवा कर कूड़ा डालने की कोई स्थायी व्यवस्था करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

पार्क की सफाई करवा दी गई है । स्थायी व्यवस्था हेतु छोटा कन्टेनर रखवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई विकास खण्ड सण्डीला, ग्राम सभा गदौरा के मजरा गोशा के विद्युतीकरण की मांग

59—श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे शुक्रवार (दिनांक 26-6-98) के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु चयनित किये जाने का क्या मानक है ? क्या ग्राम सभा गदौरा का मजरा गोशा, विकास खण्ड सण्डीला जनपद हरदोई उक्त मानक के अन्तर्गत नहीं आता है जबकि वहां की शत प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की है ? क्या उसी मजरे से सटा गांव जैसूखेरा जिसमें एक भी मकान अनुसूचित जाति के व्यक्ति का नहीं है, विद्युतीकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त ग्राम गोशा को विद्युतीकरण हेतु सूची में कब तक सम्मिलित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्रामों का विद्युतीकरण जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत चयनित होने के उपरान्त किया जाना है।

ग्राम सभा गदौरा का मजरा गोड़ा विकास खण्ड सण्डीला, जनपद हरदोई का विद्युतीकरण हेतु चयन उक्त समिति द्वारा नहीं किया गया है।

मजरा गोछा से सटे गांव जैसखोरा का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। लेकिन लघु उद्योग हेतु केवल एक विद्युत संयोजन दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम गोछा को विद्युतीकरण हेतु जिला सिंचाई एवं सलाहकार समिति द्वारा चयनित किया जाना आवश्यक है। अतः कोई समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में इन्दिरा नगर सी ब्लाक के पार्क पर अवैध कब्जा हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

60—श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर सी ब्लाक में मकान नं० 2181/10 तथा 2181/16 के आवास स्वामियों ने इन्दिरा नगर सी ब्लाक में नगर निगम लखनऊ द्वारा बने पार्क में जबरियन अवैध कब्जा करके मोटर गैराज तथा तीन चबूतरों का निर्माण कर लिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या श्री जय प्रकाश, विधायक का पत्र उन्हें दिनांक 11-11-1998 को प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? अवैध कब्जे को पार्क से कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत पार्क से अवैध कब्जे को हटा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के आलोक नगर में सफाई कर्मचारी की तैनाती की मांग

61—श्री राम औतार शाक्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आलोक नगर लखनऊ में किसी सफाई कर्मचारी की तैनाती नहीं की गयी है? क्या यह सही है कि इसके कारण पूरे मुहल्ले में गंदगी व्याप्त है ? यदि हां, तो वहां सफाई कर्मचारी की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी नहीं।

त्रिवेणी नगर क्षेत्र में दस सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं। उन्हीं के द्वारा आलोक नगर में भी समय-समय पर सफाई व्यवस्था कराई जाती है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर संविदा श्रमिक लगा कर सफाई व्यवस्था कराई जाती है।

सफाई कर्मचारी की तैनाती अब यहां कर दी गई है।

सीतापुर रोड लखनऊ स्थित अहिबरनपुर में लगे टूटे खड़न्जे को ठीक करा कर डामरीकरण करने की मांग

62—श्री राम औतार शाक्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मुहल्ला आलोक नगर अहिबरनपुर सीतापुर रोड, लखनऊ में पानी के लिये डाली गयी पाइप लाइन तथा टेलीफोन केबिल डाले जाने के कारण उक्त मुहल्ले में वर्षों पूर्व लगा खड़ंजा टूट गया है और गड्ढे बन गये हैं जिससे वहां के नागरिकों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार वहां खड़ंजा ठीक करा कर डामर रोड बनाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

सम्बन्धित विभाग से रोड कटिंग रेस्टोरेशन चार्जेज की धनराशि प्राप्त होने पर मार्ग का सुधार कराया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बलिया नगर पंचायत सीयर हेतु स्वीकृत धनराशि का चेयरमैन द्वारा दुरुपयोग करने की शिकायत

63– श्री हरदेव सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997-98, 1998-99 में नगर पंचायत सीयर, जनपद बलिया को कितना-कितना धन शासन एवं जिला स्तर से दिया जा चुका है ? क्या यह सही है कि उक्त धन का दुरुपयोग वर्तमान चेयरमैन नगर पंचायत सीयर द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत सीयर अर्थात बिल्थरा रोड (बलिया) को वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में निम्नलिखित मदों में धनराशि स्वीकृत की गई है :–

मद का नाम	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99
पथकर क्षतिपूर्ति	149040	—
वेतन अंशदान	413788	—
बकाया वेतन अनुदान	488219	—
मार्ग प्रकाश	50,000	—
राज्य वित्त आयोग	—	16,62,596
दशम वित्त आयोग	92,520	92,520
जिला स्तर	2,04,700	3,84,960
दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त नालों के निर्माण हेतु	—	2,50,000
बालिका समृद्धि योजना	—	84,000
	13,98,267	24,74,076

वर्तमान अध्यक्ष, नगर पंचायत बेल्थरा रोड द्वारा उक्त धन के दुरुपयोग करने का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण जानकीपुरम/सीतापुर रोड कालोनियों के पार्कों में नियमित जलापूर्ति की मांग

64—श्री सीताराम निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी जानकीपुरम्, सीतापुर रोड, लखनऊ के सेक्टर–एच के फेज–I में पानी की समुचित रूप से आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ई०डब्लू० एस० टाइप के बने भवनों के मध्य बने पार्कों में एक-एक इंडिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं। इस सेक्टर में प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

चूंकि जल आपूर्ति समुचित रूप से की जा रही है। अतः वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी स्व० श्री धर्मेन्द्र लाल, अवर अभियन्ता के भुगतान के संबंध में प्रार्थना-पत्र पर जांच

65—श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चतुर्थ शुक्रवार को उत्तरित ता० प्रश्न सं०–6 के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है तथा जांच किस स्तर पर है ? इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत प्रकरण की जांच अधीक्षण अभियन्ता विद्युत प्रेषण मण्डल, कानपुर द्वारा की गई है।

जांच पूर्ण हो चुकी है।

66—श्री तेजभान सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

जनपद बांदा जसपुरा के अम्बेडकर गांवों के विकास संबंधी विवरण

67—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में कुल कितने अम्बेडकर ग्राम हैं ? उसमें से कितने अम्बेडकर ग्राम पूर्ण संतृप्त किये जा चुके हैं तथा कितने शेष हैं ? क्या यह सही है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा अम्बेडकर ग्राम विकास के कार्य में शिथिलता बरती जा रही है ?

यदि हां, तो क्या जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? शेष अम्बेडकर ग्रामों को कब तक पूर्ण संतृप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

विकास खण्ड जसपुरा में कुल पांच अम्बेडकर ग्राम चयनित हैं ।

ग्यारह कार्यक्रमों की संतृप्त एवं असंतृप्तीकरण की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र०सं०	कार्यक्रम	संतृप्त ग्राम	असंतृप्त ग्राम	अन्य विवरण
1	सम्पर्क मार्ग	2	3 (एक ग्राम में कार्य प्रगति पर है । मार्च, 99 पूर्ण हो जायेगा)	शेष 2 अम्बेडकर गांवों की आबादी 1000 से कम होने के कारण शासन की वर्तमान नीति के अनुसार इन गांवों में सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं हैं ।
2	विद्युतीकरण	4	—	एक ग्राम मानक में नहीं आता क्योंकि 1000 से कम आबादी का है ।
3	नाली/खड़न्जा	5	—	—
4	स्वच्छ शौचालय	5	—	—
5	नि:शुल्क बोरिंग	1	2	दो अम्बेडकर ग्रामों में कोई लक्ष्य नहीं है ।
6	आई०आर०डी०पी०	5	—	—
7	इन्दिरा आवास	4	1	—
8	स्वच्छ पेयजल	4	1	—
9	स्कूल भवन	5	—	—
10	किसान पेंशन	4	1	—
11	विधवा पेंशन	2	3	—

जी नहीं, स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है ।

आवश्यकता नहीं है ।

बजट उपलब्ध होने पर शेष ग्रामों को दिनांक 31-3-99 तक पूर्ण संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद वाराणसी नगर निगम द्वारा हटाये गये अवैध अतिक्रमण पर पुनः कब्जा के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश

68—श्री सत्य प्रकाश सोनकर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री सुखनन्दन सिंह पुत्र स्व० महादेव सिंह निवासी—भिखारीपुर खुर्द, तहसील-सदर, जिला—वाराणसी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-10-98 जो नगर निगम द्वारा हटाये गये अवैध अतिक्रमण पर पुनः कब्जा किये जाने विषयक है, मंडलायुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की मंडलायुक्त से प्रस्तरवार जांच आख्या मंगाकर सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

जी हां ।

प्रश्नगत विवाद आराजी संख्या—72 व 74 मौजा—भिखारीपुर के कुछ भाग पर स्थित है । प्रश्नगत आराजी को उत्तर रेलवे सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा प्लाटिंग करके विभिन्न व्यक्तियों के नाम विक्रय किया गया है ।

प्रश्नगत अतिक्रमण के संबंध में विवाद सिविल जज, अवर वर्ग, शहर वाराणसी के न्यायालय में वाद संख्या—953 सन् 1998 कृष्ण कुमार बनाम नगर निगम, वाराणसी दाखिल है । जो आज भी विचाराधीन है । प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान न करने के आदेश प्रदान किये गये हैं ।

जनपद इलाहाबाद के श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल द्वारा पुनः आवेदन कर नजूल भूखण्ड सं०—102 को फ्री-होल्ड कराने की मांग

69—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं०—1639/9 आ—1—95—80—मिस/86 दिनांक 10-5-95 द्वारा शहरी क्षेत्र में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड कराने का आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया था ? क्या इसी संदर्भ में शहर इलाहाबाद में नजूल भू—खण्ड सं०—102 को फ्री-होल्ड कराने हेतु श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल निवासी 205/108, पानदरीबा, इलाहाबाद ने आवेदन किया था, जिस पर जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने अपने पत्र सं०—460/नजूल—1/फ्री-होल्ड (95-96) दि० 16-6-98 द्वारा रु० 9,30,516.40 मात्र निर्धारित कर 20 प्रतिशत छूट के साथ जमा किये जाने का डिमान्ड नोटिस जारी किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि डिमान्ड नोटिस को 9 जुलाई, 98 को जिलाधिकारी द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया था कि इस मामले में शासन स्तर से फ्री-होल्ड के विषय में निर्देश प्राप्त होने पर श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल को अवगत कराया जायेगा ? क्या उक्त के सम्बन्ध में शासन से निर्देश प्राप्त कर उन्हें अवगत करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

प्रश्न में इंगित शासनादेश दिनांक 10-5-95 नजूल भूमि के फ्री-होल्ड से संबंधित नहीं है वरन् उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित

भूखण्डों/भवनों का फ्री-होल्ड में परिवर्तन से संबंधित शासनादेश है जो सभी जिलाधिकारियों को भी पृष्ठांकित किया गया है।

श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, श्री आदित्य कुमार अग्रवाल, श्री अनन्त अग्रवाल, श्री राजीव अग्रवाल, श्री कामता प्रसाद अग्रवाल, श्री बालमुकुन्द अग्रवाल तथा अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा नजूल भूखण्ड सं०–102, लूकरगंज, इलाहाबाद ने फ्री-होल्ड कराये जाने हेतु दिनांक 1-7-95 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था और इसके क्रम में दिनांक 16-6-98 को रुपया 9,30,516.40 की डिमाण्ड नोटिस 20% छूट के साथ निर्गत की गई थी।

प्रश्नगत डिमाण्ड नोटिस को मा० सर्वोच्च न्यायालय में फ्री-होल्ड के संबंध में विशेष अनुज्ञा याचिका विचाराधीन होने के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर से प्रतीक्षित निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 9 जुलाई, 1998 को निरस्त कर दी गई थी। शासनादेश सं०–2268/9–आ–4-98-70 एन/97, दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 को फ्री-होल्ड के संबंध में जारी हो गया है जिसकी जानकारी होने के पश्चात् उपरोक्त श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल आदि द्वारा दिनांक 20-1-99 को प्रश्नगत नजूल भूखण्ड संख्या–102, लूकरगंज को फ्री-होल्ड कराने हेतु नया प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर खीरी, नगर पालिका का मोहल्ला काशीनगर की सड़क का डामरीकरण एवं पुलिया निर्माण की मांग

70—श्री श्याम प्रकाश–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका लखीमपुर जनपद लखीमपुर में काशीनगर मोहल्ले में खीरी रोड से (अनुपम नर्सिंग होम) वर्तमान विधायक श्रीमती माया प्रसाद के मकान को मिलाने वाली सड़क अत्यंत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं बरसात में जल भराव के कारण उक्त सड़क पर यातायात बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क पर पानी की निकासी हेतु एक पुलिया सहित डामर रोड बनाने हेतु सरकार आवश्यक धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद लखीमपुर खीरी के काशीनगर मोहल्ले में खीरी रोड से (अनुपम नर्सिंग होम) वर्तमान विधायिका श्रीमती माया प्रसाद के मकान को मिलाने वाली सड़क में खड़ञ्जा लगा हुआ है।

वर्णित स्थान मोहल्ले का निचला क्षेत्र होने के कारण अतिवृष्टि से वर्षा के समय अस्थाई जल भराव हो जाता है जो कुछ समय पश्चात् स्वतः समाप्त हो जाता है। इससे यातायात अंशतः अवरुद्ध होता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के अनुक्रम में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो जाने के उपरान्त प्रदेश की नागर स्थानीय निकायों को निर्धारित धनराशि शासन के वित्त विभाग द्वारा सीधे संक्रमित की जाती है। पृथक से धनराशि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद लखनऊ, काकोरी ब्लाक फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र से अनियमित विद्युत आपूर्ति हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

71—श्री छोटे लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र पर जून, 98 से लगातार अनियमित विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में वहां के किसानों द्वारा दिनांक 5-11-98 को उप जिलाधिकारी, लखनऊ को पत्र दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

विद्युत विभाग के संबंधित दोनों अधिशासी अभियन्ताओं को घटना स्थल पर जाकर समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशित किया गया था। इसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ताओं ने घटना स्थल पर जाकर विद्युत संबंधी शिकायतों की जानकारी प्राप्त की व उन पर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन देकर धरना को समाप्त करा दिया गया तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिये गये आश्वासनों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा, वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा धन के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

72—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आवंटित धन के दुरुपयोग एवं शिड्यूल्ड से अधिक का भुगतान होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक–क–2–021842, दिनांक 24-9-98 मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मुख्य मंत्री कार्यालय के विधायक कोष्ठक से पत्रांक क–2–021842, दिनांक 24-9-98 किसी विभाग को भेजे जाने की पुष्टि नहीं हो पायी है परन्तु पत्रांक–क–2–021841, दिनांक 24-9-98 मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा सतर्कता विभाग को भेजा गया था।

उपरोक्त कारण से प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में वृन्दावन विकास प्राधिकरण की कालोनी कदम्ब विहार का स्थानान्तरण करने एवं नल कनेक्शन शुल्क की वसूली प्रकरण

73—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय कालोनी कदम्ब विहार का हस्तान्तरण करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका हस्तान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि मानचित्र स्वीकृति के अनिवार्य शर्तों के रूप में रिक्यूजिट फीस के अलावा नल कनेक्शन चार्ज भी मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो उसे

किस नियम के तहत वसूला जा रहा है ? क्या सरकार उस पर नियंत्रण करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी, नहीं मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कदम्ब बिहार कालोनी के सभी विकास कार्य मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण करा लिये गये हैं । नगर पालिका परिषद् मथुरा की सीमा से बाहर होने के कारण अभी तक इस कालोनी का हस्तान्तरण नहीं किया जा सका है ।

प्राधिकरण द्वारा जल व सीवर के कनेक्शन की व्यवस्था अपने श्रोतों से की जा रही है । इस कारण कनेक्शन चार्ज लिये जा रहे हैं । यह सुविधा आवंटियों को पानी की लाइन/सीवर चैम्बर से भूखण्ड के किनारे तक दी जाती है जिससे कि नाली व सड़क की कटिंग रोकी जा सके । उन्हीं मामलों में यह शुल्क वसूला जा रहा है जिसमें आवंटन के समय यह शुल्क नहीं लिया गया है । यह शुल्क भवन आवंटन के साथ लिया जाता है । जिन योजनाओं में यह कनेक्शन नहीं हुये हैं वहां पर यह शुल्क नहीं लिया जाता है । मानचित्र स्वीकृति के साथ जल शुल्क जमा करना अनिवार्य शर्तों में नहीं है । प्राधिकरण की जिन योजनाओं में जल व सीवर कनेक्शन का कार्य कराया है वहीं पर यह शुल्क आवंटन अथवा मानचित्र स्वीकृति पर जमा कराया जाता है । अवशेष विकास क्षेत्र के मानचित्रों की स्वीकृति पर कोई जल कनेक्शन शुल्क नहीं लिया जाता है ।

जिन योजनाओं में सीवर व वाटर कनेक्शन करके प्लाट पर यह सुविधा दी जा रही है, उनसे यह शुल्क न लिये जाने से प्राधिकरण को वित्तीय हानि होगी, इसलिये शासन द्वारा इसमें हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में हरिद्वार महाकुम्भ मेला में अनेकों विभागों द्वारा अनियमितता का प्रकरण

74—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में हरिद्वार महाकुम्भ मेला में अनेक विभागों द्वारा बनाये गये विभिन्न अस्थायी निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपयों की वित्तीय घपला एवं अनियमितता किये जाने की रिपोर्ट शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो उक्त घपलों के लिये जिम्मेदार अधिकारियों,कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कुम्भ मेला हरिद्वार 1998 के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कार्यों की स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि स्वीकृत की गई । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि मेलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों को अवमुक्त की गयी । कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु विभागीय लेखा द्वारा समय-समय पर कांकरेन्ट आडिट किया गया । कार्यों की समाप्ति के उपरान्त सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा आडिट किया गया तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रेषित आडिट रिपोर्ट में कतिपय आपत्तियां उठाते हुए उन पर आख्या मांगी गई । महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुए आख्या शासन के पत्र दिनांक 9-9-1998 को महालेखाकार को भेजी जा चुकी है । पुनः महालेखाकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गयी है ।

आडिट रिपोर्ट में कोई भी गम्भीर वित्तीय अनियमितता या घपला का कोई प्रकरण दृष्टिगत नहीं हुआ है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र को पावर आपूर्ति लाइन के तारों की चोरी एवं विद्युत लाइन परिवर्तित करने की जानकारी

75—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र को सरोजनीनगर पावर स्टेशन से आपूर्ति होने वाली मुख्य लाइन के सोनहरा ग्राम के आस-पास वर्ष 1996 से वर्ष 1998 के नवम्बर माह के मध्य कितने बार बिजली के तारों की चोरी हुई है ? अनेक बार बिजली चोरी होने के कारण उक्त मुख्य विद्युत लाइन को परिवर्तित मार्ग से ले जाने हेतु क्या सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सोनहरा ग्राम के आस-पास वर्ष 1996 से वर्ष 1998 के नवम्बर माह तक 5 बार 33 के० वी० लाइन के विद्युत तारों की चोरी हुयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य विद्युत लाइन को परिवर्तित मार्ग से ले जाना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है ।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन वर्क चार्ज कर्मियों का विनियमितीकरण

76—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रियित सेवा के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन तथा वर्क चार्ज पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 के पहले के नियुक्त तथा अब तक कार्यरत कर्मियों को विनियमितीकरण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1182/9 अ–5–1998 दिनांक 13 अप्रैल, 1998 को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा शासनादेश का पालन कर वहां कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 1998 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त शासनादेशानुसार वाराणसी विकास प्राधिकरण के किन कर्मचारियों को विनियमित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

(क) जी हां ।

(ख) शासनादेश संख्या–1182/9–आ–5–1998 दिनांक 13 अप्रैल, 1998 के अनुपालन में वाराणसी विकास प्राधिकरण में सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद एवं नन्दलाल को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दिनांक 17-10-98 को विनियमित किया गया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ नगर निगम द्वारा सड़कों के निर्माण तथा सामानों की खरीद की जांच

77—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व बैंक परियोजना के ऋण द्वारा लखनऊ नगर निगम में वर्ष 1988-89, 89-90 व 90-91 में क्रय किये गये पेवर मशीन, जेनरेटर बिट्मिन बायलर एक टन एवं तीन मिटरिक टन का प्रयोग हुआ है, उससे आज तक कहां-कहां सड़कें बनाई गईं ? इस

हेतु कब-कब कितना रा–मैटिरियल खरीदा गया ? क्या मंत्री जी इसकी सम्पूर्ण जांच टैक्नीकल आडिट सेल से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । अपितु क्रय की गयी केवल 2 छोटी पेवर मशीन से कोई सड़क नहीं बनायी गयी ।

बिटुमिन बायलर जो 90-91 में क्रय किये गये, से नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में पैच रिपेयर का कार्य कराया गया ।

विवरण उपलब्ध है ।

आवश्यकता नहीं है ।

नगर निगम की सड़कों के बेहतर निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य से नगर की तंग गलियों में भी डामर सड़कें बनाने के लिये उ० प्र० नगर विकास परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक विशेषज्ञों के अनुमोदन पर कारगर यांत्रिकरण व्यवस्था हेतु अन्य उपकरणों के साथ दो छोटी पेवर मशीन भी क्रय की गयी थी जो सम्पूर्ण क्रय किये गये उपकरणों का मात्र 3 प्रतिशत है आर्थिक स्रोतों के अभाव में तंग गलियों में डामर की सड़कों का निर्माण कराना प्रारम्भ नहीं कराया जा सका ।

जनपद लखनऊ इन्दिरा नगर कालोनी सेक्टर 19 के पार्कों पर अवैध निर्माण की शिकायत

78—श्री उदयराज यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी के सेक्टर–19 में वर्तमान सभासद द्वारा सार्वजनिक पार्कों पर अवैध निर्माण कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

यू० पी० एसबेस्टस सीमेण्ट फैक्ट्री लि० मोहनलालगंज लखनऊ में दुर्घटनाग्रस्त मृत कर्मचारियों के अवशेषों के भुगतान की जानकारी

79–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या–178 के उत्तर के संदर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तेजी लाल यादव एवं श्री गया प्रसाद को उनके देयों का भुगतान दिनांक 5-9-97 एवं 3-3-98 को किस प्रकार कराया गया ? उसका बैंक ड्राफ्ट संख्या व चेक संख्या क्या है ? यदि भुगतान बैंक ड्राफ्ट एवं चेक से नहीं कराया गया है, तो क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण में फैक्ट्री के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

श्री तेजी लाल यादव एवं श्री गया प्रसाद को उनके देयों का भुगतान दिनांक 05-09-97 व 03-03-98 को नियोजकों द्वारा समझौते के अन्तर्गत नगद प्राप्त कराया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भुगतान नगद किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि पक्षों की आपसी सहमति से समझौते के अन्तर्गत भुगतान किया गया है।

जनपद लखीमपुर के श्रीनगर में चयनित अम्बेडकर ग्रामों की सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

80-श्रीमती माया प्रसाद

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में वर्ष 1995 से अब तक कितने अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है ? क्या सभी अम्बेडकर ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों का सतह लेपन कार्य करवा दिया गया है ? यदि हां, तो वे अम्बेडकर ग्राम कौन-कौन हैं ? अवशेष अम्बेडकर ग्रामों के मार्गों का लेपन कार्य कब तक करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में वर्ष 1995 से अब तक कुल 57 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है जिनमें से अब तक कुल 16 अम्बेडकर ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्गों को सतह लेपन तक निर्माण किया जा चुका है, जिसकी सूची संलग्न है। अवशेष 41 ग्रामों में से 10 ग्राम विभिन्न योजनाओं में सम्पर्क मार्ग हेतु स्वीकृत हैं, जिन पर धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जायगा। शेष 31 ग्रामों हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 233 पर)

जनपद लखीमपुर में अम्बेडकर गांवों के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

81-श्रीमती माया प्रसाद

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में वर्ष 1995 से अब तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम-

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में वर्ष 1995 से मार्च, 1998 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों में से मात्र दो ग्राम लखरांवा तथा गोपालापुर को छोड़कर सभी अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। इन दोनों ग्रामों में भी विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 1999 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

लखनऊ में जगदीश चन्द्र बोस वार्ड माता हींगलाज देवी मार्ग जोन-1 में अवैध निर्माण को गिराकर अर्थ-दण्ड की कार्यवाही की मांग

82-श्री दीपलाल भारती-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जगदीश चन्द्र बोस वार्ड माता हींगलाज देवी मार्ग जोन-1, लखनऊ स्थित कितने अवैध निर्माण कार्य किये जा रहे हैं ? क्या सरकार अतिक्रमण रोकने के लिये उक्त भवनों पर अर्थ-दण्ड लगायेगी या सरकार उन निर्माणाधीन भवनों को गिराने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां, प्रश्नगत स्थल पर 2 निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।

जी हां निर्माणकर्ताओं से निर्माण को शमनित कराने हेतु अग्रिम शमन शुल्क के रूप में धनराशि प्राधिकरण में जमा करा ली गई है।

उपरोक्तानुसार शमन की कार्यवाही की गई है।

जनपद आगरा थाना एत्मादौला में राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्राप्त पत्र पर जांच की जानकारी

83–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने अपने पत्र सं०–386 मु०/मीटर टेस्टिंग दिनांक 17-10-98 जो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को भेजा था तथा जिसमें उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा थाना एत्मादौला, आगरा में श्री वी० के० माथुर, उपनिदेशक एवं श्री नन्द किशोर पन्त, सहायक निदेशक के फर्जी हस्ताक्षर से दिनांक 11-9-98 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्राप्त हुआ है।

श्री वी० के० माथुर, उपनिदेशक के फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराये जाने वाले अधिकारी श्री ए० के० गर्ग एवं अन्य के विरुद्ध थाना एत्मादौला पर मु० अ० सं० 66/99 धारा–420, 471 भा० दं० वि० दिनांक 5-2-99 को पंजीकृत कराया गया। वर्तमान में यह अभियोग विवेचनाधीन है।

पूर्व में उक्त प्रकरण में दिनांक 11-9-98 को श्री ए० के० गर्ग द्वारा श्री वी० के० माथुर, उप निदेशक की हस्ताक्षरित एक तहरीर पर मु० अ० सं०–457/98 धारा 39/40/44 विद्युत अधि० बनाम राकेश दोनेरिया थाना एत्मादौला में पंजीकृत हुआ था। श्री वी० के० माथुर द्वारा दिनांक 23-9-98 को विवेचना अधिकारी को सूचित किया कि प्रश्नगत तहरीर में उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं। विवेचक द्वारा उक्त अभियोग में अनियमितता पाये जाने के कारण व साक्ष्य के अभाव में विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट संख्या–127 दिनांक 11-10-98 को प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी है।

इसके लिये दोषी अधिकारी श्री ए० के० गर्ग, अवर अभियन्ता तथा अन्य दोषी हैं।

84–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[2सरे सोमवार के अता० प्र० सं०–84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में नगर पालिका परिषद् अन्तर्गत चिल्ला चुंगी चौकी पर लगे बैरियर पर खुली लूट के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

85–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-7-98 को प्राप्त हुआ है, जो नगर पालिका परिषद् बांदा अन्तर्गत चिल्ला चुंगी चौकी के पास लगे बैरियर में चुंगी के नाम पर खुली लूट विषयक था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 15-7-98 प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत परिषद् के सचिव के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र

86–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिव, उ० प्र० रा० वि० प० के काले कारनामे विषयक श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 17-8-97 एवं 26-8-97 जो कि क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं तत्कालीन नेता सदन, विधान परिषद् तथा मुख्य मंत्री, उ० प्र० सरकार तथा अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अक्टूबर, 1998 तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

87–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त । ।

जनपद हरदोई हरियांवा के अम्बेडकर ग्राम बगौछा को पक्की सड़क से जोड़ने संबंधी योजना की जानकारी

88–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड हरियांवा के अम्बेडकर ग्राम बगौछा को पक्की सड़क से जोड़ने के लिये कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो पक्की सड़क बनाने का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम–

जनपद हरदोई का अम्बेडकर ग्राम बगौछा वर्ष 1997-98 में चयनित हुआ था । यह अम्बेडकर ग्राम विधान सभा क्षेत्र हरियांवा में नहीं विधान सभा क्षेत्र बावन में आता है । उक्त ग्राम सहित सभी ग्रामों के सम्पर्क मार्ग निर्माण की कार्य योजना पर संबंधित विभाग की स्वीकृति अपेक्षित है ।

धन उपलब्ध होते ही सड़क बनवाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

जनपद लखीमपुर, ग्राम–बड़ागांव के इस्लामियां शमशुल उलूम को वर्ष 1996 से आवंटित छात्रवृत्ति के भुगतान की जानकारी

89—श्रीमती माया प्रसाद–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बड़ागांव, बडेहरा, विकास खण्ड नकहा, जनपद लखीमपुर में स्थित अल्पसंख्यक मदरसा इस्लामियां शमशुल उलूम को वर्ष 1996 से अब तक छात्र-छात्राओं को अनिवार्य छात्रवृत्ति के रूप में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या उक्त वर्षों में संस्था में फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति आहरित की गयी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी प्रधानाध्यापक एवं प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री राजा गजनफर अली खां)–

प्रश्नगत मदरसे को वर्ष 1996 में कोई छात्रवृत्ति की धनराशि नहीं आवंटित की गयी तथा वर्ष 1997-98 में उक्त मदरसे की मांग के अनुसार रु० 72,000/- एवं वर्ष 1998-99 में रु० 95,400/- की धनराशि छात्रवृत्ति हेतु आवंटित की गयी ।

ऐसा कोई तथ्य स्थापित नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–प्रतापगढ़ के विद्युत वितरण खण्ड में अवर अभियन्ता/एस०एस०ओ० सहित मानकों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी

90.–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ में अवर अभियन्ता विद्युत एस० एस०ओ० सहित कर्मचारी क्या निर्धारित मानक के अनुरूप तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत वितरण खण्ड प्रतापगढ़ द्वारा जनपद की विद्युत व्यवस्था देखी जाती है एवं इस खण्ड में अवर अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारियों के स्वीकृति एवं कार्यरत विवरण निम्न हैं :–

क्र०सं०	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	अवर अभियन्ता	18	20
2	ए० एस० ओ०	78	76
3	लाइन मैन	57	54
4	पेट्रोल मैन	118	75
5	कुली	87	19
6	मीटर रीडर	06	01

पेट्रोल मैन एवं कुली के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारी कम हैं । इन रिक्त पदों को भरने हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा 3000 कुलियों की भरती की जा रही है जिसके लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जा चुका है । विद्युत वितरण खण्ड, प्रतापगढ़ ग्रामीण बाहुल्य है जिसमें अधिकांश क्षेत्रों में मीटर रीडिंग की आवश्यकता ही नहीं होती है । प्रतापगढ़ नगर में मीटर रीडिंग का कार्य भूतपूर्व सैनिकों से कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ नगर पंचायत पट्टी के लिये निर्गत शासनादेशों/तिथियों का विवरण

91.–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि नगर पंचायत पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को शासनादेश संख्या–एम-334/9-5-97/174(39), दिनांक 7-7-97 के द्वारा हैण्डपम्प स्वीकृत करने के साथ-साथ वर्ष 1997-98 में प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कुल कितने हैण्डपम्प उपरोक्त नगर पंचायत हेतु नगर विकास मंत्री एवं राज्य मंत्री जी द्वारा तथा शासन द्वारा स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किये गये हैं ? उनके अनुपालन की स्थिति एवं जारी शासनादेश एवं तिथियों का विवरण क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1997-98 में नगर पंचायत, पट्टी प्रतापगढ़ को शासनादेश संख्या–एम–73/ 9-5-97-174(29)/96, दिनांक 8-5-97 द्वारा 10 हैण्डपम्पों हेतु रु० 1.50 लाख तथा शासनादेश संख्या–एम–334/9-5-97-174(29)/96, दिनांक 7-7-97 द्वारा 10 हैण्डपम्पों हेतु रु० 1.50 लाख की स्वीकृति जारी की गयी थी, जिनके विरुद्ध 09 हैण्डपम्प लगाये जा सके हैं। शासनादेश दिनांक 7-7-97 द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण न होने के फलस्वरूप 10 हैण्डपम्प नहीं लग सके, जिसके लिये उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़, पट्टी में लकड़ी के पोलों को बदलने का प्रस्ताव

92—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में लगाये गये लकड़ी के पोलों को बदलने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां,तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जिला प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र मे लगभग 771 लकड़ी के क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, गोपीगंज सुल्तानपुर के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

93—श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–1 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उल्लिखित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध परिषद् द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब और क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या आरोपित व्यक्तियों से वित्तीय रिकवरी भी की जानी है ? यदि हां, तो किन-किन से और कितनी-कितनी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

अक्टूबर, 1997 में कार्यवाही पूर्ण की गयी। दोषी व्यक्तियों सर्वश्री पूर्णेन्द्र शंकर (81185) एवं अब्दुल रज्जाक खां (73103) को निन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में कालपी के ग्रामों में स्वीकृत विद्युतीकरण की जानकारी

94—श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन की कालपी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 1998-99 में स्वीकृत 5 ग्राम सधारा, कुठौंदा, बुजुर्ग, धरसौनी, कुशकरा, बावनी व ग्राम तिरावली का जनपद जालौन की अन्य विधान सभा क्षेत्र उरई, कोंच व माधौगढ़ के 5–5 ग्रामों की

भांति विद्युतीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण की कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत ग्रामों का विद्युतीकरण इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक करने का लक्ष्य है ।

जनपद जालौन के कतिपय ग्रामों हेतु स्वीकृत धनराशि से विद्युतीकरण कराने की मांग

95—श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के ग्राम–सिम्हारा, कालिकपुर, हर्रायपुर, पिथउपुर, ख० वि० महेवा तथा ग्राम रामपुर ख० वि० कदौरा के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि से अधिशासी अभियन्ता, उरई जालौन को माह अक्टूबर/नवम्बर, 1998 में धनराशि दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां । कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के ग्राम अकबरपुर इटौरा में 33 के० वी० ए० विद्युत सब स्टेशन के निर्माण हेतु उपलब्ध धनराशि की जानकारी

96—श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के ग्राम अकबरपुर इटौरा (ख० वि० कदौरा) में 33 के० वी० ए० का विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि से अधिशासी अभियन्ता उरई–जालौन को धनराशि प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो ग्राम–पंचायत अकबरपुर इटौरा द्वारा प्रस्तावित भूमि विद्युत सब-स्टेशन के पक्ष में स्थानान्तरित करके उस पर निर्माण कार्य उपलब्ध धनराशि से कराना प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र अकबरपुर इटौरा के निर्माण के लिये बुन्देलखण्ड विकास निधि से रु० 63.00 लाख अधिशासी अभियन्ता उरई को प्राप्त हो चुका है ।

ग्राम पंचायत अकबरपुर इटौरा से प्रस्तावित भूमि स्थानान्तरित हो चुकी है तथा सिविल निर्माण कार्य हेतु रु० 5.50 लाख धनराशि जनपद खण्ड कानपुर को स्थानान्तरित की जा चुकी है । सिविल कार्य के लिये टेन्डर 21-1-99 को खोल दिये गये हैं । भवन आदि का निर्माण शीघ्र शुरु करा दिया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिदिन के आवासीय योजनान्तर्गत पंजीकृत असहाय व्यक्तियों को आवास आवंटित करने संबंधी पत्र पर कार्यवाही की मांग

97—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतिदिन के आवासीय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत असहाय व्यक्तियों को आवास आवंटित करने संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का

पत्र दिनांक 13-4-98 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मा० विधायक श्री शिशौदिया को पत्र दिनांक 06 जुलाई, 1998 द्वारा अवगत करा दिया गया था कि प्रतिदिन की आवासीय योजना के अन्तर्गत मात्र ऐसे व्यक्तियों को भवन आवंटित किये जाने थे, जिन्हें कहीं से विस्थपित किया गया हो । तद्नुसार यह भी अवगत कराया गया था कि दुर्बल आय वर्ग के आवास आवंटन हेतु विचार किया जाना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण, के अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध चल रही जांच के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

98—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत अवर अभियन्ताओं की कोई स्थानान्तरण नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है ? ऐसे कितने अवर अभियन्ता हैं जिनके विरुद्ध राज्य सतर्कता जांच चल रही है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 25-8-98 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 1998 में निर्धारित स्थानान्तरण नीति, पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों, जिसमें लखनऊ नगर निगम एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत अवर अभियन्ता भी सम्मिलित हैं, पर लागू है ।

उक्त स्थानान्तरण नीति में कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जाने के प्रतिबन्ध के दृष्टिगत पालिका केन्द्रीयत सेवा के अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण हेतु 07 वर्ष की अवधि रखी गयी है ।

पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के विकास प्राधिकरण लखनऊ में कार्यरत दो अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है ।

जी हां ।

उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम लखनऊ को जांच कराकर जांच रिपोर्ट भेजने को निर्देशित किया गया है ।

दरेशी कार्य में लम्बित भुगतान कराने सम्बन्धी मुख्य नगर अधिकारी लखनऊ नगर निगम को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

99—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दरेशी कार्य में लम्बित भुगतान को तत्काल भुगतान कराने सम्बन्धी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 16-9-98 जो कि श्री दिवाकर त्रिपाठी मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर निगम को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

यू० पी० एस्बेस्टास सीट्स सीमेण्ट फैक्ट्री लि० मोहनलाल गंज लखनऊ में ठेकेदारी प्रथा के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान कराने की मांग

100—श्री शिव सिंह चक–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि यू०पी० एस्बेस्टास सीमेंट सीट्स फैक्ट्री लि० मोहनलाल गंज,जनपद लखनऊ में ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत कार्यरत मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा निर्धारित मजदूरी का भुगतान न कर रु० 30/-, 35/- प्रतिदिन के हिसाब से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी के अन्तर्गत भुगतान कराने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां। मजदूरों को कम मजदूरी दिये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।

प्रतिष्ठान का न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया है और कम मजदूरी के मामलों में सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में निर्देश वाद प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० एस्बेस्टास सीट्स सीमेण्ट फैक्ट्री मोहनलाल गंज लखनऊ के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

101—श्री उदयराज यादव–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि यू० पी० एस्बेस्टास सीमेन्ट फैक्ट्री, मोहनलाल गंज, लखनऊ में 6 ठेकेदारों के माध्यम से लगभग 300 दिहाड़ी मजदूरों को रु० 30 से 35 रु० प्रतिदिन देकर काम कराया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत वर्तमान में वर्ष 1998 में प्रतिदिन काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को कितना रुपया देने का प्राविधान है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर इसमें दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मेसर्स यू० पी० एस्बेस्टास सीट्स सीमेंट फैक्ट्री मोहनलाल गंज, लखनऊ में 05 ठेकेदारों के माध्यम से 133 दिहाड़ी मजदूरों का रु० 20/- से रु० 50/- प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष 1998 में प्रतिदिन मजदूरी रु० 64.45 पैसे निर्धारित है।

उपरोक्त के विषय में उच्च स्तरीय जांच कर ली गयी है तथा दोषी नियोजक एवं संविदाकारों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

यू० पी० एस्बेटास सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री लि० मोहनलाल गंज, लखनऊ द्वारा क्षमता से अधिक विद्युत के उपयोग का प्रकरण

102—श्री उदयराज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैक्ट्री में अगस्त, 1998 तक अलग-अलग कितनी क्षमता का लोड स्वीकृत है ? प्रत्येक का अलग-अलग माह जुलाई/अगस्त, 1998 का कितना विद्युत व्यय एवं विद्युत बिल आया है ? फैक्ट्री पर रु० 11.30 लाख का विवादित बिल वर्ष 1995 से 1998 तक दर्शाने

का क्या कारण है ? क्या सरकार बकाये विद्युत बिल के वसूली हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यू० पी० एस्बेस्टास लि० मोहनलाल गंज को स्वीकृत भार

सीमेन्ट डिवीजन	950 केवीए	
एस्बेस्टास डिवीजन	900 केवीए	
सीमेन्ट डिवीजन	माह जुलाई, 98	अगस्त, 98
विद्युत व्यय	11040 यूनिट	61760 यूनिट
विद्युत बिल	231825/-	388554/-
निर्गत भुगतान	231825/-	348554/-
<u>एस्बेस्टास डिवीजन</u>		
विद्युत व्यय	147732 यूनिट	184524 यूनिट
विद्युत बिल मांग	627340/-	832244/-
भुगतान	627340/-	832244/-

उपभोक्ता की बिलिंग जो पूर्व में विरल प्रक्रिया के आधार पर हो रही थी, सचिव सेस के आदेश पर अविरल प्रक्रिया के आधार पर की गयी । जिसको उपभोक्ता ने स्वीकार नहीं किया । इस पर शासन के आदेशों की अपेक्षा की गयी । शासन के निर्णय के उपरान्त धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस 3/98 में जारी की गयी । इस नोटिस के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा पुनर्विलोकन हेतु दिनांक 13-4-98 को आवेदन किया गया जो अभी विचाराधीन है । इसी कारण रु० 11.30 लाख विवादित दर्शाया जा रहा है ।

अविरल/विरल टैरिफ का विवाद निस्तारित होने पर तद्नुसार तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ।

शेखूपुरा हाउसिंग बोर्ड कालोनी कुर्सी रोड अलीगंज लखनऊ के पार्क में जमा मलबे को हटाने की मांग

103—श्री दीप लाल भारती–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शेखूपुरा हाउसिंग बोर्ड कालोनी कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ के भवन संख्या एम० आई० जी० 40, 41 तथा 43 के सामने स्थित पार्क के कोने में काफी समय से जमा मलबे को हटाने सहित अन्य कार्यों को कराने सम्बन्धी वहां के कतिपय निवासियों का कोई पत्र दिनांक 26-9-98 को मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम कार्यालय, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां !

शेखूपुरा हाउसिंग बोर्ड कालोनी कुर्सी रोड, अलीगंज,लखनऊ के भवन संख्या–40, 41 तथा 43 के सामने पार्क से मलबा हटा दिया गया है तथा पार्क की सफाई करा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा विकास खण्ड जसपुरा ग्राम गड़रिया को अम्बेदकर ग्राम विकास योजना में चयन एवं कार्यान्वयन हेतु आबंटित धनराशि की जानकारी

104—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में ग्राम गड़रिया को अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किया गया है ? यदि हां, तो अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के 11 प्रमुख कार्यक्रमों में से कौन-कौन से कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं तथा उक्त कार्यों के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है ? क्या उक्त ग्राम को 31-3-1999 तक प्रमुख 11 योजनाओं से संतृप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम–

जी हां, वर्ष 1998-99 में ग्राम गड़रिया को अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किया गया है।

अम्बेडकर ग्राम गड़रिया में 11 प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति तथा धनराशि आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	कार्यक्रम	कार्य की स्थिति	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1	सम्पर्क मार्ग	प्रारम्भ है।	12-41
2	विद्युतीकरण	संतृप्त	--------
3	नाली/खड़ंजा	आवंटन अप्राप्त	आवंटन अप्राप्त
4	स्वच्छ शौचालय	प्रारम्भ	0-153
5	निःशुल्क बोरिंग	शून्य	0-36
6	आई० आर० डी० पी०	प्रारम्भ	0-80
7	इन्दिरा आवास	प्रारम्भ	4-00
8	स्वच्छ पेयजल	मानक के अनुसार संतृप्त	...
9	स्कूल भवन	संतृप्त	...
10	किसान पेंशन	प्रारम्भ	0-45
11	विधवा पेंशन	प्रारम्भ	0-2268

शासन से आबंटन प्राप्त होने पर एवं जिन कार्यक्रमों में धन उपलब्ध है, उन्हें 30-6-99 तक संतृप्त करने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा में रानीखेत में खराब ट्रान्सफार्मरों को बदलने की जानकारी

105—श्री अजय भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (रानीखेत) (अल्मोड़ा) के अन्तर्गत वर्तमान में कितने ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं और उन खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिये सरकार ने क्या कोई ठोस योजना तैयार की है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? अब तक कितने ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विधान सभा क्षेत्र (रानीखेत) (अल्मोड़ा) के अन्तर्गत कुल 106 नग ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त थे । मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 72 घंटे में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर बदलने की योजना है ।

माह जनवरी, 99 तक के कुल 106 नग क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदल दिये गये हैं ।

विभिन्न प्राधिकरणों की आवासीय कालोनियों में अवकाश प्राप्त पेंशनरों को कुछ प्रतिशत मकान किराया/क्रय के आधार पर आरक्षित करने की मांग

106—श्री अजय भट्ट–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि सेवा से अवकाश ग्रहण करने वाले पेंशनरों को नयी बनने वाली विभिन्न प्राधिकरणों की आवासीय कालोनियों में अथवा वर्तमान कालोनियों में कुछ प्रतिशत मकान किराया/क्रय के आधार पर आरक्षित किये जायेंगे ? यदि हां, तो उक्त पर कार्यवाही कब तक सम्पन्न कर दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में इस प्रकार की कोई योजना वर्तमान में शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में खन्धारी बाजार लोधपुरवा के शौचालय का जीर्णोद्धार कराने की मांग

107—श्री सन्तु तथा श्री दीप लाल भारती–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खन्धारी बाजार, लोधपुरवा लखनऊ जोन–1 में नगर निगम द्वारा संचालित जन शौचालय व नाली का निर्माण कितने वर्ष पूर्व कराया गया था ? क्या उक्त शौचालय की छत, दरवाजे, सोकपिट टैंक के ढक्कन तथा पानी की समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त शौचालय का जीर्णोद्धार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लगभग 10 वर्ष पूर्व ।

आंशिक व्यवस्था है ।

जी हां । कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद महोबा में चरखारी विधान सभा क्षेत्र के अम्बेडकर ग्रामों में सड़क/विद्युत व्यवस्था के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

108—डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चरखारी, महोबा में अम्बेडकर ग्रामों में सड़क तथा विद्युत की व्यवस्था अभी तक पूरी नहीं हो सकी है ? यदि हां,तो जिन गांवों में अधूरा काम है उसे कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम–

जी हां, विधान सभा क्षेत्र चरखारी में सभी अम्बेडकर ग्राम सड़क तथा विद्युत सुविधा से संतृप्त नहीं हो सके हैं। जनपद महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 तक 44 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है, जिसमें 26 अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। शेष 18 ग्रामों में से 10 ग्रामों के लिये 352.41 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है, जिसके सापेक्ष वर्ष 1998-99 तक 174.73 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कराई जा चुकी है और जिसके सापेक्ष कार्य प्रगति पर है। शेष 8 अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्ग हेतु 277 लाख रुपये की आवश्यकता है जो अभी स्वीकृत नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र चरखारी में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण कार्यक्रम से असंतृप्त अम्बेडकर ग्रामों को मार्च, 99 तक संतृप्त किया जाना प्रस्तावित है।

सम्पर्क मार्ग से न जुड़े अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है, तथा शेष अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण किये जाने हेतु मार्च, 1999 तक का लक्ष्य रखा गया है।

जनपद महोबा के क्षेत्र चरखारी में पेयजल समस्या के निदान की मांग

109—डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चरखारी जनपद महोबा में कुओं से खारा एवं प्रदूषित जल पीने से वहां के लोगों में अनेकों बीमारियां फैल रही हैं ? क्या सरकार द्वारा जल कर भी वसूल किया जा रहा है ? यदि हां,तो क्या सरकार इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या के निदान हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां,तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं। चरखारी नगर में 10 नग कुओं में पम्प लगाकर पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिनमें से एक कुयें का पानी खारा है। बीमारियों के रोकथाम के लिये पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है तथा जल का परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर से कराया जाता है।

जी हां। नियमानुसार जल मूल्य वसूल किया जा रहा है।

चरखारी नगर की पेयजल समस्या के त्वरित राहत निदान हेतु वर्ष 1998-99 में 13.98 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है जिससे दो नलकूपों पर कार्य कराया जा रहा है। नगर की पेयजल समस्या के सम्पूर्ण निदान हेतु अर्जुन सागर बांध से जल प्राप्त कर उसका शुद्धिकरण करके शुद्ध जलापूर्ति हेतु 182.00 लाख रु० की कार्य योजना विरचित की गयी है जिसका क्रियान्वयन धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गढ़वाल के विकास खण्डों की क्षतिग्रस्त नहरों के पुनर्निर्माण की मांग

110—श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष अतिवृष्टि एवं भू-स्खलन से जनपद गढ़वाल के कोटद्वार, भाबर,रिखणीखाल,जहरीखाल, दुगड्डा व नैनीडांडा विकास खण्डों की कितनी नहरें क्षतिग्रस्त हुई हैं ? क्या सरकार उनका पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

मुख्य अभियन्ता सिंचाई से प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष अतिवृष्टि एवं भू-स्खलन से जिला गढ़वाल के कोटद्वार भावर विकास खण्ड की 4, रिखणीखाल विकास खण्ड की 14, जहरीखाल विकास खण्ड की 8, दुगड्डा विकास खण्ड की 11 एवं नैनीडांडा विकास खण्ड क्षेत्र की 7 नहरें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

वर्ष 1998-99 में भारत सरकार से अतिवृष्टि/भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि में से गढ़वाल मण्डल में पूर्णतः/आंशिक रूप से बन्द नहरों के पुनर्निर्माण के लिये 300 लाख रु० की धनराशि मात्रीकृत की गयी है।

आवश्यक औपचारिकतायें पूरी होने पर प्राथमिकता प्राप्त नहरों का पुनर्निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ हजरतगंज के ग्राम जियामऊ में बेसिक प्राइमरी पाठशाला की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग

111—श्री हीरालाल गौतम–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम जियामऊ, पोस्ट–हजरतगंज, लखनऊ में स्थित नगर निगम बेसिक प्राइमरी पाठशाला के एक ओर की जमीन पर अवैध कब्जा व गन्दी नालियां निकाली गयी हैं ? यदि हां,तो क्या मंत्री जी गन्दी नालियों को बन्द कराने व अवैध कब्जा हटाने हेतु कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

अवैध कब्जा नहीं है, कुछ लोगों द्वारा अपने घरों का गन्दा पानी निकालने हेतु नालियां निकाली गयी हैं।

गन्दी नालियां बन्द करा दी गयी हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली की जुम्मा लघु जल विद्युत योजना में वित्तीय अनियमितता का प्रकरण

112—श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम द्वारा जिला चमोली के अन्तर्गत जुम्मा लघु जल विद्युत योजना विफल हो गयी है ? क्या इस लघु जल विद्युत योजना पर कार्य घटिया होने से वित्तीय अनियमिततायें करने वाले उत्तरदायी व्यक्तियों पर कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० जल विद्युत निगम की जिला चमोली के अन्तर्गत जुम्मा लघु जल विद्युत परियोजना विफल नहीं हुई है बल्कि परियोजना निर्माण के अंतिम चरण में है। इस परियोजना को माह दिसम्बर, 1998 में पूर्ण कर चालू करना था, परन्तु माह अक्टूबर, 98 में हुई भयंकर वर्षा एवं भू-स्खलन के कारण जोशीमठ-मलारी सड़क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण परियोजना पर आवागमन बिल्कुल बन्द हो गया है। यह मार्ग अभी तक नहीं खुला है।

इस परियोजना पर घटिया स्तर का कार्य होने और वित्तीय अनियमितता का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

चूंकि परियोजना पर कोई भी वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में नहीं आया है । अतः किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्र में बिजली के लकड़ी पोल बदल कर लोहे के पोल लगवाने की मांग

113—श्री अजय भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र में लकड़ी के जो पुराने बिजली के खम्भे लगे हैं वर्तमान में बिल्कुल सड़ गये हैं ? उनके स्थान पर लोहे के पोल लगाने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो कब तक लकड़ी के पोलों के स्थान पर लोहे के पोल लगा दिये जायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर लकड़ी के जो पोल लगे हैं उनमें से अधिकतर आयु सीमा समाप्त होने पर नीचे जड़ से सड़ गये हैं ।

जी हां, इस प्रकार की योजना पर्वतीय विकास मद के अन्तर्गत कार्यरत है ।

उक्त योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 2940 पोल बदलने का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 12/98 तक 1056 पोल बदले जा चुके हैं ।

प्रदेश में उर्दू/अरबी मदरसों में पेयजल उपलब्ध कराने की मांग

114—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा उ० प्र० में उर्दू व अरबी मदरसों में छात्र व छात्राओं को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प लगवाने विषयक पत्र विधायक प्रकोष्ठ का पत्र सं०–वि०को०एम–4/20–3/गोण्डा/97. दिनांक 10-1-97 द्वारा सचिव, नगर विकास उ० प्र० को आदेश प्रदान किया गया है ? क्या शासन को उक्त हैण्डपम्प लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो हैण्डपम्प स्थापना हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ है ? कब तक हैण्डपम्पों की स्थापना कर दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मदरसों में हैण्डपम्प शिक्षा विभाग द्वारा धन उपलब्ध कराने पर लगाये जा सकते हैं । शिक्षा विभाग से मदरसों में हैण्डपम्प लगाये जाने का कोई प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

115–श्री राजेन्द्र यादव

[दिनांक 23-2-99 को अता० प्रश्न संख्या–126 द्वारा उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ पट्टी के चयनित अम्बेडकर ग्राम में विद्युतीकरण की मांग

116—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के 4थे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं०–151 के उत्तर के क्रम में क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र के चयनित

अम्बेडकर ग्राम जिनकी आबादी 1000 से कम है, उनका विद्युतीकरण अभी तक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उन ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम–

प्रदेश की अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव के शासनादेश संख्या 5358/31–97/157/97 दिनांक 11 दिसम्बर, 97 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अम्बेडकर ग्रामों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों (सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण) के लिये 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को ही लिया जाय ।

उपरोक्तानुसार ।

नगर पालिका परिषद् प्रतापगढ़ को सूडा द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि से कराये कार्यों के भौतिक सत्यापन की मांग

117—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूडा द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद् प्रतापगढ़ एवं नगर पंचायत पट्टी को वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में मलिन बस्ती सुधार योजना, पेयजल योजना, जल निकासी योजना सहित सभी मदों में कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ? उससे क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार सभी कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद प्रतापगढ़ की नगरपालिका परिषद् प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना मार्च, 1998 से लागू हुई है तथा नगर पंचायत पट्टी में यह योजना लागू नहीं है । पेयजल योजना एवं जल निकासी योजना सूडा द्वारा अलग से संचालित नहीं है । वित्तीय वर्ष 1997–98 में राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ में रु० 12.07 लाख, वर्ष 1998–99 में रु० 19.97 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।

जी हां । कार्य के भौतिक सत्यापन हेतु जनपद स्तरीय संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारियों के वेतन से कुछ धनराशि काट लिये जाने विषयक अध्यक्ष स्थानीय निकाय जल कल बेला प्रतापगढ़ के पत्र पर जांच

118—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र ग–2 नं० 473965 तथा श्री सूर्य प्रताप सिंह, अध्यक्ष, स्थानीय निकाय जल कल बेला, प्रतापगढ़ का पत्र दिनांक 10-7-98 जो कर्मचारियों के वेतन से अंकन 600/- एवं 300/- प्रति व्यक्ति मई, 1997 में काट लिये जाने के संबंध में, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

जांच अधिकारी की आख्या प्रतीक्षित है ।

119—श्री उबैदुर्रहमान—

[4 थे शुक्रवार के लिये स्थगित ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का सरकारी/गैर सरकारी विभागों पर विद्युत की बकाया धनराशि एवं वाणिज्य उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक्स मीटर लगाये जाने की मानीटरिंग की जानकारी

120—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों पर बिजली की कितनी धनराशि अक्टूबर, 1998 तक बकाया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 100 के०वी०ए० एवं उसके ऊपर के वाणिज्य उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रानिक्स मीटर लगा दिये गये हैं ? इसकी मानिटरिंग किस प्रकार की जा रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

माह अक्टूबर, 1998 के अन्त तक सरकारी तथा गैर सरकारी मदों में बकाया राशि रुपया 4648.55 करोड़ है ।

100 के०वी०ए० एवं उसके ऊपर के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के संयोजन में इलेक्ट्रानिक्स मीटर लगाने का कार्य प्रगति पर है । ऐसे 107 उपभोक्ताओं के संयोजनों पर अब तक इलेक्ट्रानिक्स मीटर लगा दिये गये हैं ।

इसकी मानिटरिंग मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं के माध्यम से परिषद् स्तर पर की जा रही है ।

विद्युत प्रेषण खण्ड जौनपुर में स्वीकृत पद के अनुरूप नियुक्त कर्मचारियों की संख्या तथा उनके स्थानान्तरण की जानकारी

121—श्री हरदेव सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे. कि विद्युत प्रेषण खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत कौन-कौन से स्वीकृत पद हैं तथा उन स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त खण्ड के अन्तर्गत जो पद स्वीकृत नहीं हैं उन पदों पर भी कतिपय कर्मचारी तैनात/कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारी ऐसे पदों पर कार्यरत हैं ? उनका नाम, पदनाम तथा कार्य की प्रकृति क्या है ? वेतन/यात्रा भत्ता के रूप में अक्टूबर, 98 तक उन्हें कुल कितनी धनराशि का भुगतान हुआ है ? क्या मंत्री जी ऐसे कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर समायोजित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर के अन्तर्गत स्वीकृत पदों एवं उनके विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है ।

पदों का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी की संख्या
1	2	3
अधिशासी अभियन्ता	1	1
सहायक अभियन्ता	4	4
अवर अभियन्ता	12	12

1	2	3
जूनियर इलेक्ट्रिशियन	3	2
उपकेन्द्र परिचालक	16	20
लेखपाल	1	1
लाइनमैन	16	8
मुख्य लिपिक	1	1
संगणक	1	—
मानचित्रक	2	—
आशुलिपिक	1	1
आलेखक प्रालेखक	4	3
दैनिक श्रेणी लिपिक	4	4
अनुरेखक	1	1
चालक	1	2
दफादार	1	—
कार्यालय चौकीदार	1	—
स०म०नायक	2	2
ऐशमैन	1	1
वाटर मैन (छः माह के लिये) (सीजनल)	1	—
	72	63

जी हां।

कुल 39 कर्मचारी ऐसे पदों पर कार्यरत हैं जिनका नाम, पदनाम एवं कार्य की प्रकृति निम्न है :–

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पद नाम	कार्य की प्रकृति
1	2	3
	सर्वश्री	
1	रामाशंकर, कारपेन्टर	132 केवी० उपकेन्द्र, जौनपुर में परिचालकीय कार्य पर तैनात हैं।
2	मनीन्द्र तिवारी, वेल्डर	वेल्डिंग कार्य पर तैनात हैं।
3	बांके लाल वेल्डर	तदैव–
4	शारदा प्रसाद सिंह, सुरक्षा प्रहरी	उपकेन्द्र के भण्डार की सुरक्षा हेतु तैनात हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
5	जिलेदार सिंह, सुरक्षा प्रहरी	उपकेन्द्र की सुरक्षा हेतु तैनात है ।
6	बचई राम, सुरक्षा प्रहरी	–तदैव–
7	मेवालाल, सुरक्षा प्रहरी	–तदैव–
8	पन्ना लाल, सुरक्षा प्रहरी	–तदैव–
9	लाल बहादुर, सुरक्षा प्रहरी	–तदैव–
10	हरिहर सिंह, सुरक्षा प्रहरी	–तदैव–
11	उदयभान सिंह, सुरक्षा प्रहरी	–तदैव–
12	अच्छे लाल, सुरक्षा प्रहरी	–तदैव–
13	सत्यदेव राम, सुरक्षा प्रहरी	–तदैव–
14	चन्द्र शेखर,सुरक्षा प्रहरी	–तदैव–
15	कृष्ण पाण्डेय, कुशल श्रमिक	उपकेन्द्रों के अनुरक्षण हेतु तैनात हैं ।
16	शिव चन्द्र, कुशल श्रमिक	–तदैव–
17	छोटे लाल, कुशल श्रमिक	–तदैव–
18	कालिका पाण्डेय, कुशल श्रमिक	–तदैव–
19	गुलाब, कुशल श्रमिक	–तदैव–
20	रामधारी, कुशल श्रमिक	–तदैव–
21	लाल चन्द्र, कुशल श्रमिक	–तदैव–
22	सोमरू राम, कुशल श्रमिक	–तदैव–
23	राम मूरत, स्कील्ड कुली	–तदैव–
24	राम बली, स्कील्ड कुली	–तदैव–
25	जग मोहन, स्कील्ड कुली	–तदैव–
26	जनार्दन सिंह, स्कील्ड कुली	–तदैव–
27	बृजनाथ यादव, स्कील्ड कुली	–तदैव–
28	चंतुरी, पेट्रोल मैन	–तदैव–
29	राम दुलारे, पेट्रोल मैन	–तदैव–
30	जमुना यादव, स्टोर चौकीदार	स्टोर की चौकीदारी हेतु तैनात हैं ।
31	लालता राम, चौकीदार	–तदैव–
32	श्रीमती लालमती देवी, चपरासी	कार्यालय कार्य हेतु ।
33	राम गिरीश यादव, धावक	–तदैव–
34	तिलक धारी, धावक	–तदैव–
35	अनवारू, स्टोर कुली	स्टोर की चौकीदारी हेतु तैनात हैं ।

1	2	3
36	श्रीमती धर्मा देवी, बेलदार	परिषदीय कार्य हेतु तैनात हैं ।
37	राम अधार मौर्य, कुली	स्टोर की चौकीदारी हेतु तैनात हैं ।
38	श्रीमती प्यारी देवी, बेलदार	परिषदीय कार्य हेतु तैनात हैं ।
39	श्री कान्त श्रीवास्तव	उपकेन्द्र के अनुरक्षण हेतु तैनात हैं ।

इलेक्ट्रीशियन ग्रेड– द्वितीय ।

वेतन के रूप में लगभग 305.64 लाख एवं यात्रा भत्ता के रूप में लगभग 2.550 लाख का भुगतान हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि समस्त कर्मचारी उपकेन्द्रों के परिचालक एवं अनुरक्षण हेतु तैनात किये गये हैं । अतः परिषदीय हित में इनका स्थानान्तरण उचित नहीं है इनके स्थानान्तरण से विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो सकती है ।

विद्युत् प्रेषण उपखण्ड शाहगंज जौनपुर के स्टोर चौकीदार श्री सुक्खी यादव की मृत्यु के पश्चात् उनके समस्त देयकों का भुगतान कराने की मांग

122—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत प्रेषण खण्ड आजमगढ़ के अन्तर्गत विद्युत प्रेषण उप खण्ड शाहगंज (जौनपुर) में कार्यरत श्री सुक्खी यादव, स्टोर चौकीदार की वर्ष 1973 में मृत्यु हो जाने के पश्चात् अभी तक पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी आदि अवशेष देयों का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ जौनपुर का पत्रांक 1026/दिनांक 13-10-97 अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खण्ड, आजमगढ़ को एवं मा० मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? उक्त मृतक कर्मचारी के देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र की प्राप्ति के पश्चात् स्व० श्री सुक्खी यादव, स्टोर चौकीदार का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेख परिषद् को प्रस्तुत करने हेतु उनके पुत्र श्री यमुना यादव से निरन्तर अनुरोध किया गया है, परन्तु उनके द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत होने पर परिषदीय नियमानुसार भुगतान किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुराना किला कैन्ट रोड लखनऊ, मस्जिद के पीछे रोड निर्माण में सीवर लाइन के टूटे ढक्कनों को बदलवाने की मांग

123—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि माह नवम्बर, 1998 में लखनऊ जनपद के पुराना किला कैन्ट रोड पर स्थित मस्जिद के पीछे वाली गली में सड़क निर्माण करते समय, उक्त गली में स्थित सीवर लाइन के लगभग सभी पत्थर वाले ढक्कन, उक्त निर्माण कार्य में लगे बुलडोजर द्वारा तोड़

दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सीवर लाइन के टूटे हुए सभी पत्थर वाले ढक्कनों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । अपितु रोड रोलर से गली की एक क्रासिंग के कुछ पत्थर टूटे थे ।

टूटे हुये पत्थर बदलवा दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में पट्टी टाउन एरिया में 20 हैण्ड पम्प अधिष्ठापन हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

124—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र सं० 451923 दिनांक 21-3-98 ग–2 451909, 19-9-98 जो पट्टी टाउन एरिया में 20 हैण्डपम्प एवं खराब पेयजल आपूर्ति के संबंध में हैं, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

पट्टी टाउन एरिया में 20 हैण्डपम्प अधिष्ठापन के संबंध में प्रश्न में वर्णित पत्र दिनांक 19-9-98 प्राप्त हुआ । पत्र दिनांक 21–3–98 प्राप्त नहीं हुआ अपितु पत्र दिनांक 21-9-98 प्राप्त हुआ ।

उपरोक्त पत्रों के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ तथा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में नगर पंचायत सफीपुर, ऊगू में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

125—श्री बाबू लाल कुरील–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के वि० सभा क्षेत्र सफीपुर (उन्नाव) व नगर पंचायत ऊगू में क्रमशः 4 तथा 2 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प लगवाने के आदेश प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या घ–2 नं० 514205, पर दिनांक 12-8-98 के तहत सचिव,नगर विकास को दिये थे ? यदि हां, तो क्या अभी तक उक्त दोनों नगर पंचायतों में एक भी इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प नहीं लगवाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त हैण्ड पम्प कब तक लगा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । नगर पंचायत, सफीपुर एवं ऊगू में 6 इण्डिया मार्क–∏ हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को निर्देशित किया गया था ।

वित्तीय वर्ष 1998–99 में नगर पंचायत, सफीपुर में 6 तथा ऊगू में 3 इण्डिया मार्क-∏ हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं । उक्त हैण्डपम्पों को सम्मिलित करते हुये अब तक नगर पंचायत, सफीपुर में 41 तथा नगर पंचायत, ऊगू में 21 इण्डिया मार्क–∏ हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं । उक्त के अतिरिक्त इन नगर पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति भी की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

126—श्री अजय भट्ट—

[3सरे मंगलवार में अता०प्र०सं०—188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के इन्दिरानगर कालोनी के पार्क में अवैध निर्माण पर प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

127—श्री दीपलाल भारती—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी सेक्टर—4 ब्लाक—ए के निवासियों द्वारा पार्क में अवैध निर्माण करने के संबंध में वहीं के लोगों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 4 अगस्त, 1997 एवं 20 सितम्बर, 1997 जो मा० सभापति, सार्वजनिक उपक्रम निगम संयुक्त समिति, उ० प्र० विधान सभा द्वारा अग्रसारित किया गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

जी हां ।

मा० सभापति सार्वजनिक उपक्रम निगम संयुक्त समिति उ०प्र० विधान सभा के पत्र दिनांक 20-9-1997 के साथ इन्दिरानगर कालोनी सेक्टर—4 ब्लाक ए के निवासियों का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें ए ब्लाक भवन सं० 1103 से लेकर 1103/7 एवं 1095 से 1095/11 आदि के लिये जो पार्क परिषद् द्वारा बनाया गया था उस पार्क में श्री बलाती भिस्ती द्वारा कब्जा करके अवैध भवन निर्माण करने का उल्लेख किया गया था जिसे हटाने के लिये आवंटीगणों द्वारा आवास विकास परिषद् से अनुरोध किया गया था ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित इन्दिरानगर कालोनी ए ब्लाक सेक्टर 4 के भवन संख्या 1103 से 1103/17 के सामने पार्क नहीं है, बल्कि भवन संख्या—1103/5 से लेकर 1103/8 के सामने लगभग 550 वर्ग मीटर का एक छोटा पार्क स्थित है । इस पार्क में एक पुराना मन्दिर बना हुआ है इसके अतिरिक्त इसमें अन्य कोई निर्माण नहीं है । इन भवनों की लाइन में भवन संख्या 1103/9 से 1103/16 के सामने तक तिकोने रूप में लगभग 660 वर्ग मी० रिक्त भूमि है, जो परिषद् की है । इस रिक्त भूमि के उत्तरी कोने में लगभग 7.50 वर्ग मी० भूमि पर श्री बलाती भिस्ती द्वारा कई वर्ष पूर्व अनाधिकृत झोपड़ी का निर्माण किया गया था जिसकी एक दीवार परिषद् एवं श्री फखरूल हसन के बीच चल रहे विवाद से संबंधित भूमि की सीमा पर है । इस रिक्त भूमि का सुनिश्चित उपयोग श्री फखरुल हसन से संबंधित विवाद के निर्णीत हो जाने पर ही किया जा सकेगा । जहां तक श्री बलाती भिस्ती द्वारा निर्मित अनाधिकृत झोपड़ी हटाने का प्रश्न है, तो श्री बलाती भिस्ती को तकरोही में आश्रयहीन योजना के अन्तर्गत भवन आवंटित करने हेतु परिषद् द्वारा आफर दिया गया था, किन्तु श्री बलाती भिस्ती द्वारा उक्त योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु वांछित धनराशि जमा करने एवं वहां पर भवन लेने हेतु अभी तक सहमति नहीं दी गई है । श्री बलाती भिस्ती द्वारा परिषद् का आफर स्वीकार नहीं करने के कारण अब परिषद् को अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त पत्र की स्थिति की जानकारी

128—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री व्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 5-11-98 एवं उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 23-10-98 जो कि मुख्य मंत्री उ० प्र० एवं अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था और जो कर्मचारियों के समस्याओं के निराकरण सम्बन्धी था, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् में उ०प्र० विद्युत् मजदूर संघ का पत्र दि० 23-10-98 जो कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण संबंधी था, प्राप्त हुआ है । श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, मा० एम०एल०सी० का पत्र दि० 5-11-98 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

उ०प्र० विद्युत मजदूर संघ के पत्र दि० 23-10-98 में उल्लिखित 18 सूत्रीय मांगों पर दि० 19-11-98 को परिषद् एवं उक्त संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई थी । वार्ता के दौरान उन्हें मांग पत्र के प्रत्येक बिन्दु की स्थिति से अवगत करा दिया गया था ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन अवमुक्त न करने एवं सेक्शन 3 की नोटिस भेजने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

129—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन अवमुक्त न करने एवं सेक्शन 3 की नोटिस भेजने विषयक श्री ओ० एन० मिश्र, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के पत्र दिनांक 7-11-98 जो कि पूर्व विधायक श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल को सम्बोधित था, के संबंध में जांच अधिकारी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेगे कि श्री डी० पी० यादव द्वारा कितना भुगतान कराया गया तथा सेक्शन 3 की नोटिस कितने की थी ? इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(क) भुगतान राशि रु० 3721.00 केवल ।

(ख) अन्तिम बिल के अनुसार धनराशि रु० 9623.62 का सेक्शन 3 की नोटिस जारी की गई थी ।

जांच अधिकारी की आख्या के परीक्षणोपरान्त किसी अधिकारी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के क्षेत्र रानीखेत के शेष गांवों में विद्युतीकरण कराने की मांग

130—श्री अजय भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र रानीखेत (अल्मोड़ा) के अन्तर्गत कितने गांव हैं ? उनमें से कितने गांवों में अभी तक विद्युतीकरण किया जा चुका है ? शेष गांव में विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

निर्वाचन क्षेत्र रानीखेत (अल्मोड़ा) के अन्तर्गत कुल 1304 गांव हैं ।

उपरोक्त में से 31-1-99 तक 1052 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

अवशेष 252 गांवों में से वर्ष 1998–99 में केवल 5 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर ही सम्भव है । अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

131—श्री अजय भट्ट–

[3सरे सोमवार में अता०प्र०सं०–64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

132–श्री लालजी वर्मा–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद बलिया, जल निगम इकाई के हैण्डपम्प मैकेनिक (दैनिक वेतन) की वरिष्ठता सूची की जानकारी एवं कनिष्ठ कर्मियों को नियमित कर उसका लाभ वरिष्ठ कर्मचारियों को देने की मांग

133—श्री अम्बिका चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जल निगम इकाई–2 बलिया में दैनिक वेतन पर कार्यरत हैण्ड पम्प मैकेनिक के पदों पर तैनाती का वरिष्ठता क्रम की सूची क्या है ? क्या सरकार कनिष्ठ कर्मियों को नियमित करके पद परिवर्तन से वेतन बढ़ाने की कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए लाभ से वंचित वरिष्ठ कर्मचारी गण को भी लाभान्वित करने का आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जल निगम इकाई–2 नाम का जल निगम का कोई कार्यालय बलिया में नहीं है । सम्भवतः प्रश्न में आशय द्वितीय प्रकल्प शाखा, जल निगम, बलिया से है । उक्त शाखा में हैण्ड पम्प मैकेनिक के पदों पर तैनात दैनिक वेतन कर्मचारियों की वरिष्ठता क्रम की सूची संलग्न है । †

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त इकाई में हैण्डपम्प मैकेनिक के पदों के विरुद्ध कार्यरत किसी भी कनिष्ठ दैनिक वेतन कर्मी को, उससे वरिष्ठ के पूर्व लाभान्वित नहीं किया गया है ।

†[देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 234 पर]

जिलाधिकारी शाहजहांपुर को पीरगाह तालाब के पानी की निकासी हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

134–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 6-10-98 जो पीरगाह तालाब के पानी की निकासी के सम्बन्ध में जिलाधिकारी शाहजहांपुर तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् तिलहर को दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? क्या जिलाधिकारी ने दि० 12-10-98 को परगना अधिकारी तिलहर को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जलभराव की समस्या का तात्कालिक निराकरण करा दिया गया है । इस समस्या के स्थायी निदान हेतु तालाब के सौन्दर्यीकरण की योजना का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को दिनांक 16-12-97 को भेजा जा चुका है, जिस पर सर्वेक्षण की कार्यवाही हो चुकी है । कृत कार्यवाही से माननीय विधायक जी को अधिशासी अधिकारी के पत्र दिनांक 15-1-99 द्वारा अवगत करा दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में नगरपालिका तिलहर के अधिशासी अधिकारी को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

135–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 36284 दिनांक 17-10-98 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् तिलहर के कार्यालय से दिनांक 24-10-98 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उक्त पत्र पर अपने स्तर से कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

माननीय विधायक (प्रश्नकर्ता) के पत्र दिनांक 17-10-98 द्वारा मांगी गई सूचना डाक द्वारा भेज दी गई है ।

जी नहीं ।

संदर्भित पत्र दिनांक 17-10-98 द्वारा नगर पालिका परिषद् तिलहर में अप्रैल, 1997 से सितम्बर, 1998 तक हुये निर्माणकार्य का विवरण मांगे जाने पर मा० विधायक (प्रश्नकर्ता) को उपलब्ध करा दिया गया है ।

जिला टिहरी गढ़वाल में अद्धवाणी बैरनी मोटर मार्ग का निर्माण कराने की मांग

136–श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में अद्धवाणी–बेरनी मोटर मार्ग की स्वीकृति दि० 1-3-97 को जारी की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मोटर मार्ग का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया है ? क्या निर्माण कार्य में आ रही बाधाऐं दूर कर ली गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करके कब तक उसे यातायात हेतु सुलभ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

अभी प्रारम्भ नहीं किया गया ।

वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ।

वन भूमि की स्वीकृति मिलने के पश्चात् सड़क निर्माण कर यातायात हेतु सुलभ कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा मुजैहना में चयनित ग्रामों को ऊर्जीकृत करने की जानकारी

137–श्री रामपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 160–मुजैहना जनपद गोण्डा में वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में कौन-कौन से ग्राम ऊर्जीकृत करने हेतु चयनित किए गये थे ? क्या

उपरोक्त चयनित ग्रामों को ऊर्जीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

विधान सभा क्षेत्र 160 मुजेहेना उतरौला जनपद गोण्डा के वर्ष 1997–98 में 4 (चार) ग्राम अहिरौली, 2–छतवा, 3–पुरेसनमुख एवं 4–फरेन्दा शुकुल तथा 1998–99 में 5 (पांच) ग्राम–1–बनजरिया, 2–सरहरा (इटिया-थोक), 3–उटनहवा पूरे हतई, 4–जियापुर एवं 5–सोहासकर मोहनी उर्जीकरण हेतु चयनित किये गये थे ।

उपरोक्त चयनित ग्रामों में से ग्राम छतवा को ऊर्जीकृत कर दिया गया है । अन्य चयनित ग्रामों को 31-3-99 तक ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य है ।

राज्य विद्युत परिषद् अनपरा तापगृह में पानी टंकी निर्माण में घोटाला हेतु प्राप्त शिकायती-पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी

138–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापगृह में पानी की टंकी के निर्माण में भारी घौटाला सम्बन्धी श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 19-5-94 एवं भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद का पत्र दिनांक 19-11-98 जो कि क्रमशः मुख्य मंत्री, उ० प्र० सरकार एवं अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित पत्र दिनांक 19-5-94 पर मुख्य अभियन्ता(जनपद) अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा द्वारा जांच कराई गई । संदर्भित द्वितीय पत्र दिनांक 19-11-98 में संदर्भित पत्र दिनांक 19-5-94 पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल में स्कूल सड़क चिकित्सालय बनवाने के विषय में जानकारी

139–श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 में 50–50 कि०मी० नई सड़कें, 5–5 चिकित्सालय, 5–5 हाईस्कूल व 3–3 इण्टर कालेज नये खोलने, 10–10 विद्यालयों में दो-दो अतिरिक्त कक्ष निर्माण आदि की घोषणा की गयी थी ? क्या यह सही है उसके अनुरूप सभी उत्तरांचल क्षेत्र के विधायकों से सूची मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त कार्यों हेतु स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

मा० विधायकों से सूची मांगी गयी थी ।

40-40 कि०मी० नई सड़कों का निर्माण तथा 10-10 कि०मी० प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार डामरीकरण के कार्यों में से डामरीकरण हेतु शासनादेश दिनांक 5-2-99 द्वारा रु० 411.48 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का मामला शासन के विचाराधीन है। कई स्कूल एवं इण्टर तक उच्चीकरण का मानकों के आधार पर परीक्षण कराया जा रहा है। रा०इ०स्कूल/रा०इं० कालेजों (बालक/बालिका) में दो-दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु रु० 250.00 लाख की धनराशि दिनांक 7-12-98 को अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरांचल जनपद पौड़ी गढ़वाल के इण्टर कालेजों में विभिन्न विषयों को खोले जाने की मांग

140–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज बुंगलगड्डी व राजकीय इण्टर कालेज अधारियाखाल कब खोले गये थे ? क्या इन कालेजों में विज्ञान व वाणिज्य विषय खोलने के लिए वहां की जनता द्वारा अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो कब तक इन विद्यालयों में विज्ञान व वाणिज्य विषय खुल जायेंगे ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

राजकीय इण्टर कालेज, बुगलगढ़ी दिनांक 12-10-79 को एवं राजकीय इण्टर कालेज अधारियाखाल दिनांक 31-3-90 को उच्चीकृत हुये थे।

प्राप्त सूचनानुसार केवल विज्ञान विषय की मांग प्राप्त है।

विज्ञान विषय खोलने का प्रकरण विचाराधीन है।

जनपद जौनपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट कनेक्शन की प्रक्रिया एवं विकास खण्डों में कनेक्शनों की संख्या

141–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट कनेक्शन की क्या प्रक्रिया है ? जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज, जलालपुर, सरकोनी, धर्मापुर में कुल कितने कनेक्शन हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ०प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत लाइट कनेक्शनों को देने की समस्त प्रक्रिया उप खण्ड स्तरीय अधिकारी द्वारा की जाती है। उप खण्ड अधिकारी भावी उपभोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्राप्त करने पर उसे अवर अभियन्ता के माध्यम से स्थल निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक का अधिष्ठान परिषद् की एल०टी०मेन्स वाले खम्भे से 40 मीटर दूरी के अन्दर है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों, जहां की आबादी 15 हजार तक है एवं वर्तमान में मीटर नहीं लगाया जा रहा है, ग्रामीणों को उनके द्वारा सभी सामान उपलब्ध कराये जाने पर एक किलोवाट तक घरेलू बत्ती पंखा संयोजन आई रेग वोल्ट पर केबिल तथा कटेनरी वायर द्वारा दिये जाने हेतु एक सरलीकृत प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीणों को कनेक्शन देने के लिये अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने हेतु संयोजन अवमुक्त करने के लिये निम्न दरें निर्धारित की गई हैं :–

1-प्रकरण शुल्क	रु० 20.00
2-सर्विस कनेक्शन चार्जेज	130.00

3–सिस्टम लोडिंग चार्जेज	150.00
4–जमानत की धनराशि	300.00
	रु० 600.00

आवेदक द्वारा उपर्युक्त धनराशि जमा करने के पश्चात् वाटर मार्क पेपर पर दो गवाहों सहित अनुबन्ध (एक पक्षीय घोषणा) कर दिये जाने पर कनेक्शन अवमुक्त करने की औपचारिकतायें पूर्ण की जाती हैं।

यदि अधिष्ठान की दूरी खम्भे से 40 मीटर से अधिक है तो लाइट कनेक्शन देने हेतु वास्तविक खर्च उपभोक्ता द्वारा जमा करना होगा।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड क्षेत्र मुक्तीगंज जलालपुर, सरकोनी, धर्मापुर में कुल 6597 लाइट कनेक्शन हैं।

जिसका विवरण निम्नवत् है :–

विकास खण्ड क्षेत्र	कनेक्शन संख्या
जलालपुर	1925
सिरकोनी	1253
धर्मापुर	1317
मुफ्तीगंज	2102
कुल कनेक्शन संख्या	6597

लाइट कनेक्शन के अतिरिक्त इन विकास खण्डों में निजी नलकूप के कुल 2,539 कनेक्शन एवं औद्योगिक प्रविधा के 121 कनेक्शन हैं।

142–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगर पालिका परिषद् , जनपद प्रतापगढ़ द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश का पालन हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

143–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् प्रतापगढ़ ने मा० उच्च न्यायालय की याचिका सं० 7763/55/1993 दिनांक 22-9-93 के क्रम में नगर विकास–3 के आदेश 2494/9-3-1997–17/डब्लू/97 दिनांक 3-10-97 का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि हां, तो अनुपालन आख्या एवं तिथि क्या है ? यदि नहीं, तो प्रकरण पर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के आदेश सं० 909 दिनांक 6-10-98 तथा माननीय मंत्री जी के प्रश्नकर्ता के पत्र सं०–ग–2460062 दिनांक 19-9-98 पर दिनांक 21-9-98 को सचिव नगर विकास को दिये गये आदेश के अनुपालन न किए जाने

का क्या कारण हैं ? माननीय न्यायालय के आदेशों के पालन न करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 7763/55/1993 में पारित अन्तरिम आदेश, दिनांक 22-9-1993 के अनुपालन में कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है । उक्त याचिका मा० उच्च न्यायालय में अभी लम्बित है । अग्रेतर कार्यवाही मा० न्यायालय के अन्तिम निर्णय आने पर की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष/सभासद द्वारा यात्रा भत्ता व अन्य मदों में व्यय की सूची उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

144–श्री दीपलाल भारती–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी कुशीनगर को दिनांक 05-10-98 को नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) में नवम्बर, 1995 से सितम्बर 1998 तक अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/सभासद द्वारा यात्रा–भत्ता व अन्य मदों में किये गये व्यय की सूची उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

पत्र में यथावांछित सूचना मा० विधायक को जिलाधिकारी के पत्रांक 6594/एल०बी०सी०/99 दिनांक 8-2-99 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत उपकेन्द्र रामपुर कोटवा के अवर अभियन्ता के निरन्तर अनुपस्थित रहने विषयक जिलाधिकारी कुशीनगर को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

145–श्री दीपलाल भारती–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो जिलाधिकारी–कुशीनगर को दिनांक 05-10-98 को भेजा गया था तथा जो विद्युत उपकेन्द्र–रामपुर कोटवां (नेबुआ–नौरंगिया) के अवर अभियन्ता के लगातार अनुपस्थित रहने से विकास कार्य बाधित होने से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । प्रश्न में संदर्भित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-10-98 जिलाधिकारी कुशीनगर के माध्यम से उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् में दिनांक 8-2-99 को प्राप्त हुआ है ।

जांच की कार्यवाही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ विद्युत सब स्टेशन अहिबरनपुर भरत नगर मोहल्ले में क्षमतानुसार नये ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की मांग

146–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विद्युत सब-स्टेशन अहिबरनपुर के अन्तर्गत भरत नगर मोहल्ले में विद्युत सप्लाई हेतु सब-ट्रांसफार्मर की क्षमता स्वीकृत कनेक्शन भार से काफी कम है ? क्या इसके कारण विद्युत सप्लाई बाधित होती रहती है ? यदि हां, तो क्या उक्त ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त नया ट्रांसफार्मर रखवाकर विद्युत सप्लाई को व्यवस्थित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान ट्रांसफार्मर की अधिष्ठापित क्षमता 160 के०वी०ए० है जो कि संयोजित भार के लिये पर्याप्त है ।

लखनऊ सीतापुर रोड भरत नगर में भाष्कर मेमोरियल स्कूल के निकट के टूटे पोलों को बदलवाने की मांग

147–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अहिबरनपुर विद्युत सब-स्टेशन के अन्तर्गत भरत नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ में भाष्कर मेमोरियल स्कूल के निकट के पोल से आगे टूटे हुए पोलों द्वारा हाईटेंशन पोल में तार में लगातार विद्युत सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टूटे हुए पोलों के स्थान पर नये पोल लगवाकर तारों को व्यवस्थित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

चार टूटे हुये पोलों के स्थान पर नये पोल लगवाकर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

उपरोक्त कार्य अप्रैल, 99 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया द्वाबा के ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

148—श्री भरत सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के द्वाबा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भिखा छपरा मानगढ़ एवं शिवपुर, कपूंर, दीयर, बाबू के डेरा में विद्युतीकरण की प्रक्रिया एक वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गयी थी ? क्या उक्त विद्युतीकरण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्राम भीखा छपरा एवं मानगढ़ के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था ।

ग्राम भीखा छपरा के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मानगढ़ में विद्युतीकरण का कार्य बाढ़ से प्रभावित होने के कारण अभी प्रगति पर है ।

ग्राम शिवपुर, कपूर, दीयर तथा बाबू का डेरा, जो राजस्व ग्राम नहीं हैं, विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्राम नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में विद्युत विभाग तिलहर के आफिस के बन्द रहने संबंधी प्राप्त शिकायती-पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

149—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 5-10-98 जो विद्युत विभाग तिलहर का आफिस करीब एक वर्ष बन्द रहने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उपरोक्त पत्र की जांच कराकर तिलहर विद्युत अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित पत्र पर जांच मुख्य अभियन्ता बरेली क्षेत्र, बरेली के माध्यम से कराई जा रही है ।

जांचोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर उतरौला में सुलभ शौचालयों के निर्माण की जानकारी

150—श्री उवैदुर्रहमान–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–85 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? इसे कब तक सुनिश्चित कर निर्माण कार्य करवा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

151–श्री हरदेव सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित ।

अनपरा आवास निर्माण में करोड़ों रुपये के घोटाले विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर जांच

152—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत फैक्स पत्र सं० 2928–सीज–05द/राविप–98–3(4)–05द/96, दिनांक 9-9-98 जो महाप्रबन्धक, अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र को सम्बोधित है और जो अनपरा आवास निर्माण में करोड़ों रुपये के घोटाले के

संबंध में है, प्राप्त हुआ ? क्या यह सत्य है कि जिस अधिकारी के विरुद्ध आरोप थे उसी से जांच कराई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महाप्रबन्धक अनपरा परियोजना द्वारा गठित समिति द्वारा पुनः जांच के बाद सभी आरोप निराधार पाये गये ।

जनपद आजमगढ़ ग्राम सभा अमिलो को उत्तर प्रदेश जल निगम के अभिलेखों में शून्य दर्शाकर सुविधाओं से वंचित करने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

153—श्री राम प्यारे सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ क्षेत्र पंचायत सठियांव के अन्तर्गत 17 हजार जनसंख्या वाले ग्राम सभा अमिलो (अम्बेडकरनगर) को उ० प्र० जल निगम के अभिलेखों में शून्य जनसंख्या प्रदर्शित कर सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके उक्त क्षेत्र पंचायत में पीने के पानी की व्यवस्था कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

इस ग्राम में जल निगम द्वारा 4 हैण्ड पम्प तथा अन्य संस्थाओं द्वारा 6 हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं । फील्ड से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार अमिलो, ग्रामों की सूची में नहीं है वरन् नगर क्षेत्र दर्शित है । वर्ष 1991 की जनगणना में अमिलो न्याय पंचायत दर्शाया गया है परन्तु इसके अन्तर्गत दर्शाये गये ग्रामों में अमिलो नाम का ग्राम नहीं है । सम्भवतः इसी कारण यह राजीव गांधी पेयजल मिशन सर्वेक्षण में प्रदर्शित नहीं है । अमिलो को वित्तीय वर्ष 1998–99 में अम्बेदकर ग्रामों की घोषित सूची में सम्मिलित किया गया है ।

उपर्युक्त स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता, किन्तु क्षेत्र पंचायत सठियांव में विकास खण्ड सठियांव के सभी ग्राम आते हैं । 1-4-1998 की स्थिति के अनुसार इस विकास खण्ड की सभी 346 बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है तथा 305 बस्तियां पूर्ण आच्छादित भी हैं । आंशिक आच्छादित 41 बस्तियों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है । अम्बेदकर ग्रामों का कार्य जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से नहीं कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के श्री राम हरख मौर्य सभासद नगर पालिका परिषद् के पुत्र की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही की मांग

154—श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि श्री राम हरख मौर्य, सभासद नगर पालिका परिषद् प्रतापगढ़ के पुत्र की नियुक्ति नगर पालिका परिषद्, बेलहा, प्रतापगढ़ में हुई है ? यदि हां, तो

क्या उक्त नियुक्ति वैधानिक ढंग से हुई है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उ०प्र० आवास विकास परिषद् द्वारा विकसित आवास विकास योजना "इन्दु बिहार" को नगर पालिका परिषद् बेला प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 27-8-97 को हस्तगत किया गया । हस्तान्तरण के समय उक्त आवासीय कालोनी के पेयजल/ सफाई आदि कार्यों के लिये कार्य कर रहे 22 दैनिक वेतन कर्मचारियों को भी नगर पालिका के नियंत्रण में ले लिया गया इनमें प्रश्न में इंगित सभासद का पुत्र भी सम्मिलित है । यह नियमित नियुक्ति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के 33 के०वी० पावर स्टेशन बाबागंज के निर्माण में विलम्ब की जानकारी

155—श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु बाबागंज 33 के०वी० पावर स्टेशन जिला योजना से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त पावर स्टेशन के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद प्रतापगढ़ के बाबागंज में नये 33 के०वी० उपकेन्द्र 5 एम०वी०ए० का निर्माण इस वर्ष 1998-99 की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

जिला योजना में यह कार्य पोषित नहीं है ।

उपकेन्द्र का निर्माण राज्य विद्युत परिषद् के आन्तरिक संसाधन द्वारा किया जाना है । उपकेन्द्र का निर्माण संसाधन की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा ।

राज्य विद्युत परिषदीय सचिवालय के दैनिक श्रेणी लिपिकों की भांति परिषद् के अन्य कार्यालयों के लिपिकों को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने की मांग

156—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय में कार्यरत दैनिक श्रेणी लिपिकों को वर्ष 1991 में अवर वर्ग सहायक मान कर तीनों समयबद्ध वेतनमान दिये गये हैं ? यदि हां, तो इससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि परिषद् के अन्य कार्यालयों में कार्यरत दैनिक श्रेणी लिपिकों को भी उपरोक्त वेतनमान दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

दैनिक श्रेणी लिपिकों को उनके प्रोन्नति के वेतनमान ही समयबद्ध वेतनमान के रूप में अनुमन्य किये जाते हैं ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् की विभिन्न तापीय परियोजनाओं में कोयले के गायब वैगन हेतु प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

157—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न तापीय परियोजनाओं से अप्रैल, 1995 से सितम्बर, 1998 तक कुल कितने वैगन कोयले के गायब हुए ? उनकी अलग-अलग संख्या परियोजनावार क्या है तथा उसकी कीमत कितनी है? क्या इस संबंध में माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 25-9-97 जो कि माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि रेलवे दावा कितने रुपये का प्रस्तुत किया गया है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत के अन्तर्गत विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न ताप गृहों के अप्रैल, 95 से सितम्बर, 98 तक कुल 71704 कोयले के वैगन गायब (अप्राप्त) हुये और इसी अवधि में 63963 असम्बद्ध अतिरिक्त वैगन प्राप्त हुये । गायब (अप्राप्त) एवं अतिरिक्त असम्बद्ध प्राप्त वैगनों का परियोजनावार विवरण निम्न है :–

परियोजना	गायब (अप्राप्त वैगन)	असम्बद्ध प्राप्त अतिरिक्त वैगन
1–ओबरा	10,535	5,406
2–टाण्डा	15,356	15,834
3–पारीक्षा	8,893	7,185
4–पनकी	13,129	15,543
5–आनपारा	5,676	9,055
6–हरदुआगंज	18,115	10,940
योग	71,704	63,963

परियोजनावार गायब (अप्राप्त) वैगनों की कीमत एवं असम्बद्ध अतिरिक्त प्राप्त वैगनों की आंकलित कीमत निम्न है :–

परियोजना	गायब (अप्राप्त वैगनों) की कीमत	असम्बद्ध प्राप्त वैगनों की कीमत
1–ओबरा	50.77	26.05
2–टाण्डा	57.48	59.27
3–पारीक्षा	38.07	30.76

4–पनकी	52.72	62.41
5–आनपारा	22.98	36.65
6–हरदुआगंज	71.09	42.93
योग	293.11	258.07

जी हां ।

(क) कोल बैगनों के गायब (अप्राप्त) प्रकरण पर शासन सतर्कता जांच करा रहा है ।

(2) श्री रुद्र प्रकाश त्यागी एवं श्री आर०पी० पचौरी की कथित फर्जी नियुक्तियों के प्रकरण की परिषदीय सतर्कता इकाई से जांच कराई जा रही है ।

अप्राप्त रेलवे बैगनों की कीमत यद्धपि रु० 293.11 करोड़ आंकी गई है लेकिन इसी अवधि में रु० 258.07 करोड़ के डाइवर्टेड बैगन प्राप्त होने के कारण रु० 35.04 करोड़ का दावा रेलवे को प्रस्तुत किया गया है ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् मेरठ एवं आगरा में रोलिंग मिल/आर्क इण्डक्शन फर्नेश के नाम स्वीकृत लोड एवं इनमें मानीटरिंग करने वाले अधिकारियों की जानकारी

158—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेरठ एवं आगरा क्षेत्र में कितने रोलिंग मिल/आर्क इन्डक्शन फर्नेश हैं ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके नाम स्वीकृत लोड जून, 1997 में कितना है तथा कितने का बिल भेजा गया तथा उनके ऊपर कितना बकाया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि एच० वी०–2 के बिलों की मानिटरिंग किन-किन अधिकारियों द्वारा की जा रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मेरठ एवं आगरा क्षेत्र में क्रमशः 62 एवं 10 रोलिगं मिल/आर्क इन्डक्शन फर्नेश के उपभोक्ता है ।

वांछित सूचना संलग्नक 1 (1) से 1(4)† तथा संलग्नक 2 पर है । †

एच०वी०–2 बिलों की मानीटरिंग खण्ड स्तर पर सहायक अभियन्ता (राजस्व) व संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं मण्डलीय स्तर पर संबंधित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जा रही है ।

159—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

---

† छापी नहीं गई ।

जनपद मथुरा में गोवर्धन, जतीपुरा, राधाकुण्ड को यात्री कर से मुक्त करने हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र

160–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन जतीपुरा, राधाकुण्ड को यात्रीकर से मुक्त कराये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/10959/मथुरा/98. दिनांक 19-5-98 क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र

161—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) मथुरा के विरुद्ध शिकायत विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को/एम–3/11949/मथुरा/98. दिनांक 16-6-98 अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 16-6-98 प्राप्त होने पर मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, आगरा से जांच करायी गयी । शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । अतः कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

162—श्री हरदेव सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के नाम का लेसा लखनऊ में परिवर्तन की जानकारी

163—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ को लेसा लखनऊ गठन करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उससे विभाग को क्या उपलब्धियां प्राप्त होंगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं०–819–ज० सं०/राविप 08/98. दिनांक 13-8-98 द्वारा लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम का नाम परिवर्तित कर लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन कर दिया गया है ।

लेसा संगठन मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) के अधिकारी के अधीन रखा गया है जिसका पदनाम महाप्रबन्धक लेसा है । महाप्रबन्धक लेसा को महाप्रबन्धक, लेसा, कानपुर की भांति वित्तीय, प्रशासनिक एवं सामग्री क्रय करने संबंधी अधिकार प्रदान किये गये हैं । लेसा संगठन को मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) के अधिकारी के अधीन रखे जाने से महाप्रबन्धक, लेसा को परिषद् द्वारा प्रदत्त वित्तीय प्रशासनिक एवं क्रय संबंधी अधिकारों के प्राप्त होने के फलस्वरूप संसाधनों की उपलब्धता आसानी से एवं कम समय में सुनिश्चित होगी जिससे लखनऊ महानगर की विद्युत वितरण व्यवस्था के रख-रखाव एवं सुधार हेतु अपेक्षित कार्यवाही शीघ्रता से की जा सकेगी । जिससे आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ विद्युत उपभोक्ताओं को भी बेहतर सुविधा का लाभ मिलेगा तथा परिषद् के राजस्व में समुचित बढ़ोत्तरी भी संभावित है ।

जनपद लखनऊ, माडल माण्टेसरी स्कूल माडल हाउस के पार्क का सौन्दर्यीकरण करने की मांग

164—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अधीन माडल माण्टेसरी स्कूल, माडल हाउस, लखनऊ के पार्क पर पिछले पांच वर्षों से कितना वर्षवार रुपया व्यय किया गया ? अक्टूबर, 1998 तक पार्क का सौन्दर्यीकरण तथा घास न लगाने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? कब तक उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

1–1994-95 कोई व्यय नहीं ।

2–1995-96 कोई व्यय नहीं ।

3–1996-97 कोई व्यय नहीं ।

4–1997-98 कोई व्यय नहीं ।

5–1998-99 0.91 लाख का व्यय स्वीकृत ।

प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं है । वर्ष 1998-99 में जारी स्वीकृति के अनुसार पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु नई बाउन्ड्रीवाल व रेलिंग निर्माण का कार्य प्रगति पर है । निर्माण पूरा होने के बाद घास लगा दी जायेगी ।

शीघ्र ही । कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

165—श्री हरदेव सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

आजमगढ़ ब्लाक मार्टीनगंज के ग्राम कोहरौली को अम्बेडकर/गांधी ग्राम घोषित करने की मांग

166—श्री हरदेव सिंह–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० अम्बेडकर ग्राम घोषित करने का आधार क्या है ? क्या यह सही है कि साधन/सुविधा सम्पन्न ग्रामों को ही अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयन किया गया है जो कि पूर्व निर्मित सड़कों के किनारे हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद, फूलपुर तहसील, मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम–कोहरौली को अम्बेडकर/गांधी ग्राम घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

वर्तमान में अम्बेडकर ग्रामों का अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या वाले 10 ग्रामों का चयन किया जाता है।

जी नहीं। चयन प्रक्रिया उपरोक्तानुसार है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम कोहरौली की कुल आबादी 1947 है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या कुल 247 है। शासन की वर्तमान नीति के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 ग्रामों का अवरोही क्रम में चयन किया जाता है। चूंकि ग्राम कोहरौली की आबादी कम है। अतः अवरोही क्रम में इसे चयनित नहीं किया जा सका है।

अम्बेडकर ग्राम घोषित किये जाने की स्थिति उपरोक्तानुसार है। वर्तमान में गांधी ग्राम योजना के अन्तर्गत चयन का कोई प्राविधान नहीं है।

167—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत अध्यक्षों के विरुद्ध जांच

168—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या जांच कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रतापगढ़ जनपद की नगर पालिका परिषद् बेला प्रतापगढ़ के अध्यक्ष एवं नगर पंचायत अन्तूपट्टी तथा प्रतापगढ़ सिटी के अध्यक्ष के विरुद्ध जांच प्रचलित है।

जांच चल रही है।

जांच परिणाम प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद बस्ती, ग्राम बेगहरी अम्बेडकर ग्राम के विद्युतीकरण की मांग

169—श्री राम नक्षत्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बेगहरी जनपद बस्ती में शासन द्वारा अम्बेडकर ग्राम घोषित होने के बावजूद विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम बेगहरी का विद्युतीकरण एल०टी० मेन्स बिछाकर दिनांक 10-9-97 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया, बिल्थरा रोड पर आई०टी०आई० की स्थापना की मांग

170—श्री अफजाल अहमद–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के बिल्थरा रोड तहसील मुख्यालय पर स्वीकृत आई० टी० आई० की स्थापना कर किस आदेश द्वारा क्षेत्र सिकन्दरपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया

है ? क्या सरकार बिल्थरा रोड पर आई० टी० आई० की स्थापना करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

शासनादेश सं०–4132/36-6-27 (एस०एन०डी०)/87 दि० 9 मार्च, 1988 द्वारा बलिया जनपद के इब्राहिमाबाद में एक आई० टी० आई० की स्थापना की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई थी । तत्पश्चात् शासनादेश सं०–3100/36-6-90-6 (एस०एन०डी०)/88 दि० 8 नवम्बर, 1990 द्वारा प्रश्नगत संस्थान को बिल्थरा रोड स्थानान्तरित करने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे । पुनः शासनादेश सं०–2103/36-6-97-75 (बी)/97 दिनांक 2 दिसम्बर, 1997 द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इब्राहिमाबाद हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

सिकन्दरपुर क्षेत्र में आई०टी०आई० स्थानान्तरित करने का कोई आदेश शासन द्वारा नहीं दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्तमान में शासन की नीति पूर्व संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को ही सुदृढ़ीकरण करने की है । बलिया जनपद में वर्तमान में 4 रा०औ० सं० क्रमशः बलिया, रसड़ा, नवानगर एवं इब्राहिमाबाद कार्यरत है ।

जनपद लखनऊ, आवास विकास परिषद् इन्दिरा नगर द्वारा श्री गणेश राम चौरसिया के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही

171–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री रामतेज यादव के अतारांकित प्रश्न संख्या–127 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–3 आवास विकास परिषद् इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा आवास विकास परिषद् के अधिनियम 1965 के धारा–83 के अन्तर्गत दिनांक 26-8-94 को श्री गणेश राम चौरसिया को कारण बताओ नोटिस एवं दिनांक 31-12-94 को अवैध निर्माण गिरवाने की नोटिस जारी की गयी थी ? क्या पत्रांक संख्या–2421 दिनांक 2-12-97 तथा पत्रांक संख्या 3427 दिनांक 13-10-98 द्वारा भी उक्त अवैध निर्माण को गिरवाने के आदेश हुये थे ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त अवैध निर्माण गिरवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के परिप्रेक्ष्य में पुनः प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है । जिसका निस्तारण करने के उपरान्त प्रशासनिक सहयोग एवं पुलिस बल प्राप्त कर निर्माणों को ध्वस्त कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के इण्टर कालेज में प्रवक्ता के पदों को सृजित करने की मांग

172–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में विद्युत परिषद् के इण्टर कालेज में विगत 7 वर्षों से इण्टर कक्षायें संचालित की जा रही हैं ? क्या यह सही है कि उक्त इण्टर कालेज में प्रवक्ता के पद नहीं सृजित किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रवक्ता के पद कब तक सृजित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

उक्त इण्टर कालेज हेतु प्रधानाचार्य (इण्टर) तथा प्रवक्ता के पद सृजन विषयक आदेश उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 1998 को निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर, ग्राम सभा इमिलिया सुल्तानपुर में 132 के०वी०ए० विद्युत उपग्रह केन्द्र बनाये जाने की मांग

173–श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया की ग्राम सभा इमिलिया सुल्तानपुर पर 132 के०वी०ए० का विद्युत उपग्रह केन्द्र बनाये जाने का क्या कोई प्रस्ताव स्वीकृत है ? यदि हां, तो विद्युत उपग्रह केन्द्र कब तक बनाया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

निकट ही सिधौली में 132 के०वी०ए० विद्युत उपग्रह स्वीकृत है जिस पर कार्य चल रहा है। अतएव तकनीकी दृष्टि से दूसरा 132 के०वी०ए० विद्युत उपग्रह बनाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड गोदलामऊ में 132 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की मांग

174–श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद–सीतापुर के विकास खण्ड गोदलामऊ में 132 के०वी० विद्युत उपग्रह केन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गोदलामऊ के निकटवर्ती स्थान सिधौली में 132 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत है जिससे प्रश्नगत क्षेत्रों के विद्यमान भार के परिप्रेक्ष्य में दूसरे निकटवर्ती 132 के० वी० उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं है।

175—श्री रमेश राही–

[दिनांक 12-2-99 को ता० प्र० सं०–16 द्वारा उत्तरित।]

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम शाखा गोण्डा/बलरामपुर में इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्पों की खरीद में घोटाले की जांच

176—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा/बलरामपुर में 1-1-97 से 15-6-98 के बीच में अधिशासी अभियन्ता जल निगम परिकल्प शाखा गोण्डा तथा उ० प्र० जल निगम द्वारा जनपद बलरामपुर में इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प की सामग्री कितनी धनराशि की किस-किस फर्म से क्रय की गयी ? क्या यह सही है कि फर्मों से सीधी आपूर्ति ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सभी सामान कोटेशन लेकर क्रय किया गया है ? यदि हां, तो क्या क्रय की गयी सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच करा ली गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्रय किये गये सामग्रियों में घोटाले प्रकाश में आये हैं ? क्या शासन स्तर से उक्त की जांच करायी जायेगी ? यदि हां ,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद गोण्डा/बलरामपुर में 1-1-97 से 15-6-98 के बीच अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उ० प्र० जल निगम गोण्डा/बलरामपुर द्वारा 88 फर्मों से रु० 286.42 लाख की धनराशि से इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों की सामग्री क्रय की गयी ।

जी हां । सभी सामग्री केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अधीन जल निगम मुख्यालय द्वारा किये गये आदेशों के अन्तर्गत ली गई है । कुछ सामग्री विकेन्द्रीकरण की अवधि में शाखा द्वारा मुख्यालय की अनुबन्धित दरों पर भी ली गई है ।

जल निगम मुख्यालय के क्रय अनुभाग द्वारा निविदायें आमंत्रित कर किये गये अनुबन्ध की दरों पर सामग्री क्रय की गई है ।

समस्त सामग्री आई०एस०आई० मार्क क्रय की गई है फिर भी सामग्री की सैम्पुल्स जांच कराई गयी है जो संतोषजनक पाई गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा तहसील रानीखेत के तिपोला में बिना सड़क के पुल निर्माण के संबंध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

177—श्री अजय भट्ट–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के अन्तर्गत तिपोला (सिलोर) में वाहन आने जाने हेतु पुल कई वर्ष पूर्व बन गया है परन्तु रोड आज तक नहीं बनी है ? बिना रोड के पुल बनाये जाने का क्या औचित्य है ? क्या इस सड़क का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो जिन अधिकारियों ने बिना सड़क बनाये पुल बना दिया ? उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

फिलहाल पुल का उपयोग स्थानीय जनता द्वारा आवागमन हेतु किया जा रहा है तथा इस स्थान पर कोई पैदल पुल नहीं है । पुल से वर्तमान में नदी को पार करने की सुविधा स्थानीय जनता को मिल रहीं है ।

किमी० 1 से 11 तक निर्मित है ।

प्रकरण में जांच की जायेगी ।

जिला टिहरी गढ़वाल में अंजनीसैण एवं लम्बगांव में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग

178–श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में अंजनीसैण एवं लम्बगांव में राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा तथा औचित्य स्थापित होने पर ही महाविद्यालय स्थापित किया जाना सम्भव होगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य विद्युत परिषद् के लेखासंवर्ग, सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मनमाने ढंग से पदों का सृजन हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

179–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के लेखा संवर्ग एवं तथाकथित सचिवालय संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से पदों के सृजन में की गयी अनियमितताओं की जांच संबंधी श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा विधायक का पत्र दि० 14-9-98 जो कि प्रमुख सचिव, वित्त को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

मा० विधायक के पत्र पर आख्या निम्नवत् है :–

1–भवन अग्रिम लेकर निजी मकान बनवाने पर विद्युत परिषद् के आवास में रहना वर्तमान नियमों के अन्तर्गत विरुद्ध नहीं है । विद्युत परिषद् के कार्मियों के, उनके नाम से एक विद्युत कनेक्शन से अधिक होने पर दूसरे कनेक्शनों पर विद्युत उपभोग की सामान्य दरें लगती हैं । भवन अग्रिम स्वीकृति के बाद भवन मरम्मत/एडीशन हेतु अग्रिम की स्वीकृति नियमानुसार है ।

2–विद्युत परिषद् में संगत सेवा विनियमावली/सेवा शर्तों के अनुरूप विभिन्न संवर्गों में प्रोन्नतियों की व्यवस्था है । जिसके अनुरूप संगत चयन समितियों के द्वारा प्रोन्नतियां की गयी हैं ।

3–साइकिल/स्कूटर/भवन/भवन मरम्मत अग्रिम स्वीकृत करने के लिए गठित समितियों द्वारा निर्णय लिया जाता है इस प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं है ।

4–विद्युत परिषद् द्वारा मा० विधायक को भेजे गये पत्र दिनांक 18-8-98 में उल्लिखित आख्या वस्तुस्थिति के आधार पर तैयार की गयी थी । लोडा/वाहन भत्ता इत्यादि का भुगतान परिषदीय नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है । उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में संगत नियमों/व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्यवाहियां की गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से पदों का सृजन की जांच हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

180–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कथित सचिवालय संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से पदों के सृजन एवं लाभार्जन की राज्य सतर्कता जांच संबंधी श्री ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 14-9-98 जो कि उनको तथा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन एवं प्रमुख सचिव, (वित्त), उ०प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

मा० विधायक के पत्र पर आख्या निम्नवत: :–

1–भवन अग्रिम लेकर निजी मकान बनवाने पर विद्युत परिषद् के आवास में रहना वर्तमान नियमों के अन्तर्गत नियम विरुद्ध नहीं है। विद्युत परिषद् के कार्मियों के, उनके नाम से एक विद्युत कनेक्शन से अधिक होने पर दूसरे कनेक्शनों पर विद्युत उपभोग की सामान्य दरें लगती हैं। भवन अग्रिम स्वीकृति के बाद भवन मरम्मत/एडीशन हेतु अग्रिम की स्वीकृति नियमानुसार है।

2–विद्युत परिषद् में संगत सेवा विनियमावली/सेवा शर्तों के अनुरूप विभिन्न संवर्गों में प्रोन्नतियों की व्यवस्था है जिसके अनुरूप संगत चयन समितियों के द्वारा प्रोन्नतियां की गयी हैं।

3–साइकिल/स्कूटर/भवन/भवन मरम्मत अग्रिम स्वीकृत करने के लिए गठित समितियों द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं है।

4–विद्युत परिषद् द्वारा मा० विधायक को भेजे गये पत्र दिनांक 18-8-98 में उल्लिखित आख्या वस्तुस्थिति के आधार पर तैयार की गयी थी। लोडा/वाहन भत्ता इत्यादि का भुगतान परिषदीय नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में संगत नियमों/व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्यवाहियां की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ गांव दांलत में अनुसूचित जाति के चितरंजन, रघुराज हेमन्त की जमीन बिना अनुमति, के भू-माफिया द्वारा खरीदने का न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

181–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ के गांव दांलत में अनुसूचित जाति के चितरंजन, रघुराज, हेमन्त की सीलिंग की जमीन खसरा नं०–179 रकवा 5 बीघा बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भू-माफिया कोलोनाइजरों द्वारा खरीदकर कालोनी बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उक्त भू-माफियाओं के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जनपद मेरठ के ग्राम दांतल स्थित खसरा सं०–179/2 रकवा 5 बीघा को तत्कालीन परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 15-10-71 द्वारा रु० 58.70 लगान पर श्रीमती हुकुम कौर सीरदारी पट्टा दर्ज किया गया। श्रीमती कौर की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि उनके पुत्रों श्री रघुराज सिंह, श्री चितरंजन सिंह एवं

हेमन्त (नाबालिक) के नाम दर्ज किया गया । उक्त भूमि में चितरंजन पुत्र हरी सिंह ने अपने हिस्से की भूमि का मुख्तयारनामा दि० 10-4-95 को श्री पदम प्रकाश जैन पुत्र श्री बुद्ध प्रकाश जैन के नाम तथा श्री रघुराज सिंह पुत्र हरी सिंह ने श्री राजेश कुमार मित्तल पुत्र श्यामलाल मित्तल एवं श्री पदम प्रकाश जैन पुत्र बुद्ध प्रकाश जैन के हक में कर दिया था । उक्त मुख्तारेआमों ने बाद में बिना जिलाधिकारी की अनुमति के उक्त भूमि का विक्रय कोलोनाईजर्स बुद्ध प्रकाश जैन पुत्र उल्फतराय जैन एवं रंजीत कुमार जैन पुत्र बुद्ध प्रकाश जैन व श्रीमती रेखा मित्तल को कर दिया था ।

चूंकि उक्त मुख्तारेआम उक्त भूमि के वास्तविक विक्रेता नहीं थे, बल्कि वह केवल वास्तविक भू स्वामियों जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, के मुख्तयारे मात्र हैं, की जानकारी न्यायालय के संज्ञान में आने पर भूमि के विक्रय को निरस्त करते हुए दाखिल खारिज के आदेश को निरस्त कर दिया गया एवं उक्त भूमि को जेड०ए०एण्ड एल०आर० ऐक्ट की धारा 166/167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित करने की कार्यवाही जिलाधिकारी, मेरठ के न्यायालय में विचाराधीन है ।

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के राख निस्तारण पर होने वाली बचत प्रकरण पर कृत कार्यवाही की जानकारी

182–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के राख निस्तारण हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा तकनीकी एवं आर्थिक अध्ययन करके एक रपट पत्रांक 1592 इसीसीडी–111/बीटीपीपी/ए–7 दिनांक 22-1-92 द्वारा संबंधित अधीक्षण अभियन्ता (जनपद) अनपरा ताप को प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो इस रपट में दर्शायी गयी वैकल्पिक राख निस्तारण से होने वाली लगभग 100 करोड़ रुपये की बचत प्रकरण पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

इस पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी, क्योंकि मुख्य राख बांध के सरेक्षण का प्रकरण 1990-91 में ही विभिन्न सलाहकार संस्थाओं जैसे :–सी०ई०ए०, सीडब्ल्यू०सी०, इरीगेशन डिपार्टमेन्ट और मैसर्स वैपकास (भारत सरकार का उपक्रम) की राय लेकर अन्तिम रूप से तय किया जा चुका था जिस पर कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका था । बचत का प्रश्न ही नहीं उठता । इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । क्योंकि तकनीकी दृष्टि से यह बचत काल्पनिक थी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कई जनपदों में विद्युत चोरी तथा जनपद हमीरपुर में कथित 20 करोड़ रु० से अधिक की चोरी हेतु प्राप्त शिकायती पत्र पर बिन्दुवार स्थिति की जानकारी

183–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हमीरपुर, आजमगढ़ एवं जौनपुर में विद्युत चोरी बड़े पैमाने पर की जा रही है ? यदि हां, तो पारेषण से प्राप्त ऊर्जा में कितने मिलियन का अन्तर वितरण में है ? क्या यह सच है कि केवल हमीरपुर में ही 20 करोड़ रुपये से अधिक की विद्युत चोरी पकड़ी गयी है ? क्या इस संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 25-6-96 जो कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन एवं अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी हां । माननीय विधायक के पत्र पर जांच आख्या मुख्य अभि०(मध्यांचल) से प्रतीक्षित है ।

400 के०वी० सब स्टेशन वाराणसी के टेन्च कवर हेतु विभागीय दर पर आमंत्रित टेण्डर के प्राईस एक्सक्लेशन के आधार पर अनियमित भुगतान की वसूली की मांग

184–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 400 के०वी० सब स्टेशन वाराणसी के ट्रेन्च कवर हेतु अनुबन्धी संख्या 26/92-93 के चेकरड प्लेट का टेन्डर मांगते समय विभागीय दर बनाई गई थी ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राईस एक्सक्लेशन के आधार पर ठेकेदार को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? क्या इस अनियमित भुगतान की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

विभागीय स्वीकृत दर रु० 985.60 प्रति वर्ग मीटर थी ।

प्राईस एक्सक्लेशन के आधार पर ठेकेदार को रु० 6,48,447/- का भुगतान किया गया ।

प्राईस एक्सक्लेशन के भुगतान के प्रकरण पर विभागीय जांच आदेशित की गयी है । विभागीय जांच आख्या आने के उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत बिना जमा किये फर्जी रसीदों के माध्यम से जमा धनराशि दिखाकर बकाये समाप्त करने के प्रकरण में लेसा लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

185–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत बिना जमा किये गये फर्जी रसीदों के माध्यम से उपभोक्ताओं के खाते में धनराशि को जमा दिखा कर बकाये समाप्त करने के कुल कितने प्रकरण जनवरी, 1994 से 31-4-98 तक प्रकाश में आये ? कितनों में थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस गबन में कितने अधिकारी/कर्मचारी एवं उपभोक्ता शामिल हैं ? कितनों को निलम्बित कर चार्जशीट दे दी गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गबन कितने का है ? क्या यह सत्य है कि लेसा लखनऊ में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आज तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनवरी, 94 से अप्रैल, 98 तक निम्न 4 इकाइयों में ऐसे मामले प्रकाश में आये :–

1–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, तृतीय, बरेली ।

2–विद्युत वितरण खण्ड, भदोही ।

3–विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी ।

4–लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू), लखनऊ ।

उपरोक्त समस्त इकाइयों के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ।

उपरोक्त इकाइयों में गबन में शामिल अधिकारी/कर्मचारी एवं उपभोक्ताओं की संख्या निम्नवत् है :–

1–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, बरेली ।

शासन के आदेशानुसार उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान, बरेली द्वारा खुली जांच की जा रही है । गबन में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों की वास्तविक संख्या जांचोपरान्त ही सुनिश्चित हो सकेगी । शामिल उपभोक्ताओं की संख्या–1162 है ।

2–विद्युत वितरण खण्ड-भदोही ।

भवन में कुल 8 अधिकारी/कर्मचारी शामिल पाये गये तथा उपभोक्ताओं की संख्या–282 है ।

3–विद्युत वितरण खण्ड-बाराबंकी ।

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित किये जाने हेतु परिषदीय सतर्कता जांच प्रचलित है । शामिल उपभोक्ताओं की संख्या–1575 है ।

4–लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू), लखनऊ ।

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित किये जाने हेतु विशेष सम्प्रेक्षा जांच एवं अभिलेखों की अनुपलब्धता के संबंध में परिषदीय सतर्कता जांच प्रचलित है । शामिल उपभोक्ताओं की संख्या–368 है ।

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–तृतीय, बरेली में 4 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है । विद्युत वितरण खण्ड, भदोही में एक कर्मचारी को निलम्बित कर के चार्जशीट दे दी गई है ।

प्रत्येक इकाई में गबन की निम्न सम्भावित धनराशि प्रकाश में आई :–

1–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, बरेली रु० 31.33 लाख जो संबंधित उपभोक्ताओं के खातों में वसूली हेतु डेविट कर दी गई है ।

2–विद्युत वितरण खण्ड, भदोही रु० 31.57 लाख ।

3–विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी रु० 35.84 लाख ।

4–लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू), लखनऊ रु० 12,98,122.72 के फर्जी क्रेडिट में से रु० 12,68,558.43 की धनराशि संबंधित उपभोक्ताओं पर प्रभारित की जा चुकी है तथा शेष धनराशि रु० 29,564.29 योग में त्रुटि अथवा मिसमैच होने के कारण किसी भी उपभोक्ता पर देय नहीं है ।

जी नहीं । दो अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता इकाई द्वारा विवेचना तथा विशेष सम्प्रेक्षा की संस्तुति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

शासनादेश/विनियमावली बनाने विषयक पत्र पर कार्यवाही एवं नगर/ग्राम पंचायतों द्वारा पोलों/ट्रांसफार्मर रखने की मद में मनमानी किराया वसूली को राज्य विद्युत परिषद् से ब्याज सहित दिलाने की मांग

186–श्री कोविद कुमार, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश/विनियमावली बनाने संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 1-1-98 जो कि मुख्य/मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त) की संबंधित था, प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा पोलों/ट्रांसफार्मर रखने की मद में किराया वसूल करने का कोई शासनादेश है ? यदि नहीं, तो मनमानी तरीके से एसेस किराये का जिलाधिकारी के माध्यम से उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के खाते को कुर्क की गयी धनराशि को मय ब्याज के वापस लौटाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत संदर्भित पत्र के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जा रही है जिसके उपलब्ध होने पर पूरे तथ्य प्रस्तुत किये जा सकेगें ।

गढ़वाल मण्डल के विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग

187–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में प्रशासकीय सहायता प्राप्त कितने माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें नवीन मान्यता अथवा अतिरिक्त वर्गों की मान्यता के फलस्वरुप अभी तक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पद सृजित नहीं हुए हैं ? इन सभी संस्थाओं में अभी तक पद सृजन न हो पाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि कब तक उक्त प्रकार की सभी संस्थाओं में अपेक्षित पद सृजित कर दिये जायेंगे ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

गढ़वाल मण्डल में 40 विद्यालयों के पदों के सृजन के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

विचाराधीन है ।

उत्तरांचल की शिक्षण संस्थाओं में पद सृजन के प्रकरण को लम्बित रखे जाने की जानकारी

188–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को यह जानकारी है कि विशिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में वित्त सहित पद सृजन का स्पष्ट प्राविधान होने पर भी शिक्षा विभाग द्वारा पद सृजन के प्रकरणों को लम्बित रखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक उक्त पदों को सृजित करा दिया जायेगा ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा शासन के समानान्तर परिषदीय सचिवालय घोषित किये जाने के संबंध में जानकारी

189–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० शासन के समानान्तर निगमों/परिषदों द्वारा सचिवालय घोषित करने संबंधी प्रकरण पर श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 22-10-96 जो कि

मुख्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सितम्बर, 1998 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मुख्य सचिव को सम्बोधित श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद को पत्र दिनांक 22-10-96 जो उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा शासन के सामानान्तर परिषदीय सचिवालय घोषित किये जाने के आदि के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ।

मा० सांसद के पत्र में विद्युत परिषद् के उच्च अधिकारियों द्वारा निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 5 एवं 15 के निरन्तर उल्लघंन की ओर मुख्यरूप से ध्यान आकर्षित किया गया है । पत्र में शासन के समानांतर परिषदीय सचिवालय घोषित किये जाने के फलस्वरूप प्रतिवर्ष रु० 70 करोड़ से अधिक की हानि की बात भी कहीं गयी है ।

शासन द्वारा उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का गठन 1 अप्रैल, 1959 को किया गया था । गठन के साथ ही शासन द्वारा किये जा रहे सभी कार्य परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये गये थे । इन कार्यों को सुचारु रूप से चलाने हेतु शासन में प्रचलित प्रथा के अनुरूप, परिषद् सचिवालय का गठन किया गया ।

परिषदीय सचिवालय के समस्त कर्मियों को वेतन, समयबद्ध वेतनमान, सचिवालय भत्ता, वाहन भत्ता आदि परिषद् स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकृत किये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही की सी० एण्ड डी० एस० संस्था को वर्षों में निर्माण हेतु प्राप्त धन एवं कार्यों की जांच की मांग

190–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद भदोही अन्तर्गत निर्माण कार्यों हेतु सी० एण्ड डी० सी० संस्था को पिछले दो वर्षों 1996-97, 1997-98 के अन्तराल कितना धन निर्माण कार्य हेतु दिया गया ? क्या सीता मढ़ी, चकवामहावीर, ज्ञानसरोवर तालाब तथा चक मन्धाता के कार्यों में सही कार्य मानक के आधार पर हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन कार्यों की जांच सरकारी स्तर पर करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1996-97 में रु० 219.02 लाख तथा वर्ष 1997-98 में रु० 214.92 लाख की धनराशि आवंटित की गयी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों का सुसंगत उत्तर न दिये जाने तथा उनमें विरोधाभास होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है ।

मान्यवर, इसे 301-302 में ही उठा रहा हूं । अभी नत्थी "ख" के प्रश्न संख्या–1 के उत्तर में बताया गया कि विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान जिला योजनाओं से संबंधित प्रक्रिया में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

मान्यवर, बजट भाषण में और महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में सरकार ने 10 विभागों को विकेन्दित करने के लिये स्थानीय निकायों को कार्य देने का निर्णय घोषित कर दिया है। आज प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार नत्थी "ग" के प्रश्न संख्या–6 में ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रश्न में कहा गया है कि इसमें तीन भागों को बाट दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। मान्यवर, 9 तारीख को बजट भाषण हुआ था और था और 19 तारीख को महामहिम के अभिभाषण में तीन हिस्सों में बाटने की घोषणा हुई है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां है ?

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इसमें औचित्य का प्रश्न है।

मान्यवर, प्रश्नों के उत्तर की गम्भीरता को देखिये। मान्यवर, जो बात केबिनेट द्वारा निर्णीत हो चुकी है वह समाचार पत्रों में आ चुका है। प्रश्नों के उत्तर के संबंध में अधिकारियों की गम्भीरता को देख लीजिये आप। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण हो चुका है, जो आप उसमें गलती कर गये उसमें इन्हें प्रायश्चित करने का पूरा मौका तो दें। इनकी बात को सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

जो तथ्य माननीय बाजपेयी जी संज्ञान में लाये हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी उसका संज्ञान ले लेंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत 16 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री अब्दुल कलाम की, पढ़ी हुई मान ली जाय, दूसरी सूचना श्री बाबू लाल कुरील की, अनुपस्थित हैं, तीसरी सूचना श्री राजपाल सिंह की, पढ़ी हुई मान ली जाय, चौथी सूचना श्री विश्वनाथ जी की, अनुपस्थित हैं, पाचवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की, पढ़ी हुई मान ली जाय, छठी सूचना श्री दिलीप वर्मा की, पढ़ी हुई मान ली जाय, सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की, पढ़ी हुई मान ली जाय। दो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं अतः मैं प्रतीक्षा सूची से दो सूचनाएं ले रहा हूं पहली सूचना आर० के० सिंह पटेल जी की, और दूसरी श्री विजय पाल सिंह जी की, दोनों सूचना पढ़ी हुई मानी गयी। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई उनके नाम हैं 1–श्री सुरेश चन्द्र आर्या 2–श्री हरदेव सिंह 3–श्री रूप चौधरी 4–श्री भारत सिंह रावत, 5–श्री राम तेज यादव एडवोकेट, 6–श्री अफजाल अहमद, 7–डा० कौशल किशोर।

(स्वीकृत सभी 7 सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद वाराणसी के उत्तरी विधान सभा क्षेत्र मे हो रही विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी)–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद वाराणसी के उत्तरीक्षेत्र शहर विधान सभा क्षेत्र के तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में बराबर पूरे पूरे दिन बिजली कटौती हो रही है लोग

नोट :–[×××] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परेशान है, बोर्ड की परीक्षा आ रही है और बच्चों को अध्ययन करना है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा कैसे देंगे ? छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं । बिजली न रहने से बुनकरों के सामने भुखमरी की बाढ़ सी आ गयी हैं । लोग आन्दोलित हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल बिजली कटौती रोकने की मांग करता हूं । ।

जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय ग्रामों में लगाये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के मानक के अनुसार न लगाये जाने की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजपाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शाहपुर व विकास खण्ड बुढ़ाना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों गढ़ी नौआबाद, मोहम्मदपुर राय सिंह, जैतपुर, सराय, रायपुर, हबीबपुर, नगला रियावली, हुसैनाबाद, भनवाड़ा व भारौकलां, सिसौली, खड़ीगनी, शीरों, गोयला, शाहपुर, रसूलपुर, काकड़ा, रसूलपुर, कसेरवां, हडौली, शबूदीन नगर में जल निगम व उ० प्र० एग्रो के द्वारा हैण्डपाम्प (इण्डिया मार्का–2) लगाये गये हैं । इन नलों की सतह के अनुसार उनमें पाइप तो कम लगाये ही है तथा घटिया किस्म के लगाये गये हैं । इन नलों के मानक के अनुसार नहीं लगाया गया है और नलों की चौकी में घटिया सामग्री (सीमेंट, रेत, रोड़ी) से लगाकर बनायी गयी है जो मानक अनुसार नहीं है, इसमें मैं कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुका हूं कार्य की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है ।

इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के इस अविलम्बिनीय विषय की ओर आकर्षित करते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद महोबा में वर्ष 1995 में कराई गई उर्दू अध्यापकों की परीक्षा का परिणाम घोषित कर शीघ्र भर्ती किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि वर्ष 1995 में 25 उर्दू शिक्षकों की रिक्तियां जनपद महोबा से निकाली गयी थी जिनकी विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी तथा लिखित परीक्षा का साक्षात्कार भी हुआ था किन्तु आज तक वह रिक्तियां भरी नहीं गयी है और न ही उक्त परिणाम घोषित किया गया है जिससे उर्दू शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में बैठे सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवक परिणाम के इन्तजार में बेरोजगार बैठकर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं । वहीं अध्यापकों के अभाव में उर्दू शिक्षा प्रभावित हो रही है ।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि वर्ष 1995 में करायी गयी उर्दू अध्यापकों की परीक्षा का परिणाम घोषित कर शीघ्र भर्ती किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कृपा करें ।]

जनपद बहराइच के महसी क्षेत्रान्तर्गत बरुआघाट एवं उमरपुर घाट पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलीप कुमार–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र महसी के नव निर्मित महसी तहसील के तरफ दिलाना चाहता हूं । इस तहसील की बहराइच शहर से सीधे दूरी 16 कि०मी० है यह रास्ता बहराइच से बरूआघाट उमरपुर घाट होकर जाकर मिलता है दूसरा रास्ता जो बहराइच से बेहनापुर रमपुरवा मार्ग का है उसकी दूरी 28 कि०मी० है अगर बरूआ घाट व उमरपुर घाट

दोनों पर छोटे-छोटे पुल बन जायें तो मार्ग की दूरियों में 12 कि०मी० का अन्तर आ जायेगा और जनता की सारी कठिनाई दूर होगी । इस मांग को लेकर जनता आन्दोलन कर रही है और जनाक्रोश व्याप्त है ।

अतः आप इस बरूआ घाट व उमरपुर घाट पर पुल निर्माण कराने हेतु सरकार को निर्देशित करने की मांग करता हूं ।]

लखनऊ स्थित आर०ए०एल०सी० में शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कराने एवं विकलांग मरीजों को तत्सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

[मान्यवर, आपके माध्यम से जनहित का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय लाते हुआ त्वरित आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं :–

लखनऊ स्थित आर० ए० एल० सी० लखनऊ को माननीय कुलाधिपति महोदय ने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ प्रथम परिनियमावली के परिनियम 7.13 में किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के औषधि संकाय के अधीन शारीरिक औषधि एवं पुनर्वास, 24वें विभाग के रूप में सम्मिलित करने के आदेश 10 जून, 1996 को निर्गत किये थे (प्रतिलिपि संलग्न) इस प्रकार शैक्षिक कार्यों के लिये यह केन्द्र लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के अन्तर्गत हैं । उपरोक्त केन्द्र का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण वर्तमान में भी कतिपय कारणों से चिकित्सा शिक्षा विभाग से संचालित है जिससे इनके संचालन एवं शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है जबकि शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने की सभी औपचारिकतायें लगभग पूर्ण है ।

महोदय, आपको विदित है कि के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी 23 विभागों का शैक्षिक प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अधीन है । अतः माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा इस केन्द्र को के० जी० मेडिकल कालेज के 24वें विभाग के रूप में मान्यता देने के उपरान्त भी इसका वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने की स्थिति न्यायपूर्ण प्रतीत नहीं होती । अतः उक्त परिस्थिति में इस विभाग के पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण को पूर्णरूपेण के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के अधीन अन्य विभागों की भांति करने के आदेश उच्च शिक्षा विभाग को देने की कृपा करें ।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सरकार के संज्ञान में लाकर उक्त विभाग में शीघ्र ही शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने तथा प्रदेश के विकलांग मरीजों को तत्सम्बन्धी उचित सुविधायें प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही उपलब्ध हो सकें । इसकी मांग करता हूं ।]

जनपद चित्रकूट में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों में कथित अनियमितता की जांच टी०ए०सी० से कराने एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री आर० के० सिंह पटेल–

[मान्यवर, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित कराना चाहूंगा । जनपद चित्रकूट में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों जैसे (1) घुरेटनपुर सम्पर्क मार्ग (2) रगौली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सम्पर्क मार्ग (3) खोही विहारा सम्पर्क मार्ग (4) रामपुर सम्पर्क मार्ग (5) बाबूपुर सम्पर्क मार्ग (6) भरधौल सम्पर्क मार्ग (7) रूपसेठी सम्पर्क मार्ग (8) खोही मेनहाई छपरा सम्पर्क मार्ग (9) नोनार सम्पर्क मार्ग (10) गड़ौली सम्पर्क मार्ग (11) शिवरामपुर से पड़री सम्पर्क मार्ग (12) पहाड़ी देवल मार्ग पर पश्चिमी नदी पर रपटा निर्माण का कार्य (13) सगवारा सम्पर्क मार्ग (14) वक्टा सम्पर्क मार्ग (15) शिवरामपुर से सीतापुर मार्ग का चौड़ीकरण कार्य (16) अर्की भदेदू सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्यों से मानक एवं गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा गया है जो भी कार्य कराया गया है उसमें संबंधित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता मनमाने ढंग से धन को हड़प कर गये हैं। कार्य घटिया किस्म के अधूरे पड़े हैं। कई बार क्षेत्रीय जनता द्वारा एवं मेरे द्वारा शिकायत करने के बाद कार्यों में न तो सुधार हुआ है और न ही कार्य पूर्ण कराये जा रहे हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यों की टी०ए०सी० से जांच कराने एवं संबंधित सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं।।

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय एवं जिला योजना के अन्तर्गत चयनित मार्गों का निर्माण कराने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय पाल सिंह–

।मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद (आगरा) में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1997-98 में दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत ए०बी०के० मार्ग कि०मी० 25 से मेवली कलां कुल 1.30 कि०मी० दगड़ा से लेकर लेपन स्तर तक स्वीकृत की गयी थी जिससे दो ग्रामों को जोड़ा जाना था मगर एक फर्जी विधायक बनाकर शासन द्वारा उक्त मार्ग को बदलकर नगला बेहड़ को जोड़ने का विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया है जबकि जनहित में स्वीकृत मार्ग का ही निर्माण होना चाहिये था।

यह एक खेद का विषय है कि जो विधान सभा के सदस्य के अलावा कोई अन्य पैड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उक्त पैड पर फर्जी विधायक द्वारा प्रयोग किया जाना तथा शासन द्वारा आदेश निर्गत किया जाना एक अनूठी मिसाल है। ऐसा ही एक और सम्पर्क मार्ग जिला योजना में वर्ष 97-98 में फतेहाबाद निवोहरा मार्ग से रयपरा जो कि एक हजार से अधिक आबादी वाला ग्राम है जिसकी लम्बाई 3-8 कि०मी० है जो स्पेशनल कम्पोनेंट में मेरे द्वारा प्रस्तावित था उसे शासन द्वारा हटाकर ए०बी०के० मार्ग से झींटपुरा मार्ग स्वीकृत किया गया है जबकि झींटपुरा नामक कोई ग्राम नहीं है। 32 लाख रुपया धन भी स्वीकृत किया गया है। अन्य स्वीकृत मार्गों पर कम मात्रा में धन स्वीकृत किये जाने का खेद का विषय है। फतेहाबाद निवोहरा मार्ग से रयपुरा जिसकी आबादी 2 हजार से ऊपर है को अस्वीकृत किया जाने का आधार क्या है तथा लम्बाई का आंकलन का आधार क्या है। एक अन्य ग्राम 2500 आबादी वाला ग्राम कुतबपुर व रोहई जो कि मझारा ग्राम से जोड़ा जाना है जिसकी दूरी अनुमानित लम्बाई 4 कि० मी० उक्त ग्राम को अभी तक न जोड़ा जाना आश्चर्य का विषय है। कई अधिकारियों के चालू वित्तीय वर्ष में किन परिस्थितियों में स्थानान्तरण किया गया। क्यों रोका गया यह भी एक अनूठी मिसाल है।

यदि मेरे द्वारा प्रस्तावित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत व जिला योजना के अन्तर्गत तथा 2500 आबादी वाला ग्रामों का चालू वित्तीय वर्ष में कार्य न कराया गया तो मुझे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने को बाध्य होना पड़ेगा। अतः चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26-2-99 को नियम–300 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई थी । 4 सूचना मैंने अपने कक्ष में निरस्त कर दी हैं वह किसी भी प्रकार से नियम–300 में नहीं आती है ।

विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और श्री जगदम्बिका पाल की विधान सभा के उपाध्यक्ष के पद का निर्वाचन कराये जाने के बारे में है । मैंने निर्णय ले लिया है कि होली के अवकाश के बाद में उसका कार्यक्रम घोषित कर दूंगा सहमति हो या न हो । सहमति हो तो ठीक है । सहमति हो तो निर्वाचन हो जायेगा ।

* श्री प्रमोद कुमार–

अगर कहीं से कोई असहमति हुई है तो सत्ता पक्ष की ओर से हुई है आप मान्यवर, स्वयं महसूस करते होंगे ।

श्री अध्यक्ष–

निर्वाचन का कार्यक्रम तो घोषित करना है मैं होली के बाद उसे घोषित कर दूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सबकी सहमति बनी हुई है लेकिन इसे होली के बाद न टाला जाय ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, निर्वाचन तो हो ही जाय लेकिन जो परम्परा है उसका सम्मान किया जाय । जिन परिस्थितियों में सरकार मुकर गई थी वह परिस्थितियां दुबारा न आने पायें ।

श्री अध्यक्ष–

हमारी इच्छा यही है कि परम्पराओं का निर्वाहन हो ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, विपक्ष ने मिलकर एक नाम दिया था लेकिन उसको आप नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, उपाध्यक्ष इस सदन की तमाम महत्वपूर्ण समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं । आज उपाध्यक्ष न होने से सदन की सबसे अत्यन्त महत्वपूर्ण समिति विशेषाधिकार समिति काफी दिनों से निष्क्रिय हो गई है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें बात आ गई । माननीय प्रमोद कुमार जी विद्वतापूर्वक बैठ गये । मैंने कह दिया है कि कार्यक्रम घोषित कर दूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कार्यक्रम आप कई बार घोषित कर चुके हैं लेकिन अब परिवर्तित न हो ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों की इच्छा का आदर करता हूं ।

(व्यवधान)

(कई अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमती कृष्णा राज–

मान्यवर, किसी महिला को बना दिया जाए ।

* श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि आप सहमत थे एक नाम विपक्ष में दे दिया था माननीय गौरी शंकर एडवोकेट का नाम प्रस्तावित हुआ तब तक यह कहते रहे कि हम मान लेंगे लेकिन सरकार की किसी बात का ठिकाना नहीं है । आप होली से पहले चुनाव करा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

होली के पहले संभव नही है ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, सरकार की नीयत में खोट है सरकार किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं कराना चाहती है ।

(व्यवधान)

*श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, इस सदन में इस विधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव हो इसके लिए आपने स्वयं तिथि निर्धारित कर दी थी और उस बार हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंच गये थे कि जो तमाम समितियां हैं जिनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उसे सुचारु रूप से संचालन के लिए उपाध्यक्ष का होना बहुत ही आवश्यक था और उस संबंध में आपने निर्णय लिया था उपाध्यक्ष के बारे में परम्परा रही है कि वह हमेशा विपक्ष का होता है उसमें सामूहिक रूप से हम लोगों ने निष्कर्ष निकाल कर उनका नामनेशन भी तत्काल करा दिया था लेकिन आपको याद होगा । जिस तरह से उसमें सत्ता पक्ष की भूमिका रही और चुनाव नहीं हो सका । मान्यवर, दो वर्ष बीत चुके हैं । मैं चाहूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कर उपाध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाय । सर्वसम्मति ढंग से, हम लोगों के द्वारा, ताकि इस सदन का कार्य सुचारु रूप से चले ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई । आप बैठें । मैंने बता दिया है कि होली के बाद उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि घोषित कर दी जायेगी ।

विधान सभा का उपवेशन 90 दिन किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री समरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक वर्ष विधान सभा का 90 दिन का उपवेशन होना चाहिए । लेकिन यह देखा जा रहा है कि प्रति वर्ष विधान सभा के उपवेशन का समय कम होता जा रहा है । सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को इस विधान सभा में उठाते हैं पिछले वर्ष आपने एक विशेष सत्र आमंत्रित किया था हीरक जयन्ती के अवसर पर ।

(व्यवधान)

आज परिस्थितियां 1952 से भिन्न हैं । आज जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्याओं की वृद्धि हो गयी है । इसके साथ ही साथ आज उपवेशन 90 दिनों से अधिक होने चाहिए जिससे सभी माननीय सदस्य अपने-अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं यहां रख सकें और फिर उनका समाधान हो सके । लेकिन 90 दिन तो क्या उसके आधे दिन भी उपवेशन नहीं हो रहे हैं । पिछले साल जितने उपवेशन हुए थे उससे भी कम उपवेशन अब कर दिये गये हैं । मान्यवर, यदि कोई विवाद हो गया तो पांच मिनट में ही सारा बजट पास हो जायेगा । किसी समय किसी सरकार के सामने असामान्य परिस्थिति रही हो तो 90 दिन पूरे उपवेशन न हों तो इसे आगे के लिए नजीर नहीं बनाया जा सकता है । लेकिन विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–14 में जो माननीय सदस्यों के अधिकारों से संबंधित है । यदि हमें अपने क्षेत्र की बात यहां कहने का मौका नहीं मिलेगा तो हम अपने क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं । इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन उपवेशनों की संख्या को कम न किया जाय और 90 दिन विधान सभा का अधिवेशन हो ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–14 के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद–174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन तथा 90 दिन के उपवेशन होंगे । यह विगत वर्षों में आय-व्ययक अधिवेशन और अन्य अधिवेशनों को मिलाकर कुल उपवेशनों की संख्या में कमी हुई है । इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से और नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि वे प्रयास करें कि उपवेशनों की संख्या अधिक से अधिक हो ताकि माननीय सदस्य प्रदेश की तमाम समस्याओं को यहां सदन के समक्ष रख सकें ।

इन सूचनाओं के अतिरिक्त चार सूचनाओं को मैंने पहले ही अपने कक्ष में निरस्त कर दिया है । जिसमें पहली सूचना श्री परवेज हलीम की है । जो सहारनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में है । यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है । इसलिए इसको निरस्त कर दिया है ।

दूसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है । इनकी सूचना भी नियम–300 में नहीं आती है । इसलिए इसको भी निरस्त कर दिया है ।

तीसरी सूचना डा० रामबाबू हरित की है । जिला योजना में नगर के विधायकों को कोई अधिकार न दिये जाने के बारे में है । इसके बारे में कुछ चर्चा हो चुकी है । मा० मंत्री जी ने इसमें स्पष्टीकरण दे दिया है इसलिए यह भी निरस्त करता हूं ।

मा० नेता प्रतिपक्ष को सरकारी आवास उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना श्री रामऔतार शाक्य की–माननीय नेता प्रतिपक्ष को सरकारी आवास न दिये जाने के बारे में है । इसमें माननीय नेता विपक्ष की माननीय नेता सदन से बात करा दी है । मैं समझता हूं समस्या का हल निकल आया होगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में कई सरकारें गठित हुई और नेता प्रतिपक्ष का सम्मान किया गया और उन्हें आवास आवंटित किया जाता रहा । लेकिन दो वर्ष हो गये हैं । माननीय नेता प्रतिपक्ष को इस बार आवास अभी तक आवंटित नहीं किया गया है जिससे सदन की गरिमा गिरती है । नेता सदन की हैसियत के बराबर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत होती है, तो फिर नेता प्रतिपक्ष को मकान न मिले, तो यह सरकार की तरफ कमजोरी है । यह सरकार की संवेदनहीनता का परिचायक है । मान्यवर, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष की नेता सदन से बात हो चुकी है और अगर नेता जी संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं । नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं इनसे पूछ लें कि क्या बात हुई क्या नहीं ? अगर संतुष्ट हैं तो मैं वापस ले लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

क्या बात हुई मुझे भी नहीं मालूम ?

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, मैंने अनुरोध किया था कि कोई समुचित आवास दिलवा दिया जाये क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है । एक साल पहले इसी सदन में यह कहा गया था कि 24 घण्टे और 48 घण्टे के अन्दर आवास दे दिया जायेगा । उसके बाद करीब एक महीना पहले बहुखण्डी मंत्री आवास में आवंटित किया गया । आपके कक्ष में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी थे । मेरी बात हुई थी । मैंने राज्य सम्पत्ति विभाग को लिखकर दिया था कि मंत्री आवास में ही मुझे कोई नीचे का दे दिया जाये । मुझे कोई आपत्ति नहीं है जो पांचवी-छठवीं मंजिल पर दिया जा रहा है । वह मेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि हम हार्ट और अर्थरांईटिस के मरीज हैं इसलिए चढ़ने-उतरने में दिक्कत होगी । मुझे कोई मंत्री आवास या बड़ा बंगला नहीं चाहिए । यह कहा गया कि दूसरा देखेंगे । अभी 16 तारीख को इस सरकार में बैठे हुए एक मंत्री जी ने अवगत कराया कि आपको बंगला आवंटित हो गया है लेकिन जब मिल जायेगा तब मान लूंगा ।

लालबहादुर शास्त्री मार्ग पर संजय सिंह वाला बंगला, जो एम०पी० हैं वह आवंटित किया गया है । मैंने राज्य सम्पत्ति अधिकारी से कहा कि देने के लिए किया गया है या ऐसे ही है । उन्होंने कहा कि मिलेगा । मान्यवर, 15-16 दिन हो गये । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मिले तो ठीक है नहीं तो मना कर दिया जाये । मान्यवर, आपके कक्ष में मेरी बात हुई थी तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उनसे बात कर लीजिए । मैंने मुख्यमंत्री जी से बात भी की तो उन्होंने कहा कि मिलेगा । मैंने इससे पहले मुख्य मंत्री जी से इस संबंध में बात नहीं की थी । मैं समझता हूं कि बंगला आवंटित कर दिया गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खाली होने की प्रत्याशा में । करीब 15-20 दिन हो गये हैं । अभी तक खाली नहीं हुआ है । खाली होगा तब मिलेगा ।

(श्री अम्बिका चौधरी एवं श्री अवधेश प्रसाद जी के खड़े होने पर)

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

समस्या का समाधान निकालने दीजिए । सूचना मा० शाक्य जी की है । मा० शाक्य जी एवं नेता विपक्ष ने सारी बात कह दी है । सारे तथ्य आ गये हैं । मा० अवधेश जी इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों एक ऐसी धुरी है जो लोकतंत्र की गाड़ी चलाते हैं । आज जिस प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धनीराम वर्मा जी ने बात कही है । यह उनका व्यक्तिगत सवाल नहीं है । माननीय नेता विरोधी दल एक झोपड़ी डालकर या अपने किसी साथी के साथ रह सकते हैं । चिन्ता का विषय यह है कि यह सरकार लोकतंत्र की किस तरह से हत्या करने पर तुली है ? नेता विरोधी दल या विरोध पक्ष लोकतंत्र की एक ऐसी धुरी है । बार-बार इस पर चर्चा हुई । मेरा आपसे आज विनम्र निवेदन है कि नेता सदन को बुला लें । आपकी चेयर बहुत ताकतवर है, जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी यही बुला लें क्योंकि यह आपके लिए चुनौती है । लोकतंत्र की रक्षा, हिफाजत करने की जिम्मेदारी इस आदरणीय चेयर पर है । अगर आप संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा, सवाल माननीय नेता विरोधी दल का नहीं है। सवाल लोकतंत्र की रक्षा का है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका फैसला आज ही हो जाये और जो दोषी अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको आप देख लीजियेगा । यह प्रकरण पहले भी आ चुका है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप बात सुन लें । माननीय नेता प्रतिपक्ष का दर्जा माननीय नेता सदन के बराबर का है । इनकी सरकार के मंत्रियों से दर्जा नेता प्रतिपक्ष का बड़ा है । जब मंत्रियों को आवास उपलब्ध करा दिये गये हैं तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं आवास उपलब्ध कराया गया ? मैं कहना चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि होली तक उनको आवास का कब्जा दिला दिया जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मुझे वह बात नहीं कहनी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रख दी है उसके आगे आप क्या कहना चाहते हैं ? अब नहीं बहुत हो गया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ...

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जा रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं कि किन-किन तिथियों में आवास आवंटित किये गये। 30 अप्रैल, 1997 से यह शुरू हुआ था और 4 आवास आवंटित हुये। एक नं० 6–ए, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग का आवंटित किया गया। लेकिन उसका कब्जा नहीं प्राप्त हो सका।

श्री प्रमोद कुमार–

भाजपा के सांसद रह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

व्यवधान न डालें।

श्री हुकुम सिंह–

नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 8-2-99 में नेता जी को 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग आवंटित किया गया है। यह पूर्व मंत्री श्री संजय सिंह के नाम आवंटित था उनके आवास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वह इसको खाली कर दें। उनकी सहमति के बाद ही उनको यह आवास आवंटित किया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि होली की छुट्टी में खाली करा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कल के बाद इस सदन का उपवेशन 8 तारीख को होगा। इस बीच प्रयास कर लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष को जो भवन आवंटित हुआ है उसका कब्जा मिल जाए। इस निर्देश के बाद कार्यवाही आगे बढ़ा रहा हूं।

मद संख्या–3 के पहले एक चीज स्पष्ट कर दूं मेरी बिना अनुमति के जो माननीय सदस्य बोलेंगे उनके वक्तव्य को लिखा नहीं जाएगा।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998 तथा उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1998 †

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खाद्य एवं रसद अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या–सी०पी० 1005/28-8-98–सी०पी० 41/90, दिनांक 2 नवम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित "उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998" एवं अधिसूचना संख्या सी०पी० 147/29-8-99–सी०पी०–29/96, दिनांक 2 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित "उ० प्र० 'उपभोक्ता संरक्षण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1998' को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31(2)" के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999 † †

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 9 फरवरी, 1999 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदन के समक्ष महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल महोदय के उत्तर को मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–19 (8) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूं।

सूरजभान,

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

अ०शा०पत्र सं०जी०–725/जी०एस०

राजभवन, लखनऊ।

फरवरी 25, 1999

प्रिय अध्यक्ष जी,

आपके अ०शा० पत्र सं०–1020/अ०वि०स०/99, दिनांक 23 फरवरी, 1999 के लिए धन्यवाद। आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा।

सादर,

भवदीय,

सूरजभान।

---

† छापी नहीं गयी।

† † छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 ††

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :– (1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 फरवरी, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 ††

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :- उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 फरवरी, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998††

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 फरवरी, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 फरवरी, 1999 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 7 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन †††

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन जो उ० प्र० राज्य सेतु निगम लि० के कार्यकलापों के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 9, 10 11 में कुछ नहीं है ।

(मद संख्या 12 पुकारे जाने पर)

नोट :– †† छपे नहीं गये ।

नोट :– ††† छपा नहीं गया ।

मा० सदस्यों को समय से बजट साहित्य उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपके द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश का 158 ने का कष्ट करें जिसमें यह निदेश है मान्यवर, कि विधान सभा में विभिन्न विभागों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत होती हैं उससे सम्बन्धित साहित्य विधान सभा के माननीय सदस्यों को 4 दिवस पूर्व वितरित हो जाना चाहिए । मान्यवर, कल परिवहन विभाग का बजट है और जैसा कि बार-बार आपके संज्ञान में यह लाया जाता है और आपके द्वारा निदेश और निर्देश दिये जाते हैं सरकार को । इसके बाद भी यह साहित्य हम लोगों को नहीं मिल रहा है । अच्छा नहीं लगता है कि बार-बार हम इस प्रश्न को उठायें और आप बार-बार निर्देश दें फिर भी उसका अनुपालन न हो । मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है इससे पूरे विधान सभा की गरिमा गिरती है और हमें बजट पर बोलने के लिए अध्ययन करने में कठिनाई होती है । मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है आज उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा का साहित्य हमारे पटल कार्यालय को आज पौने दस बजे प्राप्त हुआ है । आज ही इस पर कटौती रखी जानी है । कल परिवहन का है । अभी तक बजट साहित्य अप्राप्त है । कल आपके निर्देश देने के बावजूद भी इस पर कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है । कृपया इस बारे में निर्देश देने का कष्ट करें ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो आप निर्देश दें उसका अनुपालन न हो । इससे सदन की गरिमा गिरती है और आपकी पीठ की भी । मान्यवर, इसको सख्ती से लें चाहे किसी की भी सरकार हो हमेशा इसी तरह की गड़बड़ी पैदा होगी । आपके द्वारा दिये गये निर्देश का उल्लंघन होगा तो सदन की गरिमा गिरेगी और पीठ की भी गरिमा गिरेगी ।

श्री अध्यक्ष–

निदेश संख्या–158 में इस बात का उल्लेख है कि सरकारी विभागों का वह साहित्य जिस पर सदन को विचार करना है कम से कम 4 दिवस पूर्व विधान सभा सचिवालय में अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । स्वाभाविक है कि जब 4 दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय को मिलेगा तब ही वे माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा पायेंगे । कटौती का प्रस्ताव रखने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए उचित रूप से ही रख पायेंगे जब उसका उचित प्रकार से अध्ययन किया जाय । आज विभिन्न विभाग हैं जिनके आय-व्यय पर चर्चा होनी है इनमें प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा के कुछ साहित्य कल प्राप्त हुए और कुछ प्राथमिक शिक्षा और राज्य शैक्षिक अनुसन्धान सम्बन्धी आज ही प्राप्त हुआ है 9 बजकर 15 मिनट पर पूर्वाह्न में, संसदीय कार्य मंत्री जी जैसा माननीय बी० आर० वर्मा जी ने कहा है कि कोई सरकार हो, किसी की सरकार हो, लेकिन इससे माननीय सदस्यों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है इसको सुनिश्चित कर लें अगर दण्डित करना है तो एक-दो बार दण्डित कर ही दें ताकि समय से साहित्य उपलब्ध हो ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जिन्होंने इसका पालन नहीं किया है वह निश्चित रूप से पालन करें, सुनिश्चित किया जाएगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

अब इसमें कटौती कैसे रखी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी व्यवहारिक कठिनाई समझ रहा हूं शिक्षा विभाग का और प्राथमिक शिक्षा का आज ही प्राप्त हुआ है कुछ आंशिक कल प्राप्त हो गया था । राज्य शैक्षिक अनुसन्धान का आज प्राप्त हुआ है, प्राविधिक शिक्षा का कल प्राप्त हुआ था, उच्च शिक्षा का कल प्राप्त हुआ था और कल ही वितरित भी हो गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

इसमें आलोचना न आ पाये यह सही नहीं है इसमें तो आपको भी निन्दा करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निन्दा से ऊपर कह दिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप इनको डांट तो दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपको ही कहां डांट रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

आप ऐसे अधिकारियों को सदन में बुलाकर दण्डित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

अगर ऐसे काम नहीं चलेगा तो बुलाकर दण्डित किया जायेगा ।

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 9, 10, 11 में कुछ नहीं है ।

मद संख्या 12 लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26-2-99 को नियम–311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । मैं पहले माननीय सदस्यों के नाम पढ़ देता हूं फिर क्रम से उसको लूंगा, पहली सूचना श्री कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार की है । दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी, श्री शिवपाल सिंह, श्री चन्द्रपाल सिंह की है । तीसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की है, चौथी सूचना श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री जगदम्बिका पाल और श्री अखिलेश सिंह ने भी इसी विषय पर सूचना दी है, पांचवीं सूचना

श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री महराज सिंह यादव, श्री राम औतार शाक्य की है। छठी सूचना श्री विनोद मणि तिवारी की है। सातवीं सूचना डा० अशोक बाजपेयी की और श्री बाबू राम यादव की है। आठवीं सूचना श्री भोला शंकर मौर्य की है। अब मैं पहली सूचना ले रहा हूं माननीय रेवती रमण सिंह जी बोलें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मण्डी परिषद् की सूचना हमारी भी थी।

श्री अध्यक्ष–

मण्डी परिषद् में दो विषय हैं। आपकी सूचना में तीन-चार विषय लिए गये थे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं उसी में विचार रखना चाहता हूं, जिसमें मा० रेवती रमण सिंह जी बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में यह है कि एक विषय पर स्पष्ट सूचना हो, आपने तीन-चार विषयों को रख दिया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आज जो सूचना दी है मण्डी समिति के कर्मचारियों के बारे में यह अविलम्बनीय भी है और तात्कालिक भी है और लोक महत्व की भी है। मान्यवर, अभी 16-2-99 को एक अर्धशासकीय पत्र के द्वारा कृषि सचिव ने यह आदेश दे दिया कि 96-97 में जो कर्मचारी काम कर रहे थे दैनिक वेतन, मस्टर रोल पर, वर्क चार्ज पर मण्डी समितियों में, उनको निकाल दिया जाय। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है तब से इन्होंने फैसला कर रखा है कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में चाहे डाला सीमेन्ट हो, चुर्क सीमेन्ट, कताई मिल हो सब कर्मचारियों को क्रमशः निकालने का काम किया है जिससे कर्मचारी भुखमरी की कगार पर है। मण्डी समितियों की स्थापना 1964 में हुई थी और इसलिए हुई थी कि इस मण्डी समितियों के द्वारा किसानों को जो उसका उत्पाद है, उसका सही दाम किसानों को मिल सके।

मैं आपके माध्यम से सदन को यह बता देना चाहता हूं कि समय-समय पर इन मण्डी समितियों में कर्मचारियों की भर्ती होती रहती है और होती रही है। लेकिन मान्यवर, इस सरकार की नीयत में खोट है। यह सभी कर्मचारियों को निकालकर नई भर्ती करना चाहती है। आज वह कर्मचारी ओवर ऐज हो गये हैं, उनको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल सकती है। मान्यवर, हर मण्डी में 20-30 जगहें रहती हैं तो यह कहना कि बिना पद के भर्ती की गयी है यह गलत बात है। यह निदेशक को अधिकार है। निदेशक जब भी जहां आवश्यकता समझें उस आवश्यकता के अनुरूप मण्डियों में भर्ती करें।

अगर कृषि निदेशक ने अनुरूप काम किया है तो उनको दण्ड उन कर्मचारियों को देना उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि यह मण्डी समितियां इसलिए बनायी गयी थीं कि किसानों का भला हो। आज उत्तर प्रदेश में 264 मण्डी समितियां हैं और 381 उप मण्डी समितियां हैं। इसी तरह से लगभग 650 मण्डी समितियां हमारे उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। मान्यवर, 72-73 में मण्डी की आमदनी 1 करोड़ 92 लाख रुपया थी आज उसकी आमदनी 179 करोड़ 94 लाख हो गयी है। तो मान्यवर, इस विवरण को देखें तो आज लगभग 100 करोड़ की ज्यादा की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो चुकी है। लेकिन यह सरकार निर्दयतापूर्वक और अविवेकपूर्ण तरीके से इन कर्मचारियों की छटनी कर रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि जिस तरह से डाला, चुर्क और कताई मिल

के मजदूर भुखमरी के शिकार हो गये हैं और आज धरने पर बैठे हुए है, आज आपके माध्यम से निर्देश मिलना चाहिए कि सरकार ऐसा अविवेकपूर्ण कार्य न करे और छटनी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए । मैं आपके माध्यम से इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, अभी मण्डी समिति के कर्मचारियों के निष्कासन की और कृषि सचिव के पत्र के माध्यम से सरकार निकालने की बात कर रही है, उसके सम्बन्ध में रेवती रमण सिंह जी ने अपने विचार रखे । मान्यवर, इस मण्डी समिति ने अपनी उन्चासवीं बैठक में यह अधिकार निदेशक महोदय को दिया था कि जो तदर्थ आधार पर, दैनिक वेतन आधार पर कार्यरत हैं उन्हें नियमित करने का अधिकार मण्डी परिषद् के निदेशक को है और इस प्रस्ताव के आधार पर ये सब कर्मचारी रखे गये तो मान्यवर, सरकार का, इन कर्मचारियों को जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, निकालने का जो विचार है वह इससे स्वतः समाप्त हो जाता है । माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि जो कर्मचारी 240 दिन एक कलेण्डर वर्ष में काम करता है उसको न निकाला जाए । मान्यवर, जो निरन्तर कार्यरत कर्मचारी हैं उससे स्पष्ट है कि कर्मचारियों की आवश्यकता प्रतिष्ठान को है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश भी दिया है । यह सारे कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं । मान्यवर, जो कर्मचारी निर्धारित शैक्षिक योग्यता आदि का मापदण्ड नहीं रखते हैं उनके बारे में हम आग्रह नहीं कर रहे हैं ।

मान्यवर, इसमें 1985-86 के बीच भी कर्मचारी रखे गये हैं जिनके विनियमितीकरण के आदेश समय-समय पर जारी होते रहे हैं और 61वीं बैठक में भी निर्णय लिया गया कि उनको रेगुलईज किया जायेगा । अब उन्हें भी जो वर्ष 1985 से काम करते हैं निकालने का काम सरकार करती है, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है ? मान्यवर, जो सरकार का कर्मचारी विरोधी रवैया है उसको दिखाने का काम यह कर रहे हैं । जो वर्तमान में वहां पद हैं उनमें इनको समायोजित कर लें जो आरक्षण की नीति है उसको भी ध्यान में रखें । यह लोक महत्व का प्रश्न है, आप इस पर चर्चा करा लें ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश के करोड़ों किसानों के परिवारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है । पूरे प्रदेश के किसान परिवारों को प्रतिबिंबित करने वाले यह मण्डी स्थल हैं । आज जो आवश्यकता है उसमें तो मण्डी समिति के कार्यों का विस्तार होना चाहिए । किसान अपना उत्पाद मण्डी को देते हैं और उसमें यह अग्रीड है कि 80 प्रतिशत समर्थन मूल्य इन्हें यहां मिलेगा । आवश्यकतानुसार ऋण के रूप में भी देते हैं, फल मण्डी का भी निर्माण किया जा रहा है ।

लेकिन यह जो कार्यवाही हो रही है इससे तो विस्तार के कार्य को रोक दिया गया है । यह कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं किसानों का हितैषी होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ जो वर्षों से कार्यरत कर्मचारी हैं उसकी सेवायें समाप्त की जा रही हैं इससे किसानों को नुकसान होगा । मान्यवर, मण्डी समिति की स्थापना इसलिए की गयी थी कि जो किसानों का शोषण होता है उससे मुक्ति दिलाने के लिए यह स्थापना की गयी थी । मान्यवर, इस पर माननीय न्यायालय के भी निर्देश भी आये थे फिर भी सरकार इस पर क्यों तुली हुई है अन्य विभागों को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है कारपोरेशन भी बन्द किये जा रहे हैं । यह तो किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, इसमें जो कर्मचारियों को निकालने की बात है, उसको सरकार रोके । यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है, उस पर चर्चा करा दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन्, प्रदेश में 650 मण्डी समितियां हैं इसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि यह कृषि के उन्नयन के लिए काम करेंगी किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य उपलब्ध करायेंगी । शासन के कृषि सचिव ने एक आदेश निर्गत किया है कि जो कर्मचारी मण्डी समिति में पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं उनकी छंटनी मण्डी समितियों से कर दी जाए यह अत्यन्त चिन्ताजनक बात है और वह लोग जो काफी दिनों से इन समितियों में सेवारत हैं उन्हें आज ऐसी परिस्थितियों में सरकार छटनी करने का निर्णय ले रही है जब कि इस अवस्था में उनका समायोजन कहीं भी नहीं हो सकता यह बहुत चिन्ताजनक बात है । मान्यवर, मण्डी समितियों का योगदान उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में बहुत रहा है यह किसानों के हितों में, सड़कों के निर्माण या समितियों के इर्द गिर्द हैण्ड पम्प की स्थापना और कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने की व्यवस्था करती है आज इन समितियों में और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है जब कि जो लोग पूर्व से कार्यरत हैं उन्हीं की छटनी की जा रही है यह तात्कालिक मामला है, अविलम्बनीय है इसलिए इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है तात्कालिक और लोक महत्व का इसलिए है कि इसमें हजारों लोगों के जीवन का प्रश्न जुड़ा हुआ है । मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है या तो निगम बन्द हो रहे हैं या कारखाने बन्द हो रहे हैं या छटनी जारी है । इनकी सरकार के दौरान कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे किसी को नियुक्ति मिल सके बल्कि बेरोजगारी कैसे बढ़ाई जायेगी उसके लिए चिन्तन मन्थन और प्रयास जारी है ? मान्यवर, निगम या विभाग या आप उनमें छटनी करें जिनमें आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं । मान्यवर, मण्डी परिषद् में तो मुनाफा लगभग 100 गुना बढ़ गया है जब कि मान्यवर, परिषद् की स्थापना मुनाफा के लिए नहीं की गयी थी बल्कि किसानों को सुविधा देने के लिए की गयी थी ।

मान्यवर, एक समिति में 20 से 30 लोग रहने चाहिए वह भी संख्या अभी पूरी नहीं है । मानक के अनुरूप कर्मचारी भी नहीं हैं और मुनाफा भी ज्यादा है इसके बावजूद कर्मचारियों को निकाला जा रहा है । मान्यवर, एक बात और है कि जो जूनियर लोग हैं उनको सेवा में रखा जा रहा है और जो लोग सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, उनको सेवा से निकाला जा रहा है । इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इनकी नीयत लोगों को रोजगार देने की नहीं है बल्कि स्थापित जो लोग हैं उनको बेरोजगार बनाने का है । मान्यवर, जो लोग नियुक्ति में आ गये उनका क्या दोष है ? वह लोग निकाले जायेंगे तो अब वह किसी भी सेवा में व्यवस्थित भी नहीं किये जा सकते हैं, उनका भविष्य क्या होगा ? 30-31-32 साल के लड़के जो किसी सेवा में नहीं लिए जा सकते हैं जो दो-चार पांच साल काम कर चुके हैं उनको निकालने का औचित्य क्या है ? मान्यवर, यह चाहते हैं कि उनको निकाल कर दूसरों की भर्ती का मौका मिले ताकि उसमें भ्रष्टाचार कर सकें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, यह प्रश्न अत्यन्त गम्भीर है मैं उसके कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बल देते हुए कहना चाहूंगा कि यह तो इस सरकार की घोषणा कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, मिथ्या है यह तो सरकार यह चाहती है कि पहले से जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको हटाकर अपनी मर्जी से, मनमाने ढंग से अपने लोगों को रखा जाय । प्रश्न इसलिए गम्भीर बन जाता है कि जिनको आप हटाना चाहते हैं वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहां जायेंगे । श्रीमन्, उन्होंने सेवा की है और 240 दिन से अधिक हो गये हैं, कागज पर भले ही वह हटा दिये गये हों, परन्तु फिर रख लिए गये हैं, लेकिन इतना तो निश्चित ही है कि वह सेवा कर रहे हैं और कार्यरत हैं, उनकी आयु सीमा समाप्त हो गयी है और वह दूसरी नौकरियों में भी नहीं जा सकते हैं । अब हटा दिया जायेगा, तो उनका घर बिखर जायेगा और इसका नतीजा तो यह होगा कि बहुत से लोग तो आत्महत्या तक कर लेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ में ग्राह्यता पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि उनको सेवा में रहने दिया जाये । यह सरकार अगर मनमाने तरीके से भर्ती करना चाहती है तो दूसरे पदों का सृजन करे और उन पर भर्ती करे, लेकिन जो लगे हुए हैं, उनको न हटाया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ में ग्राह्यता पर बल देते हुए चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति है । 1-4-96 के बाद कुछ ऐसी नियुक्तियां की गयी हैं जहां पर न तो स्थान रिक्त हैं, और कुछ लोग ऐसे रख लिये गये हैं जो शैक्षिक योग्यता भी नहीं रखते हैं और कुछ ऐसे हैं प्रार्थना पत्र ही नहीं हैं, उनका कोई रिकार्ड नहीं है, केवल यही बात नहीं है, कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है, किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जिन्होंने नहीं किया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । नियमों को ताक पर रखकर सारे कार्य किये गये हैं, सरकार तो किसी नियम से चलेगी, अगर कड़ाई नहीं की जाती है तो कहते है कि कड़ाई नहीं की जा रही है और जब कड़ाई की जाती है तो कहते हैं कि कड़ाई की जा रही है । अब निर्णय लिया गया है कि ऐसी नियुक्तियों को हम नियुक्ति ही नहीं मानते हैं, दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है । हमने सही काम किया है और करेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इसका हवाला अम्बरीश कुमार जी ने दिया है, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने निर्णय लिया है, और जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर वह भर्ती कर सकता है, उसको पावर है, कोई अनुचित काम नहीं किया है और प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि सीनियर लोगों को निकाला जा रहा है और कनिष्ठ लोगों को नौकरी में रखा जा रहा है । सरकार ने जो बयान दिया है वह तथ्यों से परे है । मंडी में फायदा हो रहा है, हम आपका संरक्षण चाहते हैं, आप सरकार को निर्देशित करें । लेकिन जो पद के अनुरूप भर्ती नहीं की गयी है और आयु सीमा निकल गयी है, तो सरकार को इसमें कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए । मंत्री जी ने सही बयान नहीं दिया है ।

श्री अम्बरीश कुमार–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब से गठन हुआ उस दिन से नौकरी पर रखने की प्रक्रिया क्या रही ? दूसरी बात सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया, तो यह सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रही है ? मान्यवर, जिनकी शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं है उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन जो सभी योग्यताएं पूरी करते हैं, उनको निदेशक द्वारा रखा गया है, तो फिर उन्हें नौकरी से निकालने का काम यह सरकार क्यों कर रही है ? मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, सरकार इस पर पुनः विचार करे और कर्मचारी विरोधी रवैया छोड़ने का काम सरकार करे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में एक निश्चित मापदण्ड है लगातार सेवा यदि इतने दिनों की हो जायेगी तो उनको नियमित कर देना चाहिए और उन्हें निकालना नहीं चाहिए । इसलिए जो न्यायालय का निर्देश है उनका सरकार अनुपालन न करे तो यह न्यायालय की अवमानना करना है और साथ ही न्याय की भी अवमानना होती है । मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं

कि यदि किसी के पास क्वालीफिकेशन नहीं है तो उन्हें निकाल दें लेकिन मंत्री जी यहां आश्वासन दें कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिन लोगों को सेवाएं 180 दिन हो गयी हों और जो क्वालीफिकेशन रखते हों और स्थान रिक्त हैं तो उन्हें हटाने का सरकार के पास कोई औचित्य नहीं है। यदि हटाते हैं तो नियमों और न्याय के विरुद्ध होगा। मानवीय आधार पर इससे अधिक कठोर निर्णय नहीं हो सकता है कि 3-4 वर्षों तक सेवा करने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दें तो परिवार का क्या होगा ? यदि सरकार को कोई कठिनाई है तो मैं चाहता हूं कि जो 222 लोग निकाले गये हैं उनके संबंध में इस सदन की एक समिति आप बना दें, और जिसकी अध्यक्षता मान्यवर, आप स्वयं स्वीकार कर लें, छानबीन कर अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दें। मान्यवर, मानक में जो आते हों उन्हें रखें वरना सरकार को आप इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने से रोकें।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने तीन आपत्तियां की हैं। एक विशेष कालावधि में हुई रिक्तियों में निदेशक को रखने का अधिकार है। दूसरे जितने स्वीकृत पद थे उनसे अधिक नियुक्तियां हो गयीं और तीसरी बात ऐसे लोगों की नियुक्ति हो गयी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखते थे, अनर्ह थे और नियुक्तियों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

निर्धारित प्रक्रिया क्या है पूंछ लें ?

श्री अध्यक्ष–

अभी एक मिनट रुके। मुझे व्यवस्था दे देने दें।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

काफी विस्तार से आप लोगों की बात आ गयी है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

निदेशक को अधिकार नहीं था तो कैसे कर लिया ?

श्री अध्यक्ष–

नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक हैं उस बात से इन्कार नहीं किया है।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, ऐसे बहुत से मामले हैं जहां स्वीकृत पदों से ज्यादा लोग हैं। हमारा आई०ए०एस० सम्वर्ग है उसमें भी स्वीकृत पदों से ज्यादा हैं। मान्यवर, उनको समायोजित करना, बनाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है न कि जितने स्वीकृत पदों से ज्यादा हैं उनको निकाल दें।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक उस कालावधि का प्रश्न है, जिसका उल्लेख माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने किया तो इस सम्बन्ध में माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि उस कालावधि से पहले भी जो लोग नियुक्त किये गये थे उनको भी निकाला जा रहा है, एक चार्ज तो यह है।

श्री हुकुम सिंह–

अगर अनुमति हो तो स्पष्ट कर दूं । कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई है । 1-4-96 से 30-9-97 की अवधि है, उस निर्धारित अवधि में जो मण्डी परिषद् में थे वह सब नहीं निकाले जा रहे हैं, जो कारण बताये गये हैं, या चयन इस प्रकार से किये गये हैं, जिनकी हमने अनियमित नियुक्तियां मानी, उनकी शैक्षिक योग्यताएं नहीं थी । ऐसे लोग मण्डी परिषद् में 208 और मण्डी समिति में 104 थे । सारी छानबीन के बाद उन्हें निकालने का निर्णय लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको देख लीजिये ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, कृषि सचिव के पत्र के दूसरे बिन्दु में लिखा है कि इस सम्बन्ध में मुझे यह भी सूचित करना है कि दिनांक 1-4-96 से पूर्व परिषद में एवं समितियों में की गयी नियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में गहन परीक्षा कर विस्तृत विवरण सहित सुस्पष्ट आख्या 20-2-99 तक भेजने का कष्ट करें । यह रिपोर्ट कृषि सचिव द्वारा मांगी गयी है । पहले की रिपोर्ट किस लिए मांगी गयी है । इसलिए मांगी गयी है कि 1996 से [×××]

श्री हुकुम सिंह–

कोई भी खड़ा होकर इस तरह का आरोप लगा दे यह सही बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 1-4-96 से लेकर 30-9-97 तक जो नियुक्तियां हुई हैं, उनमें आंशिक लोगों की सेवा समाप्त करने का विचार हो रहा है क्योंकि इनके अनुसार उनकी नियुक्तियां अनियमित हैं । इस अवधि में आंशिक रूप से यह कार्यवाही चल रही है सबके विरुद्ध नहीं है जो इनकी जांच के अनुसार अनियमित रूप से नियुक्त पाए गए हैं । समय-समय पर चाहे जिसकी सरकार रही हो लोगों को स्थाई और तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया है शासन ने एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी सेवाओं को नियमित किया है ।

मण्डी परिषद् में आप कुछ नियुक्तियां करने जा रहे हैं इससे लगता है कि कुछ पद उपलब्ध हैं जितने पद स्वीकृत हों उसकी संख्या के अनुसार इनको आप वरीयता देने पर विचार कर लें इनकी सेवा समाप्त करने की जो तिथि निर्धारित है यदि चयन की प्रक्रिया उनके पहले ही पूरी कर लें । तो इनको सेवा से बाहर नहीं होना पड़ेगा । दूसरी चीज यह भी हुई है कि कभी-कभी अतिरिक्त पदों का सृजन हुआ है जैसा कि कार्य विस्तार का उल्लेख मा० रेवती रमण सिंह जी ने किया है । इस पर भी आप विचार कर लें कि क्या अतिरिक्त पद सृजन की आवश्यकता है ? तीसरी चीज निर्धारित प्रक्रिया के बारे में है । कहां तक इसमें शिथिलता हो सकती है इसको देख लें यह इतने नौजवानों के भविष्य का प्रश्न है . जैसा कि इस सूचना में कहा गया है, इसी के साथ मैं इस सूचना का निस्तारण करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी, श्री शिवपाल सिंह, श्री चन्द्रपाल सिंह की है । इस पर कोई दो माननीय सदस्य अपनी बात रख लें ।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा में मोंठ कस्बा है । मैं क्षेत्रीय दौरे के समय ज्यादातर इसी कस्बे में एक निवास लेकर वहां रहता हूं और क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर समाधान करने का कार्य करता हूं । वहीं पर हमारी समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी चल रहा है ।

कल 25 फरवरी के सुबह 7.00 बजे जिले के बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी जिले के सभी क्षेत्राधिकारी लगभग 25 थानों के सिपाही और पी०ए०सी० के लोग आये मैं विधान सभा की बैठक में भाग लेने के लिए लखनऊ के लिए आ रहा था जैसे ही उन्होंने दरवाजे खटखटाये मैंने दरवाजा खोला उन्होंने कहा कि हमें इस मकान की कुर्की करनी है मैंने कहा कि यह मकान हमारा है । मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है आप बताइये कि मेरे ऊपर कौन से मुकदमे के तहत आपको कुर्की करनी है लेकिन उन्होंने बताने से इन्कार कर दिया केवल एक बात उन्होंने कही कि इस मकान में दीप नरायन यादव आते हैं इसलिए इस मकान की कुर्की होनी है । दीप नरायन यादव लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं । झांसी जिले के को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे हैं मैंने कहा कि यह मकान तो हमारा है ।

लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी उन्होंने मकान तोड़ना शुरू कर दिया । दरवाजे पर पड़े ताले को तोड़ना शुरू कर दिया जब मैंने प्रतिरोध किया जो सी०ओ० और एस०ओ० मुझे जबरन उठा लिये और अपनी गाड़ी में डाल लिया और थाने में ले जाकर 8 घण्टे बन्द रखा । मान्यवर, मैं इस घटना के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें रखना चाहता हूं । 22 तारीख को को-आपरेटिव का चुनाव हो रहा था । विकास खण्ड मोंठ में नामांकन पत्र दाखिल हो रहे थे । वहां पर सारे क्षेत्र के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोग तथा राजनेता मौजूद थे । कुछ असामाजिक तत्व इसलिए हावी थे कि सत्ता के प्रभाव में दूसरे लोगों को नामांकन दाखिल करने देना नहीं चाहते थे । राज कुमार एक व्यक्ति था जो साधन सहकारी समिति तड़ौल में नामांकन करने के लिए जा रहा था ।

गजेन्द्र नाम का एक असामाजिक तत्व वहां पर था और 12 लाइसेंसी लोग मौजूद थे । उस व्यक्ति को नामांकन करने से वह लोग रोकना चाहते थे । जिससे वहां के सारे लोगों में वाद-विवाद हो गया । वहां पर एकत्रित जन समुदाय ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया । उसके बाद वहां से भाग रहे इन लोगों में से 2-4 लोगों की राइफलें लोगों ने छीन ली और थाने में इसकी एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी । उस पर थानाध्यक्ष की मोहर लगी हुई है । उसमें मारपीट तथा डाक्टर की रिपोर्ट संलग्न करते हुए थानाध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी गयी । बड़े आश्चर्य की बात है कि उस दिन वह रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी । बल्कि रात में जो जिलाधिकारी और आला आफिसर हैं, एक फर्जी मनगढ़न्त कहानी बनाते हैं और समाजवादी पार्टी के ब्लाक प्रमुख, मोंठ तथा जो 4-5 प्रतिष्ठित लोग हैं, जो को-आपरेटिव का चुनाव लड़ना चाहते थे, को-आपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी उसमें इन सबके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है और इस मुकदमे जो कायम नहीं किया जाता है, जो गजेन्द्र नाम के व्यक्ति के साथ 12 लोग आये थे, वे कौन लोग थे और कहां से आये थे ।

मान्यवर, आप 17 जुलाई, 98 तारीख की कार्यवाही उठाकर देख लें, मैंने उस दिन इस बात को उठाया था कि जो जिला मेरी पार्टी के उपाध्यक्ष थे जिला पंचायत के सदस्य भाई लखन सिंह जी की हत्या करने वाले लोग राइफल बन्दूकें लेकर आये ताकि समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जुबान न खोल सके और पर्चा दाखिल न कर सके । परन्तु आज कुर्की में 10 प्रतिष्ठित लोगों के मकानों को जिसमें ब्लाक प्रमुख प्रधान को-आपरेटिव बोर्ड के चेयरमैन है, तोड़ना शुरू कर दिया गया और जब मैंने अपने मकान के बारे में पूछा तो मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि आपके यहां दीप नरायन यादव आते हैं इसलिए हम आपके मकान की कुर्की करने आ रहे हैं । कुर्की करने में वहां पर जितना सामान था, टी०वी० था, फ्रिज था, आलमारी थी चूंकि मैं दूसरी मंजिल में रहता हूं, वहां से सारी पब्लिक के

सामने मेरा टी०वी० फ्रिज को दूसरी मंजिल से फेंका जाता है और उस सारे सामान को फेंक दिया गया। आज भी आप मौके पर जाकर देख सकते हैं। आप एक कमेटी बना दीजिये इस सदन की, जो वहां जाकर उसे देख सकती है। आज भी वह सामान थाने में पड़ा हुआ है। लखनऊ के लिए मैं जो ब्रीफकेस लाता था, वह आज भी थाने में बन्द है। वहां पर जो जेवरात, नकदी तथा सामान था, उसे सारा का सारा सामान पुलिस वाले लूट कर ले गये और मुझे 8 घण्टे तक नजरबन्द करके रखा गया।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक पूरी साजिश चल रही है कि समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्या कर दी जाय। आप 17 जुलाई की कार्यवाही उठाकर देख सकते हैं क्योंकि मैंने मांग की थी कि लखन सिंह के हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। परन्तु आज तक उन अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और आपके निर्देश के बावजूद भी मुझे कोई सुरक्षा देने का काम आज तक नहीं किया गया। इस सरकार ने यह मन बना लिया है कि किसी भी तरह से अपराधियों के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाय। जब चुनाव हो रहा था तो जो 12 लोग अपराधी किस्म के थे और राइफल लेकर आये हुए थे तो उन्हें प्रशासन ने चुनाव स्थल तक कैसे जाने दिया और जिन 5 लोगों की राईफलें छीनी गयी थीं और जमा करवायी गयी थीं, रात में उन्हें वापस क्यों कर दिया गया ?

वे सब बड़े-बड़े अपराधी कौन थे। मान्यवर, इन अपराधियों को मध्य प्रदेश से बुलाया गया था ताकि मौके पर हत्या कर दी जाय। आज इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, आज हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। मेरी आंख में आंसू आ गये मुझे रात में 8 घण्टे थाने में बैठाया गया। मान्यवर, हम जनप्रतिनिधि हैं और चुनकर आये हैं। वहां के लोगों को विश्वास हैं कि उनकी मदद करने का काम करेंगे। आज मैं स्वयं अपनी मदद करने में असमर्थता महसूस कर रहा हूं। अगर मैं उनकी मदद नहीं कर सकता हूं अपनी मदद नहीं कर सकता हूं तो मेरा विधायक रहना बेकार है। आज मान्यवर, समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर कलेक्टर घोषणा कर रहे हैं कि इनके ऊपर रासुका का प्रयोग किया जायेगा, रासुका लगा दी जायेगी। फर्जी मुकदमा कायम करके उनको जेल में डाल दिया जायेगा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में लूटपाट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। तत्काल लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज करायी जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें। आपकी बात आ गयी है।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

मान्यवर, मैं इस सदन में घोषणा कर रहा हूं कि यदि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी तो चाहे मुझे आत्मदाह करना पड़े मैं करूंगा और करने के लिए तैयार रहूंगा। मैं अन्याय नहीं देख सकता। हमने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हमारे लोगों के साथ इस तरह से अन्याय होगा तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर ग्राह्यता पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले आज इस सदन में आपका आभार व्यक्त करता हूं। कल जब चन्द्रपाल जी को कोतवाली मोंठ में बन्द कर दिया गया था और हमने आपके पास संरक्षण के लिए

प्रार्थना की थी और [xxx] विषय पर माननीय सदस्य ने सारी बतों को रख दिया है । मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । मैं निवेदन कर रहा हूं कि कल जब विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए चन्द्रपाल जी को चलना था तो जिस अधिकारी ने अवमानना करने का काम किया है और इस सदन की अवमानना करने का काम प्रकारान्तर से करते चले आ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपने मेरे बारे में जो बात कही है मैं उस अंश को कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने अपनी भावनाओं के नाते यह बात रखी है । कार्यवाही में आप उसे रखें या निकालें उससे मुझे कुछ नहीं कहना है । मैंने तो अपनी बात कह दी । मैं जो कह रहा हूं उसमें जो वाक्य आपको कार्यवाही में रखना हो रखें या निकाल दें । हमने सबसे अपनी बात कही कहीं कोई संरक्षण नहीं मिल रहा था । आपके संज्ञान में हम अपनी बात लाये और आपने हमारी फरियाद सुनी, हमको संरक्षण दिया उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं ।

मान्यवर, मैं घटना के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि चन्द्रपाल जी इस माननीय सदन के माननीय सदस्य हैं इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और इस सरकार ने पूरी मंशा बना रखी है कि समाजवादी पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को, नेता को उसके लोकतान्त्रिक अधिकारों से वंचित रखेंगे । इसके लिए उन्हें जेल भेजा जा रहा है फर्जी मुकदमों के तहत और उनकी हत्यायें की जा रही हैं ।

मध्य प्रदेश से एक दर्जन अपराधी जिन पर मुकदमे दर्ज हैं उनको यहां बुलाया गया था को-आपरेटिव के चुनाव में जिसके प्रदेश स्तर के नोत चन्द्रपाल जी हैं उनके मोंठ क्षेत्र में चुनाव था कोई तनावपूर्ण स्थिति हो तो बहाने से चन्द्रपाल जी, दीप नारायण यादव और दूसरे समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं की हत्या की जा सके । जनता के प्रतिरोध करने के कारण अपराधी हत्या करने में सफल नहीं हो पाये 22 तारीख को एक फर्जी एफ०आई०आर० दीप नारायण यादव और 9 अन्य अज्ञात लोगों के नाम जिनके खिलाफ तबियत आ जाय फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया । सिपाही की हत्या करने वाले सम्मान पा रहे हैं । 22 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ और कल कुर्की करने के लिए पुलिस सिर्फ इस बिना पर पहुंच गयी कि मकान मालिक के घर दीप नारायण जी का आना-जाना था । चन्द्रपाल जी ने कहा कि कुर्की करने आये हैं कुर्की का वारन्ट बतायें । यह किराये की रसीद है उस मकान मालिक का दीप नारायण जी से लेना-देना नहीं है सिर्फ यह बात थी कि वह आपसे मिलने-जुलने आते थे । इससे पहले 10 लोगों के मकान पर गये । और पुलिस ने नारायण यादव के गांव बुढ़ावली में 20 लाख से ऊपर डकैती डालने का काम किया है । 25 तोला सोना, 8 किलो चांदी और 10 अन्य कार्यकर्ताओं के यहां जबरदस्ती लूटने का काम पुलिस ने किया है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के अधिकारियों को हमारे नेताओं ने मना करने का काम किया तो उन्होंने यह कहा कि [xxx] ।

यह सरकार अपराधों में लिप्त है और पुलिस वालों से अपराध कराने का काम कर रही है । एक बात पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि जिस एफ० आई० आर० की कापी थाने में रिसीव हुई है, उसकी कापी आपके पास है । एफ०आई०आर० जिन लोगों के खिलाफ दर्ज की थी, जो 22 तारीख को

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दर्ज की है उसको एक्सपंज किया जाय और स्थानीय पुलिस के स्थान पर सी०बी०आई० से इसकी जांच करायी जाय । जो डकैती डाली गयी है, जो पुलिस के अपराधियों से मिलकर लूटने का काम किया है, दीप नारायण यादव और दूसरे अन्य 10 कार्यकर्ताओं के घर पर, स्वयं चन्द्र पाल जी के घर पर डकैती लूटने का काम किया है इन सभी अपराधियों के खिलाफ डकैती का मुकदमा कायम किया था ।

इसके साथ ही जो लूट हुई हैं उसका सामान वापस दिलाया जाय, यह मैं मांग करता हूं । फर्जी मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाय । जहां पर मकान तोड़ने में नुकसान हुआ है उसका तत्काल सरकार मुआवजा दे और अपनी ऐसी आदतों से बाज आये । यह हत्यारी सरकार है । इनके हाथ हमारे राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंचने लगे हैं । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र व्यवस्था में अहिंसक तरीके से हम बात करना चाहते हैं लेकिन समय आ गया है । | x x x | किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लोग पीछे नहीं रह सकते हैं ।

(1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

मान्यवर, इस मामले की खुली जांच करा ली जाय कि प्रदेश के किस स्तर पर निर्देश दिया गया था, उन अधिकारियों पर जिनकी वजह से डकैती का काम किया गया था, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । मान्यवर, सहकारिता के चुनाव चल रहे हैं पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर तो जो यह कार्यवाही की गयी है उससे प्रदेश में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का कोई और प्रश्न नहीं हो सकता है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस सुनिश्चित सूचना पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं इस कार्य स्थगन की ग्राह्यता पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और प्रजातंत्र के लिए एक ऐसा मसला है कि अगर इस पर चर्चा न हुई तो प्रजातंत्र का गला घोंटा जायेगा और गला घोंटने का प्रयास किया गया है । मैं दो तीन बातों की तरफ संक्षेप में ग्राह्यता के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । क्या यह अपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने राम लखन सिंह की हत्या की थी वह मध्य प्रदेश से मय राइफल के यहां आये थे और उनकी राइफल छीनी गयी थी और छीनकर थाने में दी गयी थीं और उनको रात्रि में वापस कर दिया गया है । अगर यह तो सरकार ने जानबूझकर उन अपराधियों के द्वारा समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्या कराए जाने के लिए जैसा राम लखन सिंह की हत्या की गई वैसे ही दीप नारायण सिंह हमारे विधायक चन्द्रपाल सिंह जी और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं की हत्या कराने का कुचक्र था । परसों 24 तारीख को इस संदर्भ में टेलीफोन पर चन्द्रपाल सिंह जी ने सूचित किया था कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में रायफल लेकर आते हैं और जब पर्चात दाखिल का समय होता है तो इसलिए आते हैं कि पर्चा दाखिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के चन्द्रपाल सिंह आयेंगे तो उनकी हत्या होनी है और समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया जाएगा ।

मान्यवर, इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हमारे विधायक चन्द्रपाल सिंह जी धरने पर बैठे हैं मैंने डी०जीपी० महोदय को पत्र लिखकर परसों भेजा और उसमें यह मांग की थी कि चन्द्रपाल सिंह जी इसलिए धरने पर बैठे हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है तो उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सरकार और इसके मुखिया मुख्य मंत्री जी बार-बार घोषणा करते हैं कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई आए तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए छानबीन होती रहेगी, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी, यह घोषणायें होती है ।

लेकिन जब एक माननीय सदस्य विधान सभा से मांग करते हैं और मैं भी डी०जी०पी० को लेटर लिखता हूं तो उसको रिसीव तो कर लिया जाता है लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है तो क्या यह प्रजातंत्र के लिए कलंक नहीं है यह सरकार की मिथ्या घोषणा नहीं है । दूसरी बात मान्यवर, चन्द्रपाल सिंह जी जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान में स्वाभाविक है कि उस पार्टी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और जनता भी वहां आने जाने के लिए हमेशा रहती है उनका आना-जाना लगा रहता है हर नेता के यहां लोग आते हैं इसमें संशय और दुविधा की बात नहीं है और उसी आधार पर दीप नारायण सिंह जी भी कभी-कभार आते जाते रहे होंगे तो यह कोई अपराध नहीं है । समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मध्य प्रदेश में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, यह भी मैंने पत्र में लिखा है कि वह मध्य प्रदेश से असामाजिक तत्व इसलिए भेजा गया है कि दीप नारायण सिंह चुनाव लड़े थे उनकी हत्या करने के लिए यह सारा षडयंत्र था । श्री चन्द्रपाल सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और जिनका सहकारी क्षेत्र में सहकारिता में बहुत बड़ा स्थान है उनकी हत्या करवाने की साजिश थी, सहकारिता में जो उनका वर्चस्व है उसको समाप्त करने के लिए एक साजिश रची गयी थी ।

श्रीमन्, उस मकान को ध्वस्त किया जाना, सामान फेंका जाना, लूट करना, जिसमें विधायक जी रहते हों किराये पर हो उस किराये की रसीद उसकी फोटो कापी आपके पास भिजवा दी जायेगी । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि पहले तो उस घटना की रिपोर्ट दर्ज की जाए जिसके लिए परसों मैंने लिखा था जिसको केवल रिसीव कर लिया गया और रिपोर्ट न लिखकर उसकी प्रति नहीं दी गयी । दूसरी रिपोर्ट दर्ज की जाए उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अवैधानिक तरीके से उनके मकान को तोड़ा और लूटा है । जो दीप नारायण सिंह का नहीं था उनके पिता का था । माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश भी दिया है कि अगर किसी के पिता का मकान है तो लड़के के जुर्म करने पर वह अहस्तक्षेपनीय है । वह गांव का मकान बुड़ावली का उनके पिता के नाम है । तो वह गलत काम हुआ है जो क्षतिग्रस्त किया गया है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार दे या दोषी लोगों से जुर्माने के रूप में वसूल कर इन्हे दें ।

मान्यवर, यह सब प्रजातंत्र में किया जायेगा, मनमानी करने की छूट रहेगी तो आगे आने वाली सरकार इस तरह से कार्य करने के लिए उदाहरण मान लेगी । मैं इन्हीं शब्दों के साथ ग्राम्यता पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि श्री चन्द्रपाल सिंह जो विधान सभा में आ रहे थे उन्हें आने से रोकने के लिए तथा जो रिपोर्टों के बारे में मैंने मांग की है दर्ज करने के लिए और क्षतिपूर्ति की उसमें आप अविलम्ब पीठ की ओर से सरकार को निर्देशित करें ।

*श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, आज इस प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है । मान्यवर, विधायक चन्द्रपाल सिंह के घर की कुर्की कर ली गयी पूरे मकान की तोड़-फोड़ करके पूरा मकान लूट लिया गया उनके नाम कोई वारन्ट नहीं था । यहां लखनऊ से निर्देश गये हों या जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हों उनके खिलाफ मुकदमा लगा करके यह कार्यवाही की गई । मान्यवर, हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्या करने का षडयन्त्र था गांव के आस-पास के लोगों ने उनकी बन्दूकें छीन लीं पुलिस का काम था के लोगों ने किया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, 22 तारीख को चुनाव होने जा रहा था उन अपराधियों के षडयन्त्र से पूरे ब्लाक के चुनाव को रद्द कर दिया गया है। इसमें भी अपराधी कामयाब हो गये हैं। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जब अपनी बात कर रहे थे तो माननीय संसदीय कार्य-मंत्री [xxx] जबकि विधायक का सारा सामान लूट लिया गया, इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती इस मामले पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए और जिन अधिकारियों और लखनऊ से लेकर जिन मंत्रियों के आदेश पर यह लूट-पाट हुई है उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कार्य-स्थगन के रूप में जो मैराथन भाषण हुआ उसको सुनने का अवसर मुझे मिला। जो घटना हुई है उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं जहां तक माननीय चन्द्रपाल सिंह जी, सम्मानित विधायक हैं, सम्मानित सदस्य हैं इस परिवार के उनकी जीवन रक्षा के बारे में कोई कोताही नहीं बरत सकते, न बरती जायेगी।

श्रीमन्, 22-2-99 को सहकारी समिति में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होना था और आप सहमत होंगे जो इसके लिए पात्र हैं नामांकन दाखिल करने के लिए वह भी जाना चाहेंगे। कुछ व्यक्ति नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं इसमें विशन सिंह भी था वह नामांकन दाखिल नहीं कर सके, उसने कैसे दुस्साहस कर लिया ? वह सहकारी समिति में कैसे नामांकन दाखिल करने गया ? उसकी कैसे हिम्मत हो गई तो उसके पैर तोड़ दिए गये। कुछ इसी कारण से कि वह नामांकन दाखिल करने के लिए जाने का दुस्साहस कैसे कर सका। उसका पैर तोड़ दिया गया और नामांकन पत्र वगैरा छीन लिये गये, एफ०आई०आर० दर्ज हुई। मुकदमा कायम हुआ और सक्षम न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया गया। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और शेष के लिए वहां से कार्यवाही की अनुमति मांगी गयी। यह मान्यवर, अपराध संख्या–1609, धारा 395,97, 2/3 के अन्तर्गत 9 आदमी नामजद थे विजय यादव, को 23-2-99 को गिरफ्तार किया गया और 24-2-99 को इस न्यायालय में सारे पक्षों को सुनने के बाद में कुर्की का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस गई और जब पुलिस जाती है तो उस पुलिस को कार्यवाही नहीं करने दिया जाता न्यायालय भी ताक पर जो मौलिक अधिकार हैं वह भी ताक पर और पुलिस जाती है न्यायालय का आदेश पालन कराने के लिए उसको कार्यवाही नहीं करने दी जाती, उन्होंने कुर्की की, यह सही बात है कि जनप्रतिनिधि हैं प्रभावशाली व्यक्ति हैं यह भी मौके पर पहुंचे। और मौके पर पहुंच गये। उन्होंने न्यायालय के आदेश के पालन में अवरोध उत्पन्न किया, लेकिन फिर भी दफा 151 में उन्हें रोका गया और इसके बाद परसनल मुचलके पर न्यायालय के आदेश का पालन होने पर छोड़ दिया गया। मान्यवर, इसमें कौन सी गलती हो गयी ? (व्यवधान) आप मुझे समाप्त कर लेने दें। मेरे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर कहूंगा।

(व्यवधान)

कोई विवेक खोने की बात नहीं है, चन्द्रपाल जी सम्मानित सदस्य हैं, उनकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है। सामान्य व्यक्ति को भी नामाकंन पत्र दाखिल करने का अधिकार है। उसको वंचित किया जा रहा था।

(व्यवधान)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा प्रश्न यह है कि उनके मकान में जबरदस्ती कुर्की की गयी। अगर किसी मुकदमें में वह अभियुक्त हैं तो जानकारी दे दें, माननीय सदस्य के घर पर कुर्की की गयी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीद मंत्री जी की बात आ जाने दें।

श्री चन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, मैं मौके पर उपस्थित ही नहीं था।

श्री अधिष्ठाता–

आपने अपनी बात रखी और माननीय नेता विरोधी दल ने भी अपनी बात रखी तथा कई अन्य मा० सदस्यों ने भी अपनी बात रखी। माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी की सूचना है, उनको कह तो लेने दें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वह पुलिस का दस्तावेज है, पुलिस ने गलती की है, तो मेरी प्रार्थना है कि यह जो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं, इसके अतिरिक्त क्या दूसरी एजेन्सी से भी जानकारी करा लेंगे ? मेरा अनुरोध है कि पुलिस का जो वर्जन है उसको छोड़ कर दूसरी एजेन्सी से इसकी जांच करा दें। जो रिपोर्ट पुलिस की है उसमें बहुत से छेद हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप अनुभवी और विद्वान् सदस्य हैं। प्रकरण की पूरी बात आ गयी और शासन की बात आ जाय, यदि तथ्यों से हट कर बात होगी तो आप बता देंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सूचना के आधार पर बता रहा हूं कि न्यायालय से कुर्की का अनुपालन हुआ। विधायक श्री चन्द्रपाल के मकान की नहीं बल्कि श्री दीप नारायन के मकान की कुर्की की बात थी और वह काम चल रहा था, उसी समय विधायक जी आये और अवरोध पैदा किया जिससे उन्हें पकड़ कर बन्द किया गया और थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

श्री चन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, कुर्की उनके घर की कर ली गयी थी और लाखों रुपये का सामान तोड़ कर थाने में डाल दिया गया। उसके बाद हमारे दरवाजे पर वह लोग आये और सामान के तोड़फोड़ का काम किया तथा कुर्की की गयी। उस मकान में कौन रहता है ? उस मकान में हम रहते हैं और वहां क्षेत्र की जनता की बातें सुनते हैं।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मुझे केवल यह शंका है, जैसा अभी कहा गया जो पुलिस का वर्जन है उसको पढ़ा है। एक तो टांग तोड़ दी गयी, धारा–95 और 97 का मुकदमा लिखा गया, श्री चन्द्रपाल के घर की कुर्की की गयी और जिसका नाम बता रहे थे क्या उसका अर्थात दीप नारायण का मकान पर स्वामित्व था ?

दीप नारायन के वहां पुलिस कुर्की करने गयी तो क्या उस मकान पर उसका स्वामित्व था ? हम यह चाहते हैं कि इस घटना की पूरी जांच पुलिस से हट कर किसी दूसरी एजेन्सी से आप करायें । और जांच के बाद मान्यवर, आप यहां वक्तव्य दिलवा दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि ग्राम बुढ़ावली में पैतृक मकान था और पुलिस के पास कुर्की के आदेश थे, इस मकान में श्री चन्द्रपाल जी रहते हैं, यह मकान मोंठ जो राष्ट्रीय हाई–वे पर है । जिस मकान की पुलिस ने कुर्की किया उस पर स्वामित्व श्री चन्द्रपाल जी का है और इस पर श्री दीप नारायन का स्वामित्व नहीं है, इसलिए इसकी जांच आप करवा लें । मैं यह कहना चहाता हूं कि आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य-मंत्री से कि इसकी सीधे सी०बी०आई० से जांच करा लीजिए, सी०बी०आई० को रिफर करने से पहले स्थानीय पुलिस से जांच वापस ले ली जाये । विशेषाधिकार हनन माननीय सदस्य का हुआ है उसकी नोटिस भी दे रहे हैं, इस पर आपकी अलग से कृपा हो जायेगी लेकिन इन विषयों पर माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी का दृष्टिकोण आ जाये कि सचमुच इन सूचनाओं को गम्भीरता से लेते हैं या नहीं ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह घटना 22 तारीख को मोंठ में हुई । राजकुमार पुत्र नारायण दास यादव ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट संलग्न करके थानाध्यक्ष कोतवाली मोंठ को दी तो उन्होंने उस रिपोर्ट को ले ली और प्राप्ति कापी पर दस्तखत करके वापस कर लिया लेकिन अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ । एक तरफा मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके घर की कुर्की हो गयी, लूटपाट हो गयी । दूसरी तरफ राजकुमार ने पहले सूचना दी उसकी रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की गयी । यह कौन सा न्याय आपका है ? आप एक तरफा रिपोर्ट दर्ज करेंगे । मान्यवर, गजेन्द्र की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में खुली लूट की गयी लेकिन राजकुमार की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की गयी संसदीय कार्य-मंत्री जी यह सदन को बतायेंगे ?

श्री चन्द्रपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक छोटा सा तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । पिछले वर्ष 1998 में एक बार पुलिस उसी मकान पर हमारे यहां गयी थी, किसी मामले को लेकर के । तब मैंने श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को जिले के कलेक्टर को, नेता विरोधी दल को टेलीग्राम करके उस घटना के बारे में अवगत कराया था कि इस प्रकार से पुलिस गयी है, किस कारण से आयी थी ? अध्यक्ष, विधान सभा ने पत्र भी लिखा था कि चन्द्रपाल सिंह के मोंठ स्थित मकान पर पुलिस किस कारण से गयी, तत्काल सुनिश्चित करके अवगत कराया जाये ? मान्यवर, यह आज की बात नहीं है । 1995 से लगातार हम लोग वहां निवास कर रहे हैं । 1995 से लेकर आज तक पूरे क्षेत्र के लोग हमसे सम्पर्क करते हैं, दीप नारायण के घर की कुर्की के बाद हमने काफी अनुरोध किया, मान्यवर, वहां विधान सभा चुनाव हुये हैं तबसे बड़े-बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा हुआ है, मेरा नाम एवं विधान सभा क्षेत्र गरौठा लिखा हुआ है । यह कार्यवाही जानबूझ करके केवल प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, डकैती डालने के उद्देश्य से, मकान को नष्ट करने के उद्देश्य से की गयी है । इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि उनके खिलाफ तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या कुर्की की कार्यवाही दो परिसरों में हुई ?

श्री चन्द्रपाल सिंह–

वैसे तो 10 लोगों के यहां हुई है । ब्लाक प्रमुख, प्रधान, कोआपरेटिव के चेयरमैन आदि के यहां हुई । दीप नारायन के घर के नाम से कुर्की हुई है । यह भी पता चला कि यह जहां-जहां जाते हैं वहां-वहां के घर की कुर्की की जायेगी । मान्यवर, वहां पर हजारों की तादाद में पुलिस व पी०ए०सी० थी, 25–30 गाड़ियां थीं । जब लोगों ने विरोध किया तो लाठी चार्ज हुआ, कई लोग घायल हुए । मान्यवर, 8 घंटे तक थाने में बंद रखा ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने जो सूचना आई है उसी के आधार पर जानकारी दी है । इसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि माननीय विधायक के घर की कुर्की की गई है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

हमारी सूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि झांसी जनपद के मोंठ कस्बे में कल 25 फरवरी को श्री चन्द्रपाल सिंह के निवास पर भारी संख्या में पी०ए०सी० और पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने उनके घर पर नग्न तांडव किया...

श्री हुकुम सिंह–

कुर्की की गई है दीप नारायण यादव के मकान की वहीं पर यह विधायक गए हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इसको आज स्थगित कर दें । यह सूचना सही नहीं आई है । सही सूचना आनी चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

जो जानकारी चाही गई थी वह जानकारी दे दी । अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

जैसी कि संसदीय कार्य-मंत्री जी ने सूचना दी है कि चन्द्रपाल सिंह के यहां कुर्की नहीं हुई, दीप नारायन यादव के घर कुर्की हुई है । लेकिन यदि चन्द्रपाल सिंह के घर की कुर्की हुई है उनके घर को तोड़ा गया है, वहां लूट-पाट की गई है उनको विधान सभा आने से रोका गया है, 8 घंटे थाने बिठाकर रखा गया है क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

वहां पर एक व्यक्ति सहकारी समिति के चुनाव में नामांकन दाखिल करने जा रहा था उसको इस बात के लिए यह सजा दी गई कि उसका पैर तोड़ा गया, नामांकन छीन लिया गया जिसके कारण अदालत से कुर्की का आदेश हुआ उसके अनुपालन में यह कार्यवाही की गई । ऐसा अपराध कोई करेगा तो अदालत द्वारा कार्यवाही की जाएगी ? यह स्थगन का विषय नहीं बनता है ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

श्री चन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध पैर तोड़ने का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उनके घर पर कुर्की के नाम पर डकैती डाली गई कार्यकर्ता अगर जुट न गए होते तो उनकी हत्या करने की मंशा थी। पुलिस कुर्की की कार्यवाही, एक दिन पूर्व दीप नारायन के घर पर डालकर पूरी कर चुकी थी। अब वह कहां-कहां जाते हैं, कहां-कहां बैठता है ? सब जगह कुर्की पुलिस करेगी।..

श्री अधिष्ठाता–

दीप नारायन यादव के घर की कुर्की उसकी गिरफ्तारी न होने के कारण हुई थी।

श्री बाबूराम यादव–*

माननीय, सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं। प्रति दिन जब भी वह किसी सभा में जाते हैं तो यह कहते रहते हैं कि हमने आदेश दे रखे हैं कि सभी प्रकार के एफ०आई०आर० लिखे जायेंगे। माननीय अधिष्ठाता जी आप सरकार के ही संरक्षक नहीं हैं हमारे भी संरक्षक हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मार-पीट हुई, डाक्टरी रिपोर्ट लगी हुई है, थाने की मोहर है, फिर एफ०आई०आर० दर्ज क्यों नहीं की गई ? माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी वह पुलिस की रिपोर्ट है और आप उसी रिपोर्ट को आधार बना रहे हैं। उनके मकान की कुर्की हो गई, विधायक जी जिस मकान में रहते हैं उनके घर का सारा सामान लूट लिया गया। जब वह दीप नायरान जी का मकान था ही नहीं तो माननीय सदस्य श्री चन्द्रपाल सिंह जी के घर की कुर्की क्यों हुई ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, मैं सूचना पर आ रहा हूं। सूचना में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है और आपत्ति नहीं कि कोई एफ०आई०आर० चन्द्र पाल जी द्वारा करायी जा रही है और वह दर्ज नहीं की गई। जो सूचना आपने दी थी, उसी पर माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने सूचना संग्रह करके आपको दे दी।

श्री अम्बिका चौधरी–

चन्द्रपाल जी के घर जाकर पुलिस बल डकैती डालता है।

श्री हुकुम सिंह–

ऐसा तो है नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय नेता सदन के आने के बाद अब आप दूसरी बात कहने लग गये हैं, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। क्या कोई अतिरिक्त सूचना मुख्य मंत्री जी के पास आ गयी है। मान्यवर, वास्तव में यह तो इशारे पर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की हत्या किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस बल से डकैती डलवायी जा रही है। आपका संरक्षण हमें चाहिये। इसलिये आप इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने का कष्ट करें ताकि विस्तार से तथ्य आ सके तब पता चल जायेगा कि वे आदमी कौन थे और अपराधी किसके थे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० अशोक बाजपेई–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नेता सदन भी बैठे हैं और काफी देर से यह प्रकरण सदन के सामने विचारणीय है । यह माननीय सदस्य के सम्मान से जुड़ा है । इससे गम्भीर प्रश्न सदन के सामने और नहीं हो सकता है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार के पास अभी पूरी जानकारी नहीं है । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी जो बता रहे हैं वह पूरी जानकारी के अनुसार नहीं है । आपसे निवेदन है कि इस सारे प्रकरण की जानकारी बुन्देलखण्ड मण्डल के आयुक्त से करवाकर सरकार कल सदन उठने से पहले सदन को अवगत कराये ताकि सारे तथ्य सामने आ जायं ।

माननीय सदस्य ने विस्तार से घटना बताई है यह परम्परा रही है कि जब अपने से संबंधित किसी घटना की बात माननीय सदस्य करते हैं तो सदन की सम्वेदनशीलता उसके प्रति होती है और यह मानकर कार्यवाही की जाती है कि यह सत्य है । संसदीय कार्य-मंत्री इसे निरन्तर झुठलाने का काम कर रहे हैं । आप उस पीठ पर बैठे हैं हम आपसे संरक्षण की मांग करते हैं आपकी पीठ से निर्देश दिये जाने चाहिये । सारा कार्य सरकार के संकेत पर हुआ है सरकार उस पर पर्दा डालने का काम करेगी आप इसकी जांच करवाकर, कल सदन उठने से पूर्व सदन में बताये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें । हम अपने संरक्षण के लिये, सम्मान के लिये इसी पीठ से तो गुहार करेंगे नहीं तो कहां जायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेई जी, यह प्रकरण सदन के सामने है । यह माननीय सदस्य से संबंधित है इसलिये मैं भी इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं और जो इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा था उसके लिये मैं जानकारी चाह रहा था और अम्बिका जी से कहा था कि वे स्पष्ट कर दें । दीप नारायण जी के गिरफ्तारी के अभिप्राय से क्योंकि वे एरेस्ट नहीं हो रहे थे इसलिये उनके मकान की कुर्की का कोर्ट से आदेश हुआ । जिस परिसर के लिये कोर्ट से आदेश हुआ उसे उन्होंने कुर्क कर लिया ।

एक दूसरा विषय कि माननीय चन्द्रपाल जी के निवास पर भी कुर्की हुई । यह तो लिखा है लेकिन जो एफ०आई०आर० लिखे जाने वाली बात है उसका कोई उल्लेख नहीं है । जो दूसरा परिसर है जिसमें कुर्की करने की बात कही गई है वह माननीय सदस्य का परिसर है आपकी भावनाएं मूल रूप से इससे जुड़ी हैं । अभी आपने विशेषाधिकार हनन नोटिस देने की बात कही है वह भी आ रही है तो जो सूचना यहां पर थी उसके अनुसार संसदीय कार्य-मंत्री जो सूचना संकलित करके आये थे सदन में जानकारी देने की कोशिश की है ।

आपकी विशेषाधिकार हनन की जो नोटिस आ रही है उसमें मुख्य रूप से यह है कि यह माननीय सदस्य से संबंधित प्रकरण पर ही गम्भीरता से विचार किया जाय । कोर्ट के निर्देश तो अलग हैं । विशेषाधिकार हनन की नोटिस आने के बाद यह सारा प्रकरण विस्तार से परिलक्षित हो जायेगा । मैं आप लोगों के विचार सुनने व संसदीय कार्य-मंत्री जी के पक्ष को सुनने के बाद अब इस निर्णय पर आ रहा हूं कि यह नियम–56 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा–

इसमें दो बिन्दु उभरकर सामने आये हैं । प्रश्न का एक बिन्दु जो आपके सामने आया है वह यह है कि विशेषाधिकार हनन का प्रश्न विचारणीय है उस पर सारी सूचनाएं आ जायेंगी । दूसरा बिन्दु यह है कि हमारे माननीय सदस्य चन्द्रपाल जी के मकान की कुर्की का । जबकि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है । उनके मकान को ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया, लूटा गया । इसकी जांच हम झांसी मण्डल के

कमिश्नर महोदय से करवाकर और कल उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग कर रहे हैं। दो अलग चीज हो गयी है। विशेषाधिकार हनन अलग हो गया उसके लिये नोटिस दे दी गई है लेकिन श्रीमन्, जो तोड़-फोड़ की गई है, लूट-पाट की गई है उसकी जांच मान्यवर, झांसी कमिश्नर से करवाये जाने का आपसे निवेदन करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं झांसी मण्डल के आयुक्त से जांच कराने की मांग की गई है इसमें निर्देश दिए हैं आज सरकार इसमें जांच करा ले और कल जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दें।

श्री अधिष्ठाता–

विशेषाधिकार प्रकरण में दें।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरी बात सुनें, जो सदन में बोल रहे हैं उसमें कहां विशेषाधिकर है हम अपनी बात कह रहे हैं एक विधायक की कुर्की की सब सामान घर ले गए हम चाहते हैं सरकार साफ निर्देश दे इसमें जांच झांसी के आयुक्त से हो जाए और कल जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जाए। यह सदन चल रहा है इसमें हम क्या बड़ी मांग कर रहे हैं ? आप कहते हैं रिपोर्ट दर्ज नहीं है हम चाहते हैं झांसी मण्डल के आयुक्त इसमें जांच करके कल अपनी रिपोर्ट दे दें। और कल सदन के पटल पर उसको रख दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

आप विद्वान सदस्य हैं नोटिस में खुद देख लें, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई, इसका उल्लेख नहीं है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मेरी प्रार्थना है नियम–56 में सूचना दी है अगर पूरी जानकारी शासन के पास संसदीय कार्य-मंत्री के पास नहीं है तो जो तथ्य नियम–56 के माध्यम से माननीय सदस्यों ने इस सदन में रखे हैं मैं निवेदन करूंगा कि उसको देख लें और इस विषय पर आप व्यवस्था न दें यह मेरी आपसे प्रार्थना है आज इसको स्थगित करदें झांसी के आयुक्त महोदय को इसकी जांच के निर्देश दे दिए जाएं वह जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें और वह जांच रिपोर्ट कल सदन के पटल पर रख दी जाए। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आपकी कल इस पर व्यवस्था आ जाए। मान्यवर, कल जो आपकी व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य होगी इसमें कुछ ऐसी बात नहीं कही जा रही है, आप कल व्यवस्था दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

जांच किस बिन्दु पर होगी ? चन्द्रपाल सिंह जी के मकान की कुर्की हुई या नहीं यह प्रकरण होगा ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जो माननीय सदस्यों ने नियम–56 में विचार व्यक्त किए हैं इन सबको संग्रहीत करके इसकी जांच, आयुक्त झांसी मण्डल से करा ली जाए जांच की रिपोर्ट आपको कल प्राप्त हो जाए और कल ही इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें। कल जो आपकी व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य होगी। मान्यवर, यह विधायकों से जुड़ा प्रश्न है इसकी संवेदनशीलता को आप स्वीकार कर रहे हैं। कल जो आपकी व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य होगी।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, इस पर एक घंटे से अधिक हो गया बहस चल रही है इससे पहले संसदीय कार्य-मंत्री जी ने जो भी उनके पास सूचना आई थी वह सारे सदन के समक्ष रख दी उस पूरी सूचना में कहीं यह नहीं है कि माननीय सदस्य के घर की कोई कुर्की हुई या इनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ...

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

विवाद है इसलिए तो जांच की बात कह रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इनके विचार बल प्रदान कर रहे हैं इनको सुन लें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, आपने एक व्यवस्था दे दी फिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो बहस हो रही है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसमें चर्चा हो जाए। मैं शुक्ला जी की बातें विस्तार से सुन सकूं, अन्य मंत्रियों की बात को सुन सकूं इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें चर्चा करायी जाय।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था एक बार आ गयी उसके बाद भी यह बार-बार उठा रहे हैं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज इसे स्थगित कर दें और पूरे प्रकरण की जांच...

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जब कभी संवेदनशील विषय आता है तो आप उसकी ग्राह्यता पर सुनते हैं और ग्राह्यता पर विचार करने के बाद परीक्षण कराकर सदन को अवगत कराया जाता है। यह निरन्तर होता रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य जी आपका बल झांसी मण्डलायुक्त से जांच कराकर कल सदन के उठने से पहले सदन को सूचित करने पर है। मैंने पूरे प्रकरण को सुनने के बाद, विशेषाधिकार वाली बात भी कही गयी...

(व्यवधान)

तो उससे भी सारी चीजों की स्क्रीनिंग हो जायेगी। इसके बाद भी मण्डलायुक्त झांसी से जांच कराने की बात है तो मैं ग्राह्यता पर सुनने के बाद इसे अग्राह्य कर रहा हूं। यह नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है। लेकिन मैं माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मण्डलायुक्त झांसी से इस परिप्रेक्ष्य में कि माननीय चन्द्रपाल जी की कुर्की हुई कि नहीं ...

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जब हुई ही नहीं है तो मैं क्या जांच करा लूंगा ?

श्री अधिष्ठाता–

इसकी जानकारी कल सदन को दे दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर हम लोगों ने बात कही होती तो आप बहुत नाराज होते । [x x x]

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, एफ०आई०आर० की बात आपने नहीं कही है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न है, जो पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है जिसमें करोड़ों रुपये का सरकार का नुकसान होने की सम्भावना है । ऐसे प्रश्न की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी परिषद् द्वारा विगत कई वर्षों से 94-95-96-97-98 में विभिन्न सड़कों के कार्य के लिए कार्य संकरित हुए और उसके बाद टेन्डर द्वारा चयन बान्ड द्वारा उन सभी सड़ाकों के निर्माण के लिये कार्य विभिन्न कई वर्षों से हो रहा था । आज इस सरकार द्वारा जिसमें चालीस फीसदी, पचास फीसदी और साठ फीसदी काम हो चुका था उन कार्यों को रोक दिया गया । मान्यवर, आज फिर यह निर्णय लिया जा रहा है और इस तरह की व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है कि वह सारे कार्य जो चयन बाण्ड द्वारा हो रहे थे उसे निरस्त करके पुनः टेण्डर करके कार्य कराया जायेगा । इससे सरकार के काफी धन का अपव्यय हो रहा है, जनता को कंकड़ वाली सड़कों पर चलकर आवागमन दुरुह हो रहा है । 1995-96 की जो सड़कों पर काम हो रहा था, उसमें उस समय की बाजार दरें कम थीं, उसी पर उनको बनाने की बाध्यता थी अगर निरस्त न किया जाता पुनः टेण्डर में वर्तमान दरों पर कराने की बात आयेगी । जो ठेकेदार काम कर रहे थे, अब जैसे गोरखपुर, बस्ती व सिद्धार्थनगर आदि जगहों पर बाढ़ आयी सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं तो उनकी फिर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी जो पुराने कार्य हुए थे वह एडजस्टमेंट के आधार पर उनको पेमेंट मिल जायेगा । इस तरह से जहां ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है वहीं अधिकारियों की जेब को भरने का काम भी किया जा रहा है ।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी मोहीदुनीपुर तक सड़क बनी थी, आधे से ज्यादा कार्य हो गया था, उसको रोककर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया जा रहा है । फिर से इसका परीक्षण करा लें । मण्डी परिषद् के बोर्ड में जो इस तरह का निर्णय कि पुनः टेण्डर हों, कराने का प्रयास किया जा रहा है उसका

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

परीक्षण फिर से हो । इस गम्भीर प्रश्न का समुचित समाधान निकाला जाये । मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए मांग करता हूं कि एक घण्टे की इस पर चर्चा करायी जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो विषय उठाया गया है मण्डी समिति में एक निर्धारित प्रक्रिया है, मानक है उसके अनुरूप कार्य किया जा रहा है उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है । अगर निर्धारित प्रक्रिया को रोक दें तो बाधा पड़ेगी । इसलिए कोई कार्य-स्थगन यह नहीं बनता ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निर्माण शुरू हुआ था, उसको कैंसिल करके पुनः टेण्डर करके वर्तमान दरों के हिसाब से करना पड़ेगा । यह कृषि मण्डी समिति पर धन का भार होगा । प्रक्रियाओं की अवहेलना करके इस कार्य को किया जा रहा है । इस प्रक्रिया से फिर कई वर्ष लग जायेंगे मान्यवर, उन कार्यों के बाण्ड बनाये गये हैं वह कार्य पूरे होते । मान्यवर, निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना करके पुनः रिटेण्डर कराने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी इससे कार्य बाधित होगा मैं चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछ लें जो पुराने टेण्डर थे वे पुरानी दर पर बने थे और उसमें 50 से 60 प्रतिशत काम हो गया है उसके पुराने दर पर करा लेने में सरकार का क्या नुकसान होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप दिखवा लीजिये कि कहीं शासकीय धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है और इसमें कार्य में विलम्ब न हो ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सारी बात पर विचार करके यह निर्णय हुआ है माननीय सदस्य कोई सूचना दे रहे हैं वह अलग की बात है यह जनहित में, कार्यहित में सारी बातों को जानने देखने के बाद यह निर्णय लिया गया है इसमें विलम्ब होने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय लालजी वर्मा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

(श्री कौकब हमीद का नाम पुकारे जाने पर)

अनुपस्थित हैं ।

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि लोक महत्व के इस विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है यह सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है । महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रदेश के करोड़ों गन्ना किसानों के भविष्य से जुड़ी समस्या है । इसकी गम्भीरता इसलिए है कि चीनी मिल मालिक हैं उनकी आदत बन गयी है कि गन्ना किसानों के गन्ने का भुगतान कई-कई साल बाद करते हैं इससे पहले प्रश्न प्रहर में एक प्रश्न था, माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया कि 1998-99 का जो पेराई सत्र चल रहा है इसका 587 करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों के ऊपर किसान का बकाया है । 97-98 का 36.16 करोड़ रुपया और इसी तरह से 95-96 का और 94-95 का करोड़ों रुपया किसानों का मिल मालिकों पर बकाया है ।

मान्यवर, गन्ने की फसल एक साल में पूरी तैयार होती है । साल भर किसान मेहनत करता है, अपने साधन लगाता है बोता है, सिंचाई, खाद, पानी लगाता है और उसके बाद साल भर बाद फसल तैयार होती है, उसको ले जाकर वह मिल मालिक को दे देता है । लेकिन मिल मालिक किसानों को पैसा नहीं देते हैं । मान्यवर, अगर मिल मालिक किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किसान की क्या हालत होगी ? गन्ना एक कैश क्राप है, किसान के अपने खर्चे हैं, उसका परिवार है, उसका पालन-पोषण करना है, बच्चों के शादी-विवाह पर खर्च करना है और अगली फसल बोने की तैयारी करना है । सरकार ने तो कह दिया है कि पैसा दिलायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि 587 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है ।

हमारे देश में एक कानून है, शुगर मिल कन्ट्रोल आर्डर बना है उसके तहत अगर मिल मालिक गन्ना किसानों के रुपये का भुगतान नहीं करते हैं तो मिल मालिकों को बकाये धन पर 15 प्रतिशत ब्याज देने की व्यवस्था है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार मिल मालिकों को ब्याज देने के लिए बाध्य कर दे तो हो सकता है कि मिल मालिक उसके पैसे का भुगतान कर दें । पिछले साल लगभग 6 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया । 6 हजार करोड़ में से 2 हजार करोड़ उससे पहले सत्र का था, जो एक-डेढ़ साल के बाद मिला ।

इस तरह से आप देखें कि 450 करोड़ रुपया किसानों के गन्ने का भुगतान न करने पर ब्याज का बनता था, 1997-98 को आप देखें । यह कहते हैं कि मिल मालिकों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है । मान्यवर, अगर और कोई व्यक्ति पैसे का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसके घर की कुर्की हो जाती है अगर मान्यवर, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो सरकार उनको आर्थिक सहायता दे दे, राजकोष से सहायता दे दें, किसानों के पैसे से उनकी क्यों सहायता पहुंचायी जा रही है । किसान अगर पैसा नहीं दे पाता है तो आर०सी० काट दी जाती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है । किसान के पास भी अपने खर्चे हैं, उसको खाद लेनी पड़ती है और कृषि के उपकरण लेने पड़ते हैं और तमाम कार्यों में खर्च करना पड़ता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूंजीपतियों की पोषक सरकार है । यह सरकार करोड़ों रुपये का फायदा मिल मालिकों को पहुंचा रही है । सरकार की मिल मालिकों से सांठगांठ है और गन्ना आयुक्त ने सभी जिला गन्ना अधिकारियों को पत्र लिखा है, जो मेरे पास है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, गन्ना आयुक्त, उ० प्र० के पत्र सं०–पीए 614/97 दिनांक 9 जुलाई, 1997 जो समस्त जिला गन्ना अधिकारी और समस्त उप आयुक्तों को भेजा गया है जिसे मैं सदन के समक्ष आपकी उनकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं –

शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर 1966 के प्राविधानों के अनुसार यदि कोई मिल गन्ना खरीदने के 14 दिन के बाद भी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करती है तो अवशेष धनराशि पर विलम्बित अवधि हेतु 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय हो जाता है ।

2–आपकी अधीनस्थ अधिकांश मिलों द्वारा वर्तमान सत्र के गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना खरीदने के 14 दिन के अन्दर नही किया गया है तथा चीनी मिलों पर अभी भी काफी धनराशि गन्ना मूल्य के मद में अवशेष है । इस राशि का भुगतान चीनी मिलों द्वारा काफी पूर्व कर दिया जाना चाहिये था किन्तु अब तक भी धनराशि अवशेष रहने के उस पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि भी देय हो गयी है । जब तक सम्पूर्ण गन्ना मूल्य की धनराशि का भुगतान मिल द्वारा नहीं कर दिया जाता तब तक का विलम्बित अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की देनदारी नियमानुसार मिल की है ।

3–एतद्द्वारा आपको निर्देश दिये जाते हैं कि यदि आपके अधीनस्थ गन्ना समितियों द्वारा विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज के बिल मिलों को न प्रेषित किये गये हों तो उसे तुरन्त मिलों को प्रेषित करते हुए चीनी मिलवार/समितिवार देय ब्याज की राशि का विवरण 10 दिन में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।

मान्यवर, आपने निर्देशित कर दिया कि यह कानून है जिसके अनुसार चीनी मिलें 14 दिनों में भुगतान नहीं किया तो बिल भेजें और उसकी वसूली की कार्यवाही शुरू कर दें । कितना पैसा चीनी मिलों को देना है यह मैं सदन को बताना चाहता हूं कि चीनी मिलों की देनदारी 192 करोड़ रुपये निकलती है । मिलों द्वारा किसानों को यह ब्याज देना है । मान्यवर, मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिक यहां आते हैं और सरकार से बातचीत हो जाती है, पता नहीं क्या डीलिंग हुई लेकिन चीनी मिल मालिकों से कह दिया गया कि उस परिपत्र का पालन न किया जाय और फिर चीनी मिल मालिकों को 192 करोड़ रुपया जो उन्हें देना था उसे माफ कर दिया गया । इस प्रकार मान्यवर, यह सरकार चीनी मिल मालिकों से मिली है ।

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है । मान्यवर सरकार ने सदन के सामने स्वीकार किया है कि कानून है लेकिन हम कानून का पालन नहीं कर पा रहे हैं । इस प्रकार यह गम्भीर संवैधानिक संकट है । इसलिये इस लोक महत्व के प्रश्न पर जो करोड़ों लोगों से सबंधित है और किसानों का पैसा मिल मालिकों पर जो 192 करोड़ रुपया बकाया है जिसके कारण किसान आन्दोलन कर रहे हैं किन्तु सरकार कानून का पालन नहीं करवा रही है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस लोक महत्व के प्रश्न पर आप चर्चा करायें ।

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिये आपका आभारी हूं । मान्यवर, गन्ना के मूल्य भुगतान देय पर महत्वपूर्ण यह विषय लगा है, उस पर गन्ना किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है जिसका सरकार आकलन नहीं कर पा रही है । जबकि यह बोझ सरकार पर है । सरकार गन्ना किसानों से खरीद कर गन्ना मिल मालिकों को देती है । सहकारी समितियों से गन्ना किसान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उधार सामान जैसे–खाद, बीज और दवाइयां लेता है । जब वह सामान लेता है तो उस पर उसेउसी दिन से ब्याज देय हो जाता है लेकिन वही सहकारी समितियां जब किसानों से गन्ना खरीदती हैं और मिल मालिकों को देती है तो अपना ब्याज लेती हैं लेकिन गन्ना किसानों को ब्याज नहीं दिया जा रहा है । यह सरकार की जिम्मेदारी है । मान्यवर, पिछले दिनों कप्तानगंज चीनी मिल पर 15 करोड़ रुपये के बकाये के ऊपर किसानों ने प्रदर्शन किया, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, लाठी चार्ज होने के बाद उल्टे मुकदमें किसानों पर हुये क्योंकि किसान अपने गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग कर रहा था । मलियाना के ऊपर भी यही हुआ । कल इसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है । मलकपुर चीनी मिल ने एक रुपया भी गन्ने का भुगतान नहीं किया । एक ओर किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है दूसरी तरफ किसानों के ऊपर जो बकाया सरकार का है 300 या 400 रुपये किसानों की आर० सी० काट करके जेलों के अन्दर बन्द किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब समाप्त करें । एक मिनट के स्थान पर आप दो मिनट बोल चुके ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं । वहीं पर मिल मालिक की आर० सी० काटकर आज तक किसी मिल मालिक को बन्द करने का काम इस सरकार ने नहीं किया । किसानों के साथ अन्याय हो रहा है । मिल मालिकों को बन्द करने की हिम्मत नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार मिल मालिकों, उद्योगपतियों से मिली हुई है जिसके कारण कोई सख्त कार्यवाही नहीं करना चाहती है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपने बड़ी कृपा की, बड़े संक्षेप में इस विषय पर चर्चा आयी । हालांकि प्रश्नकाल में भी यही विषय था और बड़े विस्तार से प्रश्न किये गये थे । जहां तक गन्ना मिलों के भुगतान का प्रश्न है, दो बातें हैं एक तो भुगतान में विलम्ब हुआ, विलम्ब हुआ तो ब्याज क्यों नहीं दिया जाता ? जहां तक विलम्ब का प्रश्न है । समरपाल सिंह जी, आप सहमत होंगे विगत वर्षों में जितना भुगतान हुआ और जिस गति से हुआ । यह वर्ष सर्वोत्तम है । विगत वर्षों की तुलना नहीं करना चाहता । विगत वर्ष में 98 प्रतिशत का भुगतान हो गया था, यह पहला वर्ष था, इतिहास में कि इतना अच्छा भुगतान किसानों का हुआ था । यह इस सरकार ने किया और इस सदन में इसकी घोषणा भी की गयी थी । इस वर्ष की बात बता देता हूं, अभी तक जो स्थिति है वह यह है कि कुल गन्ना जो आपूर्ति किया गया है वह 2109 करोड़ रुपये का है । 23 तारीख तक 1488 करोड़ 99 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है । ब्याज की बात आपने कही है । मैं भी कभी अध्ययन करने का प्रयास करता था । विधिक स्थिति यह है कि गन्ने के दो दर हैं एक तो स्टेट्युरी प्राइस दूसरा जो सरकार प्रयास करके किसानों को दिलवाती है । ब्याज स्टेट्युरी प्राइस पर दे सकते हैं । यह जो स्टेट्युरी प्राइस और सरकार के प्रयास से जो गन्ने का मूल्य मिलता है उसमें जमीन-आसमान का अन्तर होता है ।

हर किसान को प्रसन्नता होनी चाहिये कि 1-2-99 में यह निर्णय आया और माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि अब तीन तरह के प्राइस होंगे, स्टेट्युरी (विधिक) दूसरी वह जो प्रदेश सरकार दिलवाये तथा तीसरी प्राइस समझौते की । जब दोनों पक्षों में समझौते हो गये और समय से भुगतान नहीं हुआ तो इन्ट्रेस्ट मिलना चाहिये । पर इसके लिये प्रदेश सरकार ने निर्णय वह ले लिया है कि माननीय

उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जहां-जहां पर गन्ने के भुगतान में विलम्ब होगा वहां पर ब्याज दिलाया जायेगा, यह निर्णय ले लिया है और माननीय गन्ना मंत्री जी ने इसकी सूचना आज दे दी थी ।

श्री समर पाल सिंह–

गन्ना मंत्री जी ने कहा था कि जो दो रुपये का अन्तर था वह दो रुपये एवं उसका ब्याज हम मिल मालिकों से लेकर किसानों को दिलवाएंगे । बाकी बकायों पर हम ब्याज नहीं दिला पाएंगे क्योंकि मिल मालिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

बाकी का तो सम्भव नहीं है ।

श्री समर पाल सिंह–

किसानों ने अगर कहीं से को-आपरेटिव सोसायटी से कर्जा ले रखा है तो उसके ऊपर तो ब्याज लगाते हैं । तो क्या उस ब्याज को माफ करने की घोषणा की जाएगी ?

श्री हुकुम सिंह– ,

यह गन्ना किसानों के बकाए का मामला था दूसरी बात कहां से आ गई ?

श्री समर पाल सिंह–

प्रदेश में गरीब किसानों का शोषण हो रहा है । 10-10, 20-20 हजार रुपये पर उनकी आर० सी० काटी जा रही है । दूसरी तरफ मिल मालिक गरीब किसानों का करोड़ों रुपये का भुगतान नहीं कर रहे हैं । समय पर उनका भुगतान नहीं हो रहा है । यह पूंजी पतियों की सरकार है । सरकार की इस नीति के विरोध में मैं अपने साथियों के साथ सदन का बहिर्गमन कर रहा हूं ।

(श्री समर पाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री समर पाल सिंह को, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त नियम 56 में इसको अग्राह्य करता हूं ।

अगली सूचना श्री शिवपाल सिंह यादव की है ।

* श्री शिवपाल सिंह यादव–

अधिष्ठाता महोदय, इस समय प्रदेश में सरकार के अधिकारियों के इशारे पर चावल में करोड़ों रुपये का घोटाला कर लिया गया है । न तो किसानों को धान का समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय किया था मिल रहा है । पूरे प्रदेश में एक भी क्रय केन्द्र ने, 407 रुपये प्रति कुन्टल समर्थन मूल्य तय किया गया था एक कुन्तल धान की खरीद नहीं की । यह धान बिचौलियों के माध्यम से मिल मालिकों ने खरीदा और मिल मालिकों ने जब धान से चावल निकाला तो उसमें से लेवी में 7 प्रतिशत सरकार को पहले दिया जाता है वह 40 प्रतिशत खुले बाजार में मिल मालिक बेचते हैं । लेकिन सरकार ने और बड़े-बड़े अधिकारियों ने मिलकर 100 प्रतिशत चावल को खुले बाजार में बिकवा दिया है । इसमें दलाल हैं । एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

दलाल हैं हनुमान प्रसाद दूसरे हैं, जमुना प्रसाद और तीसरे हैं प्यारे लाल चौथे हैं पी० के० सिंह । इनसे मिलकर मंत्रियों और बड़े-बड़े अधिकारियों ने करोड़ों रुपये लेकर के प्रदेश में मण्डी का नुकसान किया है । मण्डी को जो शुल्क मिलता था करोड़ों रुपये का उसका नुकसान हुआ है । करोड़ों रुपये सेल्स टैक्स, करोड़ों रुपये इनकम टैक्स का और किसानों को भी उसकी कीमत नहीं मिली । इस सरकार ने खुले आम 17 रैकों को खुले बाजार में बिकवा दिया । इटावा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, कानपुर देहात पूरे प्रदेश में खुले आम बिकवा दिया है । इस समय प्रदेश में पहले से ही आर्थिक संकट था इस समय सरकार ने और जानबूझकर आर्थिक संकट पैदा कर दिया ।

मान्यवर, जो संकट पैदा हुआ है उसकी जांच कराई जाय । जिन जिन अधिकारियों और मिनिस्टर का हाथ है उनकी जांच कराई जाय और इस लोक महत्व के प्रश्न पर इस सदन की पूरी कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें और जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी हैं उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय । सी० बी० आई० से इसकी जांच करा दें जिससे प्रदेश में खुलासा हो जायेगा जिन्होंने प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा किया है किसानों का नुकसान किया है उनके बारे में पता चल जायेगा । यह सरकार किसान विरोधी है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय सदस्य का विचार आ गया है कई लोगों की सूचना है । सबको सुनना मुश्किल है । शाक्य जी आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सूचना पर बोलने का अवसर दिया । मैं लम्बी चौड़ी बात न कह करके आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सारा प्रदेश जानता है कि मण्डी परिषद् की क्या हालत है ? पहले बहुत अच्छी हालत थी अब बहुत खराब हो गयी है । इसकी हालत खराब इसलिये हो गई है क्योंकि जब इसके पास पैसा नहीं होगा तो विकास के कार्य नहीं होंगे । लेवी के धान से लेवी में 60 प्रतिशत धान खरीदते तो वह मण्डी में जाता मंडी में नहीं जायेगी तो आप शुल्क नहीं लगा पाते । और जब शुल्क नहीं लगेगा आपके पास पैसा नहीं होगा तो हालत खराब होगी ही । सड़क नहीं बनेगी, हैण्ड पम्प नहीं लगेंगे । यह जान बूझकर किया गया है धान लेवी में सस्ता है और मार्केट में महंगा है । मिल ओनर्स की भी गलती थी, सरकार नहीं खरीद रही है तो कहीं न कहीं तो दिया जायेगा । यह सरकार की गड़बड़ी है बेईमानी है । मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान ।)

*श्री महाराज सिंह यादव–

मान्यवर, इसमें किसानों को पैसा नहीं मिला है 300, 325, 350 से ज्यादा नहीं मिला है । संसदीय कार्य मंत्री जी के पास यह विभाग भी है । जब ये इटावा मैनपुरी के भ्रमण पर गये थे तो वहां के मिल मालिकों ने शिकायत की थी कि एफ० सी० आई० वाले चावल नहीं उठा रहे हैं । जब उन्होंने चावल नहीं उठाया तो करोड़ों रुपया जैसा कि शिवपाल जी ने बताया है का नुकसान हुआ है । इसमें सी० बी० आई० जांच करवाई जाय ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य फिर बता दें।

श्री महाराज सिंह यादव–

मैंने कहा कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री इटावा और मैनपुरी के भ्रमण पर गये थे वहां मिल मालिकों ने निवेदन किया था कि एफ० सी० आई० के लोग चावल नहीं उठा रहे हैं इसको उठवाने की कृपा करें आप कह आये थे लेकिन उन्होंने चावल नहीं उठाया मजबूर होकर पूरा चावल उन्होंने बंगलादेश को दे दिया।

श्री हुकुम सिंह–

मैं दो बातें कहना चाहूंगा एक तो यह कि धान के ऊपर कोई लेवी नहीं है लेवी चावल के ऊपर है मिल मालिक जितना खरीदते हैं ... (व्यवधान) पश्चिमी क्षेत्र में धान से जो चावल बनेगा उस पर 60 प्रतिशत लेवी देंगे प्रदेश सरकार इसमें एफ० सी० आई० को देती है पूर्व में रेशियो कम है वह 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें प्रयास रहा है इसमें सारा हिसाब लिया जाता है कितना धान क्रय किया गया और कितना चावल उस धान से बना, उसी हिसाब से लेवी लेते हैं। इन्होंने कहा कि एफ० सी० आई० वाले चावल नहीं उठा पा रहे हैं इसमें बता दूं चावल नहीं बनता है तो मिल मालिकों का भुगतान नहीं हो पाता है वह सोचते हैं कि आगे धान कैसे खरीदेंगे ? सारा उत्पादन ब्लाक हो जाएगा। मैं गया था इटावा, मैनपुरी, मैंने प्रयास किया धान अवमुक्त होता रहे इसमें प्रयास किया गया। माननीय सदस्य ने एक बात कही कि बंगलादेश में चावल भेजा गया, हमारा नियंत्रण लेवी तक है 60 प्रतिशत लेवी मिलेगी तो 40 प्रतिशत चावल दिया जाएगा उसको वह कहीं जाकर बेच सकते हैं।

(सदन की बिजली चली गई।)

श्री शिवपाल सिंह यादव–

बगैर रिलीज आर्डर के 100 प्रतिशत क्रय किया गया।

श्री हुकुम सिंह–

आपने कुछ नामों का उल्लेख किया अगर ऐसा कुछ संज्ञान में आया है तो जो नाम आपने उल्लेख किये थे इसमें विशेष रूप से जांच करायेंगे, बिना लेवी दिये कितना कहां चावल गया ? इसमें फर्म ही नहीं, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

करोड़ों रुपये का मामला है ....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने विस्तार से कह दिया है सब जांच करायेंगे जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करायेंगे।

श्री बाबूराम यादव–

इसका इन्हें धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री जी ने कहा है कार्यवाही करेंगे, लेकिन मान्यवर पिछले वर्ष विधान सभा में जब पंजाब धान भेजने की बात थी तो आपने कहा था मैं जांच कराऊंगा .....

श्री हुकुम सिंह–

सारा प्रदेश एक इकाई है किसान अपना प्रोड्यूज कहीं ले जा सकते हैं जो मिलिंग उत्तर प्रदेश में होगी इटावा की शिकायत आयी है जो आपने कहा हमारे विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा है और उनके खिलाफ एफ० आई० आर० हुई है। जो आगे जानकारी दी गयी है उसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर श्री शिवपाल सिंह, श्री राम औतार शाक्य, श्री महाराज सिंह यादव और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। यह नियम–56 में नहीं आती है। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, आपने मुझे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह अविलम्बनीय इसलिये है कि यह पूर्वांचल के सभी माननीय विधायकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यह इसलिये भी अविलम्बनीय है कि इस वित्तीय वर्ष में कुछ ही दिन शेष हैं 31 मार्च से पूर्व स्वीकृतियां जारी होनी चाहिये। यह लोक महत्व का इसलिये है कि यह पूर्वांचल की आठ करोड़ की आबादी के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मान्यवर, जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आयी थी तो एक पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना हुई थी और इसलिये मानकर की गयी थी कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बजट भाषण में बोल रहे थे, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि का पचास प्रतिशत धन जिले पर भेजा जाता है और उस निधि की गाइड लाईन में है कि माननीय विधायकों के प्रस्ताव पर कार्य कराये जायेंगे। पचास प्रतिशत धन जिलाधिकारी मण्डलायुक्तों की स्वीकृति के बाद धन अवमुक्त हो जाते हैं और पचास प्रतिशत धन नियोजन विभाग और मुद्रण की स्वीकृति पर मंत्री पर खर्च किया जाता है। उसमें यह लिखा है कि समानता के आधार पर क्षेत्रीय संतुलन कायम रखा जायेगा। आज मुझे इस बात को कहने में तकलीफ हो रही है कि जो पचास प्रतिशत धन जो राज्यांश पर रखा जाता है उसमें विपक्ष के विधायकों की उपेक्षा की जा रही है। उस निधि की गाइड लाइन्स के विरुद्ध हम विधायकों की उपेक्षा की जा रही है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के लोगों की विकास की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की भी विकास को कराने की है। जितने जवाबदेह वह लोग हैं उतने ही जबावदेह हम भी जनता के प्रति हैं।

मान्यवर, यदि जिन उद्देश्यों को लेकर चुनकर आये हैं विकास की बात कहकर हम यहां आये हैं अगर वही नहीं होगा तो हमारा यहां पर आना व्यर्थ है। जब सरकार विपक्ष के नाते हमारे प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं देगी तो कैसे होगा। विकास हम आपकी पीठ से निर्देश चाहेंगे जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में कहा था कि समानता के आधार पर क्षेत्रीय संतुलन कायम रहेगा और विकास राजनीति से जुड़ा हुआ मसला नहीं है अगर यह उन्होंने कहा है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं समानता की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं लेकिन आज पूर्वांचल की उपेक्षा हो रही है और इसलिये कर रहे हैं कि हम विरोध पक्ष के लोग हैं। मान्यवर, यह हमारे अधिकारों का सवाल है। यह विकास का सवाल है और इसमें हम आपका संरक्षण चाहेंगे। आप निर्देश दें कि पूर्वांचल विकास निधि की गाइड लाइन्स समानता के आधार पर क्षेत्रीय संतुलन हेतु देखकर ही विकास पर धन का

आवंटन किया जाय । मेरा आपसे आग्रह है कि मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करता हूं । आज जो मैं कह रहा हूं कल आप भी जब इधर होंगे तो कहेंगे अगर हम अपनी बात कहते हैं तो हमारी बात सुनने के लिये आप क्षमता रखें । यह क्षेत्रीय असंतुलन सरकार चला रही है । मान्यवर, इस सब कार्यों में हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है, इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं । इस पर चर्चा करा ली जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो पूर्वांचल विकास निधि है उसके संचालन के लिये विधि बनाई गई है उसके नियम 6 (दो) व 6 (3) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, इसमें प्राविधान है कि जिला स्तर की जो योजनाएं होंगी जो जिला स्तर के विकास कार्य होंगे, वे वहां के सम्मानित जनप्रतिनिधियों की संस्तुति से होंगे जिलाधिकारी उसका संचालन करेंगे और मंडलायुक्त की स्वीकृति करायेंगे और काम कर देंगे । जो बड़ी योजनाओं के लिये स्वीकृति प्रदेश से होगी जिलास्तर के जो छोटे काम हैं उनकी स्वीकृति जिलास्तर के जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त से कराते हैं । जो वृहत योजनायें हैं उनके संबंध में नियम 6(3) में प्राविधान किया गया है मान्यवर, पैसा दिया जा रहा है और नियमानुसार चल रहा है । अतः अनुरोध है कि कृपया इस कार्य-स्थगन को निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, हमारे प्रस्ताव नियोजन विभाग में लम्बित हैं, स्वीकृति नहीं जारी हो रही हैं । मान्यवर, इस पर चर्चा करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें श्री विनोद मणि जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थाओं के चुनाव 5 वर्ष के लिये कराये गये थे । मान्यवर, यह सहकारी संस्थायें ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़ी होने के कारण अपना विधि सहमत कार्य कर रही थीं जो जनतांत्रिक प्रणाली है उसको मजबूत करने का काम कर रही थीं । मान्यवर, इस सरकार ने एक तुगलकी आदेश ला करके इनका कार्यकाल 3 साल करने का काम करके इन तंमाम सहकारी संस्थाओं को भंग करने का काम किया है । उस समय सहकारिता मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष जरूर कर दिया गया है लेकिन शीघ्र इनके चुनाव करा लिये जायेंगे । सरकारी नीयत में खोट हैं । जहां पर समाजवादी पार्टी के चुने हुये प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनको भंग करके अपने लोगों को नामांकित करने का षडयंत्र है । इस मामले में जब उच्च न्यायालय में विचार हो रहा था तो सरकार का पक्ष रखा गया कि नामांकन प्रक्रिया अपनाई नहीं जायेगी । बल्कि चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी । चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई उसे स्थगित कर दिया गया । फिर अब कहा जा रहा है कि मार्च तक चुनाव करा लिये जायेंगे । मान्यवर, एक साथ 27 संस्थाओं में अपने लोगों को नामांकित कर दिया गया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, [xxx] लोगों को किया गया है इससे अनुचित दूसरी मिसाल कोई और नहीं होगी । मान्यवर, प्रदेश का मंत्रिमण्डल प्रदेश का गौरव हुआ करता था उसका सम्मान होता है जिला सहकारी बैंक का प्रशासन है । यह सभापति माननीय जिलाधिकारी के अधीन होते हैं डिप्टी डायरेक्टर उसको बुला लेता है जब डिप्टी डायरेक्टर स्तर पर बैठक होती है तब भी सहकारी बैंक के अध्यक्ष उसकी बैठक में जाते हैं । आज ये कैबिनेट मंत्री सदस्य बनकर वहां जायेंगे तो इससे क्या सदन की गरिमा नहीं घटेगी । मान्यवर, जब मार्च में चुनाव पूरा हो जायेगा तो इन 27 बैकों का नामिनेशन करने की क्या जरूरत थी । मान्यवर, इन्होंने सदन को और न्यायालय को आश्वस्त किया था लेकिन उसका पालन नहीं किया । यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । न्यायालय में शपथ-पत्र कुछ देते हैं और यहां आकर कार्रवाई कुछ करने लगते हैं । मान्यवर, अब आपसे ही अपेक्षा रह गयी है ।

मान्यवर, जब चुनाव की कार्यवाही चल रही है तब दल विशेष के लोगों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है इसको निरस्त करने का निर्देश दें और साथ ही यह भी निर्देश दें कि जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते कोई नया नामांकन न हो । मान्यवर, इसमें कोई दलित जाति की महिला का नामांकन नहीं हुआ है केवल दल विशेष के लोगों का नामाकन किया गया है । मान्यवर, इससे ज्यादा अविलम्बनीय और लोक महत्व का दूसरा कोई सवाल नहीं हो सकता है यह प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन से किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है । आप निर्देश दें कि अवैध नामांकन को निरस्त किया जाय और चुनाव शीघ्र कराये जायं और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, जिस समय यह सरकार बिल ला रही थी कि सहकारी समितियों का कार्यकाल घटाकर 3 साल कर दिया जाय तो मैंने आशंका व्यक्त की थी कि सरकार की नीयत में खोट है और इसलिये है कि चुनाव तो यह कभी चाहती नहीं । हमारे 90 प्रतिशत लोग सहकारी समितियों में हैं और यह उसमें घुसना चाहती है । जब यह बिल आया था तो मैंने कहा था, मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने इस पर कहा था कि सरकार की नीयत साफ है और हम नामांकन करने नहीं जा रही हैं उसी को इन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में कहा दोनों जगह इन्होंने कहा कि नामांकन नहीं करेंगे अब इतने असत्यवादी यह लोग हैं कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है और नामांकन हो गये । मान्यवर चुनाव 6-7-8 में हो जायेंगे लेकिन इनमें इतना साहस नहीं रहा इतना धीरज नहीं रहा, हमारे लोग फिर जीत कर आ जायेंगे इन्होंने सोंचा कि जब तक बैठे तब तक बैठ लें । मान्यवर, एक तो सबसे बड़ी बात है जो कैबिनेट मंत्रिपरिषद् में हैं वह जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नामित किये गये । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर माननीय हुकुम सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं और यह कहें कि मुझे अमुक गांव का प्रधान बना दिया जाये, प्रधान नामित कर दिया जाये, तो क्या होगा, हम क्या समझेंगे ? मंत्रि-परिषद् की क्या गरिमा रह जायेगी ? जो अधिकारी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि जब [xxx] तो इनको सार्वजनिक जीवन में नहीं रहना चाहिये और यही कारण है कि प्रतिदिन चाहे वह विधायक हो या मंत्री हो, उनकी गरिमा गिरती जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होंने बचन दिया था कि हम किसी को नामित नहीं करेंगे, नामिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन यह फिर बदल गये और फिर नामित

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कर दिया, जो मंत्रि परिषद् के सदस्य थे, उनको नामित कर दिया । आप देखें, पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस तरह की कोई मिशाल नहीं मिलेगी, जैसी इस सरकार ने किया है ।

मान्यवर, मुझे तो सुनने में शर्म आती है और इन्हें करने में भी नहीं आती है । मैं कहना चाहता हूं कि इनको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिये और जिन मंत्रियों को और बड़े-बड़े नेताओं को नामित किया है, उनको तुरन्त हटाया जाये और यह चुनाव फेस करें और अगर जीत जाते हैं तो बैठें कोई एतराज नहीं है । मान्यवर, यह गम्भीर मसला है और सारे कामों को रोक कर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अशोक बाजपेयी जी और श्री बादूराम जी कहीं न कहीं भ्रम के शिकार हैं । मैं उनके भ्रम को दूर करना चाहता हूं । चुनाव 7 व 8 को होने हैं, किसी को प्रशासक नामित नहीं किया गया है, जिनके चुनाव मई में होने हैं उनमें नामित किया गया है । मान्यवर, एक शिकायत की गयी है और कहा गया है कि मेरी सहकारिता के क्षेत्र में कोई सेवा नहीं है, चन्द्र पाल जी उसके विशेषज्ञ हैं । जिन माननीय मंत्रियों को नामित किया गया है वह सहकारिता के क्षेत्र में माहिर हैं, और उनकी सेवायें ली जा रही हैं, उनकी सेवाओं का लाभ लेने के लिये उनको नामित किया गया है और उसका लाभ जनता को मिलेगा, इसलिये उनको नामित किया गया है, यह उनकी कृपा है कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाने की सहमति दे दी है । यह सरकार बचनबद्ध है, हम आपकी तरह सहकारिता पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, चुनाव कराना चाहते हैं और जो चुनकर आयेंगे वह बैठेंगे, लेकिन पर्चा दाखिल करने तो दें, उनको यह अधिकार तो दें ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक लम्बी टीम मंत्रियों की है, उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिये काम देने का यह बहुत अच्छा तरीका है जिसके लिये मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मई तक सहकारी बैंकों के चुनाव हो जायेंगे । मई में अब कितने महीने रह गये हैं ? प्रशासनिक अधिकारियों को नामित कर रहे हैं तो क्या यह चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे ? जो नामांकन हो रहा है उससे क्या चुनाव निष्पक्ष हो सकेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी मैंने डा० अशोक बाजपेयी और श्री बाबूराम यादव को ग्राह्यता पर सुना और उसके पश्चात् संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना । सुनने के पश्चात् इस सूचना को मैं नियम 56 में अग्राह्य करता हूं ।

* श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं सूचना द्वारा इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे अनुरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि जनपद-बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर के ग्राम–दरयारी में 50 इन्दिरा आवास वित्तीय वर्ष 1997-98 में स्वीकृत किये गये थे और उनके लाभार्थियों की सूची बनायी गयी थी तथा प्रभारी सहायक विकास अधिकारी रघुवीर सिंह ने सुविधा शुल्क के रूप में एक लाख 56 हजार रुपया गांव के निर्धन व्यक्तियों से वसूल कर लिये तथा अक्टूबर, 1998 से वह रुपया लेकर फरार हो गया है तथा इसके बाद राजेन्द्र सिंह शिशौदिया, सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) को प्रभारी नियुक्त किया गया है, उन्होंने भी लाभार्थियों की सूची मनमानी ढंग से बनायी और जब जांच हुई तो वह चयन अनियमित और अवैध पाया गया इसके पश्चात् वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी भूषण कुमार की देख रेख में महावीर सिंह, सहायक विकास अधिकारी एवं नरेन्द्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी ने लाभार्थियों की सूची चयनित करके चेक बांटने हेतु 1-2-99 को रखा तब मेरी शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच की और चयन को अनियमित बताया और महावीर सिंह और नरेन्द्र सिंह को दोषी पाया और उनके विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश जिला विकास अधिकारी को दिये किन्तु जिला विकास अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी की सांठ-गांठ से अब तक लक्षित लाभार्थियों की सूची इन्दिरा आवासों का लाभ लक्षित व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है और पूरे विधान सभा क्षेत्र में इसी प्रकार इन्दिरा आवासों में आर्थिक लाभ देकर शासन की नीतियों का माखौल बनाया जा रहा है।

मान्यवर, यह मामला इतना गम्भीर है कि पूरे जनपद में आन्दोलन की स्थिति है इसलिये यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये इस मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर दोषी अधिकारियों को कठोर से कठोर सजा देने का कष्ट करें। मान्यवर, इन्दिरा आवासों में चयन गलत तरीके से हो रहा है और शासनादेश में जो 8 मापदण्ड दिये गये हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। खण्ड विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी बनाये गये हैं और वे मनमाने ढंग से सूची बना रहे हैं। मान्यवर, आर्थिक दृष्टि से कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है और जो बनाये गये हैं वे अधूरे हैं। इसलिये उनका सत्यापन न होने से वर्ष 97-98 के धन का अवैधानिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इसमें दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया जाय। मेरी मांग है कि आप इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर एक घन्टे की चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है वह सारे प्रकरण की जांच करें और जो दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

जनपद-बदायूं के अम्बियापुर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम दरयारी में इन्दिरा आवास योजनाओं में कथित रूप से की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री भोला शंकर मौर्य एवं संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राहय करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी अब बजट प्रस्तुत करें ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,17,30,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(2) मान्यवर, आज के .....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा का बजट भी प्रस्तुत कर दें उसके बाद एक साथ दोनों पर आपके विचार आ जायं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

ठीक है, मान्यवर, ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,82,01,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, वर्तमान युग विज्ञान और टेक्नोलोजी का है, चाहे घर में हों या बाहर जायं या यहां पर बैठे हो विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का परिणाम हर जगह परलक्षित होता है । विधान सभा हाल के अन्दर, चाहे एअर कण्डीशनिंग की व्यवस्था हो, विद्युत या माइक्रोफोन, स्पेस टेक्नालोजी, राडार, सेटलाईट सब में विज्ञान और तकनीकी की आवश्यकता है । जिस तरह से तकनीकी शिक्षा विकसित हो रही है, नयें-नये कोर्सेस बढ़ रहे हैं । इसीलिये माननीय प्रधानमंत्री जी ने "जय जवान, जय किसान के साथ जय विज्ञान" को जोड़ा है ।

उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारी सरकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा विस्तार और गुणवत्ता के लिये प्रयास किये गये हैं । उत्तर प्रदेश के अन्दर रुड़की विश्वविद्यालय इन्जीनियरिंग कालेज, जिसको शासन से अनुदान मिलता है, .। इन्जीनियरिंग कालेज चल रहे हैं । उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है लेकिन 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अन्दर इन्जीनियरिंग कालेज में प्रवेश की स्थिति बहुत दयनीय थी । अन्य छोटे-छोटे प्रदेश हैं जहां पर इन्जीनियरिंग कालेज की संख्या भी अधिक है और प्रवेश की क्षमता भी अधिक है । माननाय सदस्यगण को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1995 में 1688 छात्रों की प्रवेश क्षमता थी वह 1996-97 में बढ़ करके 2255 हो गयी है । उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में छात्र बाहर अन्य प्रदेशों में इन्जीनियरिंग की शिक्षा के लिये जाते थे और करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश का दूसरे प्रदेशों मे जा रहा था । उत्तर प्रदेश के अन्दर प्राइवेट सेक्टर में इन्जीनियरिंग कालेज

खोलने को बढ़ावा दिया गया । उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछले एक-डेढ़ वर्ष में 26 प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज खोलने की अनुमति दी गयी और 31 और इन्जीनियरिंग कालेज खोलने के लिये एन० ओ० सी० दी गई है । इस तरह से 1997-98 में उत्तर प्रदेश में इन्जीनियरिंग में 4500 छात्रों की प्रवेश क्षमता हो गई । 1998-99 में प्रवेश क्षमता 6,000 हो गई है । मुझे विश्वास है कि जुलाई, 1999 तक प्रवेश क्षमता 7,200 हो जाएगी । उत्तर प्रदेश का कोई भी छात्र अन्य प्रदेशों में इन्जीनियरिंग पढ़ने के लिये विवश नहीं होगा ।

उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने भी इन्जीनियरिंग कालेज खुल रहे हैं स्टैण्डर्ड एवं क्वालिटी में किसी तरह का कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा । हर प्राइवेट इन्जीनियरिंग कालेज में गवर्निंग बाडी बनाई गई है । मैं सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिनके क्षेत्र में प्राइवेट इन्जीनियरिंग कालेज खोले गये हों अगर उनको कहीं मानकों में कमी दिखे तो वह अवगत करायें । उत्तर प्रदेश के अन्दर छात्रों की क्वालिटी में कमी नहीं होगी जिससे अन्य प्रदेशों के छात्रों सेकम्पटीशन कर सकें प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से सरल कर दी गई है । अभी तक जो प्रवेश प्रक्रिया होती थी उसमें प्रक्रिया लम्बी होती थी और अक्टूबर में हम पढ़ाई प्रारम्भ कर पाते थे । इस प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है ।

उत्तर प्रदेश के अन्दर प्राइवेट इन्जीनियरिंग की परीक्षा 18-19 मई को ली जाएगी और इसका परीक्षाफल 20 जून तक निकाल देंगे और पहली बार परीक्षाफल इन्टरनेट पर उपलब्ध करायेंगे । पूर्व में समाचार पत्रों एवं डाक के माध्यमों से छात्रों को सूचित करते थे कि इन दिनों काउंसिलिंग होगी इस व्यवस्था में सुधार किया गया है । अब यह व्यवस्था ब्रोशर में की गयी है कि मैरिट के आधार पर काउंसिलिंग की जाएगी । इतने तक की मेरिट वालों की इस दिन काउंसिलिंग की जाएगी । यह भी व्यवस्था की गयी है कि पहली काउंसिलिंग 8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी, दूसरी काउंसिलिंग 15-22 जुलाई के बीच होगी । अगर आवश्यकता हुई तो तीसरी काउन्सिल की जाएगी ।

जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होकर एक अगस्त से इन्जीनियरिंग की पढ़ाई प्रारम्भ हो जाएगी । अभी तक प्रदेश में पालीटेक्निक में प्रवेश लेने के लिये एज लिमिट थी अब एज लिमिट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । मेरिट के आधार पर कम्पटीशन होगा । और छात्रों को प्रवेश मिलेगा । इन्जीनियरिंग में जो पढ़ते थे पहले साल बाद कुछ सीटें खाली रह जाती थी अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि 10 प्रतिशत सीटें एडीशनल रख रहे हैं इससे पूरी क्षमता का यूटीलाइजेशन हो रहा है । अब दूसरे तीसरे साल कोई भी सीट रिक्त नहीं रहेगी । उत्तर प्रदेश में पालीटेक्निक चलती है इससे डिप्लोमा दिया जाता है वहां से कोई छात्र टाप भी कर लेता था तो इन्जीनियरिंग कालेज में प्रवेश नहीं दिया जाता था । मुझे यह लगा कि यह उचित नहीं है । अतः किसी भी डिप्लोमाधारी मेरिटेरियन छात्र-छात्रा को इंजीनियरिंग में दूसरे वर्ष प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की गई है ।

सरकारी इंजीनियरिंग कालेज में एन० आर० आई० के पांच परसेन्ट सीटों को हमने बढ़ाया है ताकि फाइनेन्सियल पोजीशन इम्प्रूव हो सके । मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश में इन्जीनियरिंग कालेज के साथ-साथ रुड़की इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय भी है जो आई० आई० टी० के समकक्ष है । हम चाहते हैं कि रुड़की का स्तर उससे भी आगे बढ़े, मैं बताना चाहता हूं कि विश्व स्तर की जो पांच इन्जीनियरिंग कालेज हैं, उसमें रुड़की का स्थान चौथा आया है । इसके लिये मैं रूड़की विश्वविद्यालय के कुलपति जी को तथा शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसी परफारमेन्स दी है । यह पहली बार आ है कि रुड़की इन्जीनियरिंग कालेज ने दूसरे देश में अपना एक एक्सटेन्सन सेन्टर खोला रखा है । मलेशिया में

अपना सेन्टर खोला है । पहले वर्ष वहां पढ़ाई होगी फिर दूसरे वर्ष से छात्र यहां आ जायेंगे, इससे फारेन करेन्सी भी हमें प्राप्त होगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है । यह चर्चा माननीय मंत्री जी जारी रखेंगे । मैं सिर्फ कटौती का प्रस्ताव रख देना चाहता हूं । मैं एक शब्द भी उस पर नहीं बोलूंगा । श्री सोनकर जी जब आ जायेंगे तो तब वह कटौती पर अपनी बात कह लेंगे । केवल टेक्नीकलिटी इसमें है । आप मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लें । आपने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया है, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करता हूं कि अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इनफारमेशन टेक्नोलाजी को विकसित करने का प्रयास शुरू हो गया है और साथ ही नई टेक्नीकल यूनिवर्सिटी के बारे में भी विचार किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश के टेक्नीकल विभाग के अन्तर्गत डिप्लोमा धारी कोर्सेस चल रहे हैं । 1998-99 में 95 संस्थाऐं हैं, जिसमें से 85 संस्थायें कार्य कर रही हैं और 48 डिप्लोमा कालेजों में पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम चल रहा है । इन्जीनियरिंग कालेज की प्रवेश परीक्षाओं के समान प्रवेश प्रक्रिया को मार्डनाइज किया गया है और प्रवेश परीक्षा के सिस्टम को चेन्ज किया गया है । प्रश्न-पत्रों की संख्या 12 से घटाकर 7 कर दी गई है । डिप्लोमा प्रवेश के लिये इस वर्ष मुख्य प्रवेश परीक्षा मई के अन्तिम रविवार प्रत्येक वर्ष आयोजित की जायेगी और 25 जून तक परिणाम आ जायेंगे और यह इन्टरनेट पर भी उपलब्ध कराया जायेगा । आज तक पालीटेक्नीक में काउन्सिलिंग की व्यवस्था नहीं थी । कई महीने इस प्रक्रिया में लग जाते थे पहली बार उत्तर प्रदेश के अन्दर काउन्सिलिंग की व्यवस्था की गई है । एक जुलाई से 7 जुलाई तक पहली और फिर 16 से 20 तक दूसरी काउन्सिलिंग होगी और इस तरह से जुलाई के अन्त तक पालिटेक्निक में प्रवेश की सारी कार्यवाही होकर सब स्थान भर जायेंगे । पहली अगस्त से क्लासेज प्रारम्भ हो जायेंगी जिस तरह से हमने कहा विज्ञान हो, तकनीकी शिक्षा हो, हर क्षेत्र में जिस तरह से मार्डनाइजेशन हो रहा है । पालिटेक्नीकल कालेजों के अन्दर नये पाठ्यक्रम को खोलने का विचार चल रहा है । इन्स्ट्रूमेंन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल, इलेक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग (कंप्यूटर एडेड डिजाइन), टेक्सटाइल डिजाइन (प्रिन्टिग) इन्टीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन (कंप्यूटर एडेड डिजाइन) प्रोडेक्ट डिजाइन, फैशन टेक्नालोजी, मास कम्युनिकेशन, बायो टेकनालोजी, कम्प्यूटर इन्जीनियरिंग आदि । सभी राजनैतिक दल महिलाओं की बात करते हैं लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर महिलाओं की तकनीकी शिक्षा की बहुत ही खराब स्थिति थी । सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के अन्दर महिलाओं की तकनीकी शिक्षा 10 प्रतिशत थी ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद यह प्रतिशत 19 हो गया । वर्तमान में यह 21 प्रतिशत है और सरकार इसके लिये प्रयास कर रही है कि आने वाले तीन वर्षों में हम इसको 30 प्रतिशत ले जायेंगे । तकनीकी शिक्षा प्राप्त महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले । इसमें विस्तार की दृष्टि से 4 राजकीय पालिटेक्निक-सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर, इलाहाबाद, फैजाबाद में स्थापित किये गये हैं और दौराला जनपद मेरठ में एक अन्य पालिटेक्निक की स्थापना के बारे में विचार चल रहा हैं । इस तरह से

महिलाओं की शिक्षा के लिये सरकार द्वारा प्रयास किया गया है । मान्यवर, हमारे जो पालीटेक्निक में पाठ्यक्रम हो रहे हैं उनमें प्रत्येक पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या 5 वर्ष के अन्तराल पर पुनरीक्षित करके माडनाइज करेंगे । इस बारे में समीक्षा विकास शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर द्वारा किया जा रहा है । जिस तरह से नये-नये कोर्सेज इन्ट्रोड्यूज हो रहे हैं जो शिक्षक पालिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं पुराने हैं उन्हें मार्डन सबजेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए इसके लिये उन्हें ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था की जा रही है विदेशों से भी उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जा रही है । 25 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । देश में आई०आई०टी०, कानपुर, प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल, हिन्दुस्तान एरोनाटिक लिमिटेड में अब तक कुल 7584 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया गया है । 98-99 में 512 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया गया है । इसके अतिरिक्त पालिटेक्निक में व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिये विशेष प्रयास कर रहे हैं । 1990 से अब तक भवन निर्माण के मद में 143 करोड़ रुपये तथा उपकरण साज-सज्जा और फर्नीचर आदि पर 56.87 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है ।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि संस्थाओं में छात्रों के लिये 3896 हास्टल सीट्स तथा शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये 818 आवास बनाये गये हैं । चालू वित्तीय वर्ष में 336 छात्रावास सीटों के आवासों का निर्माण किया गया है इसके अलावा 80 पालीटेक्निक में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है । संस्थाओं तथा उद्योगों के मध्य घनिष्ठ अर्न्तसंबंध विकसित करने के उद्देश्य से 85 पालीटेक्निकों में अर्न्तसंबंध प्रकोष्ठों की स्थापना की जा चुकी है तथा 79 संस्थाओं के स्तर पर भी स्थानीय उद्योगों से एक से एक के आधार पर मेमोरण्डम आफ अन्डर स्टैन्डिंग भी निस्पादित कराये गये है । पालीटेक्निक के अन्दर शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जो रिक्त पद हैं उनमें तदर्थ नियुक्ति की जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के अन्दर 21 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में से दो को छोड़कर 19 के अन्दर केन्द्रीय सहायता से कम्यूनिटी पालीटेक्निक योजना संचालित की जा रही है अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में इन सामुदायिक इकाइयों द्वारा टेलरिंग, मोटर बाइण्डिंग, हिन्दी अंग्रेजी टाइपिंग आदि शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके 2340 युवक युवतियों को प्रशिक्षित किया गया है । 66 पालीटेक्निकों में कम्युनिटी पालीटेक्निक योजना लागू की है जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है । विकलांग हमारे देश के अन्दर बहुत हैं अभी तक कोई पालीटेक्निक या इन्स्टीट्यूट इनके लिये हमारे प्रदेश के अन्दर नहीं था ।

मान्यवर, विकलांगों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु कानपुर में राष्ट्रीय स्तर की संख्या डा० अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी फार हैण्डीकैप्ड स्थापित की गई है इसको 10 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया है यह मई 1998 से चालू हो गई है इसमें आर्कटिक्चरल असिस्टेन्टशिप व स्टेनोग्राफी एण्ड सेक्रेटियल प्रेक्टिस के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं । वर्ष 1999–2000 से इन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त तीन वर्षीय कम्प्यूटर इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम 30 की प्रवेश क्षमता से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । विकलांगों के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा कार्य किया है । इस संस्था में अध्ययनरत छात्रों को शिक्षा आवास और वर्दी तथा रियायती दरों पर भोजन की व्यवस्था की गई है ।

मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त नई योजनायें बनाई गई हैं प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने इत्यादि के दृष्टिकोण से परियोजनाओं के लिये वाह्य सहायता प्राप्त करने के संबंध में विचार किया जा रहा है जो परियोजनायें भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं वह योजनायें हैं दस पालीटेक्निकों को उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में विकसित किया

जाना, तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना, प्रदेशीय इन्जीनियरिंग कालेजों का विकास, आधुनिकीकरण एवं पुरातनता को दूर करना ।

मान्यवर, विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं में तकनीकी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें समुचित पाठ्यक्रम आदि के चयन में सहायता देने के उद्देश्य से प्रदेश में चार कैरियर काउन्सिलिंग सेन्टर्स की स्थापना की योजना प्रगति पर है । यह कैरियर काउन्सिलिंग सेन्टर्स मैदानी क्षेत्र की चार पालीटेक्निक संस्थाओं में स्थापित किये जा रहे हैं । वह हैं राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ, राजकीय महिला पालीटेक्निक इलाहाबाद, राजकीय महिला पालीटेक्निक मुरादाबाद, राजकीय पालीटेक्निक कानपुर । इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय महिला पालीटेक्निक देहरादून में भी एक कैरियर काउन्सिलिंग सेन्टर प्रारम्भ करने की योजना है । इस तरह से मान्यवर हमने उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रयास किये हैं इन्हीं शब्दों के साथ में उच्च शिक्षा के बारे में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ....

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या 13(2) पर कटौती आ जाये मा० अम्बरीष जी,

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय सदस्य चले गये प्रस्ताव पेश करने में समय नष्ट होगा प्रश्न उपस्थित कर दें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मेरा निवेदन है अगर विचार विमर्श में इनका समय नष्ट होता है तो बलिहारी है इनके विचारों पर, माननीय मंत्री जी ने उच्च शिक्षा पर अपना प्रस्ताव नहीं रखा जब वह रख देंगे तो कटौती रख दी जायेगी ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय मंत्री जी दोनों विषय पर अपना प्रस्ताव रख देते दोनों विषय पर कटौती रख दें प्राविधिक शिक्षा पर तो प्रस्ताव रखा दिया ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

उच्च शिक्षा पर मैं प्रारम्भ में कुछ कोटेशन रखना चाहूंगा–प्रेमचन्द्र जी ने शिक्षा के बारे में कहा है–"जीवन को सफल बनाने के लिये शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं । हमारी डिग्री है हमारा सेवा-भाव हमारी नम्रता, हमारे जीवन् की सरलता । अगर यह डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो कागज की डिग्री व्यर्थ है ।" शिक्षा पर स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है–"सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास । वह मनुष्य जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर जादू सा कर देता है, शक्ति का एक महान केन्द्र है और जब वह मनुष्य तैयार हो जाता है, तो वह जो चाहे कर सकता है । यह व्यक्तित्व जिस पर अपना प्रभाव डालता है, उसी को कार्यशील बना देता है ।"

इसी तरह से मान्यवर शिक्षा के बारे में अरविन्द ने कहा है–

दि पास्ट इज अवर फाउन्डेशन दि प्रजेन्ट अवर मैटीरिएल, दि फ्यूचर अवर एम एण्ड सम्मिट, ईच मस्ट हैव इट्स ड्यू एण्ड नैचुरल प्लेस इन ए नेशनल सिस्टम आफ एजूकेशन ।

मान्यवर, उच्च शिक्षा के संबंध में माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर शिक्षा का विस्तार हो लेकिन उसके साथ-साथ गुणवत्ता भी है । मैं अपनी बात कहने के पूर्व जो पूरे देश में शिक्षा का परिदृष्य है उसको बताना चाहूंगा । मान्यवर, वर्तमान में यू०जी०सी० के अगस्त, 98 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 237 विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय 9703 हैं छात्रों की संख्या 67.55 लाख है तथा शिक्षकों की संख्या 3.21 लाख है । उच्च शिक्षा में विस्तार पूरे देश में इस प्रकार है । 1950–51 से 1997–98 की तुलना में 1950–51 में 30 महाविद्यालय, 750 महाविद्यालय तथा 2.63 लाख छात्र हैं । 1997–98 में 237 विश्वविद्यालय, 9703 महाविद्यालय तथा 67.55 लाख छात्र हैं ।

उत्तर प्रदेश के अन्दर जो उच्च शिक्षा का परिदृष्य है वह इस प्रकार है । विश्वविद्यालय 22, महाविद्यालय 676, छात्रों की संख्या 11.74 लाख तथा शिक्षकों की संख्या 15703 है । अब मैं उच्च शिक्षा का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा । 1947 के पूर्व 05.97 में 21 तथा वर्तमान में 22 विश्वविद्यालय हैं । महाविद्यालय 1947 के पूर्व 16, 1997 में 619 तथा वर्तमान में 676 हैं । छात्र 1947 के पूर्व 22343, 1997 में 8.25 लाख तथा वर्तमान में 11.74 लाख हैं । शिक्षक 1947 के पूर्व 478, 1997 में 15621 तथा वर्तमान में 15703 हैं ।

उत्तर प्रदेश के अन्दर सभी को शिक्षा मिले इसके लिये सरकार द्वारा प्रयास किया गया है । प्रवेश की समस्या के समाधान के लिये हमने यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों को शासन से स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि सायंकालीन क्लासेस परीक्षा खोली जाय । महाविद्यालयों में नये विषय हेतु 242 क्लियरेंस, 520 अस्थाई सम्बद्धता तथा 41 को स्थायी सम्बद्धता दी गई है । 15 नये राजकीय महाविद्यालय 1997–98 में खोले गये हैं और इसके लिये 19.20 करोड़ रुपया भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया है । 1998–99 में 9 राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है और भवन निर्माण के लिये 9.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई । हमारे कई वरिष्ठ माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा की है हम सबको एक दृष्टि से देखना होगा । शिक्षा का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिये । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर 87 के बाद से कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खोला गया ।

जब मैं 91-92 में मंत्री था तो मैंने ओपेन युनिवर्सिटी खोलने का प्रयास किया था लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया । उसके बाद इन प्रस्ताव को नहीं बढ़ाया गया । मैं यह चाहता था इन्दिरा गांधी ओपेन यूनिवर्सिटी की तरह यहां पर भी ओपन यूनिवर्सिटी खोली जाय । और खुब हमने यह कर दिखाया है । हमने राजर्षि टण्डन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में खोलने का काम किया है । यह हमने उन महान पुरुषों के प्रति अपने आदर भाव को दिखाया है । मान्यवर, यदि गुणवत्ता नहीं हुई तो हम अन्य प्रदेशों में कम्पटीट नहीं कर पायेंगे । आज हम किसी बच्चे को प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं तो वहां भी कम्पटीशन हो जाता है कई जगह पेरेन्टएस का भी इन्टरबियू हो जाता है । प्रदेश में क्वालिटी आफ एजूकेशन को ध्यान में रखते हुये हम चाहते हैं कि एक एकेडमिक कलेण्डर हो । 31 अगस्त तक सारे प्रवेश हो जायें परीक्षाओं का कार्यक्रम पूर्व में घोषित हो जाये, 180 दिवस पढ़ाई के नियत किये गये हैं

30 अप्रैल तक परीक्षायें हो जायें और 15 जून तक रिजल्ट घोषित हो जायें । इस तरफ सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है ।

मान्यवर, दो वर्ष पूर्व जब 15 जून, 1997 को प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक हुई थी उसमें यह निश्चय हुआ था कि अधिकांश विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित हो और बताया गया था कि अधिकांश का नियमित हो रहा है । पिछली 31 अगस्त में यह बात थी कि 2 विश्वविद्यालयों को छोड़कर 12 विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित हो गया है ताकि छात्रों का नुकसान न हो । कई बार छात्र क्लासेज में नहीं जाते हैं तो फिर ठीक से अध्ययन न करने के कारण उत्तीर्ण कैसे कर पायेंगे ? इसलिये हमारी सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि 75 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति के बिना हम छात्र को परीक्षा में बैठने नहीं देंगे । 15 प्रतिशत की विशेष परिस्थितियों में छूट देने का प्राविधान किया गया है । हमारी मंशा है कि छात्र पढ़कर परीक्षाओं में सम्मिलित हों । नकल विरोधी कानून हमारी सरकार ने बनाया है उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में भी फेयरनेस की दृष्टि से कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

मान्यवर, अगर शिक्षकों की कमी रही तो यह हमारा उत्तरदायित्व बनता है, यह रिसपांसिबिलिटी सरकार की है । अनेक राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं इन पौने दो वर्ष में 402 लोगों की महाविद्यालयों में नियुक्ति की व्यवस्था की गई है लोक सेवा आयोग से भी 237 लोगों की तदर्थ नियुक्ति की कार्यवाही की गई है । इस तरह से अब राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की पूरी व्यवस्था करा दी गई है.। मान्यवर, हमने देखा कि अनेक राजकीय महाविद्यालयों में एक्टिंग प्रिंसिपल हैं, यह व्यवस्था ठीक नहीं होती उसको ठीक करने के लिये डी०पी०सी० की दो बार बैठक कराई महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर में 19 और स्नातक में 142 रेगुलर नियुक्तियां प्राचार्यों की कराई गईं । मान्यवर, इसी तरह से अशासकीय महाविद्यालयों में कमी थी शिक्षकों की कमी को हमने कहा कि जो रिटायर्ड टीचर्स से प्राइवेट कालेज में व्यवस्था उनकी कर सकते हैं उनको मानदेय के रूप में 50 रु० प्रति लेक्चर या अधिकतम 3000 रु० प्रतिमाह की व्यवस्था जो हमें कम लगी हमने इसे बढ़ाकर 100 रु० प्रति लेक्चर या 5000 रु० अधिकतम किया है । रिटायर्ड टीचर्स के साथ-साथ यंग लोग भी हमें एप्रोच करते थे कि हम पी०एच०डी० हैं और अर्हताओं को फुलफिल करते हैं । हमने कहा कि मेनेजमेंट वरीयता के आधार पर जो लोग यू०जी०सी० के नार्म्स को फुलफिल करते हों कान्ट्रेक्ट बेसिस पर नियुक्त कर सकते हैं ।

हमने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से भी नियुक्तियों के लिये कहा आयोग द्वारा प्रवक्ता के 1021 तथा प्राचार्य के 148 पद विज्ञापित किये गये हैं । हमने अध्यक्ष व सदस्य से भी निवेदन किया उन्होंने कहा है कि 6 महीने के अन्दर प्रक्रिया इसकी पूरी कर लेंगे । विश्वविद्यालयों में जो पद रिक्त हैं उनके लिए हमने कुलपतियों से अनुरोध किया है । विश्वविद्यालयों में अनेक वर्षों से डेली वेजेज पर कर्मचारी कार्यरत थे उनके रेगुलाइजेशन के बारे में किसी सरकार ने विचार नहीं किया हमने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 2325 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों का सृजन की कार्यवाही की है ।

मान्यवर, वरिष्ठता के आधार पर समायोजन करने के लिये स्पष्ट नीति हमने बनाई है । 2 वर्ष को 3 वर्ष की डिग्री में परिवर्तित किया गया तो उसके लिये पदों का सृजन किया जाना चाहिये था । उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष अशासकीय महाविद्यालय में साढ़े 300 शिक्षक और 305 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन हमारी सरकार द्वारा किया गया ।

चूंकि हमारी हायर एजूकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है । 14 विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं उसमें 4 विश्वविद्यालय में परीक्षा कन्ट्रोलर की व्यवस्था थी, 10 विश्वविद्यालयों में नहीं थी, हमने निर्णय लिया है कि सभी विश्वविद्यालयों में कन्ट्रोलर आफ एकजामिनेशन की व्यवस्था हो । अगर उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त कर लें और इनको रोजगार का अवसर न मिले तो यह भी उचित नहीं है मैंने हिसाब लगाया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के संस्थानों में कितने पाठ्यक्रम चलते हैं तो बहुत कम ही संस्थानों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलते थे । मान्यवर, 242 संस्थानों, महाविद्यालयों में एम०बी०ए०, बी०वी०ए०, एम०सी०ए० आदि के खोलने की अनुमति शासन द्वारा दी गई ।

मान्यवर, छात्रों के हित में शुल्क में एकरूपता की गई फ्री 50 प्रतिशत, पेड 35 प्रतिशत और एन०आर०आई० 15 का निर्णय लिया गया । पहले प्रवेश परीक्षा के लिये छात्रों को अलग-अलग परीक्षा में बैठना पड़ता था अब छात्रों के हित में उक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर संयुक्त परीक्षा आयोजित की गई । मान्यवर, शिक्षक कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को पहली जनवरी, 1996 से नये वेतनमान केन्द्र सरकार द्वारा घोषित है, लागू कर दिये हैं इससे शिक्षकों को लाभ हुआ तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की बात थी हमने 621 तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया है, परीक्षा एवं अन्य पारिश्रमिक देयों में वृद्धि की है, पारस्परिक स्थानान्तरण की व्यवस्था की गई तथा (एकल स्थानान्तरण विचाराधीन) है ।

मान्यवर, अभी तक शिक्षकों और कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा नहीं दी जाती थी, इसकी व्यवस्था की गई है उनके लिये मेडीक्लेम एवं सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना को भी लागू किया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये निर्णय लिया गया है और पेंशन गणना में अन्य संस्थाओं की भी सेवा को जोड़ा जायेगा और विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों को पुनरीक्षित पेंशन, पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया है ।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा छात्रों के हित के लिये कई निर्णय लिये गये हैं । छात्र कल्याण निधि में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, वित्तीय वर्ष 1996–97 में छात्रों की संख्या 700 थी और 8,70,480 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी, यह हमारी सरकार बनने के पूर्व की स्थिति है और हमारी सरकार बनने के बाद 1997–98 में छात्रों की संख्या 1152 थी और उनके लिये 20,32,378 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है और 1998–99 जिसमें अभी कुछ समय बाकी है, 840 छात्रों के लिये 25,36,000 रुपये की व्यवस्था की गई है । मान्यवर, छात्र कल्याण निधि के अन्तर्गत छात्र वृत्तियों की धनराशि में वृद्धि तथा अभिभावक की आय सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई है ।

मान्यवर, मेरिट के आधार पर भी छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है । इण्टर के 100 छात्रों को, सी०बी०एस०ई० के 25 और आई०सी०एस०सी० के 25 छात्रों को 2400 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है और विश्वविद्यालयों में प्रत्येक संकाय के 5 छात्रों को 3000 रुपये वार्षिक देने का निर्णय लिया गया है । मान्यवर इसी प्रकार से खेलकूद में अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लोगों को 10,000 रुपये की धनराशि एकमुश्त एक वर्ष में देने का निर्णय लिया गया है और राष्ट्रीय स्पर्धा के छात्रों को 5000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है । मान्यवर, छात्र छात्राओं को यदि गम्भीर बीमारी है, तो चिकित्सा हेतु अधिकतम 15 हजार रुपये तक की सहायता देने का प्राविधान किया गया है । छात्रों के लिये दुर्घटना

बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है । मान्यवर, इण्टर युनिवर्सिटी गेम और इण्टर युनिवर्सिटी फेस्टिवल के लिये 10 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, और विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिये 3 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, इसमें पहले विश्वविद्यालय को 1.5 करोड़ रुपये और दूसरे विश्वविद्यालय को एक करोड़ रुपये और तीसरे विश्वविद्यालय को 50 लाख रुपये देने का प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, कल मैं विधान परिषद् में था तो वहां पर संस्कृत शिक्षकों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया और कहा गया कि उनकी बड़ी दुर्दशा है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें आयी हैं किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है हमने एक कमेटी बनाई है और उसकी संस्तुतियों के अनुसार संस्कृत विद्यालयों को हमने तीन वर्गों में बांटा है, प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालय । मान्यवर, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसी प्रकार से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के गठन का निर्णय लिया गया है ।

इस तरह से संस्कृत विद्यालयों के इम्प्रूमेन्ट के लिये सरकार ने निर्णय लिये हैं । मान्यवर, एक तो उत्तर प्रदेश प्राइवेट सेक्टर में डिग्री कालेज खोलने के लिये प्रोत्साहन देने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है । अभी तक प्राइवेट सेक्टर में कोई भी संस्था डिग्री कालेज खोलना चाहती थी तो उसे सरकार अनुदान नहीं देती थी लेकिन हमारी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में डिग्री कालेज खोलने में यदि महाविद्यालय दो संकाय खोलेगा तो उसे 50 लाख रुपये और यदि एक संकाय खोलेगा तो 30 लाख रुपये का अनुदान सरकार देगी, ऐसा निर्णय लिया गया है ।

मान्यवर, प्रत्येक विश्वविद्यालय में शोध कार्यों एवं एक्सीलेन्स को बढ़ावा दिया जायेगा, इस संबंध में हम विचार कर रहे हैं कि अनुदान दें । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिये प्रयास किया गया है और मुख्य मंत्री जी ने महिलाओं को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिये स्नातक शिक्षा तक महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा देने के लिये बजट में घोषणा किया है । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

"श्री अम्बिका चौधरी द्वारा कटौती प्रस्ताव रख दिया गया है"

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

मान्यवर, किसी विभाग का बजट जब सरकार विधान सभा में पेश करती है तो देखा जाता है कि उसकी नीति और नीयत क्या है ? मान्यवर नीति और नीयत को सामने देख रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री एक तरफ बैठे हैं और एक मंत्री श्री राकेश जी उनसे बहुत दूर हैं, तो इनकी नीयत पहले से खराब है तो बजट कैसा होगा कि वह अपने मंत्री को भी साथ लेकर नहीं चल सकते हैं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे शिक्षा पर कटौती का प्रस्ताव रखने का समय दिया गया है और इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में मा० मंत्री जी ने कहा है कि 12 इंजीनियरिंग कालेज और पालीटेक्निक बहुत से चले रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि हर मां-बाप सोचता है कि मेरा लड़का ज्यों ही इण्टर पास करे त्यों ही इंजीनियरिंग में या सी०पी०एम०टी० में उसे प्रवेश मिल जाय । मान्यवर सभी जानते हैं कि कक्षा 12 जब लड़का पास करता है तो उसकी आयु 17-18 साल की होती है । और जब किसी इंजीनियरिंग के कम्पटीशन में आता है तो हम यह मानकर चलते हैं कि समाज का सबसे क्रीम लड़के का हमारे इंजीनियरिंग कालेज में दाखिला हुआ है । वह एडमीशन लेता है, 4 साल का कोर्स 5 साल और 6 साल में पूरा करते हैं । माननीय मंत्री जी का जो बजट हमने पढ़ा उसमें कहीं

यह मेंशन नहीं है कि जो लड़के थोड़ा पढ़ने में कमजोर हैं, माननीय मंत्री जी एक्सट्रा क्लासेज़ चलाने की व्यवस्था करेंगे । दूसरे हम लोग भी आई०टी०आई० के विद्यार्थी रहे हैं । फर्स्ट ईयर और सेकेण्ड ईयर में जो वर्कशाप और लैब चलाये जाते हैं उसमें हमेशा यह देखा जाता है कि जो इन्स्ट्रूमेंट होने चाहिये वह आधे से ज्यादा गायब रहते हैं जो इन्स्ट्रूमेंट रहते हैं वह 20-25 साल पुराने होते हैं उस पर लड़कों से कहा जाता है कि एक्सरसाइज करो ।

इस बजट में कहीं भी ऐसी चीजों की व्यवस्था नहीं की गई है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि विज्ञान का युग है, हम भी सहमत हैं लेकिन मंत्री जी आपको ज्ञात होगा कि आई०आई०टी० कानपुर में जय प्रकाश जी आन्ध्र प्रदेश का छात्र था, एम०टेक० कर रहा था उसका रिजल्ट लेट में आया और उसे मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ी । हम मानते हैं कि विज्ञान का युग है लेकिन गुणवत्ता क्या है ? जीरो है । अगर देखा जाये तो माननीय मंत्री जी ने यहां पर बताया प्रवेश प्रक्रिया के बारे में । पहले सरकार की नीयत साफ हो, नीति साफ हो, तब जाकर के समाज को कुछ दे पायेंगे, उत्तर प्रदेश को कुछ दे पायेंगे । आपने कहा कि हम फर्स्ट ईयर में 14 प्रतिशत बढ़ाकर एडमीशन लेंगे ताकि सीटें खाली न रह जायें लेकिन अगर वह लड़के नहीं छोड़ेंगे, आपने तो इसलिये कहा कि जो लड़के बाद में आयेंगे सीटें बैकेन्ट नहीं रह जायेंगे । अगर यह नहीं छोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे । आप एक्सट्रा क्लासेज की व्यवस्था करें और जितने भी इस्ट्रूमेंट 10-15 साल पुराने हैं उनको बदलने की व्यवस्था करें । इस बजट में उसका कहीं कोई प्राविधान नहीं है ।

अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 5-6 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर माननीय मंत्री जी ने कुलपति की नियुक्ति की । माननीय मंत्री जी फिजिक्स के प्रोफेसर हैं रहे हैं, इंजीनियरिंग के नहीं । इन्होंने 5 कुलपति की नियुक्ति की पांचों फिजिक्स के नियुक्त किये हैं । और पांच के पांचों [xxx]

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय सदस्य अवगत होंगे, युनिवर्सिटीज एक्ट में कुलपति के नियुक्ति की व्यवस्था है । कुलपति की, नियुक्ति कुलाधिपति करते हैं । इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता है ।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

अभी मैंने एक एम०टेक० छात्र का जिक्र किया मैं कहना चाहता हूं आप एम०टेक० में सीटें बढ़ा रहे हैं । पूरे बजट में एम०टेक० में सीटें बढ़ाने का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है । हमारी बहुत सी ब्रांचेज होती हैं लेकिन सिविल इंजीनियर जो होते हैं वह 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल तक बेकार बैठे रहते हैं उनके लिये वैकेन्सी नहीं निकलती है । आज भी सिविल इंजीनियर हजारों की संख्या में बैठे हुये हैं आज पालीटेक्निक के छात्र अनशन किये हुये बैठे हैं उनको आज तक एब्जार्ब नहीं किया गया है । बी०टेक०, एम०टेक०, के छात्र आज विदेश भाग रहे हैं उसका कारण यह है कि लालफीताशाही हावी है अगर लालफीताशाही के कंट्रोल को नहीं रोका गया तो विदेश भागने से उनको कोई रोक नहीं सकता है । इसी के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आशा करता हूं कि आप इस संशोधन पर विचार करते हुये कार्यवाही करेंगे ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बरीष कुमार:–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अधिष्ठाता जी, आज सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को इनकी क्षमताओं पर इनकी योग्यता पर बधाई देना चाहता हूं नियमावली में जिस साहित्य के मिलने का प्राविधान बजट साहित्य के मिलने का प्राविधान 4 दिन पहले है वह आज सुबह जब हम लोग सदन में आये साढ़े दस बजे प्राप्त हुआ तो मंत्री जी कितनी कार्यकुशलता के साथ, योग्यता के साथ अपने विभाग का संचालन कर रहे हैं, यह तो इसी से स्पष्ट हो जाता है । मंत्री जी दरअसल चाहते हैं कि उनके पास जो सूचना पूरी हो, साहित्य पूरा हो, आंकड़े पूरे हों अधिकारियों के सामने, पत्रकारों के सामने और सदन के सामने यह सिद्ध कर सकें कि उत्तर प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं बहुत ही योग्य हैं और जो लोग बजट साहित्य को पढ़कर आलोचना करना चाहते हैं, समालोचना करना चाहते हैं उनको जब साहित्य उपलब्ध नहीं होगा तो यह उनके साथ समानता दौड़ में ज्ञान विहीन होने के कारण पिछड़ जायेंगे । माननीय मंत्री जी ने अपना बजट भाषण उच्च शिक्षा पर कुछ कुटेशन के साथ शुरू किया मैं भी जहां से उन्होंने शुरू किया है वहीं से शुरू करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी बहुत योग्य हैं इसलिये समझ में उनके आ जायेगा ।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के कुटेशन हैं शिक्षा के बारे में क्या उन्होंने कहा था । मैं मानता हूं वह राष्ट्रीय सरकार में मंत्री भी रहे । जिस दल की आज उत्तर प्रदेश और केन्द्र में सरकार है इसके प्रेरणा स्रोतों में एक रहे हैं । उनके कुटेशन से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं । शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि विद्यार्थी को दी गई शिक्षा जीवन संघर्ष में उनकी सहयोगी बने, बाधक नहीं । हमें अविलम्ब एक योग्य सहमति की स्थापना करनी चाहिये जिसमें सभी विचारों का प्रतिनिधित्व हो और जो यह विचार करे कि हमारे भावी शिक्षा का पुरोगम किस तरह से होना चाहिये भाषा इतिहास विभिन्न समुदायों की आवश्यकताएं और आजीविका आदमी के संबंधी समस्याओं की सक्षम परीक्षा की आवश्यकता है । यह मुखर्जी साहब ने कहा था मैंने उनको कोट किया । माननीय मंत्री जी, मंतव्य को समझ रहे हैं और उन्होंने शिक्षा आयोग के गठन की बात कही और कुलपतियों के नियुक्ति के बारे में कहा तो उसी समय शिक्षा नीति के बारे में डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो विचार व्यक्त किये थे, उस समय उनके मंतव्य को मंत्री जी को समझना चाहिये था । और उसे यदि कुछ हद तक इस बजट में समाहित करने की कोशिश करते तो हम समझते कि वह अपने कर्तव्यों को कुछ हद तक पूरा कर रहे हैं ।

आचार्य नरेन्द्र देव जी ने कहा "विश्वविद्यालय केवल विद्यादान करते ही संतुष्ट न हों । वयस्क शिक्षा सहित दूसरे रचनात्मक कार्यों में रुचि लेकर समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना है" । हो क्या रहा है । हो यह रहा है कि आज जो प्रौढ़ शिक्षा या वयस्क शिक्षा का काम, जिसे हम अपने डिग्री कालेज के स्टूडेन्ट से करवा सकते थे, महाविद्यालयों में हमारे जो स्नातक छात्र हैं, उनसे करवा सकते थे, इस काम पर करोड़ों रुपये दूसरे माध्यम से खर्च किये जा रहे हैं । गुरु रवीन्द्र नाथ ठाकुर जी ने शिक्षा के बारे में जो कहा है उसे भी कहना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि "हमारी शिक्षण संस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थी को उसके व्यक्तित्व की उपलब्धि कराने में सहायता देना है । यह

उपलब्धि ऐसी होनी चाहिये कि प्रत्येक विद्यार्थी यह अनुभव कर सके कि वह व्यक्ति रूप में समूची जाति का प्रतिनिधित्व करता है'' ।

डा० राधाकृष्णन जी ने कहा कि ''मनुष्य तीन तत्वों से बना है । शरीर, मन, आत्मा । मानवीय प्रकृति के इन तत्वों को समृद्धि और विकसित बनाने वाली शिक्षा को ही हम सर्वांगीण शिक्षा कह सकते हैं'' । अन्त में मैं उस विश्वविद्यालय के एक महान हस्ती ने शिक्षा के बारे में जो कहा जहां से मंत्री जी स्वयं आते हैं श्री रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी जी ने शिक्षा के बारे में जो कल्पना की थी, आज उसके बारे में उसे भी उद्धृत करना चाहता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य को चर्चा करते-करते यह ध्यान आया कि मंत्री जी के ऊपर फिराक साहेब की बड़ी कृपा थी ।

श्री अम्बरीष कुमार–

आज सम्पूर्ण भारत में कालेजों में जो करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बहुत ही अन्धकारमय भविष्य का सामना कर रहे हैं । शिक्षा की योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यरूप में परिणित नहीं किया तो स्थिति खराब हो सकती है । शिक्षा पढ़कर जब छात्र कालेज से बाहर निकले तो वह रोजगार पा सके । यदि ऐसा नहीं किया गया तो बहुत जल्द ही एक खतरा इस देश के लिये बनने वाला है । इस खतरे की तरफ फिराक साहेब ने बहुत पहले ही इशारा किया था । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बहुत सी योजनाओं की चर्चा की और यह बताने की कोशिश की कि कितनी प्रगति सरकार ने की है । जब पिछले साल आपने बजट भाषण दिया था तो आपने अपने बजट भाषण में लगातार यह बात कही हमने कालेज और स्कूल के शिक्षा कलैण्डर को नियमित करने की कोशिश की है । लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि भले ही एक महाविद्यालय बनाया हो, विश्वविद्यालय बनाया हो, शिक्षकों की नियुक्ति की हो, दूसरी सुविधायें देने का काम किया हो, लेकिन हम अपने मन और मष्तिस्क पर जोर देकर जानने की कोशिश करें कि आज उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो कुछ हो रहा है उस पर चिन्तन करने की कोशिश करें और प्रयास करें कि उसमें सुधार लाया जा सके ।

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज शिक्षा में जिस क्वालिटी की बात हम करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं वहां आज सरे आम जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में, मेरठ विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है माननीय मंत्री जी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया । लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर जिस तरीके से व्यवस्था को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है सही मायने में छात्रों का हक छीनकर फर्जी सार्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन हो रहा है । ऐसे तत्वों के खिलाफ सरकार और माननीय मंत्री जी क्या करेंगे इसका कोई संकेत नहीं किया है ।

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज उन्हें प्रदेश की 16 करोड़ जनता के सामने लखनऊ मेरठ में इस तरह से फर्जी सार्टिफिकेट बनाकर 70-75 प्रतिशत नम्बर लिखकर फर्जी अंक पत्र तैयार हो रहे हैं इस रैकेट द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में क्या करेंगे, इस बात का जवाब देना होगा ? आज हमारे विश्वविद्यालय परिसर में कुछ राजनीतिक दलों के युवा संगठनों का केन्द्र बन गया है जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके अध्यापकों और प्राध्यापकों को परिसर में पीटकर परिसर के वातावरण को, समाज के वातावरण को अशान्त बना

रहे है । जितना सम्मान शिक्षकों को मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है । हम उस धरातल पर रहते हैं जहां चाणक्य जैसे शिक्षक पैदा हुए । माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इन परिसरों की शुद्धता को बनाये रखने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ? इस प्राचीन भूमि पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता था । चाणक्य गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर, डा० राधाकृष्णन, श्री क्षितिमोहन सेन जैसे अध्यापक रहे हैं । अध्यापक कैसे हों एक कोटेशन कहूंगा । गुरु के लिये सर्वश्रेष्ठ मानवों की जरूरत होती है यूरोप पैसा देकर ऐसे मनुष्यों का संग्रह करता है ।

भारत श्रद्धा भक्ति देकर संग्रह करता था उनके सम्मान की कोई सीमा न थी । यूरोप का अनुकरण कर श्रद्धा भी नहीं देना चाहते और पैसा देने में भी असमर्थ हैं इसलिये इस क्षेत्र में अच्छे आदमी की आशा नहीं कर सके । यहूदी धर्मग्रन्थों में एक प्रसिद्ध वचन है येरुसलेम का विनाश हो गया क्योंकि वहां शिक्षक का सम्मान नहीं था । गुरु उपदेश की उपेक्षा आचरण से शिक्षा देते थे । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो स्थिति आज शैक्षिक समाज की है शिक्षकों का जो सम्मान है उसे रौंदा जा रहा है । यह छात्रों द्वारा इसलिये रौंदा जा रहा है क्योंकि सत्तारूढ़ दल का दूसरे राजनीतिक दल के उन नवयुवकों को संरक्षण प्राप्त है जो कालेजों में विश्वविद्यालयों में असामाजिकता फैला रहे हैं अशांन्ति फैला रहे हैं ।

जिस तरह से अभी भाई सोनकर साहब ने बताया था कि यह सरकार कोशिश कर रही है कि कुलपति की नियुक्ति का जो अधिकार महामहिम राज्यपाल को है उसको छीनने का प्रयास कर रही थी वह तो भला हो महामहिम राज्यपाल महोदय का जिन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किये । अपने निहित स्वार्थों को सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है । जिस शिक्षा आयोग की बात कर रहे हैं उसमें माननीय मुखर्जी जी की इस विचारधारा का अन्त कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी विचारधारा के लोगों को बैठकर विचार करना चाहिये । आज यह उत्तर प्रदेश एक विचारधारा विशेष के रंग में रंगना चाहता है शिक्षा आयोग में भी एक विचारधारा से संबंधित सब लोगों को सदस्य और चेयरमैन बनाने का काम इस सरकार ने किया जिसकी निन्दा करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, परम्पराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपकी आज्ञा के बगैर नहीं बोलना चाहता हूं कटौती के प्रस्ताव में समय की सीमा बांधेंगे तो कैसे होगा ? शिक्षकों की बात हो रही थी जिन शिक्षकों के लिये मान्यवर, 18 घंटे का समय निर्धारित है एक सप्ताह में पढ़ाने के लिये उनको सायंकालीन कक्षायें भी दी जा रही हैं जबकि 18 घंटे का मानक है । 18 घंटे से अधिक हम स्वीकार नहीं करते हैं । मान्यवर, 18 घंटे से ज्यादा कोई मनोयोग के साथ नहीं पढ़ा सकता है । आपको सायंकालीन कक्षाओं के लिये अलग से प्राविधान करना चाहिये था, बेहतर होता अगर आप बेरोजगार लड़कों को सायंकालीन कक्षा में पढ़ाने का काम देते । आज मंत्री जी कह रहे हैं एमेंडमेंट करने जा रहे हैं इससे पहले हालात यह थे कि अध्यापकों का शोषण यह सरकार कर रही थी । पांच हजार के वेतन पर प्राध्यापकों की नियुक्ति एडहाक बेसिस पर करते थे ।

मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह कम्प्यूटर के लिये दो करोड़ रुपया दे रहे हैं, महाविद्यालयों में कम्प्यूटर लगवाने जा रहे हैं आप कम्प्यूटर जरूर लगवायें लेकिन बेहतर हो कि प्रदेश और राज्य की जो समस्यायें हैं पर्यावरण के कार्यक्रम को भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर पर रखें । पर्यावरण के साथ साथ जनसंख्या की समस्या पर चर्चा हो रही थी । जनसंख्या के संबंध में कहना चाहता हूं कि इसको भी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर वैकल्पिक पेपर जैसे पहले चलते थे, उसे कोर्स में

शिक्षा देने का काम करें इसी तरह से मान्यवर योग का एक पेपर तीन साल में एक बार पास करें । ऐसा कर दें यह मेरा सुझाव है । इसी तरह से मेरा एक यह भी सुझाव है कि मैं मंत्री जी से दो-तीन चीजें और जानना चाहता हूं विभिन्न समितियां आयोग की बनी हैं उन्होंने शिक्षा के बारे में शिक्षा का ढांचा क्या हो इस पर कहा, लेकिन इस बारे में मंत्री जी के भाषण में सुनने को नहीं मिला विश्वविद्यालयों के संदर्भ में क्या भाषा नीति हो इस विषय में कुछ सुनने को नहीं मिला ।

मान्यवर, कमेटी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हिन्दी में शिक्षा दें तो हर छात्र पर आप उपकार कर सकते हैं और ज्यादा प्रभावी ढंग से उसे अपनी बात समझा सकते हैं इस तरह आप छात्र का ज्यादा भला कर सकते हैं यह भी उसमें लिखा है कि मीडियम आफ इन्सट्रैक्शन्स डिग्री कालेज में बदलते हैं तो छात्रों की प्रतिभा के साथ अन्याय होता है तो इसके लिये आपने क्या नीति बनाई है इसका उल्लेख आपने नहीं किया । इन्हीं कमेटियों ने कहा कि विभिन्न धर्म भारत में हैं हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य सर्वधर्म सम्भाव है इसलिये जो छात्र नौजवान सब धर्मों के बारे में जान सके ऐसी शिक्षा दी जाये इस बारे में आप अपने भाषण में खुलासा करेंगे । माननीय मंत्री जी ने कहा एक बात और कहना चाहता हूं हम उच्च शिक्षा का काम केवल उन्हीं लोगों को दें जो रिसर्च के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं मान्यवर, जो एम०ए० करता है और रोजगार नहीं मिलता है, छोटा काम वह करना नहीं चाहता है और इससे उसके मन में कुंठा पैदा हो जाती है और जब यह कुंठा पैदा हो जाती है तो वह समाज के लिये समस्या बन जाता है तो इसका सर्वेक्षण करायें कि किस प्रकार से शिक्षा नीति में परिवर्तन करेंगे । इस पर इनके विचार जानना चाहता हूं । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में कितने महाविद्यालय खुले हैं । मैं चार स्टेटों का कम्परेटिव चार्ट देना चाहूंगा ।

आन्ध्र प्रदेश में 92-93 और 96–97 के बीच 316 महाविद्यालय खोले गये हैं और टोटल 1033 हो गये हैं । वह आन्ध्र प्रदेश जिसका लोक सभा में प्रतिनिधि हमसे आधे से भी कम हैं । गुजरात में 59 महाविद्यालय खोले गये हैं और टोटल 440 हो गये । इसका प्रतिनिधित्व लोक सभा में दस सीटों का है कर्नाटका में जो बहुत छोटा है उसमें 273 नये महाविद्यालय खोले गये हैं और टोटल संख्या 1119 की हैं ।

महाराष्ट्र में 334 नये महाविद्यालय खोले गये और टोटल संख्या 1550 हो गई है और आज उत्तर प्रदेश की क्या हालत है 96 नये महाविद्यालय खोले गये हैं और टोटल संख्या 1047 हैं । तो हम दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़े हुये हैं । स्ववित्त पोषित की बात कही गई । सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम एक नई स्कीम है मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए पैसे की आवश्यकता है लेकिन हम अपने बजट का कितना पैसा शिक्षा पर दे रहे हैं । इस पर गौर करें । सैल्फ फाइनेन्सिग के माध्यम से उस गरीब छात्र, जो पढ़ना चाहता है ? मेधावी हैं वे कैसे पैसा देगा ? वेल्फेयर स्टेट में यह हक छीनने का काम कर रहे हैं इसके लिये उनको दोबारा गौर करना होगा ।

मान्यवर, आक्सफोर्ड आफ द·ईस्ट के नाम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना जाता है । हमारे माननीय मंत्री जी भी उसी से संबंधित हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि इस समय जो केंन्द्र में मानव संसाधन मंत्री हैं वह भी इसी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं क्या कारण है कि जब वह आपोजीशन में होते हैं तो वह कहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्र का दर्जा मिलना चाहिये और वही जब सत्ता में बैठते हैं तो उसको दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन से कारण हैं ? प्रदेश की 16 करोड़ के प्रतिनिधि सदन को यह जानने का हक है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्र का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है ? बड़ा अफसोस होता है कि शिक्षा राज्य मंत्री कुछ कहते हैं और कैबिनेट मंत्री कुछ कहते हैं । कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि फाइल भेज दी गई है और राज्य मंत्री कहते हैं कि नहीं भेजी गई । आज यह दोनों मंत्री मौजूद हैं । शिक्षा राज्य मंत्री तो जिस सीट पर बैठना चाहिये वह नहीं बैठ रहे हैं यह इनकी दूरियां हैं और मतभेद स्पष्ट झलक रहे हैं ।

मान्यवर, जब आप अपना उत्तर भाषण करें तो इन चीजों को भी स्पष्ट करने का काम करें। केन्द्रीय विश्वविद्यालय यह क्यों नहीं बना है ? राज्य मंत्री अपनी बात कहें। कैबिनेट मंत्री अपनी बात कहें। नान टीचिंग स्टाफ की बाबत आपने कहा कि बहुत सारे पद स्वीकृत किये हैं। जो आज कार्यपूर्ति पुस्तिका मिली है अगर यह ठीक है तो 98-99 में कोई पद भी नया नहीं है। स्थायी राजपत्रित 923 अराजपत्रित 816 इसी तरह से अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता देने की बात कही गयी है जबकि जो तालिका 'ग' है उसमें 97-98 और 98-99 में एक भी पैसा अनुदान का नहीं दिखाया गया है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है उत्तराखण्ड में महाविद्यालय की संख्या पिछले साल 24 थी। इस साल भी 24 है। तीन भूमिहीन थे आज भी तीन हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मैदान में 10 का लक्ष्य था, 9 पूरे कर दिये गये। आपने कहा कि 9 का लक्ष्य था 9 पूरे कर दिये गये अच्छी बात है। मैदान में तो 86 हो गये हैं। पहाड़ की हालत ज्यों की त्यों 34 की 34 ही है। आपने सोचा होगा कि उत्तराखण्ड अब अलग बन गया है तो उसमें पैसा देने की क्या आवश्यकता है ? अन्त में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यदि कोई रचनात्मक सुझाव लगे होंगे तो उनका उत्तर अपने उत्तर भाषण में अवश्य देंगे । धन्यवाद।

* श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा रखे गये बजट पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी कटौती के प्रस्ताव में हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा रखे बजट की कमियों और पिछली सरकारों के बारे में कुछ कह रहे थे। इसके संबंध में मुझे कुछ कहना है।

मान्यवर, अभी तक जो भी पिछली सरकारों द्वारा किया गया, मैं कहता हूं–

"आपने जो किया अब तक उसका हमें खेद है,
होगा दुरुस्त अब मेरे पाले में गेंद है,
सुपवा अगर बोले तो बात समझ में आए,
चलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर सौ छेद हैं।
पढ़ने-पढ़ाने में न कोई अब दगल फसल होगा,
इम्तिहानों में न माफियाओं का दखल होगा,
सकल अकल के अन्धे बात करते नकल की,
नकल कल भले हुई हो अब नकल न कल होगा।
उज्जवल भविष्य का है मूलाधार यह बजट,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा में गुणात्मक करे सुधार यह बजट,
भवनहीन न कोई भी अब स्कूल बचेगा,
विद्यालयों का कर रहा विस्तार यह बजट ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से काफी कुछ किया है एक तो यह कि शासकीय महाविद्यालयों में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में अध्यापकों के स्थानान्तरण नहीं होते थे लेकिन अब यह व्यवस्था की गयी है कि शासकीय महाविद्यालयों से परस्पर स्थानान्तरण दूसरे महाविद्यालयों में किया जा सकता है ।

मान्यवर, शासकीय महाविद्यालयों सहायता प्राप्त में 621 तदर्थ शिक्षकों को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा विनियमितीकरण किया गया है । 40 महाविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और 242 संस्थानों और महाविद्यालयों में रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था जैसे एम०बी०ए०, एम०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि की व्यवस्था की गयी है लेकिन एक बात मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे जनपद भदोही में जो कालीन उद्योग का नगर है वहां पर काफी दिनों से डिग्री कालेज की मांग चल रही है । पिछले बजट में मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया था कि विद्यालय स्वीकृत हो गया है लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने से लोगों में बड़ा क्षोभ है । मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो ताकि इस जुलाई, 99 से वहां पर कक्षाएं प्रारम्भ हो सकें । मान्यवर, हमारे मण्डल भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर में कोई विश्वविद्यालय नहीं है वहां विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० अम्मार रिजवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैने कहा कि मेरी आज इस बजट पर बोलने की कोई इच्छा नहीं थी । लेकिन माननीय मंत्री जी बगैर यह सोचे हुए कि कौन कहां बैठा है । चर्चा इस पर करें । माननीय अम्बरीष जी चले गये । यूनिवर्सिटी कैम्पस की जो हालत पैदा हो गयी है उसके बारे में अपनी बात कही । मान्यवर, यह जो मौजूदा एजूकेशन सिस्टम है यह हिन्दुस्तान में लार्ड मैकाले की देन है । कम्पनी को क्लर्क की जरूरत थी तो उन्होंने एक एजूकेशन सिस्टम लागू करने की जरूरत समझी और उसे लागू किया । इसके पीछे ख्याल यह था कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके मिनिस्ट्रीयल में लिये जा सके यह सिस्टम उस समय से चला आ रहा है ।

करीब-करीब हर सरकार ने प्रयास किया इसमें परिवर्तन किया जाय । लेकिन बढ़ती हुई आबादी की वजह से यह संभव नहीं हो सका लेकिन आज यह सिस्टम एक लम्बी चौड़ी तादाद में छात्रों को विश्वविद्यालय से निकाल रही । इनके सामने कोई दिशा नहीं है वह बी०ए० कर लेते हैं तो सोचते हैं कि एल०एल०बी० कर लें और एल०एल०बी० कर लेते हैं तो सोचते हैं कि एम०ए० में एडमीशन लिया जाय इस प्रकार बेकारों की लम्बी चौड़ी फौज तैयार हो जाती है । इस समस्या के समाधान की जरूरत है । बजट बहुत अच्छा था उसके लिए मंत्री जी को बधाई दूंगा लेकिन ऐसा लगा कि सारा एजूकेशन सिस्टम जो कुछ शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं । जो क्रान्ति आई है वह इनकी देन है और जो बुराई है वह पुराने वक्त की ही है । संस्कृत विद्यालय की मान्यवर, बात कही गयी । इतिहास पढ़े तो किस समय संस्कृत विश्वविद्यालय की रिकगनाइज किया गया । सबको पता चल जायेगा । यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, छात्र के इण्टरमीडिएट पास कर लेने के समय से ही प्रयास करने की

आवश्यकता है कि उसे प्राविधिक शिक्षा की ओर ले जायं ताकि यह जो लम्बी-चौड़ी बेरोजगारों की फौज है उसको समाप्त किया जा सके । मान्यवर, जो पालीटेक्निक है वहां पर प्रोडक्शन सेन्टर काम किया करते थे । यह आदेश दिये जायेंगे वह चीजें बाहर से लेने के बजाय प्रोडक्शन सेन्टर्स से ली जाय । इससे पालीटेक्निक प्रोडक्शन सेन्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा । माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 7,200 छात्रों को इन्जीनियरिंग कालेजों से प्रवेश की व्यवस्था की गयी है । इसके लिये वह वधाई के पात्र हैं । लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्वान्टिटी बढ़ाते-बढ़ाते कहीं आप क्वालिटी से कम्प्रोमाइज न कर लें । आप नयी संस्था खोलने की बात कर रहे हैं । लेकिन मान्यवर, जो रुड़की विश्वविद्यालय है वह प्रदेश और देश का ही माना जाना विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एशिया का जाना-माना विश्वविद्यालय है । यहां के लोगों ने सरकोटले के साथ गंगा डैम बनाया था और जो उसमें चीजें प्रयोग में लायी गयी थीं । वह वहां पर सुरक्षित रखी हुई हैं तो वहां 154 साल पहले का सामान वहां पर मौजूद है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसी का अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन करना है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि छात्रों की प्रवेश में एज लिमिट को हटा दिया गया है । तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई न कोई एज लिमिट तो रखनी ही होगी । बिना इसके आप का काम चलने वाला नहीं है । मान्यवर, इस समय सरकार में जो सिस्टम है वह ठीक नहीं है । मिनिस्ट्री इस प्रकार से गठित की जानी चाहिये कि शिक्षा का ही एक मंत्री हो, उसे कई भागों में बांटे नहीं इससे कोआरडीनेशन नहीं हो पाता है । एक प्रमुख सचिव होना चाहिए उसके नीचे अन्य सचिव होने चाहिये । जिससे आपस में तालमेल रहे । हमारे समय में एक मंत्री होता था और एक सचिव होता था इससे सभी विभागों में कोआरडीनेशन बना रहता था ।

मान्यवर, जहां तक वाइस चान्सलर की नियुक्ति का सवाल है । मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक हो सके इस पद पर किसी शिक्षाविद् को ही रखना चाहिए और उसी विश्वविद्यालय के लोगों को रखना चाहिये । इससे छात्रों और अध्यापकों का रिस्ता ठीक रहता है । मेरा सम्बन्ध एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज से रहा है । लेकिन मैंने प्राचार्य की हैसियत से किसी भी राजनीतिज्ञ को विद्यालय में नहीं आने दिया । आज जो कैम्पस में समस्यायें हैं वह किसी और की देन नहीं है हमारी देन हैं और हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए . अगर यह प्रक्रिया जारी रहेगी तो चाहे डिग्री कालेज हो या विश्वविद्यालय हो । वहां के नवजवान अगर बहक गये तो अच्छा नहीं होगा और इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की राजनीतिज्ञों की होगी । आयें और अहद करें कि शैक्षणिक संस्थाओं को राजनीति का अड्डा नहीं बनायेंगे । आज विश्वविद्यालय की शिक्षा में कितना पैसा दे । हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के डेबलपमेन्ट के लिए कितना पैसा है ? मैं बताना चाहता हूं कि डेबलपमेन्ट के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यह तो केवल वेतन ही दे पा रहे हैं । मान्यवर, विश्वविद्यालय में जो फीस 14 रुपये बहुत पहले ली जाती थी वही फीस आज भी ली जा रही है । तो फिर इससे विकास कैसे होगा ? इसलिए इस संबंध में हम सबको आत्मचिन्तन आपको करना चाहिए और शिक्षा को तबाही से बचाना चाहिए ।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का समय दिया । मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने उच्च शिक्षा में अनेकानेक ऐसी सुविधायें

उपलब्ध करायी हैं जो हमारे पड़ोसी प्रदेशों में उपलब्ध नहीं है जिसके लिए मैं मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं।

मान्यवर, दूसरी तरफ बैठे सदस्यों से मैं निवेदन करते हुए कहना चाहती हूं कि यह ऐसा विषय है जिसे केवल राजनीतिक दृष्टि से न देखकर अपने प्रदेश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए सोचना चाहिए। केवल विरोध और राजनीति की मनोभावना को छोड़कर प्रदेश में उच्च शिक्षा की जो आज दयनीय स्थिति है उसको सुधारने के लिये वे भी सकारात्मक रुख अपनायें। विश्वविद्यालयों की जो हालत है उसमें मैं सदन को बताना चाहती हूं कि आज प्रत्येक विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। इसलिए सारी शक्ति शिक्षा के द्वारा प्रदेश के विकास की ओर हमें लगाना चाहिए।

मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि जब तक सही माने में शिक्षा नहीं होगी तब तक हमारे प्रदेश की दरिद्रता नहीं मिट सकती है और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि हम लोग इस पर मनन करें कि किस तरह इस पिछड़े प्रदेश की तरक्की हो ? मान्यवर, हिन्दुस्तान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बड़ा नाम था जहां से सबसे ज्यादा स्नातक आई०ए०एस०, आई०एफ०एस० और अन्य आल इण्डिया सर्विस में लोग चुनकर प्रशासन की उच्च पदविदों पर पहुंचकर सुदृढ़ रचनात्मक और विकास उन्मुखी प्रशासन देते थे और अपने उत्तर प्रदेश का नाम देश-विदेश तक सम्मान से लिया जाता था। लखनऊ विश्वविद्यालय के भी हमारे वैज्ञानिक और देश में अनेक वैज्ञानिक यहां के निकलते थे जिसके लिए हमें गर्व है। मान्यवर, देश में अनेकों वैज्ञानिक हैं जैसे–एस०के० आचार्य लखनऊ विश्वविद्यालय के बीरबल साहनी बाटनी के महान व्यक्ति रहे हैं। श्री बी० एन० टण्डन जो हमारे देश के प्रथम ऐस्ट्रोलोजिस्ट हुये लखनऊ के० जी० एम० सी० से ही पढ़ कर निकले। डा० माथुर भी यही के पढ़े हुये जो कार्ड एक्ट्रांस्लान्टेशन में विदेशों में भी नाम कमा चुके हैं। वर्ष 1962 में मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में थी तो आचार्य नरेन्द्र देव जी आये थे तो उन्होंने कहा था कि शिक्षक को चिन्तन और विचार करने की पूरी स्वतंत्रता है।

लेकिन उसके साथ ही साथ उसे हमेशा अपने ऊपर अनुशासन करना सीखना चाहिए। आज हमारे प्रदेश की हालत ऐसी इसलिए हुई है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुशासनहीनता पैदा हो गयी है। मान्यवर, न तो शिक्षक अनुशासन में बंधे हैं और न छात्र ही अनुशासन में हैं। कल अखबार में निकला है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास आज कल गुण्डों और अशिक्षित से भरा पड़ा है। लोगों के कब्जे में है। जिन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेकर पढ़ने में कोई रुचि नहीं है केवल यहां पर बैठकर विश्वविद्यालय में राजनीति करते हैं और अराजकता फैलाते हैं अध्यापकों का अपमान करते हैं। मैं अपने उच्च शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि प्रथम तो आप इस पर ध्यान दें कि विश्वविद्यालयों से राजनीति हटे, जो गलत विद्यार्थी, गलत लोग छात्रावास को घेरे पड़े हैं, उनको पूरी तरह से पुलिस फोर्स लेकर खाली कराया जाये और जो विश्वविद्यालय में रहकर वास्तव में शिक्षा पाना चाहते हैं, उन्हीं छात्रों को वहां पर रखा जाये। उन्हें वहां शान्त वातावरण मिले ऐसी व्यवस्था करायें। पढ़ने और पढ़ाने से जो वास्तव में देश का, समाज का उत्थान करना चाहते हैं उन्हीं को अवसर दिलाया जाय।

मान्यवर, मैं एक विषय जो कि बहुत गम्भीर है, उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बजट में रखा कहा है और सभी लोग चाहते हैं कि जो स्नातकोत्तर परीक्षायें हो रही हैं, डाक्टरी की, उसमें जो पिछड़े हुये लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको 20 प्रतिशत पर ही परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये बैठने दिया जाये। यह एक बड़ी विडम्बना है, मेरा कहना है कि इस तरह आप कहीं भी उनको आरक्षण न दें। गरीबों को और आरक्षण वाले छात्रों को आप पूरी तरह से

उनकी शिक्षा निःशुल्क कर दे, सारी सुविधायें दी जाये लेकिन शिक्षा के मामले में और जहां टेक्नीकल एजुकेशन का प्रश्न है, वहां डाक्टर, इन्जीनियरों की शिक्षा का प्रश्न है, आज जहां ग्लोबलाइजेशन हो रहा है हमें अन्तर्देशीय लोगों से स्पर्धा करनी है हरेक क्षेत्र में जहां दुनिया बहुत तीव्र गति से भाग रही है वहां हम 20 प्रतिशत के लोगों को ले करके हम क्या दिखाना चाहते हैं, यह शिक्षा का माखौल बन कर रह जायेगा । पिछड़े वर्ग के लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाये लेकिन खिलवाड़ न किया जाये । जो इसकी वकालत करते हैं कि 20 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से उपाधियां दे दी जाय, तो फिर ऐसा कानून भी बनायें उनकी दवा उनका इलाज उन्हीं डाक्टरों से करवाया जाये ।

मान्यवर, यह डाक्टरों और शिक्षा का अपमान है और उस व्यक्ति का भी पूरी तरह से अपमान है जिसको 20 प्रतिशत देकर यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, वह पूरी उम्र के लिये एक हीन भावना से ग्रसित हो जाता है । औरंगाबाद (मुम्बई) यूनिवर्सिटी में मुझे विदित है जहां पर ऐसे व्यक्तियों ने, ऐसे छात्रों ने आत्महत्या की है क्योंकि वह समझ नहीं पाते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और मानसिक टेन्शन से पागल भी हो जाते हैं । ऐसी शिक्षा से कोई लाभ नहीं है । कम से कम उच्च शिक्षा में इस तरह का रिजर्वेशन नहीं करना चाहिये । मैं इसकी पूरी तरह से विरोध करती समर्थक हूं और आप सब लोग भी गम्भीरता से सोचें, वोट की राजनीति न करें । यह देश का मसला है क्योंकि आप इन्हीं से अनेकों भवन, सड़कें और पुल बनवायेंगे, उनका क्या होगा ? आपरेशन करवायेंगे इलाज करवायेंगे ? आप लोग आपरेशन कराने अपोलो जैसे हास्पीटल में क्यों जाते हैं । मैं लोगों से कहती हूं कि इस तरह की राजनीति छोड़ कर पूरी तरह से ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमें दूसरे देशों के सामने नीचा न देखना पड़े ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, अपने इलाके की एक समस्या रखना चाहती हूं । पिछले वर्ष हमारे यहां एक डिग्री कालेज खोला गया था उसको अभी तक पूरी तरह से धन नहीं मिल पाया है । मैं जानती हूं कि आर्थिक परेशानियां हैं लेकिन फिर भी उसके लिये धन की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाय । दूसरी बात कोचिंग क्लासेज की है । आज कोचिंग क्लासेज धड़ल्ले के साथ चल रही हैं । 4-5 हजार रुपया महीना उन विद्यार्थियों से लिया जा रहा है । जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोचिंग क्लासेज को व्यवसाय बना दिया है, उन पर नियंत्रण होना चाहिये । दूसरे सभी जगह मान्टेसरी के नाम से अनेकों स्कूल खुल गये हैं । आर्थिक स्थिति में नीचे तबके के जो लोग हैं, वह बच्चों को नहीं पढ़ा सकते । क्योंकि आज 2500 से 3000 रुपये एक बच्चे से लिया जा रहा है । मैं चाहूंगी कि इस पर नियंत्रण किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । मैंने भोला शंकर मौर्य जी को बुला लिया है ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, परसों अखबार में निकला है । हमारे आल इण्डिया मेडिकल साईन्सेज के डाक्टर्स जो ब्रेन ट्यूमर पर रिसर्च कर रहे हैं तथा न्यूक्लियर साईन्टिस्ट जो हैं उन्हें सुविधायें नहीं दी जा रहीं हैं । साउथ ईस्ट एशिया में पहले श्री नरेन्द्र मेहरा जिन्होंने "बौन मैरो" का सफल प्रत्यारोपण किया है, वह बाहर जा रहे हैं । जो ब्रेन विदेशों में गया उसका कारण यही है कि हमारी सरकार ने, उनको आदर नहीं दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

डा० ज्ञानवती–

इस सरकार में भी इन्हें क्यों अपमानित होना पड़ रहा है इसकी समीक्षा कराये प्रदेश के लिये कदम उठाये। संस्कृत के विद्यालय अधिक खुलवाये जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मंत्री जी ने तकनीकी शिक्षा के विकास के बारे में बड़ा जोर देने का काम किया। इनका बजट साहित्य जो मुझे मिला है इसमें देखें 1995-96 में पुनरीक्षित बजट व्यय 144.74 करोड़ रुपये था वहीं 1999-2000 का जो बजट है वह 132.84 करोड़ का। इस प्रकार मंत्री जी बजट को कम करके तकनीकी शिक्षा का विकास किस तरह से करेंगे। इसी तरह से उच्च शिक्षा के बारे में भी कहा कि हमें केवल डिग्री नहीं हासिल करानी है, प्रेमचन्द्र का कुटेशन दिया बल्कि शिक्षित बनाने का काम करना है।

लेकिन विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में एक राजनीति करने वाले लोगों को एक विचारधारा के लोगों को पूरी तरह से भर दिया। इसी एक तरह के सोच के लोगों को भरकर यह चाहते हैं कि हम मानवता का विकास कर पाएंगे। शिक्षा के विकास का तात्पर्य यह है कि आदमी मानव को मानव समझे। समानता के आधारित व्यवहार करे। बहन जी ने अभी जो बातें कहीं हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं यह कह रही थीं जिससे इनके विचार सामने आ गये कि 20 प्रतिशत लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन केवल एडमीशन में उनको वरीयता दी जाती है बाकी पेपर एक ही आता है पेपर में कोई वरीयता नहीं दी जाती है। बहन जी ने उन लोगों पर अंगुली नहीं उठाई जो लोग पैसे के बल पर गदहे से गदहे लोगों को एडमीशन दिला देते हैं। सामाजिक रूप से दबाए गये हजारों वर्षों से उपेक्षित लोगों के बारे में इनकी सोच यह है।

भारतीय जनता पार्टी के राम राज की यही कल्पना है। इसी आधार पर यह लोग दबाये गये हैं। उनको अगर कुछ वरीयता देने की बात की जाती हैं तो चारों तरफ अंगुली उठने लगती है। शिक्षा को देने का मतलब यह होता है कि हमें मानव को मानव समझना होगा। इस तरह के लोग जो मानव को मानव नहीं समझते हैं उनको जानवर से भी बदतर स्थिति में समझते हैं इससे समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। इसी विधान सभा में मैंने सवाल किया था कि टाण्डा अम्बेदकर नगर में महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय है, मंत्री जी ने जवाब दिया कि कोई कन्या विद्यालय नहीं है। क्या उसको खोला जायेगा तो मंत्री जी का जवाब आया था, उसकी आवश्यकता नहीं है। टाण्डा नगर जिसकी आबादी एक लाख की हो गई हो, पूरे इलाके में और पूरी तहसील में एक भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से महाविद्यालयों के खोलने का मानक बनाना होगा। पूरे प्रदेश में समान रूप से शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना चाहिये। विशेषकर छात्राओं की शिक्षा के बारे में जोर देकर काम होना चाहिये।

मान्यवर, यही छात्रायें मां बनती है और जब मां बच्चे को जन्म देती है तो पहली शिक्षा उसे मां से ही मिलती है। इसलिये महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इस दिशा में ज्यादा

खर्च करना चाहिये । राजनैतिक रूप से जहां पर मंत्री जी व मुख्य मंत्री जी चाहें, वहां पर खोल दिया जाय, भले ही वह पिछड़ा क्षेत्र हो परन्तु आप वहां पर नहीं खोलेंगे, यह उचित बात नहीं है । इसलिये महाविद्यालयों के खोलने के लिये मानक बनाया जाना होगा ।

माननीय मंत्री जी ने 50 लाख रुपये असेचित विद्यालयों को देने की बात कही है और बजट में मात्र 2 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, इस प्रकार देखा जाय तो केवल 4 विद्यालय ही खुल पायेंगे, इसके बावजूद भी आप ढिंढोरा पीटते हैं, इससे शिक्षा का स्तर सुधर नहीं सकता है । इसके लिये आपको बजट में प्राविधान करना होगा । आज हमारी शिक्षा का प्रतिशत क्या है ? उसे आप देखिये । जब तक हम शिक्षा को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षित नहीं बन सकते हैं । साथ ही साथ शिक्षा के साथ हमें इन्सायिनत की भी शिक्षा देनी होगी । इन्सान को इन्सान समझना पड़ेगा, उसे जानवर से पीछे कहीं धकेला नहीं जायेगा । श्री अम्बरीष कुमार जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का बजट भी है और दो चर्चायें हैं । यदि एक–एक घण्टा भी इन पर मान लिया जाय तो कुल चार घण्टे लग जायेंगे । इसलिये मेरा अनुरोध है कि शेष माननीय सदस्य माध्यमिक और बेसिक शिक्षा पर बोल लेंगे । माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी आपको कुछ बात कहनी है तो कह दें ताकि मंत्री जी अपना उत्तर भाषण दे सकें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पहले अपनी बात कहें फिर मैं अपने विचार रखूंगा । आज तक यही होता रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप अपनी बात कहेंगे तब जाकर मंत्री जी उत्तर भाषण देंगे ।

(माननीय मंत्री जी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

पहले कटौती मा० अम्बिका जी ने रखी है और कई माननीय सदस्यों की बात आयी इसलिये पहले अम्बिका जी अपना विषय रख दीजिये उसके बाद भाषण होगा फिर मतदान होगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं इस बात की अपेक्षा करूंगा कि आज जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने अपना बजट भाषण रखा है और जो प्रस्ताव उन्होंने दिये हैं । एक कठिनाई बार बार देना उचित नहीं है कि साहित्य उपलब्ध नहीं था इसलिये हमारे साथी जो अपने विचार रखना चाहते थे प्रभावी ढंग से उसका जो उपयोग हो सकता था वह नहीं हो सका ।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो संकल्प आपने रखा है भविष्य की योजनाएं रखी हैं, इस बजट भाषण के माध्यम से और जो सपना आप देख रहे हैं रुड़की इंजनियरिंग कालेज के स्टेट्स को वहां ले जा सकें जहां सारे हिन्दुस्तान के पैमाने पर आई० आई० टी० शिक्षा के मायने में सबसे ऊंचा कहा जाता है । वहां ले जा सकने की बात आपने अपने नीति दस्तावेज में तो शामिल कर ली है परन्तु उसे प्राप्त नहीं

कर सकते क्योंकि जिस तरह के प्राविधानों के लिये धन की आवश्यकता होगी माननीय मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिये आपके संकल्प में बड़ी कमजोरी दिखाई पड़ती है अगर आपने साहस दिखाया होता योजना को मूर्त रूप देने का तो बजट में उसके लिये प्राविधान किया जाता है कि जिन योजनाओं को प्राथकिमता देना चाहते हैं उसके लिये धन का प्रबन्ध करते ।

प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर है कि आर्थिक स्थिति कमजोर है चाहते तो हम बहुत कुछ हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं । ऐसा तब होता है जब संकल्प कमजोर होता है । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश की उन्नति के लिये, तकनीकी शिक्षा में जो अच्छे बदलाव करने की बात आपने कही है, आपकी भावना है अगर वह आप वास्तव में चाहते तो उसके लिये स्पष्ट प्राविधान होना चाहिये था । जिन माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और जो सुझाव दिये हैं उनको आप शामिल कर सकेंगे तो आप अपने संकल्प को प्राप्त कर सकेंगे । जितने सुझाव माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने रखें हैं उनको माननीय मंत्री जी अपने प्राविधान में शामिल करेंगे और आप अपने उत्तर भाषण को जब रखेगे उसमें इनको शामिल करने का कष्ट करेंगे यही मेरा आग्रह और अनुरोध है । मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बहुत अल्प समय में आपकी लाल बत्ती जल्दी जल्दी जल जाती थी उसके बाद भी अपने विचार रखे ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आज शिक्षा के बजट पर चर्चा हो रही है । मैं विशेष तौर से आदरणीय डा० अम्मार रिजवी साहब के जो सुझाव आये हैं उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और जिन भावनाओं के साथ माननीय डा० अम्मार रिजवी साहब ने अपने विचार यहां रखे और सब लोगों से अपील और आग्रह किया कि अपने प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के परिसर को अगर राजनीति से मुक्त कर सकें तो निश्चित ही देश के भविष्य और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिये एक वरदान होगा और निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों को पूर्ति भी कर पायेंगे जिसका संकल्प आजादी की लड़ाई के दौरान लिया था ।

लाल जी वर्मा ने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रखा हम यह मानते हैं कि अगर एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं इसलिये अगर हम लड़कियों, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे सकें । जो साक्षरता का प्रतिशत आज है, जो महिलाओं की स्थिति शिक्षा के संबंध में आज है उसमें विशेष प्रयास करके, विशेष अवसर देकर सुधारने का काम कर सकेंगे तो यह समाज की सेवा होगी । माननीय लाल जी वर्मा ने जो पीड़ा व्यक्त की, उन्होंने कहा कि जिन वर्गों को संविधान के माध्यम से सम्मान दिलाने के लिये प्राविधान किया उन वर्गों के नाम पर फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर प्रवेश का काम महाविद्यालयों, विद्यालयों में हो रहा है इसमें जो सुझाव माननीय मंत्री जी को दिये, जो चर्चा हमने की माननीय मंत्री जी उन सुझावों को अपने कार्यक्रमों में, योजनाओं में सम्मिलित करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी । इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा और माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये और विचार रखे, माननीय अम्बरीष जी ने कोटेशन दी, मैं भी डा० जाकिर हुसैन ने जो कहा है उसको बताना चाहता हूं–

"एजूकेशन इज दि प्रोसेज आफ दि इन्डुविजुअल माइन्ड गेटिंग टु इट्स फुल पासिबिल डेवलपमेन्ट इट इज ए लांग स्कूल व्हिच लास्ट्स ए लाइफ टाइम ।"

इसी तरह से महात्मा गांधी ने कहा है–

"मैन इज नाइदर मियर इनटिलेक्ट नोर दि ग्रास एनीमल बाडी नोर दि हार्ट आर सोल एलोन, ए प्रापर एण्ड हारमोनियम काम्बिनेशन आफ आल दि थ्री इज रिक्वायर्ड फार दि मेकिंग आफ दि होल मैन एण्ड कान्स्टीट्यूशन दि टू एकोनामिक्स आफ एजूकेशन ।"

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, सोनकर जी ने इंजीनियरिंग कालेजेज में एक्सट्रा क्लासेज की बात कही, इंजीनियरिंग कालेज में एक्सट्रा क्लासेज की काउन्सिलिंग की व्यवस्था की गई है ; हम 10 परसेन्ट एडीशनल शीट कर रहें हैं । हमारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है टीचर है, प्रयोगशालायें हैं, इनकी व्यवस्था की गई है । पहले साल कुछ दिक्कत हो सकती है लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होगी, इससे मैं समझता हूं पूरी जो आवश्यकतायें हैं, उसका प्रापर यूटीलाइजेशन होगा । कुलपति के बारे में सोनकर जी ने बात उठाई ।

श्री बाबूराम यादव–

जो कोटेशन आपने दिया है उसकी परछाई आपके बजट में कहां है यह बता दें ?

श्री राम औतार शाक्य–

ऐसे कोटेशन क्यों देते हैं ? मान्यवर, मैं कह कहना चाहता हूं कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी कोटेशन देकर ऐसा समझा रहे हैं जैसे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षाओं को पढ़ा रहे हो । माननीय बाबू राम यादव जी ने जो कहा है कि बजट में इसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं इसका उत्तर तो दे दें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय बाबू राम यादव जी ने जो कहा है उसके लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि "जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ।" मान्यवर, कुलपतियों ने नियुक्ति के बारे में कहा गया । सभी जानते हैं कि कुलपतियों के नियुक्ति का अधिकार कुलाधिपति को है ।

लेकिन एक शिक्षक और शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं यह कहना चाहूंगा कि कुलपति ने ऊपर विश्वविद्यालय की सारी जिम्मेदारी होती है तो एक उच्च कोटि का शिक्षा विद कुलपति होना चाहिये । जो कुलपति नियुक्त किये गये वह सब उच्च कोटि के थे । सिविल इंजीनियरिंग में सीट की बात आयी तो जहां आवश्यकता है उसके अनुरूप, कुछ स्थानों पर कम करे सीट दे दी गयी है । माननीय अम्बरीष जी ने एकेडमिक कलेण्डर की बात कही । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास बिजली का स्वीच नहीं है कि जला दिया । इतने दिनों तक शिक्षा अंधकारमय थी इस कारण से इसमें समय लगेगा । 14 विश्वविद्यालयों में सत्र अनियमित था लेकिन सबका सहयोग बना और हमने 12 विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित किया है ।

जहां तक क्वालिटी की बात है मेरी अपनी राय है कि टेक्निकल हायर एजूकेशन में क्वालिटी पर कम्प्रोमाईज हमको नहीं करना चाहिये अगर अन्य देशों से प्रदेशों से कम्पटीशन हम करना चाहते हैं ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कैम्पस की बात आयी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कुलपतियों का सम्मेलन हुआ था उसमें इस बात की चिन्ता भी व्यक्त की गयी है कि कैसे इसको देखा जाय ? हमने कुलपतियों की कमेटी बना दी है । विश्वविद्यालय के अन्दर जो माफिया हैं उसको दूर करेंगे । विश्वविद्यालय के अन्दर राजनीति की शिक्षा दी जाय लेकिन राजनीति की इजाजत न दी जाय । इसमें हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं । शिक्षकों के सम्मान की बात आयी । तो हम गुरू शिष्य की परम्परा को मानने वाले हैं । अभी शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उसमें भी यह मामला आया था लेकिन किसी विषय पर विचार करने से मना कर दिया । मेरा स्पष्ट मानना है कि खुले मन से विचार होना चाहिये ।

जब तक शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आयेगी तब तक उच्च शिक्षा व्यवस्थित नहीं हो सकेगी । शिक्षकों को मान सम्मान मिलना चाहिये और इसके लिये टोटल विचार होना चाहिये । सायंकालीन कक्षाएं जो चलायी जा रही हैं, उसमें जो रेगुलर क्लासेज लेते हैं वह ही सायंकालीन कक्षाएं ले रहे हैं इससे रेगुलर कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं । जो सायंकालीन कक्षायें चलायी जा रही हैं उसमें हम कांट्रेक्ट बेसिस पर शिक्षकों को रखेंगे । मानदेय कम है इसके बारे में भी कहा गया । इसको भी बढ़ा दिया है । मैं यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो कांट्रेक्ट बेसिस पर मानदेय दिया जा रहा है उसको बढ़ाने पर विचार हम कर रहे हैं । अभी महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक का उदाहरण दिया गया । हम मानते हैं कि देश में शिक्षा का सुधार की आवश्यकता है । विस्तार और गुणवत्ता दोनों में तालमेल होना चाहिये । जो स्वावित पोषक शिक्षा की बात है उसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिये भी 50 प्रतिहात सीट फ्री सीट हैं, शुल्क कम है चाहे वह इंजीनियरिंग कालेज हों या व्यवसायिक पाठ्यक्रम हों । यह ज्यादातर प्राइवेट मैनेजमेंट चलाते हैं सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं करती है शुल्क निर्धारण ए० आई० सी० टी० करती है । अभी कहा गया कि उत्तरांचल में कोई महाविद्यालय 97-98 में नहीं खोला गया मान्यवर खोले गये 15 में से 12 महाविद्यालय मैदानी क्षेत्र में तथा 3 पर्वतीय क्षेत्र में खोले गये हैं । अभी पंकज जी ने भदोही में राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात है, प्रकरण विचाराधीन है आशा है कि अगले सत्र तक यह प्रारम्भ हो जायेगा ।

माननीय डा० अम्मार रिजवी जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं । यूनिवर्सिटी कैम्पस कैसे ठीक हो इसके लिये हमने समिति बना दी है । इंजीनियरिंग कालेज में सीटें बढ़ाने के संबंध में क्वालिटी को भी ध्यान में रखा जा रहा है , उसमें कम्प्रोमाइज नहीं किया जायेगा । इंजीनियरिंग कालेज और पालिटेक्निक में ऐज लिमिट समाप्त कर दी गयी है यह बात आयी, मैं कहना चाहता हूं अपर ऐज में कोई रेयर ही होगा, इसमें तो कम्पटीशन के आधार पर ही सेलेक्शन होना है । यूनिवर्सिटी में फी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया 50 साल पहले जो यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेज में फीस थी पी० जी० क्लासेज में 15 रु० ट्यूशन फी और स्नातक में 11 रु० वह शुल्क बढ़ना चाहिये । हायर एजूकेशन की नीड को पूरा करने के लिये रिवाइज करने की आवश्यकता है । उचित समय पर आपका निश्चित रूप से सहयोग इसमें चाहूंगा । ज्ञानवती जी ने भी कुछ बात कही थी उसका जवाब दे दिया । कोचिंग की बात आयी इस पर प्रतिबन्ध है आपको भी जहां कहीं पता चले अवगत करायें हम निश्चित रूप से उसकी दवा कर देंगे ।

माननीय लाल जी वर्मा ने असेवित क्षेत्र में महाविद्यालयों के संबंध में 2 करोड़ रु० की बात कही । पहली बार यह योजना है 50 लाख रु० कैसे देंगे यह विचार कर रहे हैं दो इंस्टालमेंट में दें या कैसे दें ? बजट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा असेवित क्षेत्र में प्राइवेट कालेज खोले जा सकें । शिक्षा में हमें समग्रता में विचार करना चाहिये । राजनीतिक चश्में से नही देखना चाहिये । क्या उचित

है, क्या अनुचित है, इस पर विचार करना चाहिये । मान्यवर, माननीय अम्बरीष जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न किया था । मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं 91-92 में मैं उच्च शिक्षा मंत्री था और मंत्री बनने के एक माह बाद, केन्द्र में उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, माननीय अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री थे, मैंने प्रस्ताव भेजा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्र सरकार का दर्जा प्रदान करें लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके बाद यह प्रयास चलता रहा । माननीय भण्डारी जी यहां के महामहिम राज्यपाल थे केन्द्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और एस० आर० बोम्बई जी मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने मार्च, 97 में उत्तर दिया कि न तो अब और न आगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कुछ कारण से केन्द्र सरकार का दर्जा देना सम्भव नहीं है । इस समय केन्द्र में माननीय मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और मैं समझता हूं कि जोशी जी जरूर इस पर विचार करेंगे और स्वीकृति पर निर्णय लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी सफाई से 91 से 99 तक का दखान किया । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र में मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने बयान दिया है और आपके राज्य मंत्री ने भी बयान दिया है कि आपने उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव नहीं भेजा है क्योंकि बार बार आपसे केन्द्र के मानव संसाधन मंत्री जोशी जी आग्रह कर चुके हैं तो आप यह बतायें कि आप प्रस्ताव भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे और नहीं भेजेंगे, तो क्यों नहीं भेजेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, इस प्रकरण पर केन्द्र सरकार को निर्णय लेना है । एक पत्र उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से डा० जोशी जी को भेजा गया है कुछ महीने पहले ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या प्रस्ताव भेजा है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इस समय उसकी जानकारी नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने यह बताया कि इलाहाबाद को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित कराने के लिये 91 से प्रयासरत हैं । अब तक नहीं हुआ तो दूसरी बात थी लेकिन अब तो जब वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डा० जोशी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं और आप भी प्रोफेसर रहे हैं । डा० जोशी जी कहते हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है और आप कहते हैं कि प्रस्ताव भेज दिया है मामला क्या है ? दोनों मंत्रियों में विरोधाभास कैसे हैं ? यह स्पष्ट कर दें ? उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं, वह भी प्रयासरत हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी साहेब क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)–

मान्यवर, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है, केवल इतना कहना है कि इसको वर्षों की मांग केन्द्रीय दर्जा देने की रही है। मैंने ही इसकी शुरुआत 1991 में की थी। प्रस्ताव में अगर कमी है, तो वह दुबारा फिर भेज दिया जायेगा और वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनेगा और बन कर रहेगा।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय दर्जा दिया जायेगा और उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, वह कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। यही चीज इनसे आप कहलवा दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लिया होता, अगर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी मेरे तथा मेरे साथियों के आग्रह को स्वीकार कर लिया होता, माननीय सदस्यों की भावनाओं को स्वीकार कर लिया होता। माननीय मंत्री जी ने दो तीन नयी बातें कह दी हैं, जिनका उत्तर देना आवश्यक है। मान्यवर, उन्होंने यह कहा कि दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें भगवान और धर्म के नाम पर राजनीति कर भगदड़ मचवाने की आपकी मंशा है और कैम्पस का जिक्र आपने किया है।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपकी पीठ से व्यवस्था दी गयी थी कि माननीय मंत्री और कटौती के प्रस्तावक के भाषण के बाद किसी को भाषण देने की अनुमति नहीं दी जायेगी और हम लोगों को बोलने की अनुमति नहीं दी। माननीय सदस्य केवल यह बतायें कि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं या नहीं प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं या नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी–

क्वालिटी शब्द का जिक्र कर दिया। मैं गिन रहा था, माननीय मंत्री जी ने 9 बार क्वालिटी शब्द का प्रयोग किया है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि क्वालिटी को गुणवत्ता हिन्दी में कहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, उन्होंने मेरी भाषा ज्ञान में वृद्धि किया है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे इस भाषा ज्ञान को उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, मंत्री जी ने कैम्पस का जिक्र बार-बार किया है। वहां जो बड़े अपराधी हैं उनको संरक्षण कौन दे रहा है उसको सब जानते हैं। इसलिये मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि उन्हें संरक्षण देने की बात नहीं होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–292 (2) जिसमें लिखा है "अन्यथा उपबन्ध होने के अतिरिक्त कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक बार भाषण नहीं देंगे" । मान्यवर, इसी नियम के (3) में स्पष्ट लिखा है–कोई सदस्य जिन्होंने कोई मूल प्रस्ताव या उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया हो या आय-व्ययक की मांगों के लिये किसी मद को कम करने या हटा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में पुनः भाषण कर सकेंगे, और यदि प्रस्ताव या संशोधन किसी असरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उस मंत्री को, जिसके विभाग से चर्चाधीन विषय का सम्बन्ध हो, प्रस्तावक के पश्चात् भाषण करने का अधिकार होगा, चाहे उन्होंने विवाद में पहले भाषण किया हो या न किया हो ।" मान्यवर, इस प्रकार नियम 292(3) में स्पष्ट है कि आय-व्ययक मांगों में मंत्री को अन्त में भाषण का अधिकार होगा और वह भाषण दे चुके हैं । इसलिये आप अब कटौती पर मतदान करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

स्पष्टीकरण हो गया है और माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं, इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित करने जा रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पीठ पर कोई माननीय सदस्य यदि आक्षेप लगाने का काम करता है तो यह आपत्तिजनक है । मान्यवर, उन सदस्य को शास्ति करने और नियंत्रित करने का काम आपको करना चाहिये ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन की भाषा हिन्दी है । उच्च शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में एक कोटेशन दिया था जिसका उन्हें हिन्दी अनुवाद करना चाहिये था चूंकि यहां की भाषा देवनागरी लिपि है । इसलिये उस कोटेशन का हिन्दी रूपान्तरण आ जाना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने इंग्लिश में कोट किया था ।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, कोटेशन का हिन्दी रूपान्तरण होना चाहिये । आप अपनी नियमावली दिखवा लें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्री अम्बिका जी, एक चिकित्सक को गोली दिये जाने की बात कह रहे हैं । मान्यवर, जो चिकित्सा के बारे में जानकारी नहीं रखते ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी संगत में रहकर कुछ जानकारी हो गयी होगी । अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,17,30,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

मा० अम्बरीष कुमार जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूं परन्तु श्री राकेशधर त्रिपाठी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दृढ़ता के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की बात की है,उन्हें इसके लिये साधुवाद और माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वह राकेशधर त्रिपाठी जी का सहयोग करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–73– शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,82,01,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग, अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,57,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 19,39,55,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

दो मद हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी 10-10 मिनट में यह रख लें । 20 मिनट में कटौती का प्रस्ताव रख लें और फिर 20 मिनट में दोनों ओर से दो-दो माननीय सदस्य विचार रख लेंगे और अन्त में 5-5 मिनट में उत्तर भाषण रख लेंगे ।

डा० नैपाल सिंह–

उत्तर प्रदेश में हिन्दी भाषा एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार की गई है । तथा उर्दू द्वितीय राजभाषा के रूप में । भाषा विभाग का जन्म अध्यादेशों, और विधि की पुस्तकों के प्रकाशन के हेतु गठन किया गया था और साथ ही जैसे-जैसे समय बढ़ता गया इसका क्षेत्र भी विस्तृत होता गया और आज इसके नियंत्रण में 8 संस्थान हैं ।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश संकृत संस्थान, हिन्दुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, स्व० फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, सिंधी एकेडमी, और पंजाबी एकेडमी । हिन्दी संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है जो इसके पीछे भावना है वह हिन्दी के प्रचार प्रसार की है । साथ ही हिन्दी के जो कवि, लेखक हैं उनको प्रोत्साहन देना भी इसके कार्यक्षेत्र में आता है । हिन्दी संस्थान से काफी साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया, प्रोत्साहन दिया गया और इसमें 39 विधाओं में पुरस्कृत किया गया और इनकी धनराशि भी पिछले साल दोगुनी कर दी गई है ।

पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की जिसमें चार सम्मान और इस क्षेत्र में जोड़ दिये गये हैं । यह सम्मान दो-दो लाख रुपये हैं । महात्मा गांधी सम्मान, दीन दयाल उपाध्याय सम्मान, अवन्ती बाई सम्मान, हिन्दी गौरव सम्मान । इस संस्थान में 5 लाख रुपये नान प्लान में और 8 लाख रुपये प्लान में वृद्धि किये गये । पूरा बजट नान प्लान में 78 लाख रुपये और प्लान में 8 लाख रुपये का है । संस्कृत संस्थान जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार करना इसका काम है । साथ ही संस्कृत के जो विद्वान हैं उनको प्रोत्साहन देना भी इसका काम है । साथ ही संस्कृत के जो पुराने ग्रन्थ हैं उनको पुनः जीवित करना इस संस्थान का सबसे बड़ा काम है । साथ ही पुरानी पाण्डुलिपियों को जीवित करना उनको प्रकाशित करना इसका विशेष काम है । इसके लिये बजट में 30 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । संस्कृत के विद्वानों को पुरस्कृत करने के लिये 9.8 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । हिन्दुस्तानी एकेडमी इस एकेडमी का कार्यक्षेत्र हिन्दी, उर्दू, अवधी आदि भाषाओं का प्रचार प्रसार करना है तथा इनके साहित्य को जीवित रखना है । प्रदेश में इसके लिये 5 लाख रुपये का आवंटन बजट में किया गया है ।

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान इस संस्थान का गठन 24 दिसम्बर, 1994 का हुआ था तब से इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है । यहां से बहुत से विद्वानों, लेखकों को पुरस्कृत किया जाता है । इसके लिये एक करोड़ दस लाख रुपये का आवंटन बजट में किया गया है । उर्दू एकेडमी उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार करती है । साथ ही उर्दू की पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है शोध कार्य के लिये भी इसमें प्राविधान है और जिन्होने बहुत से शोध कार्य किये हैं उसके लिये बजट में 60 लाख रुपये का प्राविधान है ।

स्व० फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी यह कमेटी पूरे भारत में उर्दू लेखकों की पुस्तकों का प्रकाशन इसका कार्यक्षेत्र है । इस कमेटी की विशेष बात यह है कि इस एकेडमी द्वारा शोध कार्य के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है । उनको वजीफे दिये जाते हैं इसके लिये बजट में 12 लाख रुपये का प्राविधान है । सिंधी एकेडमी का गठन पिछले वर्ष हुआ था इसने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । सिन्धी एकेडमी के लिये बजट में 5 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । पंजाब एकेडमी के लिये अभी एक लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । मैंने भाषण विभाग का संक्षिप्त विवरण रखा है, जो राशि इसके लिये रखी है, उसे आप अनुमोदित कर देंगे ।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुखता इस कारण है कि यह बेसिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच का पुल है । जब बेसिक शिक्षा से अच्छा छात्र निकलकर माध्यमिक शिक्षा में जायेगा और माध्यमिक शिक्षा से अच्छा छात्र निकल कर उच्च शिक्षा में जायेगा । जब छात्र अच्छा होगा तो समाज का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा और प्रदेश तथा देश का विकास होगा । माध्यमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिये साथ ही इसके विस्तार के लिये अच्छी शिक्षा सुलभ हो सके, इसके लिये शिक्षा नीति सरकार ने बनाई है । प्रदेश में कुल माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 12316 है, जिसमें से राजकीय 1438 हैं, सहायता प्राप्त 4849 हैं बाकी सब विद्यालय असहायता प्राप्त हैं । इन विद्यालयों में 68 लाख छात्र/छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ।

पिछले वर्ष इसका बजट 1893.67 करोड़ रुपये था इस साल यह बजट 1939.56 करोड़ रुपये है । पिछले वर्ष की तुलना में यह 13 प्रतिशत अधिक है । हमने माध्यमिक शिक्षा के लिये कुछ बिन्दु रखे हैं, उसके विकास, विस्तार सुविधाओं तथा परीक्षा पद्धति में परिवर्तन के लिये कुछ बिन्दु रखे हैं । विस्तार के लिये हमारे प्रदेश में 423 ऐसे ब्लाक थे, जहां पर लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई सुविधा नहीं थी । सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिये बालिकाओं के लिये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है । 323 ब्लाकों में या तो ये स्कूल खुल चुके हैं या फिर उनके प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं । मात्र 23 ब्लाक ऐसे रह गये हैं जहां से उच्चतर मांध्यमिक विद्यालय कन्या, के प्रस्ताव नहीं आये हैं । इस प्रकार असेवित ब्लाकों से हमने कन्याओं के शिक्षा को विस्तार देने का कार्य किया है । हमने इसके आगे भी एक योजना बना रखी है कि अगर किसी असेवित ब्लाक में कोई न्याय पंचायत है तो जहां पर लड़कियों के विद्यालय नहीं हैं, उनको शिक्षा प्राप्त हो सके, हमने 20 लाख रुपये अनुदान की बात कही है ताकि वहां पर भी विद्यालय खुल सकें । पहले असेवित ब्लाकों में हमने खोले अब न्याय पंचायत तक हम पहुंच रहे हैं ।

विद्यालयों के खोलने में सरलीकरण हो सके और कोई विलम्ब न हो । पहले जो जिला स्तर से सचिवालय आता था फिर वापस जाता था तो उसमें काफी समय लग जाता था अब हमने इसे जिला स्तर पर ही कर दिया है ताकि विलम्ब न हो सके । जिन राजकीय विद्यालयों की भवन आधे-अधूरे पड़े हैं, उनके निर्माण के लिये हमने 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । क्योंकि कुछ विद्यालय ऐसे थे, जिन्हें खोल तो दिया गया परन्तु उनके भवन अधूरे पड़े थे । लेकिन भवन अधूरा पड़ा था सरकार का ध्यान उस पर गया और इस वर्ष हमने उसको पूरा करने का संकल्प लिया है । इसके लिये 5 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया है । असेवित क्षेत्र के लिये विद्यालयों की स्थापना राजकीय जूनियर कन्या स्कूलों के उच्चीकरण के लिये हमने 157.59 लाख का बजट में प्राविधान किया है । विकास खण्डों में कन्या स्कूलों की स्थापना तथा उसके उच्चीकरण के लिये 200.53 लाख रुपये का प्राविधान किया है । बहुत से क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय थे जिनमें विषय सीमित थे । बच्चों को आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिये दूसरे

विद्यालयों में जाना पड़ता था । उन विद्यालयों में दूसरे विषय खोलने के लिये 40 लाख रुपये का प्राविधान किया है ।

राजकीय विद्यालयों में साज-सज्जा और चीजों के विकास के लिये 650 लाख रुपये का आवंटन बजट में किया है इससे जो कमियां राजकीय विद्यालय में थी वह दूर हो सकेंगी । बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्र संख्या बढ़ी है । एक-एक कक्षा में ज्यादा-ज्यादा छात्र थे । उच्च स्कूल में छात्रों के प्रवेश की समस्या उठती थी इसके लिये हमने द्विपाली शिक्षा का प्राविधान किया है । इसके लिये 67.68 लाख रुपये का बजट में प्राविधान किया है । राजकीय हाई स्कूल इण्टर के 20 राजकीय विद्यालयों को उच्चीकृत किया है । वर्ष 1999-2000 के बजट में 218.49 का प्राविधान किया है ।

मान्यवर, हमने पिछले साल हाई स्कूल में विज्ञान को कम्पलसरी किया था और कम्पलसरी होने के कारण विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता था । हम यह मानते हैं कि विज्ञान प्रयोगशाला के बिना जीवित नहीं रह सकता । प्रयोगशाला में विज्ञान जिन्दा होता है । जन्म लेता है । इन सबको देखते हुए 12 प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये 67 लाख रुपये का बजट में प्राविधान किया है । कुछ वर्षों से एक ही समस्या हमारे विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को थी-एक ही मुद्दा होता था प्रवेश की समस्या का और यह कहा जाता था कि बच्चों को कालेज में प्रवेश नहीं मिल रहा है ।

विद्यालयों के विस्तार के लिये वित्त विहीन मान्यता को प्रदान किया । प्रदेश में 1150 स्कूलों को मान्यता प्रदान की है । इसमें से 60 प्रतिशत मान्यता ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों को दी गई है । इसके पीछे भावना है कि किसान के बेटे को अच्छी उच्च शिक्षा सुलभ हो सके और वह शिक्षा से वंचित न रह जाय । इस वित्त विहीन मान्यता के प्रकरण का सरलीकरण किया है । पहले हर एक विषय के लिये शासन को पत्रावली आती थी । मान्यता के बाद चली जाती थी इसका सरलीकरण वन टाइम मान्यता का किया है । एक बार मिल जायेगी फिर पत्रावली शासन को आने की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, हमने शिक्षा में विकास और विस्तार के साथ-साथ शिक्षकों को सुविधाएं प्रदान की हैं । नये वेतनमान लागू किया है । फिक्शेसन हो चुका है नये वेतनमान के अनुसार वेतन मिलना प्रारम्भ हो गया है । मान्यवर, प्रदेश में 144 ऐसे विद्यालय थे जिनको अहेतुक सहायता दी जाती है । इस बार हमने 72 विद्यालय को लिया है इनको वेतन सरकार की तरफ से दिया जाएगा । हमने 1958-60 के शिक्षक के विकल्प को परिवर्तित किया है और उनको सुविधा दी है । रिटायर होने के एक वर्ष तक पहली जुलाई तक अपना विकल्प परिवर्तित कर सकते हैं । इसी के साथ-साथ शिक्षकों का विनियमितीकरण हमने किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें ।

डा० नैपाल सिंह–

इससे 1500 अध्यापक और 600 प्रधानाचार्य को लाभ हुआ है । पदोन्नति का प्रकरण पहले चयन बोर्ड के हाथ में था । अब पदोन्नति का प्रकरण मण्डल स्तर पर कमेटी द्वारा किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

डा० नैपाल सिंह–

पिछले साल से दस वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इस पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किया गया है। इसमें नौवीं की परीक्षा में नौवीं का कोर्स और दसवीं की परीक्षा में दसवीं का कोर्स होगा। इसी तरह से प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में बताना चाहेंगे इसमें पहले अनियमितता होती थी। अब प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, बहुत लम्बी सूची है। संक्षिप्त करें।

डा० नैपाल सिंह–

पांच मिनट का समय लूंगा।

मान्यवर, शिक्षा जगत में कुछ बातें सदन के सामने लाना आवश्यक है। लेकिन आपकी भावनाओं को देखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

मान्यवर, भाषा विभाग द्वारा एक पहली किताब जारी की गई है। इसमें पेज नम्बर–3 पर माननीय मंत्री जी देखें। पेज नम्बर–2 से शुरू हुआ है–"क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का विकास भाषा निधि के माध्यम से हिन्दी भाषा के साथ ही साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार एवं प्रसार का कार्य भी किया जा रहा है। इसके लिए 2 अक्टूबर 1990 को प्रदेश के तीन जनपदों यथा–लखनऊ, इलाहाबाद, देहरादून में भाषा केन्द्रों की स्थापना की गयी। इन केन्द्रों में 13 भारतीय भाषाओं यथा–तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, पंजाबी, सिन्धी, असमिया, कश्मीरी तथा नैपाली के शिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की गयी है।" यह 1990 में फैसला किया। मान्यवर, 1990 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। इसके लिए एक भी पैसा बजट में देने का प्राविधान नहीं किया गया है। इस तरह से खुद ही अपने साहित्य को असत्य साबित कर रहे हैं। भारत की अन्य भाषाओं के पाठन-पठन में इनकी कितनी रुचि है। यह भी आप देखें। अनुदान संख्या–39 में हैं। दक्षिण भारत की भाषाओं की शिक्षा देने वाली संस्थाओं को अनुदान इसमें आयोजनागत में 97-98 में 20 लाख का बजट था। उसके बाद 98-99 में 20 लाख का है और उसके बाद 99-2000 में इसमें कुछ नहीं छपा है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो बजट साहित्य दिया गया है उसमें अगर कोई चीज स्पष्ट नहीं है तो हम पूछ सकते हैं। यह बता दें कि कितना दिया गया है ?

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा आरोप है कि [x x x] यह सदन को और जनता को गुमराह करने वाला बजट है। इसमें एक पैसा भी भारत की भाषाओं के पठन-पाठन प्रसार के लिए नहीं दिया गया है।

वन राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

मान्यवर, इन्होंने झूठ शब्द का प्रयोग किया गया है। यह अपने शब्द वापस लें।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, पेज नम्बर–25 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी को अनुदान वाला कालम देखिये। इसमें आयोजनागत मद में 1997-98 में 13 लाख 22 हजार का, 98-99 में 13 लाख 20 हजार और अब यह घटकर 12 लाख कर दिया है। फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं और एक फिलासफर रहे हैं आप उनके संस्थान के लिए यह कहकर मजाक कर रहे हैं। मान्यवर, प्रदेश में उर्दू के विकास और प्रसार के लिए बात कही गयी। प्रदेश की हिन्दी राजभाषा है और उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 98-99 में 70 लाख रुपया था। अब यह घटकर 60 लाख कर दिया गया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद अगर किसी चीज की कमी आयी है तो वह विश्वसनीयता में कमी आयी है। हमारे देश में हिन्दी और उर्दू दोनों बोलने वाले लोग हैं उनमें एकरूपता नहीं है। हिन्दू और मुसलमान के बीच में विश्वसनीयता की कमी आयी है यह राष्ट्रीय एकता को खण्डित कर देगी।

श्री राम औतार शाक्य–

आज उर्दू द्वितीय राजभाषा है। हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी हुई है। आपका हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान यह नारा है।

(व्यवधान)

मान्यवर, केरल की बात कही गयी। हिन्दी इस देश में तभी अच्छी तरह से स्थापित होगी। जब अन्य भाषाओं को अपनाने का हम काम करेंगे। अगर हिन्दी के नाम पर और दफ्तर फूकें जायेंगे तो यह राष्ट्रीय क्षति ही होगी। अगर अन्य भाषाओं के पठन-पाठन के लिए उत्तर प्रदेश से शुरूआत नहीं होगी तो अन्य कहां से होगी ? भाषा के प्रति इस सरकार की बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। 3 करोड़ 27 लाख 54 हजार भाषा विभाग के लिए रखा है। जबकि पिछले वर्ष यह 3 करोड़ 26 लाख 51 हजार थी। जहां तक पाण्डुलिपियों के रख-रखाव का सवाल है महाकवियों की बिट्रैन और टोकियों की लाइब्रेरी में

नोट :–[x x x] यह अंश मा० अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

किताबें मिल जायेंगी, लेकिन हमारे यहां उनके रख-रखाव का कोई प्राविधान नहीं है । मान्यवर, हम तो चाहते हैं कि हिन्दी यहां एक रानी होती और अंग्रेजी भाषा दासी होती लेकिन अंग्रेजी भाषा रानी बनी हुई है, और दासी हिन्दी भाषा बनी हुई है । हिन्दी तो एक धागे के समान होनी चाहिए थी और बाकी लड़ियों के समान तो यह देश एक ही रहता । हमने इसमें आलोचना के लिए एक रुपया रखा है । सरकार कंजूस है । खर्च तो करना नहीं चाहती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम सिंह सैनी जी कटौती का प्रस्ताव रखें ।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता जी अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी यहां सदन में थे । उन्होंने अपना भाषण एक कोटेशन से शुरु किया था । अच्छा होता वह यहां पर होते । हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी यहां पर हैं वह यह नहीं जानते कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? इसलिए उन्होंने इसकी कोई चर्चा नहीं की । मैं उनके ज्ञानवर्धन के लिए दो एक कोटेशन की शिक्षा का मकसद क्या है ? कैसे सर्वांगीण विकास होगा ? यह मैं अपनी परिभाषा में रख रहा हूं यह हमारे उच्चतम न्यायालय की परिभाषा है ।

दि फण्डामेन्टल परपज आफ दि एजूकेशन इज दि सेम एट आल टाइमस् एण्ड इन आल प्लेसेज । इट इज टू ट्रान्सफीगर दि ह्यूमन परसनालिटी इनटू ए पैटर्न आफ परफेक्शन थ्रू दि सेन्थेटिक प्रोसेस आफ डेवलेपमेन्ट आफ दि बाडी दि एनरिचमेन्ट आफ दि माइन्ड दि सबलीमेशन आफ दि एमोशन्स एण्ड दि एलीमिनेशन आफ दि स्प्रिट । एजूकेशन इज दि प्रिपरेशन फार दि लिविंग एण्ड फार लाइफ हियर एण्ड हियर आफटर ।

शिक्षा का मूल उद्देश्य हर समय और हर स्थान पर एक ही रहा है कि यह मनुष्य का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास करें और यह लगातार प्रक्रिया है शरीर के मस्तिष्क का और अध्यात्मिक विकास यह सारा का सारा करेगा । यह इसका उद्देश्य है । इसी तरह से शिक्षा का उद्देश्य है । मानव की पवित्रता की भावना । बच्चों में स्थापित करना । व्यक्ति का विकास । नागरिक के सामाजिक कुशलता में वृद्धि, संस्कृति का प्रशिक्षण लेकिन जो बजट भाषण शिक्षा मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है उसमें कहीं यह नहीं है कि सर्वांगीण विकास हमारा इन बच्चों का होगा और शिक्षा के माध्यम से यह सब करेंगे । मान्यवर, सुभाष चन्द्र बोस और चन्द्र शेखर जैसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है । यह शिक्षित न होते तो हम दि ग्रेट न होते । मान्यवर, दूसरा है ।

एजूकेशन व्हिच लीड्स टू लिबरेशन, लिबरेशन फ्राम इग्नोरेन्स व्हिच साउन्डस दि माइन्ड लिबरेशन फ्राम सपरस्टीट्यूशन व्हिच पैरालाइजेज दि इफर्ट्स डेलिब्रेरेशन फ्राम प्रिज्यूडिसेज व्हिच हाइड दि ट्रुथ ।

मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा कार्य इस बजट में मुझे देखने को नहीं मिला जिससे किसी छात्र का सर्वांगीण विकास हो । इसी तरह से कोठारी कमीशन जो सेकेण्डरी एजूकेशन की बाइबिल कही जाती है उसमें एजूकेशन का मकसद है । आज की स्थिति में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए । किस

बात की आज समाज को आवश्यकता है । उसके अनुरूप छात्र को ढालना है ? पर्यावरण फैमिली प्लानिंग की आज आवश्यकता है तो वह शिक्षा छात्र को देनी चाहिए । मान्यवर, यह जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है इसमें इस प्रकार का जिक्र नहीं है । जहां तक इन्होंने बजट बढ़ाने की बात कही है वह ऊट के मुंह में जीरा है । हरियाना बराबर का स्टेट है उसके बारे में बतलाना चाहता हूं । आपका पड़ोसी प्रदेश हरियाणा है । आप कहीं दूर मत जाइये । वहां पर प्राइमरी पाठशाला हर गांव में है । दो गांवों के बीच में जूनियर हाई स्कूल है । तीन गांवों के बीच में हाई स्कूल है और पांच गांवों के बीच में इण्टर कालेज है और 10 गांवों के बीच में एक डिग्री कालेज है । यह स्थिति आपके बराबर के प्रदेश की है । हमारा यह प्राविधान होना चाहिये कि शिक्षा पर कम से कम 40 प्रतिशत खर्च किया जाना चाहिये । जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें । उस समय यह बता दें कि कितने प्रतिशत खर्च किया जा रहा है ? अगर आप 14 प्रतिशत ही खर्च करेंगे तो शिक्षा का स्तर यही रहेगा । कोई सुधार होने वाला नहीं है और आप कोई विद्यालय नहीं खोल पायेंगे ।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । आटा ब्लाक फिरोजाबाद की एक पत्रावली आपके पास आयी थी, लेकिन वहां का विधायक समाजवादी पार्टी का है । इसलिये उस पत्रावली को निरस्तकर वापस कर दिया । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिये । लेकिन हो रही है ।

मान्यवर, लिटरेसी का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में देखें, जो प्रतिशत है । वह 21.6 का है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सभी को शिक्षित बना दिया गया है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब तक आप शिक्षा पर 14 प्रतिशत खर्च करते रहेंगे तब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा । संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है । हमारे यहां पर शिक्षा का स्तर क्या है ?

मान्यवर, इसको आप देखें कि एक क्लास में 130-150 तक छात्र होते हैं । मुरादाबाद के एक गांव में गया था । एक क्लास में 150 लड़के थे और 5 विषय को पढ़ाने का काम एक अध्यापक कर रहा था, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा । कुछ नहीं होने वाला है । दूसरी ओर मान्यवर, अंग्रेजी स्कूलों में जो व्यवस्था है वह झुग्गी-झोपड़ी वाले लोगों के स्कूलों से बहुत अच्छी है । आपने [x x x] मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन स्कूलों पर रोक लगायें । इसी तरह भवनों की हालत आप देखें तो इण्टर कालेज पुराने भवनों में चल रहे हैं जहां फर्नीचर नहीं हैं और भवन टूटे हैं ।

मान्यवर, 1984 में, मैं शिक्षा मंत्री रहा हूं, तो हायर सेकेन्डरी विद्यालय को अनुदान सूची में ले आया था और उस समय हमने 750 जू० हाई स्कूल एवं 500 हायर सेकेण्डरी स्कूलों को अनुदान सूची में लाये थे । इसके अलावा बालिकाओं के विद्यालयों को शत-प्रतिशत अनुदान सूची में ले लिया था ।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, मंत्री जी कहते है कि हमारे पास संशोधन नहीं है किन्तु 95 मंत्रियों का मंत्रि-मण्डल बनाने के लिए इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है । मान्यवर, यह सरकार शिक्षा के बजट में कटौती कर रही है । किन्तु मंत्रिमण्डल में कोई कटौती नहीं करने जा रही है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट जो रखा गया है वह दिशाहीन और छात्रा के हित करने वाला नहीं है बल्कि छात्रों को अन्धकार में ले जाने वाला बजट है । इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि मुझे आपने माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया ।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने विस्तार से माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अभी यहां सदन में किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए और उसका स्वरूप क्या होना चाहिए ? इस संबंध में अपनी बात रखने का प्रयास किया है । मान्यवर, मैं एक-दो बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने बजट में कहा है कि हम असेवित विकास खण्डों में कन्या इण्टर कालेज खोलेंगे । यह घोषणा मंत्री जी ने किया है । यह सराहनीय कदम है । मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मात्र 23 विकास खण्ड ऐसे हैं जहां विद्यालय खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ है और शीघ्र विद्यालय खुल जायेंगे । मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रत्येक विकास खण्ड में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा विद्यालय खोलने के लिए 20 लाख रुपये तक देने की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने किया है । यह महान कार्य है और इसके लिए मैं मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहीं तक नहीं सोंचा बल्कि आगे भी विचार किया और ग्रामीण क्षेत्रों में कन्याओं को पढ़ने के लिए यह आवश्यकता महसूस किया कि प्रत्येक विकास खण्ड में दो न्याय पंचायतों के मध्य विद्यालय खोलने हेतु बजट में व्यवस्था की है और इस संबंध में विद्यालय के लिए 20-20 लाख रुपये तक देने का प्राविधान सरकार ने किया है । इसके लिए शिक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, नकल विरोधी अध्यादेश के बारे में कहा गया है उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि अब से कुछ समय पूर्व जो सरकार थी जिसमें छात्रों का नकल करने की छूट दे रखी थी और प्रदेश में ऐसा माहौल था जिससे तमाम छात्र बाहर से यहां आकर फार्म भरते थे और सीधे परीक्षा दे देते थे तथा सीधे मार्कशीट यहां से ले जाते थे जिससे छात्रों का भविष्य अन्धकार मय हो गया था एवं प्रदेश के छात्रों की हालत बिगड़ती जा रही थी । हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नकल अध्यादेश लाकर छात्रों को व्यवस्थित करने का काम किया । अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समूह "ग", पुलिस की भर्ती तथा अन्य तमाम भर्तियां की गयी जिसमें निष्पक्षता से, योग्य छात्रों को नौकरी पाने का सुअवसर प्रदान किया गया ।

श्री राम औतार शाक्य–

यह शिक्षा पर बोल रहे हैं या भर्ती करा रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य–

यह नकल करके आये हैं इसलिए माननीय सदस्य का भाषण समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जैसी शिक्षा दी है उसी का प्रतिबिम्ब नजर आ रहा है।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

हमारा कहने का तात्पर्य यह था कि नकल अध्यादेश से छात्रों ने पढ़ना शुरू किया है और जिस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं। छात्रों ने महसूस किया कि नकल से परीक्षा पास करके हम कम्पटीशन की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते। इसलिए छात्रों में जो वातावरण बना है इससे निश्चित ही प्रदेश का भविष्य और देश का भविष्य अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट क्रान्तिकारी बजट है। मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री राम वीर उपाध्याय–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

हमारे देश के छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है। मैं एक बात ऐसी बताने जा रहा हूं सदन को, जो चौकाने वाली बात होगी और एक ऐसी रिपोर्ट मैं देने जा रहा हूं। आपके माध्यम से सरकार को वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन नकल माफिया की बात करने जा रहा हूं वह हिन्दुस्तान ही नहीं विश्वविख्यात माफिया होगा। उच्च शिक्षा के बजट पर कटौती का प्रस्ताव आ रहा था तब मुझे रोक दिया गया था। मैं पूरी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं मुझे 20 मिनट का समय दीजिएगा। बीच में रोकियेगा नहीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर हरिप्रायी देवी इण्टर कालेज है जिसमें 1991 से 1998 तक 10 हजार रुपये से 30 हजार रुपये में नकल कराया जाता रहा। नकल प्रकरण का पता चला ? तो शिकायत की गयी। माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी से शिकायत की गयी। अभी-अभी हमारे सिकन्दराराऊ के विधायक श्री यशपाल चौहान जी बैठे हुये थे। उन्होंने वहां से परीक्षा केन्द्र कटवाया। तब तक 3850 छात्रों से 10 से 15 हजार रुपया प्रत्येक छात्र, लगभग 4 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था।

दिनांक 18-5-98 को पूर्व विधायक श्री राजवीर सिंह पहलवान ने शिकायत की थी कि परीक्षा केन्द्र न बन पाये। परीक्षा केन्द्र नहीं बन पाया तो कापियों को बदलवाने का प्रयास किया जाने लगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उच्च जांच के आदेश दिये। 7 अक्टूबर, 1998 को परीक्षा केन्द्र समिति की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती हरिप्रायी देवी इण्टर कालेज में नकल हुई है और व्यापक स्तर पर नकल हुई है। वहां पर 2200 लड़कों से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी जबकि मात्र 500 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है वहां पर 2253 लड़कों ने एकजाम दिया और परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि श्रीमती हरिप्रायी देवी इण्टर कालेज को भविष्य में कभी भी परीक्षा केन्द्र न बनाया जाये और परिषद् के कार्यों में कभी भी भाग न लेने दी जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी मान्यता समाप्त कर दी गयी है। शिक्षा निदेशक ने मान्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर दस्तखत करके सरकार को भेज दिया है। जिस कालेज को हमेशा के लिए डिबार कर दिया गया हो उसको परीक्षा केन्द्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उस शिक्षा माफिया ने कांग्रेस के शासन काल में नकल करायी, समाजवादी पार्टी के शासन काल में नकल करायी, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उसने नकल करायी। जब यह पता चला कि उसे डिबार कर दिया गया है, उसकी मान्यता समाप्त कर दी गयी है उसने जिला स्तर पर अधिकारियों को 14 लाख में अधिकारियों को खरीदा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

यह नकल माफिया हाई कोर्ट में भी गया लेकिन उसको स्टे नहीं दिया गया बल्कि यह कहा गया कि ऐसे मामले की तो सी०बी०आई० से जांच करायी जानी चाहिए। इस कालेज में जितने छात्रों को परीक्षा फार्म दिया गया उनके ट्रेजरी चालान ज्यादातर फर्जी लगाये गये। इस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न भी लगाया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस कालेज की मान्यता समाप्त कर दी गयी हो, जिसको हमेशा के लिए डिबार कर दिया गया हो उसको बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री रामवीर उपाध्याय–

वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 1998 तक परीक्षा शुल्क में जितना ट्रेजरी चालान किया गया है उसमें कितना कैश हो चुका है ? मैंने जो प्रश्न लगाये हैं उनका उत्तर चाहता हूं ?

* श्री इन्द्रदेव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने भाषा एवं माध्यमिक शिक्षा के बजट पर बोलने की अनुमति दी। हमारे कुछ विरोध पक्ष के सदस्यों ने माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा के बजट को परिभाषाओं में उलझाने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष में हमारे मंत्री जी के कार्यकाल में समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप जितने विद्यालयों को मान्यता दी गयी है शायद पहले कभी इतने विद्यालयों को मान्यता नहीं दी गयी इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा किया और बहुत बड़ी संख्या में विद्यालयों को मान्यता दी। कन्याओं की शिक्षा के लिए असेवित विकास खण्ड में एक कन्या इण्टर कालेज तथा निजी क्षेत्र में भी विद्यालय खोलने हेतु माननीय मंत्री जी ने 20 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की है, यह एक प्रशंसनीय कदम है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा में अगर कुछ विद्यालयों के भवन हैं तो वहां पर अध्यापक नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे विद्यालय जो इन्टीरियर में हैं जहां अध्यापक जाते नहीं हैं और जाते हैं तो वहां से अपना ट्रान्सफर अन्यत्र करा लेते हैं जिससे कि वहां के आस-पास के क्षेत्रों को उसका लाभ नहीं मिल पाता इसलिए मेरा सुझाव है कि जो आस-पास के शिक्षित बेरोजगार नवयुवक हैं भले ही वह ट्रेण्ड न हों, उन्हें उस स्कूल में अध्यापन हेतु रखा जाय ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके।

मान्यवर, भाषा के बारे में बात चल रही थी। मेरा कहना है कि संस्कृत जो हमारे देश की और भारतीय संस्कृति की परिचायक भाषा ही नहीं बल्कि उसके साथ संस्कृत एक ऐसी भाषा है, जिसका व्याकरण संसार की सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है और वैज्ञानिकों ने भी यह कहा है कि कम्प्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सबसे उपयुक्त भाषा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि संस्कृत भाषा के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए और उसको प्रभावी बनाने के लिए, इसे रोजगार परक बनाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सारे प्राणी जो इस पृथ्वी पर हैं वह दो भागों में विभाजित हैं। एक सहज बुद्धि के और दूसरे विवेक बुद्धि के। सहज बुद्धि के जो प्राणी हैं उनकी बुद्धि वैसी ही रहती है जैसे वह जन्म के वक्त होती है। सहज बुद्धि वाले प्राणी अपनी जीवन रक्षा स्वयं करते हैं। यह जब कभी पानी में जायेगा तो तैर कर बाहर निकल आयेगा। इसके विपरीत मनुष्य की कितनी भी उम्र ज्यादा हो उसको यदि विवेक न दिया जाय तो वह तालाब में डूब कर मर जायेगा। यदि उसे विवेक दिया जाय तो जल में वह अपने को समाप्त करेगा और पानी पीछे काटेगा और बाहर निकल जायेगा। यदि उसे और विवेक मिल जाय तो वह नाव बनाकर बाहर निकल जायेगा, यदि उसे और विवेक दे दिया जाय तो वह पुल बनाकर बाहर निकल जायेगा और यदि उसे और विवेक दिया जाय तो वह जहाज से बाहर निकल जायेगा। मान्यवर, विवेक बुद्धि पाने के बाद मानव अपने जीवन की रक्षा कर सकता है अगर बुद्धि न मिले तो वह डूब कर मर जायेगा। इतना बड़ा फर्क है। ऐसी विवेक बुद्धि को देने के लिए कम से कम सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। यह जनप्रिय सरकार का पहला फर्ज है कि जो सारे मनुष्य हैं सबको समान शिक्षा दे।

समान शिक्षा से मान्यवर, समाज बनेगा और जब तक समान शिक्षा नहीं होगी समानता का समाज नहीं बनेगा। कुछ लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है और कुछ को जमीन पर बैठाया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि सारे विद्यालयों को एक जैसा कर दे। सब जगह एक जैसी पढ़ाई हो। टाटा, बिड़ला, डालमिया के बच्चे हों या किसी गरीब के, किसी धर्म के हों सब एक जैसी शिक्षा प्राप्त करें। सबकी ड्रेस एक सी कर दीजिये चाहे टेरीकाट हो या मार्कीन की हो। एक जैसा खान-पान एक जैसी शिक्षा सब स्कूलों की हो। मान्यवर, देश की सुरक्षा के लिए मिलिटरी और मान्यवर...

(लाल बत्ती के जलने पर)

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया और आपने लाल बत्ती जला दी। मान्यवर, जिस तरह से पुलिस, पी०ए०सी० और मिलिटरी यह तीनों विभाग बिना लाभ के हैं उसी तरह से शिक्षा विभाग को बिना लाभ के बनाइये। इसका सारा खर्च सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए। जब तक शिक्षा समान नहीं होती है लोगों के बीच में समानता नहीं आयेगी और इस विषमता के कारण देश गुलाम होता है। पहले भी

इसीलिए गुलाम हो चुका है । तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिनमें वित्तयुक्त मान्यता है और बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें मान्यता वित्त विहीन है । किसी को वित्तविहीन मान्यता दे रहे हैं तो आप उस वित्त-विहीन विद्यालय को शोषण करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं । इण्टरमीडिएट बोर्ड से मिलने वाली मान्यता सबको वित्त विहीन मिलनी चाहिए ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी है । मैं समाप्त कर देता हूं । एक बात कहना चाहूंगा कि कहा गया था कि एडमीशन की समस्या के बारे में प्रश्न किये जाते हैं । यह बिल्कुल सही बात है एडमीशन की बहुत समस्या होती है । एडमीशन की समस्या का हल करने के लिए दो पाली में विद्यालय चलाया जाय तो समस्या का समाधान हो सकता है क्योंकि भवन वही होगा, सामग्री वहीं होगी, हां टीचर्स का प्रबन्ध करना होगा । इससे यह एडमीशन की समस्या समाप्त हो जायेगी ।

(माननीय मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । पहले कटौती के प्रस्ताव पर चौधरी जी का उत्तर भाषण हो जाय उसके उपरान्त मंत्री जी को बुलाइये । आप नियमावली देख लें । गलत परम्परा न डालें मान्यवर ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह नियमावली में है, आप देख लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा आपने कटौती का प्रस्ताव रखा इसमें पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार आये ।

श्री लालजी वर्मा–

व्यवस्था देने के पहले सुन लें ।

(व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता महोदय हम नियमों से चलते हैं परम्परायें हैं और अध्यक्ष द्वारा निर्देश हैं कि जो माननीय सदस्य कटौती रखेंगे इसमें पक्ष और विपक्ष के भाषण होने के उपरान्त कटौती वाले उत्तर भाषण देंगे, उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण देंगे उसके बाद अन्तिम है प्रस्ताव करेंगे इससे अलग हटकर कहां जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मेरा विषय लम्बा नहीं है एक-दो बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मैं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि न तो हिन्दी प्रेमी हैं न ऊर्दू प्रेमी हैं न अन्य भारतीय भाषाओं के प्रेमी हैं । संस्कृत के बारे में कह दूं भाषा विभाग का अनुदान संख्या–39 है इसमें दूसरे नम्बर पर जो है संस्कृत संस्थान के लिए जो 1997-98 में धन आवंटित किया गया था वह 25 लाख 25 हजार किया गया था, इस बार 20 लाख का धन आवंटित किया गया है यह घटता जा रहा है । संस्कृत से कोई

लगाव नहीं है । दुनिया में जो भाषायें हैं जो भाषा भण्डार है वह बहुत है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार गम्भीर नहीं है । भाषा की बहबूदी प्राप्त करने के लिए हिन्दी की बहबूदी प्राप्त करनी होगी ।

सत्ता पक्ष के सदस्यों के बोलने पर (व्यवधान)

आप मजाक न करें । मैंने विषय उठाया है । माननीय मंत्री जी विरोधाभाषी हैं पहले कहते हैं यह करने जा रहे हैं, रुपया इनके पास है नहीं । उर्दू के हर आइटम में घटोत्तरी की है । यह बजट धोखा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं एक वाक्य में अपनी बात खत्म करूंगा । मैं अपने दल का उपनेता हूं और सैनी जी के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

*कारागार मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

मान्यवर, विपक्ष के लोग सदन में कुछ बोलते हैं और बाहर कुछ बोलते हैं यह दोगली नीति छोड़ दें, इन्होंने हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की बात कही है लेकिन जब अटल जी विश्व मंच पर हिन्दी में भाषण दिये थे उन्होंने हिन्दी का मान बढ़ाया था तो इनके नेता ने कहा था कि हिन्दी भाषा में भाषण देकर गौरव नहीं बढ़ाया बल्कि नौटंकी की जा रही है । आज आपकी बुद्धि में बात आ गयी है । भगवान ने आपको सद्बुद्धि दे दी है इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं लेकिन उस नेता ने महामहिम प्रधान मंत्री के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी उसकी मैं घोर निन्दा करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, चिराग रोशनी के लिए जलाये जाते हैं और कई चिराग दूसरे उद्देश्यों के लिए जलाये जाते हैं । मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि जिन चिरागों से तासुब का धुवां उठता हो, उन चिरागों को गुल कर दो कि रोशनी हो जाय ।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय सैनी जी ने जो प्रस्ताव कटौती का रखा है मैं उस पर बल देते हुए एक पत्र का हवाला देकर कहना चाहूंगा । यह पत्र ।। जनवरी को मैंने माध्यमिक शिक्षा सचिव को लिखा था । बलिया जनपद की घटना है । वहां पर 650 इण्टर कालेज के छात्रों की फीस ली गयी लेकिन उनकी फीस प्रिंसिपल और बोर्ड के बीच कहां गायब हो गयी यह पता नहीं चल पाया है और वह छात्र बरबादी के कगार पर हैं ? इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है । जो अनर्गल प्रस्ताव इन्होंने रखा है और उसके विरोध में और जो प्रचण्ड कटौती का प्रस्ताव सैनी जी ने रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शास्त्र–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, यह बतायें कि भोगांव और व्यवस्था दोनों में क्या अन्तर है इसको स्पष्ट करें ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी का अपमान किया गया । पूरे कटौती के प्रस्ताव में अटल बिहारी जी का नाम नहीं लिया गया है । माननीय सदस्य गलत और असत्य भाषण कर रहे हैं बाजपेयी जी का अपमान नहीं किया गया है अगर किया है तो बतायें कब किया है ?

–डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मिश्र जी ने किसी नेता का नाम नहीं लिया है । चोर की दाढ़ी में तिनका । वह कौन नेता थे जो कहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी बोलकर नौटंकी की है । आज यह सच्चाई सदन में आ रही है तो इन्हें बरदास्त नहीं हो रहा है । मान्यवर, शिक्षा के बजट पर इनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

भाषा के प्रश्न पर बोल रहे हैं या शिक्षा के प्रश्न पर ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

भाषा शिक्षा का हिस्सा है । यह नकल करने वाले लोग हैं उनके साथ यह नकल का विरोध करने वाले और नकल कराने वाले लोग बैठे हुए हैं । अभी आपने एक शेर कहा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अक्लमन्दी की उम्मीद उनसे न करें जिनके पास अक्ल नाम की चीज नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इनकी बात से आश्चर्य हुआ । इनकी स्थिति यह है कि–आईना तो आपने रखवाया नहीं बावजूद इसके अक्स देख लिया करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, उच्च शिक्षा में तो यू० जी० सी० ग्रेड दे दिये गये माध्यमिक शिक्षा में पंचम आयोग स्थापित हुआ था, उनके अध्यापकों को आपने नये ग्रेड्स नहीं दिये उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है । मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् में बाडी का चुनाव होता था पिछले वर्षों से वहां पर बाडी नहीं है वहां चुनाव होने चाहिए । पिछले वर्ष हाईस्कूल का परीक्षाफल 28 प्रतिशत था जिस राष्ट्र के बच्चे 72 फीसदी फेल होते हैं उनका आप किस तरह से उद्धार करेंगे ? पिछले वर्ष तीन लाख इण्टर के बच्चों का एडमीशन नहीं हो पाया है उनके भविष्य को आपने अंधकारमय कर दिया है । चार लाईने कहना चाहूंगा–

पत्थरों के भाल पर सुन्दर गुलाब लिख दूंगा
उठाकर लेखनी पूरी किताब लिख दूंगा

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चमन बरबाद करने की अगर नियत तुम्हारी है

तो जमीं से आसमां तक इन्कलाब लिख दूंगा ।

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, भाषा निधि से 1 करोड़ 10 लाख रु० दिये जाते हैं साथ ही दक्षिण भाषाओं के ज्ञान के संबंध में भाषा विभाग द्वारा 6 केन्द्र संचालित हैं । इसलिये उस मद की आवश्यकता नहीं रही । माननीय सैनी जी ने अपने ज्ञान का भण्डार जो उनके मस्तिष्क में दबा पड़ा था, आज हमारी तरफ ट्रान्सफर कर दिया है । मान्यवर, माननीय सदस्य गम्भीरता से जो मैने बोला है, उस पर चिन्तन कर लेते, विश्लेषण कर लेते तो यह जो शेर पढ़े हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती । मेरा अनुरोध है कि मेरे भाषण का विश्लेषण करें, चिन्तन करें तो उनकी बहुत सी बातों का समाधान हो जायेगा । मैं अपने दोनों सदस्यों से कहूंगा कि अपनी कटौती को वापिस ले लें । मान्यवर, मेरे मित्र जिन्होंने इस प्रकरण को लिया है और जिन व्यक्ति के बारे में लिया है जब यह उनके साथ आये थे तो मुझे तो पहले ज्ञात होता था कि शरीर दो हैं और आत्मा एक है । इनको पूरे आकड़े उनके बारे में पता हैं । इन्होंने मान्यवर, जो पत्र दिया है उस पर विचार कर लेंगे लेकिन अपने पुराने मित्रों से अपना दर्द भुलाकर उधर आ गये हैं, उनको इतना दर्द न हो ।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी, अपनी कटौती का प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जब यह मुरझा गये है तो उनमें सुगन्ध आने वाली नहीं है, इसलिये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं –

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39– भाषण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,57,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय सैनी जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, जो बाते मैंने कहीं है इन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है और न ही उसका कोई आश्वासन दिया है । इसलिये मैं अपनी कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं –

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 19,39,55,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) व अनुदान संख्या 75– शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि–

1–31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 33,27,95,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

2–31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 51,48,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

मान्यवर, मुझे बेसिक शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुये हर्ष हो रहा है । मेरी पीड़ा यह है कि आजादी के बाद 51 वर्ष हो गये हैं और उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 41 है । महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है, महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 25.3 है, इसका कारण स्पष्ट है । इनकी उपेक्षा होती रही है और यह उपेक्षा आज भी हो रही है । मान्यवर, शिक्षा विभाग के बजट का 55 प्रतिशत केवल प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है लेकिन सामने की बेंचों पर बैठे सदस्यों की नगण्य संख्या से आज बेसिक शिक्षा के साथ अन्याय होता रहा है । मान्यवर, हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाये ।

मान्यवर, भारत रत्न से सम्मानित विश्वविख्यात अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन ने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया है जिस कारण सारे देश का ध्यान इस ओर गया है हमें प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने

प्राथमिक शिक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्थान पर रखा है । मान्यवर, हमने सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा है, हम 21वीं सदी के दरवाजे पर खड़े हैं । मैं 1951 के आंकड़ों के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि 1951 में स्कूल 32 हजार थे जिसमें 2727 लाख बच्चे शिक्षा उनमें पाते थे और 70 हजार अध्यापक पढ़ाने के कार्य करते थे वर्ष 97-98 में विद्यालयों की यह संख्या बढ़कर 1 लाख 12 हजार हो गयी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 6 लाख हो गयी और 2 लाख 78 हजार अध्यापक पढ़ाने के कार्य में लगे रहे । इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक में 1950-51 में दो हजार अस्सी विद्यालय थे जिनमें 3 लाख 48 हजार बच्चे थे और 14 हजार अध्यापक पढ़ाने का काम करते थे जब वर्ष 97-98 में यह संख्या बढ़कर 37,000 विद्यालय हो गये हैं 74 लाख बालक-नामांकित हैं जिनमें 1 लाख 48 हजार अध्यापक पढ़ाने का काम कर रहे हैं ।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा के बारे में हम सुधार करना चाहते हैं, बेसिक शिक्षा के बारे में लोगों की धारणा ठीक नहीं है, अध्यापक अनुपस्थित रहते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालयों की जर्जर स्थिति कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण लोगों की धारणा ठीक नहीं है । मान्यवर, इस धारणा को तोड़ने के लिए हमारी सरकार ने चौतरफा सुधार के कार्यक्रम चलाये हैं । मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की उपस्थिति जांच की जाय और वह जांच की गयी जिसका परिणाम सामने आया है कि बड़ी संख्या में अध्यापक विद्यालयों में उपस्थित होने लगे हैं । मान्यवर, इस अभियान को हम चलाना चाहते हैं फरवरी में समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस अभियान में लगें ताकि विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और जो अनुपस्थित अध्यापक पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, अनेक बार यह सवाल सामने आता है कि बालिका विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं अथवा बालकों की संख्या के अनुसार विद्यालयों में अध्यापक नियुक्त नहीं हैं और अध्यापकों के पद रिक्त हैं । मान्यवर, मुझे गर्व है कि हम सफल हुए हैं कि प्रदेश में एक भी प्रशिक्षित बी०टी०सी० व्यक्ति बिना नौकरी के रहा हो । मान्यवर, आज स्थिति यह है कि एक भी बी०टी०सी० प्रशिक्षित व्यक्ति अध्यापन कार्य से बाहर नहीं हैं । मान्यवर अध्यापकों की भर्ती का अभियान चल रहा है और 27 हजार अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है । बी०एड०, एल०टी०, सी०पी०एड०, ट्रेन्ड व्यक्तियों में से हम मेरिट के आधार पर रखने जा रहे हैं ।

मान्यवर, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नैतिकता की आवश्यकता है । मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मेरिट के आधार पर अध्यापकों की भर्ती करेंगे और उनका गुणांक निर्धारित किया जायेगा । प्रत्येक व्यक्ति अपने घर बैठे गुणांक निकाल लेगा और जान लेगा कि उसका स्थान कहां है ? मान्यवर, ऐसी पारदर्शिता और ऐसी निष्पक्षता शायद पहले नहीं हुई । यदि हुई होती तो शिक्षा में नैतिकता का अभाव नहीं होता । मान्यवर, यह काम हमारे मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में ही सम्भव हुआ है क्योंकि बाकी सरकारों ने तो पक्षपातपूर्ण कार्य किये हैं । मान्यवर, जो गुणांक निकालने का मानक तय हुआ है वह मैं बताना चाहता हूं । मान्यवर, गुणांक निकालने के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल के अंकों के प्रतिशत को 10 से भाग दिया जायेगा, इण्टरमीडिएट के अंकों के प्रतिशत को गुणे 2 को 10 से भाग देंगे, स्नातक उपाधि के अंकों के प्रतिशत गुणे 3 को 10 से भाग दिया जायेगा, बी०एड० के प्रयोगात्मक में प्रथम हैं तो 12 अंक, द्वितीय हैं तो 6 अंक, तृतीय हैं तो 3 अंक, इसी प्रकार थ्योरी के भी

तीनों श्रेणियों 12, 6, 3 अंक दिये जायेंगे । दूसरे प्रयोगात्मक की श्रेणी के हिसाब से नम्बर दिये जायेंगे । इसमें खेलकूद आदि के आधार पर 5 अंक जो दिये जायेंगे वह इस प्रकार होंगे :–

1–यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो 5 अंक देय होंगे ।

2–यदि अभ्यर्थी प्रदेश स्तर का खिलाड़ी है तो 3 अंक देय होंगे ।

3–एन०सी०सी० के "सी" प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थी को 5 अंक देय होंगे ।

4–एन०सी०सी० के "बी" प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थी को 3 अंक देय होंगे ।

इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर अधिकतम 5 अंक देय होंगे भले ही अभ्यर्थी ने एक से अधिक प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हों ।

इस तरह गुणांक जोड़ा जायेगा और फिर ऊपर से जिसका नम्बर आयेगा उसको नौकरी के लिए बी०टी०सी० की ट्रेनिंग हेतु भेजा जायेगा । इस प्रक्रिया से चयनित जो हुए हैं उनका पहला बैच 15 मार्च, 1999 से प्रशिक्षण हेतु दल जायेगा । मान्यवर, इन्हें थोड़े समय का प्रशिक्षण देकर उनकी विद्यालय में नियुक्ति कर दी जायेगी । मुझे इस बात की आदरणीय सदन में घोषणा करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि मान्यवर, जुलाई, 99 से जो सत्र प्रारम्भ होगा उसमें उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के जितने पद स्वीकृत हैं सारे पद भर जायेंगे । इसके बाद अभियान होगा कि 6 वर्ष की उम्र का कोई भी बालक बिना विद्यालय में नामांकन के न रह पाये । यह अभियान हम चलायेंगे । यह चुनौती हमारे सामने है । आज 6 साल की उम्र के 6 लाख बच्चे हैं जिनका विद्यालयों में नामांकन नहीं है । उनका विद्यालयों में नामांकन करने के लिए हम सभी अध्यापकों की भर्ती करने के बाद अभियान चलायेंगे ।

मान्यवर, कठिनाई क्या है ? प्राइवेट स्कूल चलते हैं वहां 600, 700 या 800 रुपये वेतन मिलते हैं । हम परिषदीय विद्यालय चलाते हैं, 5000 रुपया वेतन देते है लेकिन हम शिक्षा का वह स्तर नहीं दे पा रहे हैं जो 700, 800 रुपये के पब्लिक स्कूलों में पाने वाले अध्यापक दे रहे हैं । कारण पर आज हम सबको मिलकर इस पर विचार करने की आवश्यकता है । "अमर उजाला" में आज एक अग्रलेख छपा है "श्री विनीत नारायण जी" का उन्होंने कहा कि वेतन, भत्ता और तरक्की तीनों का सीधा सम्बन्ध उत्पादन से नहीं होगा तो कोई व्यवस्था नहीं चलेगी । इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

भारतवर्ष अकेला देश है जहां नौकरी में सबसे बड़ी गारण्टी है, एक बार नौकरी पा जाऊं फिर कोई कुछ नहीं कर सकता । अगर निलम्बित हो गये तो कोर्ट से बहाल हो जाओगे, रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुनिश्चित है । दुर्भाग्य से सेवा काल में मृत्यु हो जाये तो मृतक आश्रित को सेवा में लिया जायेगा । लेकिन आजीवन कोई मूल्यांकन नहीं है । अमेरिका में कार्यों का मूल्यांकन प्रति सप्ताह होता है । वहां के कर्मचारी बृहस्पतिवार को चिन्तित रहते हैं कि पता नहीं मूल्यांकन के आधार पर हमको भी चिट मिल जाये कि आपकी सेवा समाप्त है । हिन्दुस्तान में एक बार नौकरी लग गयी तो फिर उसकी गारण्टी है । उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता चाहे उसका आऊट पुट निल हो रहा हो ।

मान्यवर, जब मैं इस विभाग में शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में आया तो मुझे लगा कि इस विभाग में केवल दो काम हैं । एक तो नौकरी देना, दूसरे ट्रांसफर करना । इसी दो काम के लिए लोग आते हैं अगर मैंने किसी से कह दिया कि जरा शिक्षा में क्या सुझाव हो सकते हैं बताइये तो वह अपनी वेतन विषमता और अन्य कठिनाईयों के बारे में ही बताते हैं । हम शिक्षा विभाग में सुधार की बात करते हैं

वह अपनी कठिनाईयों से अवगत कराना प्रारम्भ कर देते हैं लेकिन फिर भी हमने तय किया है कि हम शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे । हम अध्यापकों की पराजित मानसिकता को नहीं रखना चाहते हैं । पराजित मानसिकता का व्यक्ति कोई अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है । हम अध्यापकों की कठिनाइयों को हल करेंगे । हमने अध्यापकों की सेवा का निजी विवरण, वेतन, जी०पी०एफ० और पेंशन का कम्प्यूटरीकरण करने जा रहे हैं । इसका परिणाम यह होगा कि समय से वेतन मिलेगा, समय से वेतन वृद्धि होगी, जब मांगेंगे तो जी०पी०एफ०से लोन मिलेगा और समय से पेंशन भुगतान होगा अगर हम यह भी करने जा रहे हैं कि बजट का प्राविधान नहीं है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी लेकिन बजट के उपलब्धता के बाद समय से अध्यापक को वेतन नहीं मिला तो जिला बेसिक शिक्षाधिकारी एवं लेखाधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

यदि अध्यापकों को समय से वेतन नहीं मिलेगा तो हम इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । दूसरा हमारा निश्चित मत है कि हम आध्यापकों को शतरंज के मोहरे की तरह इधर से उधर घुमाना ठीक नहीं हैं । अध्यापक का स्थानान्तरण वर्ष में केवल एक माह मई के महीने में होगा । इसके लिए हम स्थानान्तरण नीति ला रहे हैं । नगरीय क्षेत्रों में अध्यापक ज्यादा हो जाते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक नहीं रहते हैं उसके लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं । अब तक पदों की संख्या जनपद में निर्धारित होती थी अब हम प्रत्येक विद्यालय में बालकों की संख्या के अनुसार अध्यापकों की संख्या सुनिश्चित कर रहे हैं फिर किसी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं रहेगा कि उस संख्या से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति करे जो शहरों में बहुत से अध्यापक मंडरा जाते हैं इसके लिए ही यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक विद्यालय में पद स्वीकृत कर दिए गए हैं उतने ही अध्यापक विद्यालय में रहेंगे । हम लखनऊ में बैठकर सारे विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति का परीक्षण नहीं कर सकते हैं एक अभियान तो चला सकते हैं सतत् मानीटरिंग नहीं कर सकते हैं इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि ग्राम शिक्षा समिति जिसमें खासतौर से अभिभावकों की विशेष भूमिका रहेगी उनके माध्यम से हम जांच करायेंगे और देखेंगे ।

इस सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाना पहली प्राथमिकता है हमने निर्णय किया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के एक ही कार्यालय में आजीवन सेवा में रहे बाबुओं का स्थानान्तरण करेंगे और सीमा निर्धारित करेंगे इस सीमा से ज्यादा कोई बाबू एक दफ्तर में नहीं रहेंगे विद्यालयों की मान्यता का आटोमेटिक सिस्टम हम करने जा रहे हैं । समयबद्ध मान्यता के मामलों का निस्तारण होगा । इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा । 30 जून 1999 के बाद किसी भी विद्यालय की कोई भी मान्यता का एक भी प्रकरण किसी भी स्तर पर हमारे यहां लम्बित नहीं रहेगा । सबका निस्तारण होगा अगर मान्यता मिलने योग्य होगी तो मान्यता दी जाएगी नहीं तो खारिज कर दिया जाएगा । जो मुझे मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 4400 विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन जर्जर हैं उन जर्जर भवनों में 700 ऐसे हैं जो नगरीय क्षेत्रों में हैं । 1425 पुनः नए भवन उनके स्थान पर बना दिए हैं । 475 विद्यालयों के भवनों के निर्माण का कार्य चल रहा है जो शीघ्र पूरा होने वाला है । वर्तमान बजट में 1056 प्राथमिक व 600 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन बनाने का प्राविधान किया जा रहा हैं ।

वर्ष 2003 तक उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जिसके पास अपना सुदृढ़ भवन न होगा । मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में शिक्षा गारण्टी योजना की बात कही है । इस शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत उसी गांव के नौजवान जो शिक्षित हों उसी गांव में बस्ती के लोगों के चाहने

पर एक निर्धारित मानदेय पर पढ़ाने हेतु नियुक्त किया जा सकेगा उसके मानदेय का सरकार भुगतान करेगी । यह बड़ी क्रान्तिकारी व्यवस्था है । जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं हैं उसके लिए सरकार मानदेय का भुगतान नियुक्ति पंचायत करेगी । पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था में संशोधन किया गया है । हमने निर्धारित किया है ।

31 मई तक हर हालत में पाठ्य पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध होंगी । घटिया क्वालिटी की पुस्तक मार्केट में न आए इसके लिए हमने तय किया है पुस्तकों का आवरण पृष्ठ सिक्योरिटी प्रेस से छपवाकर निकाल देंगे उसी के अनुसार रायल्टी लेंगे ।

बहुत दिनों से बी०टी०सी० का वही घिसा-पिटा प्रशिक्षण दिया जा रहा था अब बी०टी०सी० के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है । आधुनिक विधाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके कार्यरत अध्यापकों के लिये सतत् प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है । आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 5310 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साज-सज्जा के लिये प्रति विद्यालय के हिसाब से 40 हजार रुपए उपलब्ध कराये गये हैं । टाट-पट्टी के लिए 1.45 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था है । मेरे कुछ मित्र कह रहे थे कि प्राथमिक शिक्षा के बजट में इतनी वृद्धि नहीं हुई है, जितनी होनी चाहिये थी । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी कुछ योजनायें हैं, जिसमें हमारा केवल अंश होता है शेष हमें बाह्य सहायता मिलती है जिसका प्राविधान बजट में नहीं होता ऐसी प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है । बी०ई०पी० के अन्तर्गत जिसकी अवधि 1993 से 2000 तक है, यह 17 जनपदों में आच्छादित है और इसमें 778 करोड़ रुपए का परिव्यय है डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत जिसकी अवधि 1997-2002 तक है, यह 18 जिलों में आच्छादित है और इस पर परिव्यय 567 करोड़ रुपए का है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-द्वितीय जो 1992–2004 तक है, इसमें 11 हजार करोड़ रुपए का परिव्यय है ।

संयुक्त केन्द्र सरकार एवम् यूनाइटेड नेशन्स योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा और आगरा में प्रत्येक जनपद में 5–5 ब्लाकों में 14 करोड़ रुपए की योजना चल रही है । सुरुचिपूर्ण शिक्षा के लिये 12 जनपदों के 24 विकास खण्डों में यूनीसेफ के सहयोग से योजना चलाई जा रही है ताकि बच्चों को सुरुचिपूर्ण शिक्षा दिलायी जा सके । जहां तक साक्षरता का प्रश्न है 33 जनपदों में सम्पूर्ण साक्षरता का अभियान पूर्ण हो गया है और 1999–2000 में इन 23 जनपदों में गुणवत्ता के साथ और शेष 50 जनपदों में सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा । सम्प्रति 26 जनपदों में साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ।

वर्ष 1999-2000 में शेष जनपदों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित कराये जाने का प्रस्ताव है । अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 904 विकास खण्डों से 596 विकास खण्डों के अन्तर्गत 56 हजार से अधिक केन्द्र चलाये जा रहे हैं जो बच्चे ड्राप आउट हो जाते थे उनको सीधे पांचवीं तक शिक्षा देकर आगे बढ़ाने की योजना है । सामान्य केन्द्रों के लिये 60 प्रतिशत तथा बालिका केन्द्रों के लिये 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त है । मान्यवर, शिक्षा का क्षेत्र काफी उपेक्षित रहा है । हमें चिन्ता है कि किस प्रकार इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाय । बालिका शिक्षा संवर्धन हेतु दशम् वित्त आयोग के कार्यक्रम के लिये 185 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण 1999-2000 तक करा दिया जायेगा । 9247 प्राथमिक विद्यालयों में 247 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्ड पम्प की स्थापना की जायेगी । 746 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराया जायेगा इसके लिये 2367.35 करोड़

रुपए की धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बजट में प्राविधान किया गया है । मान्यवर, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बहुत सारे माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले का विवरण इस प्रकार है । भवन निर्माण, नये विद्यालय खोलने, शौचालयों का निर्माण, अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, टीचर्स ट्रेनिंग, पठन-पाठन सामग्री, अध्यापकों की नियुक्ति, अतिरिक्त अध्यापकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है । इस प्रकार शिक्षा में गुणवत्ता (इस समय 8 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुये) सुधार के लिये और शिक्षा को और प्रभावी और रुचिकर बनाने के लिये आशातीत सफलता बरती है और उनका उपयोग कर रहे हैं । 21वीं सदी में जब हम जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रदेश से पीछे नहीं रहे । हम गर्व के साथ यह कह सकें कि हमने अपने सारे लक्ष्यों को पूरा किया है । मैं अपने सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बड़े धैर्य से मेरी बातों को सुना ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बरीष जी, आप कटौती का प्रस्ताव रखें इससे पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । माहौल कैसा हो उसका ठीक-ठीक आंकलन करके विद्वान और बुद्धिमान अपनी बात कहते हैं । विद्वान और बुद्धिमान में एक फर्क होता है । विद्वान घंटो बोलता है फर्क नहीं पड़ता कि कोई सुने या न सुने। बुद्धिमान अपनी बात बहुत संक्षेप में सार में कह कर समाप्त कर देते हैं । मैं सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं केवल अम्बरीष जी के लिये नहीं कह रहा हूं । सबसे अनुरोध करता हूं कि बुद्धिमानी का काम करें । सार में संक्षेप में अपनी बात कह लेंगे तो ठीक होगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, हम आपके आभारी हैं कि आपने दिशा संकेत दे दिया । मेरी एक प्रार्थना है आपसे इसको चाहे जिस सन्दर्भ में लिया जाय । मैं यह चाहता हूं कि हम इतनी देर से यहां पर हैं इतने विद्वतापूर्ण ढंग से मंत्री जी ने अपनी बात रखी है । हम बोलने वाले बहुत थोड़े से सदस्य हैं जिनको बहुत ज्यादा ऊब हो रही है, यहां मान्यवर, किसी की नौकरी आज खतरे में नहीं है, ऐसा नहीं है कि अचानक कोई हमला हो जायेगा आप इनको छुट्टी दे दें । अभी एक मिनट होगा नहीं कि आपकी लाल बत्ती टिपिर-टिपिर जलने लगेगी । जिनको दिक्कत हो उन्हें जाने दें छूट दे दें । हमारी बात बकायदा आने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० चौधरी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विद्वान मित्र जो भी बोलना चाहते हैं, कटौती के प्रस्ताव पर या प्रस्ताव के समर्थन पर वे विद्वान नहीं बुद्धिमान भी हैं ।

कारागार मंत्री(श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, अभी कहा गया था कि हमने बजट रखा था 11.20 पर सुई थी । उस समय में और आज थोड़ा अन्तर है । वास्तव में उधर कोई सुई का ख्याल नहीं रखता है ।

श्री अधिष्ठाता–

मुझे लगता है कि इस तरह से आप कहीं 11.60 बजाकर रहेंगे ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मेरा निवेदन है कि कहीं 12 की स्थिति न आने दें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपने जो सुझाव दिया उसके लिये बहुत धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी के लम्बे भाषण को आपने अपने सुझाव से छोटा कर दिया इसके बारे में क्या कहूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अधिष्ठाता जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आपने कटौती का प्रस्ताव रखने को दिया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा के राज्य मंत्री बजट प्रस्तुत कर रहे थे जब वह बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने दो-तीन बातों का उल्लेख किया और विपक्ष की संख्या के बारे में कहा। प्राथमिक शिक्षा के बारे में विपक्ष की कितनी रुचि है ? दूसरी बात इन्होंने यह कही कि अभी जो भारत रत्न अमर्त्य सेन को मिला स्वीड़न से नोबल प्राइज मिला, इन्होंने चर्चा की प्राथमिक शिक्षा के बारे में, तीसरी बात इन्होंने यह कही कि प्राथमिक शिक्षा को नैतिक आधार पर बढ़ाना चाहते हैं मैं तीनों बातों का संक्षेप में उत्तर देना चाहता हूं जब यह विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे थे तो इन्होंने सोचा कि इनकी सरकार कितनी उदासीन है ? जो साहित्य हमको सुबह मिल जाना चाहिए था वह साढ़े दस बजे मिला। यह कितने गम्भीर हैं, प्राथमिक शिक्षा के प्रति यह इससे पता चलता है। कैबिनेट मिनिस्टर प्राथमिक शिक्षा का डेढ़ साल से कोई नहीं है राज्य मंत्री हैं वही इसको देख रहे हैं अगर मुख्य मंत्री जी के पास यह विभाग है तो मुख्य मंत्री जी को स्वयं हाउस में उपस्थित होना चाहिए था, तो यह कितने उदासीन है इसको हमने बताया, और ये विपक्ष की उदासीनता को बता रहे हैं।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें।

श्री अम्बरीष कुमार–

दूसरी बात मैं अमर्त्य सेन जी के बारे में कहूंगा यह अमर्त्य सेन जी की बात करते हैं तो इन्होंने कितना अमर्त्य सेन जी को सम्मानित कर दिया है ? नोबल पुरस्कार बाहर की संस्थाओं ने दिया, भारत रत्न दिया गया, मान्यवर, जिस पार्टी की सरकार यहां पर है उसी पार्टी की भारत सरकार है अगर यह अमर्त्य सेन जी के प्रति सम्मान रखते तो अमर्त्य सेन जी के बारे में एक बधाई का प्रस्ताव सदन में लाते ? इससे पता लगता है इनकी अमर्त्य सेन जी के प्रति कितनी श्रद्धा और आस्था है। इनके सहयोगी संगठन अमर्त्य सेन जी के बारे प्रचार कर रहे थे जातिवाद के आधार पर, और जातिवाद के आधार पर उनकी उपलब्धियों को कम करने का प्रयास कर रहे थे। मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कम से कम शिक्षा के बजट पर बात हो रही है तो शिक्षा मंत्री जी पाखण्ड नहीं करेंगे और पाखण्ड से बचने का काम करेंगे। नैतिक आधार पर अपनी सरकार की नैतिकता की बात करें तो अच्छा होगा।

लेकिन जिसका गठन अनैतिकता से हुआ हो वह नैतिकता की बात कैसे करे ? मान्यवर, मैं बजट में संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं अभी इन्होंने टीचर्स और स्कूलों के बारे में कहा कितनी बिल्डिंग बन रही हैं उसके बारे में कहा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहा गया । मंत्री जी बता रहे थे साक्षरता का प्रतिशत 41 जो था वह 1991 से 41 ही चला आ रहा है । इन्होंने बताया प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 13 लाख लोगों को प्रथम चरण में शिक्षा दी जा चुकी है इनको सक्षम बनाने का काम किया जा चुका है तो जो 41 हजार का प्रतिशत आपने बताया यह समझ में नहीं आता है अगर प्रतिशत बढ़ा तो अधिकारी गणना करना भूल गए, इसको आप उत्तर में स्पष्ट करेंगे और जो बाहर से सहायता दी गई है उसमें इन्होंने बताया, उससे स्कूलों को सुधारने का काम कर रहे हैं । मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं स्कूल सुधरे । प्राथमिक शिक्षा राष्ट्र का मूल आधार है । अगर इसका महत्व नहीं करते हैं तो राष्ट्र का भला होने वाला नहीं है ।

लेकिन इन सबके बावजूद यह समस्या आज भी बनी हुई है । देहातों में चले जाइये । ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर ताले नहीं खुलते हैं । स्कूल दूरी पर होते हैं । माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है इनका कोई काम नहीं हैं महिलाओं और दूसरे टीचर की ट्रांसफर पोस्टिंग इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव के लोग, वहां का नौजवान अगर पढ़ाना चाहता है तो उसको समायोजित करने का काम करे यह तो अच्छा है लेकिन इस बात की चिन्ता करनी है, चाहे जो नीति बनानी पड़े शिक्षक को न्याय पंचायत में नहीं रखेंगे उसके स्थानान्तरण की नीति बनायी है तो उसके मूल में कारण यह है कि गांव का अध्यापक पढ़ाने के बजाय घर का काम करने लगता है । यह जो परिस्थितियां हुई उसके बाद नीति बनी ।

आज जो नीति चल रही है वह भी प्राइमरी स्कूलों को लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है । तो दोनों नीतियों के बजाय क्या नीति बना सकते हैं इसके बारे में मेरा अनुरोध है कि विचार करने की कृपा करें ? पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, श्री मुन्ना सिंह चौहान ने, पिछली बार उन्होंने संकल्प रखा था यह समस्या हमारे पर्वतीय क्षेत्र में व्यापक है कि दूरस्थ स्थान पर स्कूल हैं । अध्यापक वहां जा नहीं पाते हैं । वह संकल्प लाये थे कि पहाड़ों के लिए निश्चित रूप से तय करेंगे कि जिस गांव में स्कूल हो वहां का अध्यापक पढ़ाने का काम करे तो इस तरह से प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण करने का काम कर सकते हैं ।

जो हमारे सामने चिन्ता की बात है वह यह है कि जैसे बी०टी०सी० की बात कही गयी । इसमें जो पिछले वर्ष नियुक्ति हुई थी उन नियुक्तियों में यह हुआ कि हरिद्वार में महिला थी और पोस्टिंग की गयी महाराजगंज में । यह सरकार की अविवेकपूर्ण नीति का परिचायक है । जिसे शासनादेश कर सुधारना भी पड़ा । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नयी भर्ती कर भरने का काम कर रहे हैं तो एक रिजनेबल दूरी की घोषणा कर दें । अपने जनपदों से रिजनेबल दूरी पर हों । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ड्राप आऊट के केसेज हैं एक से पांच कक्षा तक 20 प्रतिशत हैं, छः से आठ तक 30 प्रतिशत हैं । अगर इन ड्राप आऊट केसेज को रोकने का काम कर लें, वह परिस्थितियां पैदा कर दें कि ड्राप आऊट के केसेज घट सकें तो जो पैसा आज प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च हो रहा है उसको बचाने का काम कर सकते हैं । और जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उसमें सफल हो सकते हैं । उसके लिए क्या नीति बनायेंगे यह स्पष्ट कर दें । इन सबमें खतरनाक बात आजादी के समय में जो हमारी कल्पना थी कि समाज को समानता का अधिकार देंगे, यह हमारे मौलिक अधिकार में हैं, लेकिन आज जो परिस्थितियां विकसित हो रही हैं उसमें समता का अधिकार कमजोर और गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है ।

मान्यवर, मेरी बात से आप भी और मंत्री जी भी सहमत होंगे । आज नगरों की जहां तक स्थिति है प्राथमिक शिक्षा केवल उन्हीं के लिए रह गयी है जो साधनहीन लोग हैं । यह कुकरमुत्ते की तरह जो पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी स्कूल फैल रहे हैं, जिसके पास थोड़ी सी भी शक्ति है वह वहां पढ़ा रहा है । गांव में भी यह रोग बढ़ रहा है । इस तरह से समाज को सम्पन्न और गरीब दो वर्गों में शिक्षा के क्षेत्र में आप बांटते जा रहे हैं । वे मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जो मान्य पाठ्य पुस्तकें हैं उसके अलावा वे बहुत सी किताबें लगाते हैं, इस भ्रष्टाचार की तरफ आप क्या करने जा रहे हैं, बतायेंगे ? पिछले वर्ष यहां चर्चा हुई थी कि यह पब्लिक स्कूल जो हैं इनमें फीस बेतहाशा बढ़ जाती है किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती है ।

माननीय अध्यक्ष जी ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया था और कहा था कि जब आप अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते हैं उस समय अगर यह शर्त लगाने का काम करें कि शिक्षा विभाग की बगैर अनुमति के फीस बढ़ाने का काम नहीं करेंगे । तो यह बहुत अच्छी बात थी । लेकिन इसका कहीं जिक्र इसमें नहीं है । कल्प योजना का विवाद भी चला प्राथमिक शिक्षा को लेकर । माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व राज्य मंत्री जी के बयानात भी आये, वह क्या योजना थी क्या षडयंत्र था उ० प्र० के साम्प्रदायिक सद्भाव को तोड़ने की कोशिश की गयी इसमें मुख्य मंत्री जी ने अपना पल्ला छुड़ाने का काम किया । कहा गया कि इसकी स्वीकृति कैबिनेट से नहीं हुई जो यह पिछले वर्ष का बजट साहित्य है इस कल्प योजना का जिक्र इसमें है । इस पर भी सरकार की तरफ से बात साफ आनी चाहिए । उसके लिए किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रकारान्तर से स्वीकार किया कि विपक्ष के सदस्यों ने जो कहा था कि पाठ्य पुस्तकों की छपाई में भ्रष्टाचार होता है आपने कहा है कि उसको दूर करेंगे । पुस्तकों के कवर सिक्योरिटी प्रेस में छपवायेंगे । तो यह भ्रष्टाचार तो उतने अंश तक ही दूर होगा । आपकी लम्बी चौड़ी फौज है भवन बने हुए हैं पढ़ने वाला कोई नहीं है । शिक्षा में असमानता की खाई बढ़ती जा रही है यह गम्भीर चिन्तन का विषय है पूरे हाउस को इस पर विचार करना चाहिए । आज पब्लिक स्कूल हमारे प्राइमरी स्कूलों की अपेक्षा बढ़ते चले जा रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* डा० राम बाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है । मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करते हुए मंत्री जी से अपने को सम्बद्ध करता हूं । माननीय मंत्री जी ने जिस तरीके से विद्धतापूर्ण ढंग से अपनी बात सदन के सामने रखी है उससे पूरे प्रदेश की 16 करोड़ जनता को समझने जानने का मौका मिला है । यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के सभी बच्चों को शिक्षित करना चाहती है । मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं ।

मान्यवर, 1991 में शिक्षा की स्थिति 41.6 प्रतिशत थी इसमें सामान्य पुरुषों की संख्या 55.9 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के पुरुषों की संख्या 26.8 प्रतिशत थी, सामान्य महिलाओं की संख्या 25.32 और अनुसूचित जाति की महिलाओं का प्रतिशत 10.69 था तथा ग्रामीण शिक्षा का प्रतिशत 36.66 प्रतिशत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और नगरीय क्षेत्र की 61 प्रतिशत रही है । मंत्री जी ने बताया कि विद्यालयों को बढ़ाया जा रहा है इससे हमें उम्मीद हैं कि साक्षरता का रेट बढ़ेगा । यहां पर 100 प्रतिशत शिक्षा हो इसके लिए प्रत्येक माननीय सदस्य का एक कर्तव्य बन जाता है कि इसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निभायें । अगर व्यक्ति शिक्षित न हो तो वह अन्धें के समान होता है मान लीजिये कोई बस आगरा कानपुर जा रही है और वह पढ़ा नहीं है तो पढ़ नहीं पायेगा और बस निकल जायेगी ।

आज जरूरत है हम सभी लोग अपने जनपदों में जहां हैं प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करें और उनमें व्याप्त कमियों को दूर करें तथा मंत्री जी उसकी कमी को दूर करने में अहम् भूमिका निभायें । माननीय मंत्री जी, जो महिलाएं दूरदराज में शिक्षा देने जाती हैं उनकी सुरक्षा का भी कोई प्रबन्ध करें और वहां की जनता को भी यह चाहिये कि वे लोग उस शिक्षिका के साथ परिवारिक संबंध की तरह रहें जिससे अच्छी तरह से वह पठन-पाठन कर सके ।

मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक शिक्षक को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है । एक कवि ने कहा है–गुरू गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरू आपने जिन गोविन्द दियो बताय । गुरू को भगवान के ऊपर माना है । इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट पर बल देता हूं ।

: श्रीमती सुमनलता सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बेसिक शिक्षा के बजट पर बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करतीं हूं । मान्यवर, शिक्षा मंत्री और अधिकारियों ने जिस विद्वतापूर्वक बजट को रखा है उससे मेरे मन में जो संशय था वह दूर हो गया है जिसके लिये मैं मंत्री जी और अधिकारियों को धन्यवाद देती हूं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक देश के समान है और यहां की आबादी 13.91 करोड़ है जिसकी 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों से हम सभी का बहुत पुराना गहरा सम्बन्ध है और चूंकि प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा है यह बुनियादी शिक्षा है इसलिये मेरा कहना है कि जब तक प्राथमिक शिक्षा अच्छी नहीं होगी तब तक माध्यमिक और उच्च शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती है ।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं । हालांकि मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट रखा है जिसकी मैं प्रशंसा करती हूं । मान्यवर, जैसा बताया गया है कि पूरे शिक्षा बजट का 55 प्रतिशत धन बेसिक शिक्षा पर खर्च किया जायेगा । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि अभी तक योजनायें बहुत बनी हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक तरह से नहीं हुआ जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए था वह आज नहीं है ।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से पठन-पाठन का तरीका होना चाहिए था वह अभी तक नहीं है इसलिए इसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में पठन-पाठन को देखें तो वहां न तो ठीक से बच्चों को किताबे ही मिलती हैं, न स्कूलों में टाट-पट्टी हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और न भवन ही ठीक हैं बल्कि भवन आज जर्जर स्थिति में हैं, इसलिए जो धन प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए था और जो धन इसमें दिया गया है उसका सही इस्तेमाल इसमें नहीं हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है जिन विद्यालयों में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां अध्यापकों की व्यवस्था ठीक नहीं है। सुदूरवर्ती स्कूलों में एक अध्यापक है तो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन जो मुख्यालय पर स्कूल हैं वहां 3-4 अध्यापक हैं किन्तु 50 बच्चे हैं। वहां स्थिति यह है कि एकल विद्यालय चल रहे हैं इसलिए इस सम्बन्ध में आपको कोई अच्छी योजना बनानी चाहिए।

मान्यवर, तीसरा सुझाव यह है कि गांव-गांव में शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हो। चूंकि वहां महिलाओं का शिक्षा का स्तर बहुत कम है, 25 प्रतिशत महिलायें साक्षर हैं। देहात में महिलाओं के साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। मान्यवर, देहातों में 12 वर्ष का बच्चा परिवार के लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था करता है तो उसे शिक्षा कहां से मिल पायेगी चूंकि भूखे पेट पढ़ाई नहीं हो सकती है ? एक महिला से कहा गया कि बच्चे को और तुम स्वयं पढ़ लो तो उसने कहा–आग लगे तुम्हारी पोथी में, हमको चिन्ता रोटी की।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्या अब आप समाप्त करें। हरी बत्ती से आपने बोलना प्रारम्भ किया था और अब लाल बत्ती हो गयी है इसलिए बोलना बन्द कर दें। मैं लाल पर आपका भाषण बन्द करवा रहा हूं।

श्रीमती सुमनलता सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि सरकार को बेसिक शिक्षा में एक नीति बनानी पड़ेगी कि सभी की आय क्या हो और वे कैसे पढ़े ? मेरी जानकारी में है कि प्रति माह 3 किलो गेहूं प्रति बच्चा मिलता है। तीन किलो गेहूं प्रति बच्चे को मिलता है क्या वह सही रूप में मिल पाता है। मेरी जानकारी में है कि 70 प्रतिशत गेंहू बाजार में बिक जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इसमें बहुत सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं।

* श्री भोला शंकर मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अम्बरीष जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं बल देता हूं। जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उन्होंने बहुत सी ऐसी घोषणायें कर डाली है जिनका कोई धरातल से सम्बन्ध नहीं है। बेसिक शिक्षा की हालत जो इस प्रदेश में है वह छिपी हुई नहीं है। यहां पर अध्यापक समय से न विद्यालय जाते हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि सीमायें तोड़ दी हैं। एक अप्लीकेशन रखा रहता है उस पर अध्यापक के दस्तखत पड़े रहते हैं, कोई तारीख नहीं पड़ी होती है जब कोई निरीक्षण के लिए जाता है तो कहा जाता है कि वह अवकाश पर हैं। जब साढ़े बयालीस रुपये तनख्वाह मिलता था तब वह पढ़ाते थे आज 5000 रुपये से ऊपर वेतन ले रहे हैं। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं वह 500, 600 रुपये वेतन देते हैं, वह विद्यालय क्यों अच्छे हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार विचार करे कि हम 5 हजार देकर नहीं पढ़ा पा रहे हैं और वह 500, 600 रुपया देकर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। आज ज्यादातर लोग उधर आकर्षित हो रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा लाल बत्ती जलाने पर)

मान्यवर, अभी दो मिनट भी नहीं हुआ । मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है, मैं 10 मिनट बोलूंगा ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने जनपद बदायूं की तरफ से जाना चाहता हूं । हमारे यहां एक जूनियर हाईस्कूल राजनीतिक कारणों से बंद हैं । [×××] वह है वेहटागुसांई, अम्बियापुर । जानबूझकर उसको इसलिए रोका कि [x x x] के लिए स्कूल बनाया जा रहा है उस पर एक लाख 25 हजार रुपया व्यय हो चुका है । मेरा जो 9 जुलाई,का काम रोको प्रस्ताव था उस पर उसकी जांच हुई और जांच 6 महीने से लम्बित है । आज तक कोई निर्णय इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वह [x x x] का स्कूल है, कलेक्टर ने उसकी जांच करके भेज दिया है कि यह उपयुक्त स्थान है, कलेक्टर की संस्तुति पर स्कूल बनना था वह बना हुआ था आपने रुकवा दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब समाप्त करें ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, कन्याओं का प्राथमिक स्कूल था, प्रधान के लिए आपने कब्जा करा दिया । आपने उत्तर दिया कि हमने खाली करा दिया जिला पंचायत ने दोबारा उसको आवंटित कर दिया है । जिला परिषद् को लिख रहे हैं कि उसको खाली करा दें । शिक्षा निदेशक को कार्यवाही के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं । मौखिक कुछ कहते हैं, लिखित में कुछ कहते हैं । जो विद्यालय था उसको आप पार्टी के प्रधान को दे रहे हैं । यह बहुत ही गम्भीर विषय है इसके लिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उस विद्यालय को शिक्षा के लिए उपलब्ध करा दिया जाये, लड़कियां खुले में पढ़ रही हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करायी जाये ।....

श्री अधिष्ठाता–

अब जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

[x x x]

श्री रामदेव आचार्य–

मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों से, जो अध्यापन कार्यों के अतिरिक्त कार्य जैसे मतगणना, कभी वोटर लिस्ट, मकान गणना आदि कार्य न लिया जाए ताकि वह अध्यापन कार्य अधिक से अधिक कर सके ।

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री इकबाल महमूद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री अम्बरीष कुमार द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं तीन चार सुझाव देना चाहता हूं । प्रदेश में आज भी लाखों लाख बच्चे निरक्षर हैं इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने गौर नहीं किया । हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं बच्चे स्कूल जाते हैं वहां पर उनको टाट पट्टे पर बैठना पड़ता है वह उन बच्चों से तुलना करते हैं जो कुर्सी मेज पर बैठते हैं इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए की उनको भी कुर्सी मेज मिले ताकि उनके अन्दर हीन भावना न पैदा हो । पूरे प्रदेश में आज जो स्कूल जर्जर हालत में हैं मुरादाबाद में भी कई स्कूल जर्जर हालत में हैं इस सम्बन्ध मैं मैंने डी०एम० साहब से अनुरोध भी किया मुरादाबाद में ऐसे 60–70 स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर हालत में हैं । चार साल पहले मुरादाबाद में एक स्कूल भवन गिर गया था उसमें अनेक बच्चे मर गए थे तब भवन भी बनाया गया था और मुआवजा भी दिया गया था इसलिए जिला मुरादाबाद के लिए अलग से पैसा भेजें ।

पिछले बजट में हमारे कलराज मिश्र जी ने कहा कि सारे विधायक 5–5 गांवों के नाम दे दीजिये, हम वहां पर सभी को 5–5 सड़क मार्ग देंगे, इसी प्रकार विद्युत मंत्री जी ने कहा कि 5–5 गांव दे दीजिये, हम उनका विद्युतीकरण कर देंगे । मैं यह अपेक्षा कर रहा था कि माननीय मंत्री जी कहेगें कि 5 गांव आप लोग दे दीजिये, हम 5 बेसिक स्कूल आप लोगों को दे देंगे । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम बी०टी०सी० और बी०एड० टीचर्स को रख रहे हैं और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान चले गये और मुसलमानों से दोस्ती हो गई । दोस्ती तो तब निकलेगी जब बी०टी०सी० और बी०एड० की तरह आप अदीबी माहिर और अदीबी तामील लोगों को अध्यापक बनायें । अकलियत के बच्चों के लिये आप क्या कर रहे हैं ? आप ऐसी किताबें मुहैय्या करवाइये, जिससे देश-भक्ति पैदा होती हो । उनमें ऐसी बात नहीं आनी चाहिये जिससे एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोंगो की मुखालफत करें । इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी एक-एक घण्टे की दो चर्चायें हैं । इसलिये मा० अम्बरीष जी अपनी बात कहें । श्री शाक्य जी आप अपनी विद्वता का परिचय फिर दे देना ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय मंत्री जी बलिया जनपद में सन् 1994-95 से लेकर अद्यतन तक जितने ऐसे भवन बने हैं, नये बनने के बाद भी बच्चे उनमें नहीं जा रहे हैं उसकी अलग से आप सर्वे करा लें और जो समुचित कार्यवाही हो सकती है, उसे करवा लें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, श्री इकबाल महमूद जी ने तथा श्री मौर्या जी ने तथा मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन्हें माननीय मंत्री जी इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे और जो निवेदन मैंने किये थे, उसका भी वह उत्तर देंगे । धन्यवाद ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कटौती का जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में 2/3 बातों का स्पष्टीकरण रखना चाहता हूं । साक्षरता के संबंध में कहा है । मैंने जो आंकड़े दिये हैं वह 91 की जनगणना के अनुसार हैं । अभी जो नेशनल सर्वेक्षण सर्वे द्वारा सर्वे किया गया है उसमें साक्षरता बढ़कर 56 प्रतिशत हो जायेगी । जो बी०टी०सी० की ट्रेनिंग के बाद नियुक्त किये जायेंगे उनकी नियुक्ति का भी शासनादेश जारी हो गया है । उसमें प्रत्येक व्यक्ति को उनके जनपद में नौकरी मिलेगी । यदि वहां पर स्थान रिक्त नहीं है तो बराबर के जनपद में और यदि वहां पर भी रिक्त नहीं है तो बराबर के मण्डल में नियुक्ति मिलेगी । आपने ड्राप आउट के संबंध में बात कही उसके लिये शिक्षा सुरुचिपूर्ण हो । बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं । मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था है । आकर्षक वातावरण बनाने पर विचार किया जायेगा ।

प्राइवेट स्कूलों का आकर्षण बहुत बढ़ता जा रहा है । वह भी चिन्ता का विषय है । उसके लिये कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है अपने परिषदीय विद्यालयों को उसकी तुलना में खड़ा करना होगा इसके लिये आपके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं । इसमें एक तो उपाय यह अच्छा रहेगा कि यदि नेताओं के बच्चे इन परिषदीय विद्यालयों में पढ़ना शुरू कर दें तो इनकी हालत सुधर जायेगी । अम्बरीष कुमार जी की बात सुनकर एक घटना याद आ रही है जो मैंने पढ़ी थी कि सन्त सुकरात के शिष्य उनके पास गये मिलने के लिये उनसे बोले कि मेरी एक समस्या का समाधान करें कि दिये के तले अन्धेरा क्यों होता है उन्होंने कहा कि जलते हुए दिए के प्रकाश को देख नहीं पा रहे हो । नीचे के अन्धेरे को देख रहे हो । साक्षरता आदि के संबंध में हम सूचनाओं को सार्वजनिक करना चाहते हैं ताकि लोगों को इसके संबंध में सही जानकारी मिलेगी और गुणवत्ता में सुधार होगा ।

आपने 5-5 विद्यालयों के संबंध में कहा । 77 जिले डी०पी०ई०पी० में आ गये हैं । मुझे लगता है मुरादाबाद भी उसमें है आपको जितने विद्यालयों की आवश्यकता होगी आपको उतने मिल जायेंगे । जिन लोगों ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं उन सब पर मैं विचार करूंगा । मौर्या जी ने जो कहा है लिखकर दे देंगे तो हम उसको दिखवा लेंगे और समस्या का समाधान हो जायेगा । अम्बरीष जी से कहूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

अभी माननीय मंत्री जी ने सुकरात की एक बात कही उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि हम अन्धेरा देखते हैं कन्फ्यूशियस के शब्दों में अन्धेरे को कोसते नहीं, दिया जलाने की बात करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मैं उस पर बल देता हूं ।

(प्रस्ताव वापस न लेने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 33,27,95,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 51,48,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय स०वि०स० द्वारा लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल पांच वर्ष तथा इससे पूर्व विघटित न किये जाने संबंधी एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं को समुचित प्रतिनिधित्व हेतु संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) में संशोधन संबंधी नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

एक सदस्य–

मान्यवर, चर्चा स्थगित कर दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आज इस चर्चा का प्रस्तुतीकरण हो जाए फिर उसको स्थगित कर दें जो समय हो रहा है उसको देखते हुए इसको स्थगित कर दें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम 103 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करे कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इसके पूर्व विघटित न की जाये ।"

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है चर्चा जारी रहेगी ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम 103 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व और चिह्न "विधि" रख दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 26 फरवरी, 1999 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई ।

इसमें पहली सूचना श्री अकबर हुसैन की प्रदेश में परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री में यात्रियों को हो रही असुविधाओं तथा शासकीय नीति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । दूसरी सूचना श्री राजधारी की जनपद बलिया में गंगा एवं घाघरा नदी के मध्य स्थित गांवों की सुरक्षा हेतु बने रिंगबन्धों की मरम्मत सिंचाई विभाग के अधीन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । तीसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की जनपद गाजियाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सपनावत के परिसर में खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जेदारी किये जाने के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । चौथी सूचना श्री पूर्णमासी पंकज की जनपद भदोही (संत रविदास नगर) की कालीन नगरी भदोही में डिग्री कालेज न होने से छात्रों के समक्ष उत्पन्न गंभीर स्थिति के संबंध में है को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । पांचवीं सूचना श्री आचार्य रामदेव वैश्य की महिला कल्याण बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी की स्वीकृत पदों पर भर्ती सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति न देकर मनमानी किये जाने के संबंध मे है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । छठी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जनपद गौतमबुद्ध नगर में दादरी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय फैक्ट्रियों द्वारा धू-दुजाना नाला में कचरायुक्त पानी डाले जाने से किसानों की फसलों को हो रही क्षति के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । सातवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में उ०प्र० जल निगम से सम्बद्ध प्रोजेक्ट मैनेजर कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विस, मानस नगर महोली रोड स्थित कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । आठवीं सूचना श्री राम नक्षत्र की जनपद कुशीनगर के गन्ना कृषक संघर्ष समिति कप्तानगंज के किसानों पर लाठी चार्ज व गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । नवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की–जनपद अम्बेडकर नगर अकबरपुर में गन्ना मिल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में है को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है । दसवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के नगर पंचायत मटौंध में पेयजल समस्या से उत्पन्न समस्या की स्थिति के संबंध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है । ।।वीं सूचना डा० कौशल किशोर जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम सकतापुर के पास से मुख्य नहर खीरी शाखा से ग्राम खरनपुर संदाभऊ व मन्योरा की कृषि भूमि को सिंचित किये जा

के संबंध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। 12वीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर में रजिस्ट्रीकरण कराने की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। 13वीं सूचना डा० राम बाबू हरित की प्रदेश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने तथा जनसंख्या अनुसार पर्याप्त संख्या में संतुलित व्यवस्था सहित विद्यालयों की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। 14वीं सूचना श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना की जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर ब्लाक के सोरों व कांकडा ग्राम में जल निगम द्वारा निर्मित टंकियों से जलापूर्ति हेतु बिछाई गई अधोमानक पाइप लाइनों के संबंध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं।

प्रदेश में निरंतर बढ़ती दलित उत्पीड़न की घटनाओं तथा राजस्व देयों की वसूली के संबंध में जनपद लखीमपुर की सदर तहसील के अन्तर्गत राजाराम नामक व्यक्ति की कथित निर्मम पिटाई से हुई मृत्यु के संबंध में श्री राम ललित चौधरी, श्री भगवती प्रसाद सागर तथा श्री राजाराम पाल द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्यगण द्वारा .....

(निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

। नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि पिछले दिनों प्रदेश में दलित उत्पीड़न की कई घटनायें घटित हुई हैं। उक्त घटनाओं में प्रथम घटना कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद कई दलित बस्तियों को उजाड़ने की है। दूसरी घटना जनपद लखनऊ के थाना मड़ियांव अन्तर्गत नयापुरवा गांव के श्री राम शंकर की दबंग व्यक्तियों द्वारा की गई पिटाई की है। तीसरी घटना जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील सदर अन्तर्गत श्री राजाराम नामक व्यक्ति की राजस्व वसूली के संबंध में तहसील कर्मचारियों द्वारा की गई पिटाई से हुई मृत्यु की है। उक्त घटनाओं से पूरे प्रदेश में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है।

उपर्युक्त कथित तीनों घटनाओं के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत् है :–

।—कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आश्रयहीन व्यक्तियों के लिये आश्रय योजना अन्तर्गत रविदासपुरम् जाजमऊ एवं गोबर्धनपुरवा योजना में भवनों का निर्माण कराया गया है। उक्त भवनों में कानपुर के अन्य स्थलों पर अतिक्रमण कर ध्वस्तीकरण के उपरान्त विस्थापित हुये व्यक्तियों को बसाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों में आवंटन किया जा रहा है। रविदासपुरम् योजना के सम्पर्क मार्ग पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे तीन अवैध निर्माणों को प्राधिकरण द्वारा जनहित में ध्वस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजनान्तर्गत किसी निर्माण कार्य को गिराया नहीं गया है। जाजमऊ ब्लाक –बी में रैदास बिहार के नाम से एक अवैध बस्ती काबिज है। इस अवैध कब्जे

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के उपरान्त वहां पर प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गई। वहां पर पास ही में अवैध रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों के लिये वाजिदपुर में आश्रय योजना का निर्माण प्रगति पर है। गोवर्धनपुरवा आबादी से कोई भी निर्माण प्राधिकरण द्वारा नहीं हटाया गया है। प्राधिकरण की योजना संख्या 2 में आवंटित भूखण्डों पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है जिनसे उक्त अवैध कब्जा खाली होने पर आश्रय आवास योजना के अन्तर्गत भवन आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। कानपुर विकास प्राधिकरण की उक्त जनहित कार्यवाही से मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होना नहीं पाया गया।

2—दिनांक 17–2–99 को जनपद लखनऊ के थाना मड़ियांव अन्तर्गत घटित घटना के संबंध में स्थिति इस प्रकार है कि दिनांक 17-2-99 को प्रातः 10-15 बजे श्रीमती निर्मला पत्नी शिव शंकर धानुक निवासी नयापुरवा थाना मड़ियांव ने थाने पर इस आशय की सूचना दी कि उनके घर के बगल की जमीन में उसका रिस्तेदार शिव शंकर शौच के लिये गया हुआ था तो सुनील कुमार पाण्डेय व अजय कुमार दीक्षित द्वारा मारपीट की गई इसके बाद देवकी दीक्षित तथा सी०एल० दीक्षित एडवोकेट भी वहां पर आ गये तथा बन्दूक के कुन्दों से निर्मला, राम चन्द्र, पूरन तथा राम शंकर की पिटाई की गई। श्रीमती निर्मला की इस सूचना पर थाना मड़ियांव पर मु०अ०सं० 56/99 धारा 147/148/149/323/504/306 भा०दं०वि० तथा 3(1) दस अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम बनाम सुनील कुमार पाण्डेय आदि 4 नफर नामजद तथा अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त अपराध की विवेचना सहायक पुलिस अधीक्षक, अलीगंज द्वारा की जा रही है। घटना के नामजद अभियुक्त सुनील कुमार पाण्डेय तथा अजय कुमार दीक्षित को दिनांक 17-2-99 को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त सी०एल० दीक्षित एडवोकेट ने दिनांक 22-2-99 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत पर रिहा हो चुके हैं। अभियुक्त देवकी नन्दन दीक्षित को इस घटना में सरीक होना नहीं पाया गया एवं वादिनी द्वारा उसे नामजद किया जाना गलत पाया गया। अभियुक्त सी०एल० दीक्षित के बन्दूक एवं राइफल के लाइसेंसों के निरस्त्रीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है। घटना स्थल पर कान्सटेबिल सुरक्षार्थ तैनात कर दिये गये हैं।

3—जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील सदर अन्तर्गत श्री राजाराम की तहसील कर्मचारियों द्वारा की गई पिटाई से हुई मृत्यु की घटना के संबंध में स्थिति इस प्रकार है कि दिनांक 17-2-99 को थाना नीमगांव पर सुशील कुमार पुत्र श्री राजाराम द्वारा सूचना दी गई कि उसके पिता श्री राजाराम के ऊपर तहसील का राजस्व बकाया था जिसकी वसूली के लिये तहसील कर्मचारियों द्वारा उन्हें पकड़कर मारा-पीटा गया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना नीमगांव पर मु०अ०सं०–36/99 धारा 304 भा०दं०वि० राम नरेश, सीजनल संग्रह अमीन, राम विलास, सीजनल संग्रह चपरासी, विनोद कुमार एवं अन्य दर्ज हुआ। घटना के तीन अभियुक्त अनुसूचित जाति के थे अतः एक अभियुक्त विनोद कुमार के विरुद्ध धारा 3(2) पांच अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। नामजद अभियुक्तों में से राम नरेश एवं राम विलास को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। घटना के चारों अभियुक्तों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। घटना की मैजिस्ट्रीरियल जांच कराई जा रही है। मृतक राजाराम की पत्नी को विधवा पेंशन स्वीकृत कर दी गई है तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा देय पारिवारिक पेंशन के रूप में 10,000 रुपया भी उपलब्ध करा दिया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त से स्पष्ट है कि मा० सदस्यगण द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं में उल्लिखित घटनाओं पर जिला प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाही सम्पादित की गई है ।]

छिबरामऊ गर्ल्स इण्टर कालेज, छिबरामऊ के प्रबन्धक तथा प्रधानाध्यापिका व आर०आई०जी०एस० कानपुर द्वारा सहायक अध्यापिका पद्मा चतुर्वेदी के देयों का भुगतान के संबंध में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोद्दार द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

इसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

वाराणसी नगर में धोबियों को गंगाघाट तथा वरुणा नदी में कपड़ा धोने से नगर निगम द्वारा प्रतिबन्धित करने व वैकल्पिक व्यवस्था न करने के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रदेश के ऐतिहासिक .....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[महानगर वाराणसी में धोबियों को गंगाघाट तथा वरुणा नदी में कपड़ा धोने से नगर निगम द्वारा प्रतिबन्धित करने व वैकल्पिक व्यवस्था न करने के संबंध में मा० मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार वर्तमान धोबी घाटों एवं पोखरियों में आवश्यक सुविधा मुहैया कराने, नये स्थानों के निर्माण एवं सभी स्थानों पर कपड़ा धोने हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने की मांग की है ।

वाराणसी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर है जो अपने ऐतिहासिक एवं पर्यटन महत्व के लिये एक विशेष स्थान रखता है । वाराणसी नगर के गंगा एवं वरुणा के घाटों पर धोबियों द्वारा कपड़ा धोने का कार्य किया जा रहा था । गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु वाराणसी शहर में गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्टों का निर्माण सुलभ शौचालयों का निर्माण तथा धोबियों को कपड़ा धोने हेतु नदेसर कोनिया स्थानों पर दो धोबीघाटों का निर्माण कराया गया था परन्तु गंगा के किनारे घाटों पर कपड़ा धोने का कार्य चलता रहा और कालान्तर में निर्मित धोबीघाट रख-रखाव के अभाव में अनुपयोगी हो गये ।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 21552/1997 आर०के०जायसवाल बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित निर्देशों के अनुपालन में घाटों पर कपड़ा धोने, जानवरों को नहलाने, सीवर एवं घाटों पर स्थित भवनों के गन्दे पानी को गंगा में गिरने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति कपड़ा धोने का कार्य न करें । यहां उल्लेखनीय है कि वरुणा नदी भी गंगा नदी में मिलती है इस कारण वरुणा नदी पर भी धोबियों द्वारा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कपड़ा धोने के कार्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । घाटों पर कपड़े धोने के कार्य पर प्रतिबन्ध लगाने के पश्चात् धोबियों की समस्या के निराकरण हेतु बैकल्पिक व्यवस्थायें की गई हैं । माननीय सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह ने एक बैठक भी आयोजित की थी और नगर निगम के जिम्मे भवनिया पोखरा की सफाई, पाण्डेयपुर एवं सिगरा स्थित तालाबों पर पटियां व ईंट उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया था । नगर निगम द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर ही यह कार्य सम्पन्न करा दिया गया था । इस दिशा में दो विकल्पों पर कार्य प्रारम्भ किये गये थे :–

भवनिया पोखरी, पाण्डेयपुर तथा सिगरा तालाबों पर कपड़े धोने के लिये प्लेटफार्म हेतु पत्थर व ईंटे उपलब्ध करा दिये गये थे । भवनिया पोखरी का प्रयोग तो हो रहा है परन्तु पाण्डेय पुर व सिगरा तालाबों में निगम द्वारा पत्थर एवं ईंट उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर देने के बाद भी धोबी समाज द्वारा उपलब्ध सामग्री का उपयोग नहीं किया गया ।

100 पटिया तथा 3,000 ईंटों का क्रय नगर निगम द्वारा किया गया और धोबी समाज की मांग पर उन्हें तीनों स्थलों पर ईंटे और पटियां उपलब्ध करा दी गई थी । बेनिया पार्क स्थित तालाब का भी परीक्षण कराया गया था परन्तु सीवर के बैकफूलों से इस तालाब में सीवर का गन्दा पानी अक्सर आ जाया करता है जिससे इसे उपयुक्त नहीं पाया गया । भवनिया पोखरी पर पोलों पर प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी गई थी ।

गंगा कार्य योजना प्रथम चरण मे कोनिया और नदेसर मोहल्लों में धोबीघाट बनाये गये और नलकूप लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित किये गये नलकूप अधिक दिनों तक नहीं चल पाये । इसके दो प्रमुख कारण थे :–

(1) इन घाटों के निर्मित हो जाने पर भी इनका प्रयोग कम हुआ और धोबी समाज गंगा वरुणा में ही कपड़ा धोने का कार्य करते रहे ।

(2) रख-रखाव का अभाव और खराब गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार नलकूपों का निर्माण न होना ।

इन दोनों नलकूपों के इतनी जल्दी खराब हो जाने के कारणों को देखते हुए ग्राम्य विकास विभाग को पत्र भेजा गया है । विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से इन दोनों खराब नलकूपों के स्थान पर नए नलकूप निर्मित कराने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । कोनिया स्थित नलकूप माह मार्च, 99 में बनकर तैयार हो जायेगा और इसके बाद नदेसर स्थित नलकूप पर कार्य प्रारम्भ होगा । इस नलकूप के पूर्ण होने में भी दो माह का समय लगेगा । दोनों नलकूपों पर लगभग ।। लाख का व्यय अनुमानित है ।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई और गंगा निर्मलीकरण की दिशा में किये गये प्रयासों की समीक्षा उच्च स्तर पर की जा रही है । ।

जनपद गाजियाबाद के धौलाना विकास खण्ड के अन्तर्गत नालों की सफाई मशीन द्वारा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

माननीय विधायक जी ने अपनी सूचना...

(निम्नलिखित वक्तव्य सदन में पढ़ा हुआ माना गया)

[में गत वर्षों से अतिवर्षा व अतिजल प्लावन के कारण धौलाना विकास खण्ड, जनपद–गाजियाबाद के ग्रामों धौलाना, कन्दौला, करनपुर जट्ट, सिवाया आदि में फसल नष्ट हो जाने की स्थिति उत्पन्न होने की बात कही है । जिसका कारण उन्होंने उक्त विकास खण्ड में बहने वाले धौलाना नाला, नन्दपुर कट, बझेड़ा नाला, कमरुद्दीन नगर नाला तथा बराल नाले की सफाई न होना इंगित किया है तथा सभी नालों की सफाई मशीन से कराये जाने की अपेक्षा की है ।

2–मा० विधायक जी द्वारा दी गयी सूचना में उल्लिखित ग्रामों में अधिक वर्षा होने पर उत्पन्न जल प्लावन से फसलों पर कुप्रभाव पड़ा है जो कि धौलाना नाला, नन्दपुर कट, बझेड़ा नाला, कमरुद्दीन नगर नाला तथा बराल नाले की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के कारण है । उक्त सभी नाले बैराल नाले में पड़ते हैं ।

3–धौलाना नाला, नन्दपुर नाला तथा कमरुद्दीन नाला की सफाई हेतु धन की व्यवस्था जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा रुपया 30 लाख नवम्बर, 1998 में रोजगार सृजन योजनाओं से कर दी गयी है और उन पर कार्य माह जनवरी, 1999 में आरम्भ कर दिया गया है । रोजगार सृजन योजनाओं से धन की व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य मशीनों से कराये जाने पर प्रतिबन्ध है फिर भी जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा 40% मिट्टी का कार्य मशीनों द्वारा तथा 60% कार्य श्रमिकों द्वारा कराने की अनुमति दे दी गयी है । बैराल नाला जिसमें सभी नाले मिलते हैं, की सफाई हेतु सिंचाई विभाग द्वारा योजना बना ली गयी है । जिस पर रु० 58.00 लाख का व्यय अनुमानित है । इस नाले की सफाई का कार्य कराया जाना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है ।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं । कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

26 फरवरी, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–3 का उत्तर (पीछे पृष्ठ 14 पर)

संलग्न–I

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष **96-97** में बीस बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं की सूची (सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों/निगमों आदि को छोड़कर) (सूची–1)

वर्ष 96-97 (रु० लाख में)

क्रम सं०	उपभोक्ता का नाम	स्थान	3/97 तक बकाया	न्यायालय में लम्बित	विच्छेदित
1	नोवा उद्योग	हल्द्वानी	1670.18	हां	हां
2	मोदी स्पीनिंग मिल-ए	मोदीनगर	1330.63	हां	नहीं
3	महाराष्ट्र स्टील	गाजि०	816.13	हां	हां
4	हिन्डालको	पिपरी	755.56	हां	नहीं
5	सरस्वती स्टील	मुज०	670.85	हां	हां
6	मोदी स्टील–बी	मोदी०	624.35	हां	नहीं
7	ओम स्टील	फैजाबाद	491.95	नहीं	हां
8	इण्डियन मेज एण्ड केमि०	बुलन्दशहर	486.21	नहीं	हां
9	मोदी थ्रेड मिल	मोदी०	430.03	हां	नहीं
10	मोदी स्टील–बी	मोदी०	378.88	हां	नहीं
11	कनोडिया केमि०	रेनूकूट	376.56	नहीं	नहीं
12	पीलीभीत इस्पात	पीलीभीत	366.41	नहीं	हां
13	मोदी स्टील फर्नेस–ए	मोदीनगर	327.87	हां	नहीं
14	अर्पित स्टील	काशीपुर	258.80	हां	नहीं
15	भगवान इं०	लखनऊ	254.04	हां	नहीं
16	बाबा कोल्ड स्टो०	गाजीपुर	241.01	हां	नहीं
17	रेन्बो स्टील	मुज०	239.17	नहीं	हां
18	जुग्गीलाल कमला पत	कानपुर	234.96	नहीं	नहीं
19	अग्रवाल पेपर मिल	मखयाली	233.35	हां	हां
20	किसान नीलू को० स्टो०	गाजीपुर	227.91	हां	हां
		कुल	10,414.85		

विवरण एक नजर में

वर्ष 96-97 में बड़े बकायादारों की सं०	न्याया-लय में लम्बित	स्थायी/अस्थायी रूप से विच्छेदित जो न्यायालय में लम्बित नहीं है	रूग्ण इकाई जिसका मामला न्या० में लम्बित नहीं है	संयोजन जिससे परिषद् स्तर पर समझौते के प्रयास किये जा रहे हैं

नरेश अग्रवाल,

ऊर्जा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक–II

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष 97-98 में बीस बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं की सूची (सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों/निगमों आदि को छोड़कर) (सूची–2)

वर्ष 97-98 (रु० लाख में)

क्रम सं०	उपभोक्ता का नाम	स्थान	3/98 तक बकाया	न्यायालय में लम्बित	विच्छेदित
1	नौवा उद्योग	हल्द्वानी	1423.78	हां	हां
2	मोदी स्पीनिंग मिल-ए	मोदीनगर	1361.56	नहीं	हां
3	हिण्डालको	पिपरी	1002.92	हां	नहीं
4	मोदी स्टील रोलिंग–बी	मोदीनगर	878.70	हां	नहीं
5	कनौडिया केमिकल्स	रेनूकूट	868.51	नहीं	नहीं
6	महाराष्ट्र स्टील	गाजियाबाद	816.13	नहीं	हां
7	मोदी थ्रेड मिल	मोदीनगर	745.88	हां	नहीं
8	सरस्वती स्टीम	मुजफ्फरनगर	670.85	हां	हां
9	इण्डियन मेज एण्ड केमि०	बुलन्दशहर	516.31	नहीं	हां
10	ओम स्टील	फैजाबाद	491.15	नहीं	हां
11	मोदी स्टील फर्नेस–बी	मोदीनगर	378.88	हां	हां
12	मोदी स्टील फर्नेस–ए	मोदीनगर	372.85	हां	हां
13	पीलीभीत इस्पात	पीलीभीत	366.41	नहीं	हां
14	अर्पित स्टील	काशीपुर	320.87	हां	नहीं
15	केन स्टील	गाजीपुर	294.66	हां	नहीं
16	ओम स्टील	उरई	270.77	नहीं	हां
17	भगवान इण्डस्ट्री	लखनऊ	254.04	हां	नहीं
18	मोदी इण्डस्ट्री	मोदीनगर	242.98	नहीं	नहीं
19	रेन्बो स्टील	मुजफ्फरनगर	239.17	नहीं	हां
20	अग्रवाल पल्प पेपर मिल	मख्याली	233.35	हां	हां
		कुल	11,749.77		

विवरण एक नजर में

वर्ष 97–98 में बड़े बकायादारों की सं०	न्याया-लय में लम्बित	स्थायी/अस्थायी रूप में विच्छेदित जो न्यायालय में लम्बित नहीं हैं	संयोजन जिनसे परिषद् स्तर पर समझौते के प्रयास किये जा रहे हैं	धारा–5 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी (जटिल उपभोक्ता क्रम संख्या–18)
20	11	7	1	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं०–4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

ऊर्जा विभाग–1

संख्या : 2831 पी–1/98–24

लखनऊ, दिनांक, सितम्बर 10, 1998

अधिसूचना

दि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन्स ऐक्ट, 1998 (ऐक्ट संख्या 14 सन् 1998) की धारा 17 और धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक आयोग स्थापित करते हैं जिसे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नाम से जाना जाएगा और जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा और उक्त आयोग को, उक्त ऐक्ट के अध्याय तीन के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और धारा 22 की उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित कृत्य प्रदत्त करते हैं, अर्थात् :–

(क) राज्य के भीतर परिचालित सत्ताओं (इन्टिटीज) को विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं प्रदाय के लिये अनुमोदन विनियमित करना,

(ख) राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार की सहायता करना तथा सलाह देना,

(ग) विद्युत के पारेषण, थोक प्रदाय, वितरण या प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना और अनुज्ञप्तियों में सम्मिलित की जाने वाली शर्तों का निर्धारण करना,

(घ) अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्यों में विद्युत उद्योग में लगे हुए प्राधिकृत या अनुज्ञप्त अन्य व्यक्तियों के कार्यों को विनियमित करना और उनके कार्यों को दक्षता, मितव्ययिता या साम्यपूर्ण रीति से संप्रवर्तित करना,

(ङ) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय तथा उपयोग, सेवा में गुणवत्ता और विद्युत के उचित क्रय तथा उपायन प्रक्रिया के उपाय में अभिवृद्धि करने के लिए अन्य व्यक्तियों के समन्वय से परिप्रेक्ष्य योजनाओं और स्कीमों को बनाने की अनुज्ञप्तिधारियों से अपेक्षा करना,

(च) सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता को सम्मिलित करते हुए राज्य में विद्युत उद्योग के लिए मानकों को निश्चित करना,

(छ) राज्य में विद्युत उद्योग में निजी क्षेत्र की प्रतियोगिताएं बढ़ाना तथा उनके भाग लेने का मार्ग बनाना और उपभोक्ताओं के साथ न्यायोचित व्यवहार को भी सुनिश्चित करना,

(ज) सुरक्षा मानकों को अधिस्थापित करना तथा प्रवर्तित करना,

(झ) राज्य विद्युत नीति बनाने में राज्य सरकार की सहायता करना तथा सलाह देना,

(ञ) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और उपयोग से संबंधित जानकारी को संग्रहीत तथा अभिलिखित करना,

(ट) राज्य में विद्युत के लिए मांग और उसके उपयोग सम्बन्धी आंकड़े तथा पूर्वानुमानों को संग्रहीत और प्रकाशित करना ऐसे आंकड़ों को संग्रहीत तथा प्रकाशित करने की अनुज्ञप्तिधारियों से अपेक्षा करना,

(ठ) राज्य में विद्युत उपयोग से सम्बन्धित या उससे सम्बद्ध आस्तियों, सम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों में हित, जिसमें विद्युत उद्योग में प्रवेश तथा उससे निकासी को प्रशासित करने वाली शर्तें सम्मिलित हैं, को ऐसी रीति में विनियोजित करना जिससे लोकहित सुरक्षित बना रहे,

(ड) अनुज्ञप्तिधारियों और जनोपयोगी सेवाओं के मध्य विवादों और मतभेदों को न्याय निर्णीत करना तथा मामले को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करना,

(ढ) राज्य में, पर्यावरण नियामक एजेंसियों के साथ समन्वय करना और विद्युत के क्षेत्र (सेक्टर) तथा जनोपयोगी सेवाओं के समुचित पर्यावरण विनियमन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करना, और

(ण) ऐसी सरकार द्वारा राज्य आयोग को निर्दिष्ट किसी भी अन्य मामले में राज्य सरकार की सहायता करना और सलाह देना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

शक्ति भवन–14 अशोक मार्ग,

लखनऊ ।

संख्या–2191–अरा०–09/रा वि प/96–154(मिस)के–9सी/93 दिनांक : 30 मई, 96 ।

समस्त मुख्य आंचलिक अभियन्ता,

समस्त मुख्य अभियन्ता,

महाप्रबन्धक "केसा"

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् ।

विषय :–तकनीशियन ग्रेड–2 (विद्युत) के कार्य परिवर्तन/कार्य आवंटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा परिषद् के पत्र सं०-3954–कार्मिक–9सी/रा० वि० प०/95-154(मिस)के–9सी/95, दिनांक 1 नवम्बर, 1995 में निहित आदेशों के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश पारित कर दिये जाने के फलस्वरूप इन आदेशों का क्रियान्वयन परिषद् के पत्र सं०-1169–कार्मिक–9/रा०वि०प०/96-154(मिस)के–9सी/95, दिनांक 23 मार्च, 1996 द्वारा दिनांक 31-5-96 तक स्थगित रखने के आदेश जारी किये गये । चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने मामले में पारित पूर्व स्थगन आदेशों को अपने आदेशों दिनांक 24-5-96 द्वारा संशोधित कर दिया है। फलस्वरूप उक्त संदर्भित परिषदादेश दिनांक 1 नवम्बर, 1995 में निहित आदेशों के क्रियान्वयन में अब कोई वैधानिक बाधा नहीं है । अतएव मुझे आपसे निवेदन करना है कि परिषदाज्ञा सं०–3954/कार्मिक–9 सी/रा०वि०प/95–154(मिस)के–9सी/95, दिनांक नवम्बर, 1, 1995 में निहित आदेशों का क्रियान्वयन अधोलिखित दिशा–निर्देशों (जो मात्र वितरण क्षेत्र हेतु ही है) के आधीन सुनिश्चित किया जाय ।

(1) सामान्यतया किसी भी तकनीशियन ग्रेड–II कर्मचारी को मीटर पाठन के कार्य पर 3 वर्ष से अधिक नहीं रखा जायेगा । यदि मीटर पाठन के कार्य में कोई कर्मचारी लापरवाही या शिथिलता या अनियमितता बरतता है, या प्रशासनिक कारणों से परिषद् हित में उसे पहले भी हटाया जा सकता है ।

(2) तकनीशियन ग्रेड–II के पदों पर अन्य कार्यों पर तैनात पदधारकों की वरिष्ठता, खण्ड में उस पद पर कार्य करने की तिथि के आधार पर निर्धारित की जायेगी और मीटर पाठन के काम पर लगाया जायेगा तथा इस प्रकार वरिष्ठता के आधार पर मीटर पाठन के काम से अन्य कार्यों पर स्थानान्तरित किया जायेगा ।

(3) उपरोक्त नीति के अनुसार कार्यवाही दिनांक 1-6-96 से की जायेगी । इसी बीच में सारी प्रक्रिया खण्डीय स्तर पर पूरी कर दी जाय ताकि आदेशों का अनुपालन दिनांक 1-6-96 से सुनिश्चित किया जा सके ।

(4) किसी भी वितरण खण्ड में तकनीशियन ग्रेड–II के पद पर प्रोन्नति/नियुक्ति के उपरान्त पदधारकों को सर्वप्रथम एस०एस०ओ० के काम पर ही लगाया जायेगा ।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि एक समय में कुल एक तिहाई से अधिक तकनीशियन ग्रेड–II का कार्य परिवर्तन न किया जाय ।

मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश है कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली 1995 में निहित प्राविधानों का क्रियान्वयन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ।

उपरोक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्पेशल अपील सं०–428/96–राजपाल शर्मा एवं अन्य बनाम अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् एवं अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे ।

भवदीय,

ह०

(एस०पी० श्रीवास्तव),

संयुक्त सचिव ।

सं०–2191(I) अरा०–09/रा०वि०प/96, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् ।

2–परिषद् मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग ।

आज्ञा से,

ह०

(एस०पी० श्रीवास्तव),

संयुक्त सचिव ।

सं०–2191(II) अरा०–09/रा०वि०प/96, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निदेशक (कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद्, शक्ति भवन, लखनऊ ।

2–बैठक सहायक ।

3–अनु० सचिव (का०वि०नी०), उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद्, शक्ति भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,

ह०

(एस०पी० श्रीवास्तव),

संयुक्त सचिव ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित सर्वश्री हरदेव सिंह व नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा अतारांकित प्रश्न सं०–34 का संलग्नक ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत),
उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद्,
अधिष्ठान अनुभाग (पंचम),
4–विक्रमादित्य मार्ग,
लखनऊ ।

संख्या–463/अ–5/4बी–1328/एम दिनांक, फरवरी 13, 1996 ।

कार्यालय–ज्ञाप

इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या–598/अ–5/4बी–1328/एम, दि० 2-3-94 जिसके द्वारा श्री पी०एन० तिवारी को दैनिक श्रेणी लिपिक के पद पर 3-2-94 से अनुमोदित घोषित किया गया था, का आंशिक संशोधन करते हुए परिषद् पत्रांक–3020–एन०जी०–09(अ)/रा०वि०प/95-5(12)–एन०जी०/92, दिनांक 5-1-96 में निहित आदेशों के अनुपालन में श्री तिवारी को दिनांक 3-2-94 के स्थान पर दिनांक 19-9-78 (तदर्थ नियुक्ति की तिथि) से एतद्द्वारा अनुमोदित घोषित किया जाता है ।

उपरोक्त ज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगा ।

अनिल कुमार गुप्ता
मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)

सं०–463(1) अ/–5, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ को परिषद् के पत्रांक–3020–एन०जी०–09(अ)/रा०वि०प/95–5(12)–एन०जी०/92, दिनांक 5-1-96 के संदर्भ में ।

2–समस्त महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता, स्तर–I एवं स्तर–II/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ/महानिदेशक, टी०एण्ड एच०आर०डी०, लखनऊ ।

3–कार्यालय अधीक्षक, अनुभाग–पांच ।

4–व्यक्तिगत पत्रावली/कठफाइल हेतु ।

ह०/-
(पी०आर० सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (सम्बद्ध) ।

नरेश अग्रवाल
ऊर्जा मंत्री

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं०–38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के दूसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित मा० श्री किशन लाल बघेल, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या –38 के उत्तर का संलग्नक ।

ग्राम का नाम	भूमि खसरा संख्या	रकबा	काश्तकार का नाम	प्रतिकर भुगतान न किये जाने का कारण
तातारपुर	71, 72	3-15-0-0	–	फिरोज गांधी सहकारी आवास समिति के साथ हुए समझौते के अनुसार भूमि का प्रतिकर देय नहीं है ।
,,	92	0-1-0-0	श्री नूर मोहम्मद	नोटिस दी गयी परन्तु प्रतिकर लेने नहीं आये ।
,,	110	0-3-0-0	–	कृष्णा कालोनाइजर की भूमि योजना में समायोजित किये जाने के कारण प्रतिकर देय नहीं है ।
,,	112	0-5-0-0	श्रीमती इमासन	स्वामित्व का निर्धारण न होने के कारण प्रतिकर भुगतान नहीं किया गया ।
,,	113	0-2-0-0	–	भूमि वक्फ बोर्ड की है ।
,,	117, 118/1	0-10-0-0	श्री मैकू पुत्र चौधी	नोटिस दी गयी परन्तु प्रतिकर लेने नहीं आये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता० प्र० सं०–44 का उत्तर पीछे पृ० 47 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री हरदेव सिंह एवं श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–44 का संलग्नक ।

मदवार व्यय का विवरण (लाख रु० में)

मद	95-96	96-97	97-98
1–केमिकल्स	34.11	50.50	47.52
2–आपूर्ति	56.03	50.88	55.39
3–रख-रखाव	83.78	80.55	81.58
4–अन्य व्यय	29.99	45.77	38.45
5–अधिष्ठान	921.29	982.07	1133.50
6–विद्युत	767.66	736.52	715.21
कुल योग :–	1892.86	1946.29	2071.65

लालजी टण्डन,

मंत्री,

नगर विकास विभाग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्रहेतु अता०प्र०सं०–45 की अनुपूरक सामग्री

(देखिये अता०प्र०सं०–45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

नगर निगम द्वारा पट्टे पर दी गई भूमियां

क्र०सं०	आवंटी का नाम	ग्राम का नाम	आवंटित क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा० वि०क०)	निर्धारित दर प्रति (रु० बीघा)	निर्धारित प्रीमियम (रुपयों में)	वार्षिक तीजरेन्ट (रुपयों में)	किया जा रहा उपयोग	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फ्रेन्ड्स सहकारी आवास समिति	जियामऊ	20-18-18-13	2.50 लाख	52.36.656.25	52.367.00	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	
2	न्यू आजाद सहकारी आवास समिति	बस्तोली	2-6-12-0	2.50 लाख	5.82.500.00	5.825.00		वाद न्यायालय में विचारार्थ
3	मे० सहारा इण्डिया हाउसिंग लि०	जियामऊ	64-0-0-0	1.15.625.00	74.00.000.00	148000.00	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	
4	श्री अनुराग अग्रवाल	हेवतमऊ मवेया	0-10-10-0	2.50 लाख	1.31.250.00	1.312.50	पेट्रोल पम्प योजना	
5	श्रीमती प्रभा अग्रवाल	तदैव	0-8-0-0	2.50 लाख	1.00.000.00	1.000.00	पेट्रोल पम्प योजना	
6	मानस बिहार सहकारी आवास समिति	गाजीपुर सेदुलनिशा	4-14-0-0	2.50 लाख	11.75.000.00	11.750.00	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	
7	तदैव	इस्माईलगंज	0-14-0-0	2.50 लाख	1.75.000.00	1.750.00	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	
8	नौशाद संगीत केन्द्र	खुर्मनगर	0-7-7-0	2.50 लाख	91.830.00	918.00	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	
9	अखिल भारतीय अम्बेडकर सेवा संस्थान	हाताफकीर मो०	0-1-1-0	रु० 100.00/ वर्ग फिट	1.43.000.00	1430.00	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	
10	मानसरोवर सहकारी आवास समिति पार्क रोड	जियामऊ	4-12-2-0	2.50 लाख	11.51.250.00	11.513.00	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	पार्वती मेमोरियल समिति सरोजनीनगर, लखनऊ	गौरी	1-9-0-0	निः शुल्क शासनादेवाानुसार नगर निगम द्वारा जारी निरस्त किया जा चुका है।			निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	
12	श्री कुंवर सिंह दोदाखेड़ा मानकनगर, लखनऊ	भिलावां	0-2-0-0	रु० 100/ वर्ग फुट	2.72.000.00	2.720.00	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	
13	श्री गजानन्द प्रसाद सतरिक, बाराबंकी	आदिलनगर	0-0-9-0	रु० 77/ वर्ग फुट	46.200.00	462.00	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	
14	श्री विनोद कुमार विल्सन बहादुरपुर, लखनऊ	बहादुरपुर	0-0-10-4	रु० 33/ वर्ग फुट	23.760.00	238.00	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	
15	श्री महन्त सिंह चौहान विकास नगर लखनऊ	खुर्रमनगर	0-1-1-0	रु० 88/ वर्ग फुट	1.24.432.00	1.244.00	लोहा भण्डार	
16	समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश	जियामऊ	7-6-18-12	रु० 125/ वर्ग मीटर	23.23.536.25	23.235.00	निर्दिष्ट प्रयोनार्थ	
17	मे० अंसल हाउसिंग एण्ड कांसट्रक्शन लि०	भीखमपुर	112-0-0-0	रु० 140/ वर्ग मीटर	3.96.70.400.00	-	सेना का अवैध कब्जा होने के कारण वादग्रस्त	
18	मे० एल्डिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०	जुगोली भीखमपुर	56-0-0-0	रु० 140/ वर्ग मीटर	1.98.35.200.00	अनुबंधानुसार	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	
19	मे० सहारा इण्डिया हाउसिंग लि०	उजरियांव जियामऊ	208-0-0-0	रु० 125/ वर्ग मीटर	6.57.80.000.00	अनुबंधानुसार	निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अता०प्र०सं०-80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत वर्ष 1995 से अब तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों में से सम्पर्क मार्ग से जुड़े ग्रामों की सूची ।

क्र०सं०	अम्बेडकर ग्रामों का नाम
1	खानीपुर
2	गड़ौसा
3	कोठिया
4	कटकुसमा
5	चहमलपुर
6	कुसमौरी
7	नकहापिपरी
8	पिपरागूम
9	रुद्रपुर
10	कौआखेड़ा
11	जहानपुर
12	देवरिया रड़ा
13	रामालक्षना
14	पड़रियातुला
15	बस्तौली
16	भदेड़

राधेश्याम,

मंत्री,

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अता०प्र०सं०–133 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के दूसरे शुक्र० के लिये निर्धारित मा० सदस्य श्री अम्बिका चौधरी, द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर का संलग्नक

द्वितीय प्रकल्प शाखा, उ०प्र०, जल निगम, बलिया में दैनिक वेतन पर कार्यरत हैण्डपम्प मैकेनिक कर्मचारियों की वरिष्ठताक्रम की सूची :–

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति पद	नियुक्ति तिथि
1	श्री ब्रज नारायण यादव	श्री मिश्री यादव	हैण्डपम्प मैकेनिक	1-8-86
2	श्री लल्लन तिवारी	श्री कपिलदेव तिवारी	,,	1-10-87
3	श्री रघुनाथ यादव	श्री राम औतार यादव	,,	1-2-88
4	श्री वीरभान	श्री विष्णुपाल	,,	1-10-88
5	श्री विनोद कुमार सिंह	श्री हरी सिंह	,,	1-12-88
6	श्री मु० इकबाल अहमद	श्री फतेह मोहम्मद	,,	1-1-89
7	श्री लल्लन चौधरी	श्री नगीना चौधरी	,,	1-4-89
8	श्री मोहन प्रसाद	श्री बालचन्द्र	,,	1-5-89
9	श्री भगवती प्रसाद	श्री बैजनाथ प्रसाद	,,	1-6-89
10	श्री श्याम राज मौर्य	श्री राम स्वरूप मौर्य	,,	1-6-89
11	श्री सुरेन्द्र	श्री राम गहन	,,	1-7-89
12	श्री राजेन्द्र प्रसाद	श्री विक्रमा यादव	,,	14-11-93
माननीय उच्च न्यायालय के पुनः आदेश द्वारा (क्रमसंख्या–12)				11-11-97

पी०एस०यू०पी०–एल० 172 विधान सभा (510)–28-10-99-813 (डी०टी०पी०) ।